अष्टम माला, खंड 45, अंक 23

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 1988
24 अग्रहायण, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 45 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 45, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 23, गुरुवार, 15 दिसम्बर, 1988/24 अग्रहायण, 1910 (शक)

विषय		पृष्ठ संख्या
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	5-8
लोक लेखा समिति		
140 वां प्रतिवेदन	...	8
भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तालोजा एकक के निजीकरण के बारे में याचिका	...	9
नियम 377 के अधीन मामले	...	9-13
(एक) राजस्थान सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के लिये निदेश दिए जाने की आवश्यकता		
श्री शंकर लाल	...	9
(दो) अगले वर्ष की योजना में बिहार में सिकरहना नदी पर पुल के निर्माण की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता		
श्रीमती प्रभावती गुप्त	...	9
(तीन) देश में विशेषकर युवाओं में हृदय रोग के प्रसार की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता		
डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी	...	10
(चार) हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता		
श्री मदन पांडे	...	10

(पांच) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई कपास वसूली योजना को मंजूरी दिए जाने तथा कपास के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी ... 11

(छः) प्रसव के लिए तेलों की रायल्टी की दर में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश गोस्वामी ... 11

(सात) चीनी के लेवी मूल्य में असमानता दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नारायण सिंह ... 12

(आठ) गैर निर्माण इकाइयों को केन्द्रीय निवेश सहायता बन्द करने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री ओ. एम. बनीतवाला ... 12-13

(नौ) बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा. प्रभात कुमार मिश्र ... 13

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक

तथा

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ... 13-198

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 14-22

श्री जगन्नाथ कौशल ... 22-33

श्री पी. कुलनदईवेलू ... 33-37

श्री राजीव गांधी ... 37-42

श्री चरनजीत सिंह वालिया ... 43-44

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ... 44-46

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव ... 46-49

श्री डी. बी. पाटिल ... 49-51

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी ... 51-56

श्री काली प्रसाद पांडेय ... 57-58

चौधरी राम प्रकाश ... 58-59

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ... 59-61

श्री धमिन्दर सिंह ... 62-63

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव ... 63-64

श्री अब्दुल रशीद काबुली ... 64-65

श्री बृजमोहन महन्ती ... 65-67

श्री अमल दत्ता ... 67

श्री बी. शंकरानन्द ... 68-74

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक ... 90-98

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी. शंकरानन्द ... 90

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ... 98-198

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी. शंकरानन्द ... 193-196

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी ... 196

श्री बी. एन. रेड्डी ... 196-197

श्री तम्पन थामस ... 197-198

ा
ि
े
न
त
ा
र
ए

1

लोक सभा

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 1988/24 अग्रहायण, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। श्री गौडा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल (गुलबर्गा) : कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गौडा को बोलने की अनुमति दी है।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा (हसन) : हमने एक नोटिस दिया है। कल के 'इण्डियन पोस्ट' में एक समाचार छपा है जिनमें कहा गया है " मार्च में सीमा के सम्बन्ध में जनमत संग्रह।" यह शीर्षक है। ऐसा कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में दीजिए। मैं पता लगाऊंगा।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : ऐसा कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में कहा है कि केन्द्रीय गृह मंत्री ··सहमत हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाने के बाद ही कोई कार्यवाही करूंगा।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : यह चौंकाने वाली बात है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय गृह मंत्री ···सहमत हो गए हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र पाटिल आप क्यों चिल्ला रहे हैं माननीय सदस्य श्री गौडा बोल रहे हैं। मैंने उनको अनुमति दी है। मैं सिर्फ एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा, दो को नहीं।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : महोदय, यह और भी अधिक चौंकाने वाली बात है क्योंकि मुख्य मंत्री ने भी कहा है तथा प्रेस में भी छपा है कि केन्द्रीय मंत्री श्री बूटा सिंह ने महाराष्ट्र के जनमत संग्रह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गौडा जब तक मैं इसकी पुष्टि न कर लूं आप प्रेस रिपोर्ट पर मत जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिल्ला रहे हैं । कृपया बैठ जाइए ।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : गृह मंत्री जी को इससे इन्कार क्यों करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके शोर मचाने से मैं आपकी बात मान जाऊंगा ? कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे एक बार कह दिया है—श्री वीरेन्द्र पाटिल आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देने के लिए कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से कह दिया है कि मैं तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करूंगा आप जो कुछ कह रहे हैं उसके आधार पर नहीं । मैं समाचार पत्रों की बातों पर यकीन नहीं करता, जब तक यह साबित न हो जाए कि यह यही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं तथ्यों की जांच करूंगा तथा उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम गृह मंत्री जी से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वक्तव्य दें तथा स्थिति स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा । मैंने यही कहा है । तथ्यों की जांच किए बिना वे ऐसा नहीं कर सकते हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने नियम 189 के अधीन एक प्रस्ताव रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य : केरल के राज्यपाल ने मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा । इसकी अनुमति नहीं दी गई है ।

(व्यवधान)*

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री वसुदेव आचार्य : राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है तथा उसे अस्वीकार कर दिया है। कृपया बैठ जाइये।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय क्यों ? मैंने नियम 184 के अधीन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रक्रिया निभानी होती है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। श्री आचार्य आप एक माननीय सदस्य हैं तथा अपने दल के नेता हैं फिर भी आप इस प्रकार शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है मैं तथ्यों की जांच करूंगा तथा फिर उनके अनुसार कार्य करूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : तथ्य आपके सामने हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव मेरे पास है। मैं इसकी जांच करूंगा। श्री कुलनदई वेलू।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुलनदईवेलू को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे नियमों का निरादर कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता उनके साथ क्या किया जाए।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं नियमों का निरादर नहीं कर रहा हूं।

श्री पी. कुलनदई वेलू (गोबिचेट्टीपालयम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। एक हजार से भी अधिक वेन्नियार गिरफ्तार किए गए हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें अनुमति दी है। क्या आप में जरा भी शिष्टाचार नहीं है ? आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री पी. कुलनदई वेलू : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री पी. कुलनदई वेलू : महोदय, वेन्नियारों का आन्दोलन चल रहा है। 12 से अधिक बसें

जला दी गई हैं तथा एक हजार से भी अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तमिलनाडु में अर्ध-सैनिक बल भेजे गए हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)*

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, पंजाब में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। वे 12 मार्च को भटिंडा में एक सम्मेलन करेंगे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि उन्हें प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के समकक्ष वेतन दिया जाए···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन महीनों से पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन आज तक तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी कैसी हिम्मत कि वह हिन्दी भाषा को बन्द करें।

श्री बालकवि बैरागी : वह बहुत गम्भीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : नो क्वेश्चन।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, वह भारतीय भाषा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, मेरे ख्याल में वह पहले आ चुका है और आज भी आ रहा है।

[अनुवाद]

मैंने मंत्रालय को भी चेतावनी दी है तथा यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कड़ी आपत्ति है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता तथा ऐसा नहीं करने देना चाहिए। मुझे आशा है माननीय मंत्री महोदय शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : सदन कल स्थगित हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। हम फिर सदन में एकत्रित होंगे।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैंने केरल में राज्यपाल के व्यवहार पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री तम्पन थामस : मैंने नियम 184 के अधीन भी एक नोटिस दिया है : (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है।

(**व्यवधान**)*

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने आपको कुछ दस्तावेज दिये हैं तथा नियम 184 के अधीन एक नोटिस दिया है। "इकोनामिक्स टाइम्स" में विस्तृत जानकारी दी गई है कि रक्षा मंत्री के इन निर्देशों के बावजूद कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले किसी भी करार में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, वे दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा करार बिचौलियों के जरिए किए जा रहे हैं। मैंने कागजात पेश किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय मैंने अनेक नोटिस दिए हैं इस नेहरू शताब्दी वर्ष में जो हमारी जानकारी में आया है वह बहुत दुखद है···

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नेहरू युवक केन्द्रों को कांग्रेस (आई) के केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह गम्भीर मामला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने नोटिस भी दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

11.07 म. पू.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली तथा माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के कार्यकरण की समीक्षा तथा वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7069/88]

(ख) (एक) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7070/88]

(ग) (एक) खनन और सहबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) खनन और सहबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1987-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7071/88]

(घ) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेख-परीक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7072/88]

(ङ) (एक) भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7073/88]

(च) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7074/88]

राजघाट समाधि समिति का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1987-88 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7075/88]

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कम्पनी विधि बोर्ड (पीठ) (दूसरा संशोधन) नियम, 1988, जो 14 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 945 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (पांचवा संशोधन) नियम, 1988, जो 26 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1032 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 800, जो 8 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स द्रविड़ियन बेनिफिट फण्ड लिमिटेड, मद्रास को "निधि" के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7076/88]

इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7077/88]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के समेकित वार्षिक लेखे

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 7078/84]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 7079/88]

11.08 म. पू.

लोक लेखा समिति

140वां प्रतिवेदन

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : मैं व्हील एण्ड एक्सल प्लांट, येलाहंका के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.8½ म. पू.

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के तालोजा

एकक के निजीकरण के बारे में याचिका

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड—तालोजा एकक के बारे में श्री संजीव शेट्टी तथा भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के अन्य कर्मकारों द्वारा निजीकरण के हस्ताक्षरित एक याचिक प्रस्तुत करता हूँ।

11.09 म. पू.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान सरकार को नौकरियों में पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चत किए जाने के लिए निदेश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के अन्तर्गत शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत नियुक्त मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं। राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित पिछड़े वर्ग की जातियों की अजमेर जिले व शेष राजस्थान के लिये अलग सूची बनी हुई है। राजस्थान में इन पिछड़ी हुई जातियों के लिए दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियों में बेरोजगार एवं कमजोर लोगों को मदद पहुँचाने की कोई सुविधायें नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को न्यायोचित निर्देशन जारी किये जाने चाहिये।

(दो) अगले वर्ष की योजना में बिहार में सिकरहना नदी पर पुल के निर्माण को मंजूरी दिये जाने की अधिसूचना

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य सरकार के अन्तर्गत पू. चम्पारण जिले की सिकरहना (बूढ़ी गण्डक) नदी दो भागों में विभक्त करती है। नदी के दूसरी ओर का पूरा इलाका हरीतिमा से परपूर्ण एवं उर्वर होते हुए भी आवागमन के अभाव में अत्यन्त पिछड़ा है। आजादी के चालीस वर्ष बाद भी इस क्षेत्र का जिले के मुख्यालय मोतीहारी एवं राजधानी पटना से सम्बन्ध बाढ़ एवं वर्षा ऋतु के कारण लगभग 5 महीने विच्छिन्न रहता है। वर्षा ऋतु में पूरा क्षेत्र जलप्लावित हो कर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करता है। आवागमन का कोई भी साधन नहीं रह जाता है इसलिए जिले की लगभग 15 लाख जनता का जीवन नर्क सदृश हो जाता है। आवागमन की इस दयनीय परिस्थिति के आलोक में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस जिले में सिकरहना नदी में कतहाघाट या मुरकुरग घाट में पुल की योजना को बिहार राज्य की आगामी वार्षिक योजना में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निदेश दें।

(तीन) देश में विशेष कर युवाओं में हृदय रोग के प्रसार की रोकथाम किये जाने की आवश्यकता

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश में जहां अनेक बीमारियों से लोग पीड़ित हैं और सरकार उनके उपचार के लिए अनेक अस्पतालों की स्थापना और नये-नये आविष्कार करा कर उन को रोग से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। वहीं हम देखते हैं कि दिनों-दिन रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। आज देश में हृदय रोग के बढ़ने से काफी चिन्ता हो रही है। एक सर्वेक्षण के आधार पर इस समय पूरे देश में लगभग तीन करोड़ लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं। सिर्फ दिल्ली में ही 25 से 64 साल के बीच लगभग ढाई लाख लोग इस बीमारी के मरीज हैं। लगभग नौ लाख लोग रक्तचाप से पीड़ित हैं और इससे दिल का दौरा बढ़ सकता है। दुख की बात तो यह है कि यह रोग युवक युवतियों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। अभी तक के प्रयास से हृदय रोग के मरीज को दो बार के दौरे में तो बचा लिया जाता है। लेकिन तीसरे दौरे के बाद किसी भी मरीज को बचाना बड़ा ही कठिन हो जाता है हृदय रोग से पीड़ित होने वाले मरीज की चिकित्सा काफी महंगी पड़ती है और साधारण आदमी को इस रोग का पता भी नहीं चल पाता है और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है।

अतः मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि इस बढ़ते हुए रोग से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठायें जिससे नवयुवकों में फैलते इस रोग पर काबू पाया जा सके और साथ ही लोगों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके।

(चार) हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के चालीस वर्ष बाद भी समूचे देश में अंग्रेजी का बोलबाला दिखाई पड़ता है। देश में शिक्षा से लेकर कार्यालयों तक का कार्य सभी अंग्रेजी में ही हो रहा है। यदि अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो वह उच्च शिक्षा और उच्च पद से वंचित रह जाता है। कोई भी देश विकास तभी कर सकता है जब उस देश की भाषा पूर्ण विकसित हो और देशवासी उसे बोलने तथा प्रयोग करने में गर्व महसूस करें। हमारे देश में एक ओर तो लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अंग्रेजी विषय को अनिवार्य बना रखा है, दूसरी तरफ हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वाला विभाग, जिसे राज भाषा विभाग के नाम से जाना जाता है, स्वयं अपने सम्मेलन में हिन्दी का प्रयोग कर रहा है। जब हिन्दी को लागू कराने वाली संस्था ही हिन्दी में कार्य नहीं करेगी तो दूसरे विभागों का क्या हाल होगा ? ठीक इसी प्रकार का व्यवहार अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग में भी किया जा रहा है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठायें और जिन संस्थाओं पर भारतीय भाषाओं को लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाय, उनके अधिकारी, चाहे हिन्दी का प्रश्न हो या अन्य भारतीय भाषाओं का, ऐसे रखे जायें जिनको उन भाषाओं का अच्छा ज्ञान होने के साथ-साथ उन्हें लागू कराने की लालसा भी हो।

(पांच) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई कपास वसूली योजना को मंजूरी दिये जाने तथा कपास के लिए सुनिश्चित मूल्य लाभप्रद किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र कपास उत्पादक प्रांतों में से एक प्रांत है जिसने कपास उत्पादकों के हितों को सर्वोपरि रखा है। दलालों के शोषण से बचाने तथा कपास उत्पादकों को उनकी उपज का पूरा-पूरा मुल्य दिलाने हेतु महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य रहा है जिसने काटन फेडरेशन का निर्माण किया तथा कपास एकाधिकार योजना बनाई परन्तु कपास एकाधिकार योजना चलाने हेतु महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र से बार-बार अनुमति लेनी पड़ती है तथा किसानों के हित में होते हुए भी इस स्कीम को चलाने में तथा केन्द्र से अनुमति लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब वर्तमान अनुमति की तारीख 30.6.89 को समाप्त हो जायेगी। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र के टैक्सटाइल विभाग से इस योजना को दस साल बढ़ाने की विनती की है। अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना को एक बार ही दस वर्ष की अनुमति दे दी जाये।

दूसरे हमारे देश में कपास का उत्पादन काफी अच्छा है तथा यह उत्पादन और भी बढ़ सकता है यदि कपास का आयात न करके उसके निर्यात पर अधिक ध्यान दिया जाये। यदि उत्पादक को उसकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा तो वह भरपूर प्रयत्न करेगा कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसके लिए कपास की आयात-निर्यात पालिसी का सही घोरण होना आवश्यक है। इस वर्ष अति-वृष्टि के बावजूद महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन लगभग 20 लाख गांठ होने की संभावना है और यही दशा पूरे देश की है। अधिक कपास होने से यह आशंका है कि कपास का मूल्य नीचे चला जायेगा। अत: सरकार यह सुनिश्चय करे कि किसी भी प्रकार उत्पादक को कपास सस्ते में न बेचना पड़े।

किसानों के हित को दृष्टिकोण में रखकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश की गई कपास एकाधिकार योजना को दस साल तक चालू रखने की स्वीकृति प्रदान की जाये तथा महाराष्ट्र सरकार को कपास निर्यात करने की भी अनुमति देने की कृपा करें।

(छ:) असम के लिए तेल की रायल्टी की दर में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : असम राज्य को गम्भीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद केन्द्रीय सरकार ने, राज्य सरकार को 1.4.1987 से देय तेल रायल्टी की दर नहीं बढ़ाई है। असम सरकार ने तेल शोधक कारखानों को कच्चे तेल के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत के आधार पर 340 रु. प्रति टन की मांग की है, और अपनी मांग के समर्थन में तर्क संगत कारण बताए हैं। यद्यपि तेल उपकर में कई प्रतिशत वृद्धि की गई है, और भारत सरकार को कच्चे तेल से काफी लाभ हुआ है, राज्य सरकार को इसको कानूनी तौर पर देय राशि से भी वंचित किया गया है। मैं मांग करता हूँ कि राज शुल्क में शीघ्र उसी दर पर वृद्धि की जाए जिस की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई है और कच्चे माल से प्राप्त लाभ राज्य सरकार के लिए भी निर्धारित किया जाए।

(सात) चीनी के लेवी मूल्य में असमानता दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : हरियाणा में गन्ने के उत्पादन, उसकी किस्म और वसूली में काफी वृद्धि हुई है जिससे राज्य तथा केन्द्रीय राजस्व में भारी वृद्धि हुई है। हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादकों को 35 रु. प्रति क्विंटल दिया है जो देश में सब से अधिक मूल्य है। इसके अतिरिक्त राज्य में सहकारी मिलों (कारखानों) में पुराने घाटों के लिए 15.62 करोड़ रुपये दिए हैं। मिलों के स्वामियों ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने पर पुराना बकाया जिसमें इस पर लगा हुआ ब्याज भी है जो 22 लाख रुपये के करीब आता है, भी दिया है जब कि देश में किसी भी चीनी कारखाने ने गन्ने के उत्पादकों को ब्याज के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया है।

हरियाणा सरकार ने 1987-88 में 4 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। जहां केन्द्रीय सरकार को हरियाणा सरकार को चीनी की अच्छी किस्म तैयार करने और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार देने चाहिए थे उन्होंने लेवी चीनी का मूल्य 432 रुपये प्रति क्विंटल घटाकर गन्ना उत्पादकों को दंडित किया है। अन्य राज्यों में यह 459 रु. प्रति क्विंटल है इसके परिणाम स्वरूप राज्य की चीनी मिलों को हानि होगी और गन्ना उत्पादकों को समर्थन मूल्य नहीं दे पाएगी।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हरियाणा में चीनी के लेवी मूल्य में विषमता को दूर करें और इसको देश के अन्य राज्यों के चीनी मूल्यों के बराबर करें।

(आठ) गैर-निर्माण इकाइयों को केन्द्रीय निवेश सहायता बंद करने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सरकार ने गैर-निर्माण इकाइयों को केन्द्रीय निवेश सहायता बन्द करने का निर्णय लिया है। जहां वस्त्र बनाने, लकड़ी पर आधारित उद्योग, आरामशीन, मुद्रण आदि जैसे अनेक उत्पादन उद्योग अनुपयुक्त सूची में आते हैं इसलिए इस निर्णय से बहुत से लघु उद्योगों को हानि होती है और वे नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त यह और भी अधिक खेदजनक है कि केन्द्रीय निवेश सहायता को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा मंजूर की गई आर्थिक सहायता का रद्द करना और उसे न बांटना न केवल अत्यन्त अनुचित और आपत्तिजनक और गम्भीर विश्वास घात है, किन्तु इससे ऐसे लघु उद्योग पतियों को भी भारी क्षति होगी जो उधार ली गई राशिसे इस क्षेत्रमें आए हैं अथवा जिन्होंने प्रतिशत आर्थिक सहायता पर अपनी परियोजनाओं की नींव रखी है। अधिकतर मामलों में सहायता के वितरण में विलम्ब सरकार को लापरवाही अथवा चूक से हुआ है। इसी प्रकार उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में सम्बन्धित अधिसूचना में बहुत ही अस्पष्टताएं, कमजोरियां और असंगतियां हैं। अत: जबकि अधिकारियों ने विभिन्न वस्तुओं के लिए पहले ही भुगतान किए जाने के लिए प्रमाण पत्रों पर जोर दिया था, जिन इकाइयों ने परियोजनाओं की अनुमति से पूर्व पून्जी लगाई हुई थी उन्हें आर्थिक सहायता के लिए अब अयोग ठहराया जाता है।

केन्द्रीय निवेश सहायता योजना बन्द करने से पिछड़े हुए जिलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर्याप्त आधारभूत ढांचे के अभाव के कारण इन सहायताओं से ही विभिन्न इकाइयां तथा परियोजनाएं आकर्षिक होती है। उदाहरण के तौर पर मलप्पुरम के पिछड़े हुए जिले में लगभग

तीन सौ इकाइयां बन्द पड़ी हैं। योजना को बन्द करना विशेषकर पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास के खण्डन के बराबर है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस योजना को जारी रखा जाए।

(नौ) बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में रेल सुविधायें बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का बिलासपुर साउथ-ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन हैड क्वार्टर है। सर्वाधिक आय देने वाले इस डिवीजन को पिछले चार वर्षों में बहुत लाभ मिला, परन्तु उपयुक्त अपेक्षायें पूरी नहीं हो पाई हैं।

कई बार हमने मांग की है कि बिलासपुर में रेल का 10वां जोन स्थापित किया जाए। कोरबा से बिलासपुर तक सीधी रेल सेवा दी जायें तथा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को कोरबा से भोपाल चलाया जाए तथा महानदी एक्सप्रेस को बिलासपुर से दिल्ली तक चलाया जाये। बिलासपुर मुंगेली मंडला जबलपुर रेल लाईन जिसका सर्वे हो रहा है, स्वीकृति प्रदान करें तथा बिलासपुर सिरगिट्टी के बीच प्रस्तावित ओवर ब्रीज शीघ्र बनाया जाये। नैलाचांपा, अकलतरा इत्यादि स्थानों में रेलवे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत करायी जाये एवं सभी लैवल क्रासिंग के फाटक लगाए जायें। यह आवश्यक एवं न्यूनतम मांग है जिसे जनहित में शीघ्र पूरा किया जाये। चांपा एक प्रमुख जंक्शन है तथा कोरबा औद्योगिक नगरी का रेलवे हैड है। पांचा से कोरबा की दूरी 40 किलोमीटर है। अतः चांपा में रेलवे का एक सुसज्जित अस्पताल पूर्ण सुविधापुक्त खोला जाये जो न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों वरन सभी नागरिकों के हित में हो। गेवरा रोड स्टेशन को गतौरा या उस्लापुर स्टेशन से जोड़ने से बिलासपुर कोरबा की रेल लाइन की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसे भी अगले वर्ष के बजट में शामिल किया जाए।

[11.20 म. पू.]

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक-(जारी) तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक-(जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री बी. शंकरानन्द द्वारा 14 दिसम्बर 1988 को प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा, अर्थात्

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं सदन को बता दूं कि इस चर्चा के लिये अब हमारे पास केवल एक घण्टा और बचा है। श्री इन्द्रजीत गुप्त चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आप इन्हें ही पूरा एक घण्टा दे दें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उनका क्या होगा जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनको हम बाद में देखेंगे।

श्री वी. किशोरचन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : एक घण्टे में तो हमें बोलने तक का मौका नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास समय नहीं है। मैंने तय कर लिया है और इसे निर्धारित समय में पूरा करना है। मैं आपको पांच मिनट देता हूँ तथा यह इस प्रकार ही चलेगा। निर्धारित समय में से मेरे पास केवल 26 मिनट बाकी हैं। मैंने आपको पूरा समय दे दिया है तथा अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम नियमों का उल्लंघन करते जा रहे हैं। हम सदन की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय से अधिक नहीं ले सकते हैं। तथा निर्धारित समय एक घण्टा था परन्तु मैंने आपको दो घण्टे दिये थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी आप निर्णय का एक हिस्सा है तथा अब आप पीछे हट रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री किशोर देव मैं आपको पांच मिनट दूंगा। चूंकि आप विद्वान सदस्य हैं, आप पांच मिनट में ही सारी बातें बता देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप कार्य मंत्रण समिति की एक और बैठक बुला सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि काफी चर्चा हो चुकी है, इन्द्रजीत गुप्त जी अब आप अपना वक्तव्य जारी रखें। अब आप अपने विशेष मुद्दों को बता सकते हैं। वर्ना सब बातें दोबारा दोहराई जायेंगी। आप नयी बातें कह सकते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : वह वही बाते दूसरे ढंग से कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह पुरानी शराब को नयी बोतल में नये लेबल के साथ डाल देगें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मुझे खेद है कि जब इन दोनों संशोधन विधेयकों पर महत्वपूर्ण चर्चा आरम्भ हुई तो मैं सदन में उपस्थित नहीं था तथा कल सारे दिन पर इस चर्चा चलती रही मुझे यहां उपस्थित न होने का खेद है। मेरे चुनाव क्षेत्र का बड़ा हिस्सा तूफान की चपेट में था अतः मुझे वहां जाना पड़ा था। यहां वापस आने के बाद सुबह मैंने अपने पुराने मित्र प्रो. मधु दण्डवते से कल की चर्चा के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : उनके बोलने के तरीके को देखते हुये आप उन्हें पुराना नहीं कह सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने पुराना मित्र कहा है। 'पुराना शब्द' मित्र को परिभाषित करता है।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है।

प्रो. मधु दण्डवते : मरते दम तक भी व्यक्ति अपने को बूढ़ा नहीं कहेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : शब्द के हर अर्थ में दंडवते जी युवा हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : शहद अधिक मीठा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने उनसे पूछा था कि चर्चा कैसी हुई जहां तक संविधान संशोधन का सवाल है, यह निधन सम्बन्धी उल्लेख की तरह हुई थी। आप उनकी मजाक करने की आदत को जानतेहैं। उन्होंने कहा था कि हर माननीय सदस्य ने एक वाक्य बोलकर विधेयक को समर्थन दे दिया तथा इस प्रकार चर्चा पूरी हो गयी।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही हुआ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं उस निधन संबंधी उल्लेख पर कुछ और कह सकता हूं ? मैंने समाचार पत्र, में यह पढ़ा था कि चर्चा में इस बात की स्पर्धा हो रही थी कि किसने मतदान की आयु 21 से कम करके 18 करने की मांग की थी। खैर, यह स्पर्धा का विषय नहीं है बल्कि यह सही है कि यह मांग कई सालों से अनेक राजनैतिक दल कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि हमारे दल ने 10 या 15 साल पहले ही यह मांग निर्वाचन आयोग के समक्ष रख दी थी। खैर यह अच्छी बात है। जल्दी हो या देर से हो, कभी न होने से देर भली। हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। परन्तु इसमें कुछ बौद्धिकता होनी चाहिये यदि आप मतदान की आयु 21 से कम करके 18 करना चाहते हैं तो हम लोक सभा का सदस्य बनने के लिये न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम करने की बात क्यों नहीं सोच सकते हैं जो लोग उनको वोट देते हैं। उनको वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में मिल जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि संसद या विधान मंडल का सदस्य बनने के लिये न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम करके 21 वर्ष कर देनी चाहिये। इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए इस पर इतना लापरवाही से क्यों विचार किया जाता है, मेरी यह समझ में नहीं आता है।

श्री शंकरानन्द ने उद्देश्यों व कारणों के वक्तव्य में युवाओं को आज का युवक बताया है वह कहते हैं कि वह साक्षर व बौद्धिक हैं। साक्षर उपयुक्त शब्द नहीं है। ऐसे और लोग भी हैं जो दुर्भाग्यवश साक्षर नहीं हैं, परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वह राजनीति के बारे में जागरूक नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि आज का युवा राजनीति के बारे में काफी

जागरूक है। यदि वह मतदान करने के लिए राजनीति के बारे में जागरूक है तो लोक सभा का सदस्य बनने के योग्य क्यों नहीं है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि आप ऐसा संशोधन करने के लिये भी विधेयक लायें क्योंकि यह कार्य थोड़े-थोड़े हिस्सों में किया जा रहा है और एक विस्तृत विधेयक की आवश्यकता है खैर, मेरा दल इस संविधान संशोधन विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता है और हमें आशा है कि आप कुछ और ऐसे विचारों को लायेंगे जोकि इस प्रगतिशील अधिनियम के साथ तालमेल बिठा पायेगा जिससे सारी चुनाव प्रणाली और विधायकों का कार्य अधिक लोकतान्त्रिक तरीके से हो पाएगा जिससे लोगों की वास्तविक भावनाओं और अच्छी तरह झलक मिल सकेगी।

जहां तक दूसरे विधेयक का सवाल है वास्तव में उसमें अनेक बातें हैं। उनमें से कुछ तकनीकी व प्रक्रिया संबंधी मुद्दे हैं। परन्तु मैं सरकार से निवेदेन करूंगा कि इन प्रस्तावित सुधारों में कुछ जो कागज पर अच्छी दिखती हैं बाकी की बातें उनकी बात मैं बाद में करूंगा क्या वे वास्तव में लागू हो पायेंगी। यदि उनको वास्तव में लागू नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि उनको बिना किसी कठिनाई के हटाया जा सकता है। तो केवल कानून में इसे शामिल करने से आगे जाकर यह कानून में मदद तो नहीं करेगा वरन यह सारी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बेकार कर देगा उदाहरण के तौर पर आप धन की शक्ति के बारे में काफी बातें कर रहे थे। इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वास्तव में धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। उदाहरण के लिए, पार्टियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्चों पर कोई अधिकतम सीमा नहीं लगाई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है। कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले चन्दे दिए जाते रहेंगे। इसलिए, इस धन का वास्तव में किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ? पिछले कई वर्षों से जो हम देख रहे हैं, इसका किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ? इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जो धन के दुरुपयोग को रोक सकें। आपने इसमें क्या किया है आपने इसमें, सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन, जो कि आज कल बहुत से देशों में एक आम प्रथा है, का भी कोई प्रावधान नहीं किया है। कम से कम वह पार्टियों या उम्मीदवार को, मतदाता सूचियों मतदाता पहचान पार्टियों, डाक खर्च तथा परिवहन जैसी तकनीकी जरूरतों के लिए कुछ धन देने की व्यवस्था कर सकते थे किन्तु राज्य की ओर से कुछ अंशदान दिए बिना ही आप यह मांग कर रहे हैं कि पार्टियां पंजीकृत होनी चाहिए। जब कोई पार्टी सरकार से कुछ ले ही नहीं रही तो इसे पंजीकृत करवाने की क्या आवश्यकता है ? यदि आप राज्य की ओर से कुछ धन की व्यवस्था करते हैं तो मैं पार्टियों द्वारा पंजीकरण कराए जाने की बात का समर्थन करूंगा। किन्तु आप उनका पंजीकरण करवाना क्यों चाहते हैं ? इसके अलावा पंजीकरण संबंधी उपबन्ध व्यवहारिक नहीं होंगे। उदाहरण के लिए आपने कहा है कि जो भी दल पंजीकरण के लिए आवेदन करता है वह भारत के संविधान में निष्ठा रखता हो तथा समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों में विश्वास तथा निष्ठा रखता हो। इसका अर्थ यह हुआ कि आप चाहते हैं कि वह संविधान के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करे। यहां तक तो किसी भी दल को एतराज नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा दल है जो यह घोषित नहीं करता कि यह संविधान के उपबन्धों का पालन करेगा, तो इसे चुनाव में भाग लेने के प्रयोजन के लिए निश्चित तौर पर एक दल नहीं माना जाना चाहिए। किन्तु यहां इस बात की क्या गारन्टी है कि एक कट्टर साम्प्रदायिक व्यक्ति या दल यह घोषित नहीं करेगा कि वह धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखता है क्या इसे रोकने का कोई उपाय है। किसी बड़े व्यापार गृह के प्रतिनिधि को यह घोषित करने से कौन रोक सकता है कि वह समाज

वाद में विश्वास रखता है ? वह हर रोज ऐसा कर रहे हैं। व्यवहार में इन बातों का कोई अर्थ नहीं है।

11.32 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, इसके अतिरिक्त मैंने आज के एक समाचार पत्र में देखा-हो सकता है कि उसका अपना कोई उद्देश्य हो—उसने इस बात को चुनौती दी है कि सरकार को क्या अधिकार है कि वह प्रत्येक पार्टी को समाजवाद के प्रति निष्ठा घोषित करने के लिए कहे। मेरा समाजवाद में विश्वास है और उससे भी बढ़कर है, किन्तु आप ऐसा करने को क्यों कहते हैं ? यदि मैं ऐसा कहता हूं तो अजीब लग सकता है। किन्तु मेरे विचार से आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप प्रत्येक दल में प्रत्येक व्यक्ति को यह कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि वे समाजवाद में विश्वास रखते हैं, जो शायद वे न कहना चाहें···(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ कौशल (चंडीगढ़) : संविधान में ऐसा कहा गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु यह संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। स्वतन्त्र पार्टी का जब पहली बार गठन हुआ और वह इस सदन में काफी बड़ी संख्या में आई तो क्या आप स्वतन्त्र पार्टी से यह उम्मीद कर सकते थे कि वह यह घोषित करें कि वह समाजवाद में विश्वास करती है। ऐसा क्यों है ? वह समाजवादी दल नहीं था। यह दल समाजवाद के विरुद्ध था (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ कौशल : इसलिए यह दल समाप्त हो गया (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : कांग्रेस पर लागू क्यों करते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर भी, एक संसदीय लोकतन्त्र में, जहां बहु राजनैतिक दलों की प्रणाली है, मैं उनकी यह बात समझ सकता हूं कि उन्हें धर्म निरपेक्षता में और प्रजातन्त्र में विश्वास करना चाहिए। किन्तु आप हर एक को यह कहने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वह समाजवाद में विश्वास करता है। मान लो वह समाजवाद में विश्वास नहीं करता, तो क्या आप उसे मतदान प्रक्रिया में शामिल करेंगे ? व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई एतराज नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को जो यह कहता है कि वह समाजवाद में विश्वास नहीं करता, बाहर कर सकते हैं। किन्तु क्या यह सब बहु दलीय प्रजातन्त्र की भावना के अनुरूप है। आखिर आप इस देश में काम कर रहे हैं, आप ऐसी अनावश्यक चीजे न करें, जिन्हें व्यवहारिक जामा पहनाना कठिन है। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

यहां ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि अन्य ब्यौरा क्या है। खण्ड 29क, उपखण्ड 6 में यह कहा गया है कि आयोग किसी संघ या निकाय से ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे। मैं आयोग को इस प्रकार की बहु प्रयोजनीय शक्ति देने का समर्थन नहीं करता "इस प्रकार के अन्य ब्यौरों का क्या अर्थ है ? वह बहुत सी बातें जानना चाहेंगे यदि वह जानना चाहें कि क्या कोई पार्टी नियमित रूप से पार्टी के अन्दरूनी चुनाव करवा रही है, क्योंकि

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। बहुत से दलों के अपने संविधान हैं जिनमें यह कहा गया है कि वे अपने दल के चुनाव नियमित रूप से करवाएंगे। किन्तु इस आधार पर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रद्द किया जाएगा जिसने शायद पिछले 10 वर्षों से पार्टी के चुनाव नहीं कराए हैं

श्री एस. जयपाल रेड्डी : 16 वर्षों से

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता क्या चुनाव आयोग में यह ताकत है कि वह प्रत्येक पार्टी से यह पूछे कि वह स्पष्ट रूप से केवल यह बताए कि क्या उसके संविधान में यह व्यवस्था है बल्कि उसे व्यवहारिक रूप से नियमित रूप से पार्टी चुनाव करवाने के लिए भी कहे ? अन्यथा इसका क्या अर्थ हुआ ? मेरे विचार से आपको यह सब करने से झिझकना नहीं चाहिए। इससे सम्पूर्ण लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होगा और मुझे विश्वास है सभी राजनैतिक दल इससे सहमत होंगे।

प्रो. मधु दंडवते : बहुमत इस संशोधन को अस्वीकार करेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रिकार्ड से मुझे पता चला है कि मेरे कुछ मित्रों ने मौजूदा प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से प्रतिस्थापित करने के लिए कहा है। इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। कारण स्पष्ट है। और यह प्रत्येक दल पर लागू होगा। यह किसी दल विशेष पर ही लागू नहीं होगा। यह केन्द्र पर लागू होगा और यह राज्यों में लागू होगा जहाँ विभिन्न दल शासन कर रहे हैं, किन्तु 40 या 45 या 50 प्रतिशत से कम वोट प्राप्त करके कोई पार्टी वर्षों तक शासन करती नहीं रह सकती। निःसन्देह केन्द्र में यह सब काफी समय से हो रहा है। क्या यह लोकतन्त्र का सही प्रतिनिधित्व है ? सबसे बढ़ कर वर्तमान प्रणाली में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की अपेक्षा जातिवाद, साम्प्रदायिकता जैसी बातों को महत्व दिया जाता है तथा पार्टी या इसके कार्यक्रमों पर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा किसी खास व्यक्ति की ओर ध्यान दिया जाता है। वर्तमान प्रणाली में इन सब बातों को महत्व दिया जाता है। इसी लिए हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू करने पर जोर दे रहे हैं ताकि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और इसी आधार पर चुनाव लड़े जायेंगे और इसी आधार पर मतदाता अपना चयन करेगा। फिर भी मैं यह जानता हूं कि आप इस पर आसानी से सहमत नहीं होने वाले,फिर भी हम संविधान में इस संशोधन के लिए आग्रह करते रहेंगे ताकि यह प्रणाली वास्तव में लोकतांत्रिक हो सके। मेरे बहुत से मित्र निर्वाचन आयोग के चयन और संविधान के बारे में बोले हैं। यह अब अत्यन्त नाजुक और गम्भीर मामला बन चुका है। एक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग को हर प्रकार के सन्देह या भेदभाव से ऊपर होना चाहिए। यह जरूरी है। यह मूलभूत बुनियादी संस्थाओं में से एक है जिनके कार्यकरण पर इस देश में अभी चुनावों को ठीक प्रकार से कराया जाना निर्भर करता है। हाल में बीते समय में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मैं उन सभी घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ और न ही किसी पर आक्षेप लगाना चाहता हूं, लेकिन इस समय हम इस बात से सन्तुष्ट नहीं है कि निर्वाचन आयोग प्रायः इस प्रकार से कार्य करता है जो कि वास्तव मे निष्पक्ष है और जो कि किसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव अथवा राजनीतिक दबाव से मुक्त हैं। ऐसी बात नहीं है,इसलिए हमने सुझाव दिए हैं, यहां और भी बहुत से सुझाव दिए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सुझाव के संबंध में आपको क्या विशेष आपत्ति है,

कि निर्वाचन आयुक्त एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे या तो दलों के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए अथवा इसके लिए प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष से एक वरिष्ठ सदस्य को अर्थात तीन लोगों को इसका अधिकार दिया जाना चाहिए। वे तीनों नामों का सुझाव दें। इसमें क्या बुराई है? कम से कम देखने में इसमें और अधिक निष्पक्षता आएगी और यह कहना अधिक युक्ति युक्त होगा कि यह एक ऐसी संस्था होगी जिसमें किसी प्रकार के अवांछित राजनीतिक दबाव के आगे झुकने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन आप इस आयोग के पुनर्गठन पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यह एक सदस्यीय आयोग हो। एक व्यक्ति भले ही कितना ईमानदार और अच्छी मंशा वाला हो, लेकिन एक व्यक्ति किसी भी अकेले व्यक्ति से प्रायः गलती होने की संभावना रहती है, वह थोड़ा व्यक्तिपरक हो सकता है और सही मायने में निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टिकोण से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए हमने सुझाव दिया है कि इसके स्थान पर तीन सदस्यीय आयोग अथवा पांच सदस्यीय आयोग होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि कानून के अन्तर्गत ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इन वर्षों में भी ऐसी कोई रोक नहीं रही है। मुद्दा यह है कि सरकार इस आयोग को तीन सदस्यीय अथवा पांच सदस्यीय आयोग बनाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है और न ही उनका चयन इस तरीके से करने को इच्छुक है जिससे संस्था के रूप इनके कार्यकरण को अधिक श्रेय मिल सके जो कि लोकतांत्रिक चुनावों की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इस सम्बन्ध में उन सभी कर्मचारियों का प्रश्न उठता है जो चुनावों की अवधि के दौरान कार्य करते हैं, चाहे वे राज्य सरकार के कर्मचारी हों अथवा पुलिस कर्मचारी और दूसरे लोग हों, उन्हें निर्वाचन आयोग में प्रति नियुक्ति पर माना जाता है। इसे आप एक संशोधन के रूप में यहां लाए हैं, यदि आप निर्वाचन आयोग के गठन और चयन के बारे में हमारे सुझावों के अनुसार परिवर्तन करते हैं तब यह बात अच्छी प्रकार समझ में आती है कि सभी कर्मचारी सभी अधिकारी और कर्मचारी, चुनाव अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और भी कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रति नियुक्ति पर होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार नहीं जिस प्रकार अब चल रहा है। इसलिए जब निर्वाचन आयोग कोई निर्णय लेता है तो क्या राज्य सरकार को इस निर्णय में शामिल किया जाता है अथवा नहीं। हम यह कह सकते हैं कि एक राज्य अथवा जिला अथवा क्षेत्र अथवा एक कस्बे विशेष में, क्या चुनाव के दौरान केन्द्रीय सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात करना आवश्यक है। संविधान की अन्य व्यवस्था के बारे में क्या व्यवस्था है जैसे कि केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को तैनात करने के बारे में यदि राज्य सरकार से अनुरोध नहीं किया जाता है तो कम से कम उनसे परामर्श किया जाना चाहिए और उनकी स्वीकृति ली जानी चाहिए? लेकिन यहां आप एक सामान्य व्यवस्था कर रहे हैं। यदि निर्वाचन आयोग यह कहता है कि हम यह महसूस करते हैं कि चुनावों के उचित संचालन के लिए किसी स्थान विशेष पर केन्द्रीय रिजर्व अथवा सीमा सुरक्षा बल अथवा किसी को वहां भेजना है तो तब क्या होगा? राज्य सरकार कहीं भी इसके बीच में नहीं आती लेकिन इससे संविधान की अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन होगा। अतः आप कृपया इन मामलों पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए और इन बातों में जल्दबाजी न कीजिए जैसा कि मैंने कहा और मैं उसे फिर से दोहराता हूं कि उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इनमें और अधिक जटिलताएं और कठिनाइयां पैदा होंगी। वास्तव में यह संशोधन विधेयक इस मायने में निराशाजनक है कि यह एक टुकड़े के रूप में लाया गया है यह एक व्यापक विधेयक नहीं है। मैं छोटे पहचान पत्रों के पूरी तरह पक्ष में हूं बशर्ते कि उन्हें बहुद्देशीय प्रयोजन

के लिए बनाया जाता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र में नहीं, यह वह निर्वाचन क्षेत्र है जहां के मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था और एक उपचुनाव मे 1960 में मैं इस सदन में आया था, तो उस समय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करके कलकत्ता दक्षिण पश्चिम के उस निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रयोग को शुरू किया था। मैंने व्यावहारिक कारणों से इसका विरोध किया था। यह मामला कलकत्ता में उच्च न्यायालय में चलाया गया था। उस न्यायालय ने इस प्रणाली को शुरू किए जाने का समर्थन किया था, हालांकि उस समय इसे केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किया गया था। हमें इससे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरे विचार में अन्त तक, जब तक कि चुनाव की तारीख नहीं आ गई आधे मतदाताओं भी अपना फोटो नहीं खिचवा पाए। कुछ व्यावसायिक फोटोग्राफरों की सूची बनाई गई थी और उन्हें काफी धनराशि दी गई थी वह दिन के दौरान काफी फोटो ले सकते है। अतः वे घर-घर गए। हमारे देश में सभी तरह के लोग विभिन्न समुदायों और वर्गों के लोग विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। वे दिन के समय उनका फोटो खींचने के लिए आते हैं। वे इसके लिए रात के समय नहीं जा सकते। वे दिन के समय जाते हैं तो सामान्यतः पुरुष काम पर चले गए होते हैं। वे कार्यालयों अथवा फेक्टरियों अथवा किसी और जगह जा चुके होते हैं। दिन के समय केवल महिलाएं ही घर पर होती है। फोटोग्राफर आकर कहता है मैं निर्वाचन संस्था से आया हूं और आइए मैं आपका फोटो लेता हूँ। कुछ स्थानों में हुल्लड़ मच गया। उसका पीछा किया गया मैं आपको बताता हूं कि मेरा मतलब आपके निर्वाचन क्षेत्र मे किसी के प्रति आरोप लगाना नहीं है कलकत्ता के दक्षिण-पश्चिम मे एक भाग है जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक रहते हैं, वहां वे मुस्लिम औरतों का फोटो लेने के लिए दिन में आते हैं जबकि उनके आदमी जा चुके होते हैं, यह एक बहुत ही असम्भव बात है। कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि वे ऐसा करें और मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूं। इसके अलवा किसी ने यह कह कर कुछ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि "आप अपना फोटो न खिचवाएं। ये फोटो इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपको सेना में रेजिमेंट में लिया जाएगा। आपका सैनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा। अतः पुरुषों को उन्हें फोटो खिचवाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।"

अतः महोदय, मेरा विचार है कि यह कार्ड पहचान प्रयोजन के लिए आवश्यक है। लेकिन यह केवल तभी सफल रहेगा यदि इसे बहु प्रयोजनों के लिए बनाया जाता है अर्थात्, इस कार्ड को राशन आदि और अन्य प्रयोजनों जैसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो लोगों को फोटो खिचवाने का कुछ लाभ होगा। यदि आप इसे देश में हमारे समाज में ऐसा केवल मतदान के प्रयोजन के लिए करते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इससे बच जाएगा और उनके फोटो कभी भी नहीं लिए जा सकेंगे। अतः कृपया इस पर विचार कीजिए।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें बशर्ते कि वे ठीक प्रकार से कार्य करें, तो उन पर विचार किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि वे खराब हो जाती है।

अन्त में, महोदय, मैं अन्य मुद्दों को फिर से दोहराना नहीं चाहता। मेरे मित्रों ने जो कुछ यहां कहा है मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आपने इस विधेयक में उन लोगों की श्रेणियों के बारे में घोषणा की है जिन्हें चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन आपने उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जिन्हें चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी जाएगी। उनके बारे में क्या हुआ? यहां तक की आपकी वह सूची जिन्हें चुनाव में खड़े

होने से वंचित रखा जाएगा यह भी अध्याय तीन के इस खंड 4 में बिल्कुल व्यापक नहीं है, जहां आपने लोगों की सूची दी है जिन्हें विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। जैसाकि सरकार जानती है इस देश में दोषी ठहराया जाना मजाक नहीं है। लेकिन जो भी हो आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लेख नहीं किया है। आपने राजकीय गोपनीयता अधिनियम का उल्लेख नहीं किया है। ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रकार के अधिनियमों के अन्तर्गत अपराध किए हैं, और जिन्हें दोषी ठहराया गया है, उन्हें क्यों वंचित नहीं किया गया है। उन्हें चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी गई है। आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया है ?

श्री जगन्नाथ कौशल (चंडीगढ़) : उनमें एक उपबन्ध है समति, किसी न्यायालय द्वारा भारत में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को और जिसे दो वर्ष से कम के लिए कारावास भेजा गया हो ·· (**व्यवधान**) आप यह देखें कि कुछ मामलों में यह छ: महीने से कम है कुछ मामलों में दो साल हैं, यह फर्क किया गया हैं। वर्ना किसी भी अपराध के लिए सजा दो साल से कम नहीं है।

प्रो. मधु दण्डवते : आप कह सकते हैं कि कोई भी वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है जो सिद्धांतवादी हो **व्यवधान**

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उस स्थिति में केवल कांग्रेस ही योग्य होगी, महोदय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह सब एक प्रकार की कोरी बातें लगती हैं। यदि किसी व्यक्ति को छह महीनों से कम की सजा नहीं मिलती है तो कोई नुकसान नहीं है। उसे इनमें से किसी अधिनियम के अन्तर्गत सजा दी गई होगी, परन्तु हो सकता है उसे छः महीने से अधिक की सजा नहीं दी गई हो। तब वह चुनाव लड़ सकता है। उस स्थिति में उसका नैतिक चरित्र ऐसा है कि उस पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। परन्तु यदि सजा इससे अधिक है तो वह इसके अन्तर्गत आता है। अत: मैं नहीं समझता हूं कि यह सब बातों से कोई अन्तर पड़ता है आपने ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा है जो कि बालहत्या के दोषी हैं। उसके बारे में क्या व्यवस्था है ? वह अपराधी होंगा, परन्तु इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा। सजा मिलना तथा सजा न मिलने से किसी व्यक्ति को घर पर अपनी पत्नी के साथ लडाई झगड़ा करने से नहीं रोक पायेगा। वह अपनी पत्नी के साथ घर पर लड़ाई झगड़ा तथा मार-पिटाई कर सकता है। वह सभी प्रकार की प्रतिक्रियावादी सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर सकता है, वह इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा। आप धर्म निरपेक्षता तथा अन्य बातों के बारे में क्यों बात करते हैं ? **व्यवधान**

श्री शांताराम नायक (पणजी) : इसमें दो साल दिए गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे कानून न दिखायें। मैं उन बातों का जिक्र कर रहा हूँ जो कि वास्तव में लागू की जा सकती हैं। आप उन्हें लागू कर पायेंगे या नहीं ? हमने इस सदन में बहुत सी बातों पर अच्छे कानून बनाये हैं। क्या उनको लागू किया गया है ? बाल श्रमिक एक उदाहरण हैं, क्या हम इसे लागू कर पाए हैं ? हम इसे लागू नहीं कर सकते, दहेज जैसी अन्य बहुत सी बातें हैं। दहेज एक कानूनी अपराध है क्या हम दहेज रोक पाए हैं ? ऐसी अनेक बातें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा, महोदय। मैं सुझाव देता हूँ कि जब आप अगले किश्त के सुधार कहे तो ·····

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : वह नहीं किये जायेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह चुनावों के परिणाम पर निर्भर करेगा :

एक माननीय सदस्य : तमिलनाडु ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे शक है कि तमिलनाडु के चुनाव होंगे भी या नहीं । (**व्यवधान**) परन्तु मैं सुझाव दूंगा कि सभी सफल उम्मीदवार चाहे वह विधान सभा के लिए चुनें जायें या संसद के लिए अपनी सदस्यता की शपथ लेने से पहले अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें तथा वह सम्बन्धित सभा के पटल पर रखा जाये ताकि उसे सार्वजनिक रूप से सब देख सके । पहले जब मैंने यह कहा था तब सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने इस सुझाव का समर्थन किया था । अतः मैं उन्हें सुझाव देता हूँ कि कृपया इस पर गम्भीरता से विचार करें । यह ऐसा स्रोत है जो देश के लोगों के राजनीतिक जीवन में शंका पैदा करता है तथा आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाते हैं । यह कहने का कोई फायदा नहीं होगा कि मैंने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा यहां-वहां कहीं दिया है या वह बाद में सार्वजनिक रूप से दे देगा । जी नहीं । जब आप सदस्य के रूप में चुने जाते हैं तो आप अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सभापटल पर रखें अर्थात् अध्यक्ष महोदय को दें । इसका मतलब यह है कि यह अध्यक्ष महोदय को दिया जाये, सभापटल पर रखा जाये तथा वह सदन के लिए तथा आम लोगों के लिए हो । यह किया जाना चाहिए तथा जो भी झूठा ब्यौरा दे उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि आप देश के लोगों के राजनीतिक जीवन को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो कृपया इसे गम्भीरता से लें ।

इतने उदास न हों । आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एच. आर. भारद्वाज**) : आपका अधिकतम भाषण आज आपके पक्ष में सदस्यों द्वारा प्रेरित किए जाने पर दिया जा रहा है । (**व्यवधान**) मैं सोच रहा था कि क्या आज आपके पास विचारों की कमी आ गई है ।

प्रो. मधु दंडवते : नहीं नहीं । विपक्ष कितना एकमत है :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः महोदय, मैं सम्पत्ति का ब्यौरा देने की बात को बहुत जोर देता हूं । चाहें इस सदन के सदस्य हों या कहीं और के सदस्य हों । यदि उनके मन साफ हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिये ।

प्रो. मधु दंडवते : सम्पत्ति व दायित्व ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः कृपया और अधिक व्यापक विधेयक लायें तथा ऐसी कोई व्यवस्था न लायें जोकि बिल्कुल भी लागू न की जा सके । यही मैं कहना चाहता हूँ ।

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनेक माननीय सदस्यों के भाषण ध्यान पूर्वक सुने हैं, जिन्होंने चर्चा में कल हिस्सा लिया था, तथा आज विख्यात सांसद श्री इन्द्रजीत गुप्त को भी सुना है । अधिकतर बातें कही जा चुकी हैं । परन्तु विपक्ष के एक प्रमुख नेता ने आलोचना करते हुए यह टिप्पणी की है कि यह केवल लीपा-पोती है । यह विधेयक केवल

इधर-उधर की बातों से ही संबंधित हैं तथा एक माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया है कि यह एक संगीन मजाक है। मुझे इस आलोचना पर आश्चर्य है। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के बात करने के तरीके को समझता हूं। परन्तु यह कहना कि यह दो विधेयक केवल लीपापोती है। इस संशोधन विधेयकों के मूल सिद्धांतों को नजरन्दाज करना है।

जहां तक संविधान (संशोधन) विधेयक का सवाल है इसके बारे में अब सदन की सर्व-सम्मत राय केवल एक बात जो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कही कि यह सुधार करने का श्रेय किसको है : इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है कि इसका श्रेय शासक दल व उसके नेता को है। यह मामला जो कि लम्बे समय से लम्बित था तथा जिस पर दोनों ही ओर से विचार किये गये थे। अन्ततः, इस पर किसी ने एक दृढ़ विचार बनाने का साहस किया तथा वह हैं कांग्रेस दल के नेता। पिछले दिन जब वह कांग्रेस संसदीय दल को संबोधित कर रहे थे तब घोषणा की थी :

"मुझे देश के युवाओं में पूरा विश्वास है।"

महोदय, हम इसे दोहराते हैं तथा चूंकि सारा सदन इसे स्वीकार करता है, हमें एक के बाद दूसरा तर्क देने की जरूरत नहीं है। मेरे मत के अनुसार यह दूरगामी सुधार है। कुछ लोगों को अब भी आपत्ति है। मैंने कल सदन में अपने दल के एक माननीय सदस्य को कहते हुये सुना था कि इससे विश्वविद्यालयों में राजनीति आ जायेगी। इस मामले में लोगों के भिन्न विचार हैं, परन्तु हमने तय कर लिया है। मतदान की आयु 18 वर्ष करनी है। मैं एक ही बात पर विचार कर रहा हूं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने मतदान की आयु 18 वर्ष क्यों नहीं की थी। संविधान में "वयस्क मताधिकार" शब्द का प्रयोग किया गया है—तथा हम सब जानते हैं कि यह वयस्क मताधिकार" —अन्ततः "सार्वभौम वयस्क मताधिकार" है। इस बात के लिए कोई योग्यता तय नहीं की गई थी कि कौन मतदाता होगा। केवल यही कि वह भारत का नागरिक हो तथा वयस्क हो। अब प्रश्न यह उठता है कि वयस्क कौन है ? हमारे संविधान के निर्माताओं के अनुसार एक व्यक्ति 21 वर्ष की आयु में वयस्क होता है। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति 18 वर्ष की

12.00 मध्याह्न

आयु में वयस्क है। विचारों में मतभेद हो सकता है : ऐसा लगता है उस समय ऐसे विचार होंगे कि मताधिकार सार्वभौम नहीं होना चाहिए इसे सीमित होना चाहिए। यह मताधिकार केवल उन लोगों को दिया जाये जिनके पास कुछ सम्पति हो तथा वे कुछ शिक्षित हों और यह मताधिकार महिलाओं तक को न दिया जाये। हम सब जानते हैं कि जागरूक देशों में भी कुछ समय तक महिलाओं को मताधिकार नही दिया गया था परन्तु हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ऐसे संविधान का निर्माण किया जाये जिसके अन्तर्गत सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया जाये। 40 वर्ष की आजादी के बाद लोगों में व्याप्त शिक्षा एवं जागरूकता को देखते हुये विधि मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि शासकीय दल के मतानुसार आज का 18 वर्ष का युवा राजनीतिक दृष्टि से इतना जागरूक है कि वह सरकार चुनने में हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा मैं सदन का और समय नहीं लूंगा जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह सदन की सर्वसम्मत राय है। अतः सारे सदन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सारे सदन की इसमें भूमिका रहेगी परन्तु मुख्य हिस्सा शासकीय दल का होगा।

अन्य विधेयक के सम्बन्ध में मुझे उनकी बात पर आश्चर्य होता है कि यह केवल ऊपरी लीपा-पोती है। चुनाव सुधारों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया गया है।

एक बात यह है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र हों। पिछले सालों में हमारा यह अनुभव रहा है कि जब तक निर्वाचन मशीनरी स्वतन्त्र नहीं होगी, हम निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनावों की आशा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी विचार है कि चुनाव आयोग को ऐसा तन्त्र उपलब्ध नहीं कराया जा सकता जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए क्योंकि सभी जानते हैं कि चुनावों के दिनों में लाखों सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाना पड़ता है। मेरे विचारों के अनुसार, सरकार ने बहुत ही अच्छा तरीका निकाल लिया है तथा वह यह है कि चाहे केन्द्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार व पुलिस बल के कर्मचारी हों उस दौरान इन सभी कर्मचारियों को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है।

चुनाव मशीनरी को स्थानीय तथा बाहरी प्रभाव से बचाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र संस्था है। हम यह तो कह सकते हैं कि क्या यह स्वतन्त्र है अथवा क्या इसे और स्वतन्त्र होना चाहिए और इसमें और अधिक कर्मचारी होने चाहिये आदि तथा मैं इस विषय पर थोड़ा बाद में बात करूंगा।

मेरे लिए एक बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विधेयक का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। सम्पूर्ण चुनाव मशीनरी चुनाव आयोग के अधीन रहेगा तथा चुनाव आयोग उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : प्रचार माध्यम का क्या होगा ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे विद्वान मित्र ऐसे विषय पर बहस करने की कोशिश करेंगे जिसको कि चर्चा का विषय नहीं बनाया गया है। चर्चा का विषय है कि इस प्रावधान से कैसे लड़ें। यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव मशीनरी को स्थानीय प्रभाव व स्थानीय सरकार से मुक्त रखा जाये। मेरे अनुसार यह एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिवर्तन है।

दूसरा दूरगामी परिवर्तन यह है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने तथा मतदान में गड़बड़ी करने को एक अपराध तथा भ्रष्ट गतिविधि बनाया गया है।

एक बात हमेशा ही उठायी जाती रही है कि शारीरिक शक्ति के प्रयोग को भी रोकना चाहिए। मेरे अनुसार, यह (शारीरिक शक्ति के प्रयोग को एक बड़ा धक्का है। मतदान केन्द्र पर कब्जे की भ्रष्ट पद्धति बनाने वाले प्रावधान का पाठ इस प्रकार है: "उम्मीदवार, उसके एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किये गये मतदान केन्द्र पर कब्जे...।" अतः, एक बार मतदान केन्द्र पर कब्जा होता है त भ्रष्ट गतिविधि है। इसका परिणाम कौन भुगतेगा ? वह उम्मीदवार जिसके चुनाव क्षेत्र में मतदान केन्द्र पर कब्जा किया होगा. वह जिम्मेदार होगा, और मेरे विचार से यह व्यवस्था जो अब की गई है वह बहुत अच्छी व्यवस्था है। यह शारीरिक शक्ति के प्रयोग पर एक सीधा प्रहार है।

कल मेरे एक माननीय मित्र, शायद कु. ममता बनर्जी ने कहा था कि कुछ राज्यों में मत-

दान केन्द्र पर कब्जा व चुनावों में गड़बड़ी बहुत होती है और उन्होंने कहा था कि उन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। उन्होंने एक या दो राज्यों का जिक्र किया था। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, परन्तु मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं पहली बार बिहार का राज्यपाल बनके गया था तो मुझे मतदान केन्द्र पर कब्जे का पता चला। हमारे क्षेत्र में कोई भी मतदान केन्द्र पर कब्जे की बात नहीं जानता था (व्यवधान) इसे कोई नहीं जानता था, मैं एक मंत्री के साहस की प्रशंसा करूंगा।

जनता सरकार के एक मंत्री ने साहस के साथ विधान सभा में कहा था: "जी हां, हम गुण्डे रखते हैं। फर्क केवल इतना है कि मैं इसे स्वीकार करता हूं, अन्य लोग ऐसा नहीं करेंगे...।" यह उन्होंने कहा था। उन्होंने आगे कहा था कि यदि ऐसा न हो तो कोई भी चुनाव नहीं जीत पायेगा। अतः जैसाकि मैंने पहले कहा था कि मतदान केन्द्र पर भी कहीं-कहीं कब्जा होता है। यह हमारे क्षेत्र में नहीं होता है।

प्रो. मधु दंडवते : क्या वे वही हैं जो दल बदल करने के बाद मुख्यमंत्री बने थे।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ कौशल : नहीं वे वह नहीं हैं... (व्यवधान) ... इसलिए कु. ममता बनर्जी ने कहा था कि कुछ राज्यों को इस बारे में एक साथ मिला देना चाहिये। उन्होंने हरियाणा का जिक्र अवश्य किया था। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, वह यह है मैं आजकल चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जहां पर मतदान केन्द्रों पर कब्जे की बात कोई नहीं जानता है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। परन्तु हम यह जानते हैं कि कुछ चुनाव क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया जाता है तथा हम लोग इससे खुश नहीं हैं। सब लोग यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि निर्णयात्मक कदम उठाया गया है तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जे को अपराध बनाया गया है तथा इस एक भ्रष्ट गतिविधि माना गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो कि की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात राजनीतिक दलों के पंजीकरण की है: श्री इन्द्रजीत गुप्त को इसके लागू किये जाने के बारे में शंका हैं। परन्तु मेरी राय यह है कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो राजनीतिक दल समाजवाद तथा देश की सम्प्रभुता तथा अखंडता में विश्वास नहीं करेंगे उनका पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा। में श्री इन्द्रजीत गुप्त के कुछ विचारों से सहमत हूं कि राजनीतिक दलों द्वारा केवल यह घोषित करने से ही कि वे समाजवाद तथा देश की संप्रभुता तथा अखण्डता में विश्वास रखते हैं, क्या इससे कुछ प्राप्त होगा? उस मामले पर मैं अपने माननीय मित्र से सहमत होने की कोशिश कर रहा हूं। परन्तु, अन्यथा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव व उसकी शर्तों को पढ़ना चाहता हूं तथा मैं माननीय विधि मंत्रीों से एक बात बताने की अपील करूंगा। क्या इस प्रावधान से हमने उस प्रस्ताव के दो हिस्सों को लागू किया है, जोकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पारित किये थे: पहला हिस्सा कहता हूं:

"देश की एकता और अखण्डता पूर्णतः उलंघनीय उल्लंघन से परे है। उनकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अलगाववादी ताकतों का राजनीतिक दलों के रूप में उभरना राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा ऐसा खतरा उत्पन्न करता है जिसको कि पूरी दृढ़ता से दबाना होगा। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी केन्द्र

सरकार से यह अपील करती है कि अलगाववादी ताकतों को निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिये। जोकि देश के हित तथा उसकी एकता और अखण्डता तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं व रक्षा के लिए जरूरी है।"

जो प्रावधान किया गया है, मुझे विश्वास है कि वह इस संकल्प के कारण किया गया है। परन्तु क्या यह प्रावधान कारगर है ? यदि यह कारगर नहीं है तो अभी भी इस प्रावधान के कारगर बनाने में देर नहीं हुई है, क्योंकि मेरी समझ में यह एक सबसे हितकर चुनाव सुधार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।

संकल्प के दूसरे भाग में कहा गया है :

"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता का जिसे हम भारतीय राजनीति का आधार तथा युगों से भारतीय समाज की एक पवित्र विशेषता समझते आये हैं, समर्थन किया है। साम्प्रदायिक ताकतों के उठ खड़े होने से जो विभिन्न कारणों से अधिक शक्तिशाली हो गई हैं, हमारे समाज को खतरा पैदा हो गया है। यह अनुचित है कि इस प्रकार की ताकतों को इस विनाशकारी उद्देश्य के लिए देश की चुनाव प्रक्रिया का लाभ उठाने दिया जाये। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विचार से यह उचित समय है कि साम्प्रदायिक संस्थाओं को चुनाव प्रक्रिया के लाभों से प्रभावी ढंग से बाहर रखा जाये। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने की सिफारिश करती है :"

मैं कानून मंत्री तथा विधेयक का प्रारूप तैयार करने वालों से फिर निवेदन करता हूँ कि वे यह देखें कि जिस ढंग से इस खण्ड को तैयार किया गया है क्या उससे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की इच्छा, उसका निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अन्यथा, लक्ष्य स्पष्ट है। विधेयक में ही आपने एक प्रावधान जोड़ दिया है और प्रावधान मे यह कहा गया :

"परन्तु कोई संस्था या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनीतिक दल के रूप में तब तक रजिस्टर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे संस्था या निकाय का शासन नियम और विनियम उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है।"

परन्तु यदि यह घोषणा तक ही सीमित है तो मुझे डर है कि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि लोग बहुत-सी घोषणाएं करते हैं और वे उन पर पूरे नहीं उतरते हैं। आपको इस उपबन्ध को स्पष्ट करना होगा। आपको कहना होगा कि जो दल साम्प्रदायिक है—हम जानते हैं कि साम्प्रदायिक दल क्या होता है। यदि हम आज भी यह नहीं जानते हैं कि साम्प्रदायिक दल क्या होता है तो यह हमारा दुर्भाग्य है। मेहरबानी करके यह स्पष्ट कर दीजिए कि "कोई भी दल जो साम्प्रदायिक है उसे चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : रजिस्ट्र न करने का क्या असर होगा ?

श्री जगन्नाथ कौशल : उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कहां लिखा है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : यह विधेयक में लिखा है। यदि यह उसमें नहीं लिखा है तो मैं विधेयक के प्रारूप तैयार करने वालों तथा कानून मंत्री से इस प्रावधान को विधेयक में जोड़ने के लिए निवेदन करूंगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी दल जब तक रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह प्रावधान विधेयक में नहीं है।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे विद्वान् दोस्त हमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरे चुनाव कानून का अध्ययन करना होगा। परन्तु मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूँ। यदि उन्होंने सारे विधेयक का अध्ययन कर लिया है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से सहमत हूँ कि "मेहरबानी करके यह देखें कि जो कानून आप पारित करते हैं उसे लागू किया जाए।" यह मौलिक कानून है जिसे हम पारित कर रहे है। इस हितकर उपबन्ध को लाकर हम साम्प्रदायिक तथा विघटनकारी ताकतों की जड़ों पर ही प्रहार कर रहे हैं और यह कहना कि हम केवल बाह्य सतह पर ही हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यह शुरुआत कतई नहीं है। आज वह चुनाव प्रक्रिया की एक मूलभूत आवश्यकता है कि ऐसे राजनैतिक दलों को चुनावी अखाड़े में उतरने की अनुमति न दी जाए। मेरा मत है कि इसलिए यह एक बहुत हितकर उपबन्ध है। एक हितकर उपबन्ध यह है कि चुनाव तन्त्र को सभी स्थानीय प्रभावों से मुक्त कर दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने तथा गड़बड़ करने को अपराध तथा भ्रष्ट तरीका करार दिया गया है। तीसरा वह है कि उन राजनैतिक दलों, जिनका देश की एकता और अखण्डता में विश्वास नहीं है अथवा जिनका देश की धर्म-निरपेक्षता में विश्वास नहीं है, को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम इस बात की घोषणा करते हैं, हम सभी और इस मामले पर किसी को भी असहमति नहीं है कि इस देश की नींव ही धर्मनिरपेक्षता है। जब इस से धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाएगी तो देश का अस्तित्व नहीं रहेगा, प्रजातन्त्र का अस्तित्व नहीं रहेगा, पूरे देश का अस्तित्व नहीं रहेगा।

मेरे विद्वान् दोस्त श्री इन्द्रजीत गुप्त का कहना है कि यदि सभी को समाजवाद का समर्थन करने को कहा जाए तो वह बहुत खुश होंगे। उनका कहना है कि वह बहुत खुश होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं बिड़ला जी का समर्थन नहीं चाहता हूँ।

श्री जगन्नाथ कौशल : ऐसा नहीं है कि आप उनका समर्थन नहीं चाहते हैं, आपका कहना है है कि वह समर्थन नहीं करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब तो समाजवाद का ही अन्त हो जाएगा।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरा यह कहना है। जब हमने एक बार समाजवाद शब्द को स्वीकार कर लिया है और इसे संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ दिया गया है—मूलत: संविधान के प्रारूप में समाजवाद शब्द नहीं था परन्तु अब इसे जोड़े गए 15 वर्ष बीत गए, यह शब्द श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में जोड़ा गया था —अब यह कहना कि हम नहीं चाहते कि लोग समाजवाद का समर्थन करें—आपने माननीय साथी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मेरा कहना है कि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के मूल पर ही प्रहार करना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूंजीपतियों का क्या होगा ?

श्री जगन्नाथ कौशल : हम इसका पालन कर रहे हैं या नहीं, यह बात नहीं है।

आप यह कहने की कोशिश कर रहे है कि हम यह क्यों कर रहे हैं। बेशक, हम यह कर रहे हैं, हम यह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम समाजवाद लाना चाहते है। क्या कोई इस बात से

इन्कार कर सकता है ? क्या मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण की याद दिला सकता हूं जो उन्होंने स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष के दिनों में दिया था ? उन्होंने कहा था कि यदि स्वतन्त्रता के बाद भी भारत समाजवादी देश नहीं बनेगा तो मैं स्वतन्त्रता नहीं चाहता। जवाहरलाल समाजवाद के प्रति इतने वचनबद्ध थे। मैं जानता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त व्यंग्यपूर्ण ढंग से बात कर रहे थे अन्यथा वह पूर्णतया समाजवाद में विश्वास रखते हैं। परन्तु दूसरी ओर उनका कहना है कि समाजवाद के बारे में बात करना उन्हें ही शोभा देता है और यदि हम समाजवाद के बारे में बात करते हैं यह हमें शोभा नहीं देता । मुझे शंका है गुप्त जी, मैं इस आलोचना को स्वीकार नहीं करता। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द हमने ही जोड़ा है।

मेरे मत में ये आधारभूत सुधार हैं जो हमने किए हैं। परन्तु कुछ दोस्त यह कहने का दुःसाहस करते हैं कि हम केवल दिखावा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस आलोचना का क्या लाभ है आलोचना सही होनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप एक जाने माने वकील हैं। मैं यह बात कह रहा था कि मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कहते हैं और सच को नहीं छुपाते हैं कि वे समाजवाद का समर्थन नहीं करते और वे एक पूंजीवादी व्यवस्था चाहते हैं। क्या आप उन्हें कानून द्वारा चुनाव प्रक्रिया से अलग कर देना चाहते हैं ? मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि यहां एक दल था, उस समय जिसके नेता मेरे जानेमाने दोस्त रंगा जी थे।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : मेरे दोस्त जो असम से आए हैं यह आरोप लगा रहे हैं। विभिन्न तरह का समाजवाद है—श्रेणी समाजवाद, राज्य समाजवाद तथा साम्यवादी समाजवाद। मैं कृषक समाजवाद का हामी था; मैं इसका अभी तक हामी हूं। उस समय न ही तो राजाजी और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने इस पर आपत्ति की थी। अब आप यह आरोप क्यों लगा रहे हैं ?

प्रो. मधु दण्डवते : प्रो. रंगा आपकी टिप्पणियों के बाद मैंने स्वतन्त्र पार्टी के संविधान की जांच की। उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी समाजवाद का कोई उल्लेख उल्लेख नहीं है।

प्रो. एन. जी. रंगा : पूंजीवाद का भी कोई उल्लेख नहीं है : इससे ज्ञात होता है कि आप केवल एक प्रोफेसर ही हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : उस समय मैं स्वतन्त्र पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा था।

प्रो. एन. जी रंगा : आप एक आचार्य के पद तक कभी नहीं पहुंचे।

प्रो. मधु दण्डवते : हमेशा निजी सम्पत्ति और स्वतन्त्र उद्यम का उल्लेख रहा है। अपने संविधान का अध्ययन कीजिए।

प्रो. एन. जी. रंगा : फिर आप समाजवाद को समझे ही नहीं हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, स्वतन्त्र पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने पूर्वव्याप्ति के साथ घोषणा-पत्र को छोड़ दिया है। मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रो. एन. जी. रंगा : उस समय आप बम्बई में मेरे विद्यार्थियों में से एक थे।

प्रो. मधु दण्डवते : उस समय, वह स्वतन्त्र पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। वह एक कांग्रेसी थे। वह कांग्रेस को छोड़कर स्वतन्त्र पार्टी में शामिल हुए थे।

प्रो. एन. जी. रंगा : हमने श्री इन्द्रजीत गुप्त के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा चलाये गए अभियान और कृषि के सामूहिकवाद का विरोध किया था। अन्त में मैं जीत गया। पण्डित नेहरू को हार माननी पड़ी और हम दोनों ने किसानों के संरक्षण के लिए मतैक्य प्राप्त किया।

प्रो. मधु दण्डवते : आप श्री जवाहर लाल से नहीं जीते, श्री जवाहर लाल ने आपको जीत लिया।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो आप मानते है कि यहां पर 21 साल के लोगों को आ जाना चाहिए। अब तो आप इस बात को समझते हैं।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ कौशल : बीच में जो माननीय सदस्य बोले हैं मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने इस चर्चा को अति रोचक बना दिया है। उन्होंने इस चर्चा को सार्थक भी बना दिया है।

मैं इस बात को दोहराता हूं कि जब तक संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया था तब तक तर्क-वितर्क किया जा सकता था। परन्तु अब संविधान में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इस निर्णय पर कोई भी व्यक्ति एतराज नहीं कर सकता।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मैंने कल भी इस मुद्दे को उठाया था और मैं इस बारे में एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा।

हमने मूल ढांचे की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस दल और मेरी स्थिति यही रही है किसी भी पीढ़ी को भावी पीढ़ी को बाध्य करने का अधिकार नहीं है। इसकी सीमा केवल यह है कि अनुच्छेद 368 की संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हमें प्रस्तावना सहित संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार है। अतः जो मुद्दा मैं उठा रहा था और मुझे आशा है कि श्री कौशल उसका उत्तर देंगे, वह मुद्दा यह है कि यदि एक राजनैतिक दल यह कहता है कि अनुच्छेद 368 की संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम प्रस्तावना सहित संविधान के उपबन्धों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या हमें यह कहने का अधिकार है कि हम आपको चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे। हम इस मुद्दे का उत्तर चाहते हैं। मैं समाजवाद के पक्ष में हूं। परन्तु क्या उसके माध्यम से हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें उन्हें लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के बजाय हम उन्हें गलियों में जाकर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने अथवा नष्ट करने का प्रयास करने की अनुमति दे रहे हैं ?

यहां इस मुद्दे का उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा उठाया गया यह प्रश्न कुछ समय से राष्ट्र

का ध्यान आकर्षित कर रहा था। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय—जिसके बारे में वकालत करने वाले सभी मित्र जानते हैं—केशवानन्द भारती के मामले में यह कहा है कि संसद को संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले मत इसके विपरीत था। परन्तु अपने निर्णय में भी वे यह परिभाषित नहीं कर पाए हैं कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। उन्होंने केवल कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया है। उस निर्णय का सबसे अनोखा भाग यह है कि उस निर्णय में 14 न्यायाधीशों का एक दल था लगभग 7 अथवा 8 निर्णय लिखे गए थे और अन्ततः मुख्य न्यायाधीश श्री सिकरी यह पता नहीं लगा पाए थे कि बहुमत की राय क्या है। तब मुख्य न्यायाधीश श्री सिकरी ने न्यायाधीशों से यह पूछा कि वे इस बारे में क्या कहेंगे और बहुमत की राय क्या है। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार बहुमत की राय यह है। उन्होंने उसे न्यायाधीशों के पास पुनः भेज दिया ताकि वे कम से कम इस बारे में तो सहमत हो सकें। यह पुनः एक रिकार्ड का मामला है। केवल आठ न्यायाधीश इस बारे में सहमत हुए कि यह बहुमत की राय है। अन्य न्यायाधीश इस बारे में भी सहमत नहीं हुए कि यह बहुमत की राय है अथवा नहीं।

जहां तक केशवानन्द भारती के मामले का सम्बन्ध है, सरकार इसके पुनर्विचार के लिए स्वयं उच्चतम न्यायालय में गई है···(**व्यवधान**)···**मैं इस बारे में श्री गोस्वामी की बात से सहमत हूँ कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है।** परन्तु मूल ढांचे के नाम पर संसद के अधिकारों में बाधा डालने का प्रयास करने की बात हमें स्वीकार्य नहीं है। परन्तु जब तक केशवानन्द भारती का मामला सामने है तब तक वह कानून है। हम केशवानन्द भारती के निर्णय को संशोधित करने के लिए कह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका लम्बित पड़ी। अतः जो मुद्दा मैं उठा रहा था, क्योंकि मुझे उस मुद्दे से हटना नहीं चाहिए···

श्री दिनेश गोस्वामी : आप मेरा समर्थन कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : सभी अच्छे मामलों में हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। इसमें क्या समस्या है ? मैं चाहता हूं कि आप उस विधेयक का समर्थन करें जिसे हमने प्रस्तुत किया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह एक अच्छा मामला नहीं है इसलिए हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं सभी अच्छे मामलों का हम समर्थन करते हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे अनुसार श्री दिनेश एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं परन्तु मुझे इस बात पर हैरानी है कि जिन दो तीन अथवा चार बातों का मैंने उल्लेख किया है उनके बारे में हमारे बीच कोई मतभेद होना चाहिए। जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया है सम्भवत उन मुद्दों के बारे में कोई हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हो सकता।

महोदय, मैं इस मुद्दे पर था कि क्या एक ऐसे दल को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए जो संविधान के समाजवाद के आदर्श का समर्थन नहीं करती। मेरे अनुसार इस मामले के बारे में जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक न केवल प्रत्येक दल को संविधान का पालन करना चाहिए बल्कि उस दल को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह दल संविधान में विश्वास नहीं रखता है। जैसा की मैंने कहा है यह एक मूल सुधार है

जो हम कर रहे हैं। मैं पुनः इसे विधि मंत्री के सामने, और उनके माध्यम से इस विधेयक के प्रारूपकारों के सामने रख रहा हूं कि यदि यह उपबन्ध इतना प्रभावशाली नहीं है कि वह ए. आई. सी. सी. के संकल्पों में परिकल्पित हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर सके तो कृपया इस उपबन्ध को प्रभावशाली बनाइये क्योंकि हम इस उपबन्ध को एक खोखला उपबन्ध नहीं बनाना चाहते। आपको उस उपबन्ध को अवश्य ही प्रभावशाली बनाना चाहिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त की भांति मुझे भी इस बारे में सन्देह है कि यह खंड वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। और वह शक्ति किसे दी जायेगा ? वह शक्ति चुनाव आयोग को दी जायेगी। सरकार द्वारा शक्ति नहीं ली गई है। यह शक्ति चुनाव आयोग को दी जा रही है जोकि सभी दृष्टि से एक पूर्णतः स्वतन्त्र निकाय है। अब चुनाव आयोग को यह निर्णय लेना है कि क्या वह एक साम्प्रदायिक दल है और एक बार यह निर्णय लेने पर कि यह दल एक साम्प्रदायिक दल है चुनाव आयोग को उस दल को बाहर कर देना चाहिए।

अतः मेरा निवेदन यह है कि आप इस मामले पर पूरा ध्यान दीजिए अन्यथा ए. आई. सी. सी. के संकल्पों का उद्देश्य विफल हो जायेगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : साम्प्रदायिक दल की परिभाषा क्या है ? आपको इसे परिभाषित करना चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं समझता हूं कि अब तक प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो गया होगा कि साम्प्रदायिक दल क्या है।

एक अन्य बात जिसे मैं श्री इन्द्रजीत गुप्तः के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि बहुत से अपराधों को जोड़कर···धारा···में संशोधन किया गया है। इसमें बहुत से अपराधों और बहुत गम्भीर अपराधों का उल्लेख किया गया है जैसे धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न दलों के मध्य दुश्मनी को बढ़ावा देना, घूस बलात्कार अपराध और नागरिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित ऐसे अपराध जिनके लिए छुआछुत की प्रथा को मानने और उसका प्रचार करने के लिए सजा की व्यवस्था की गई है। फिर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 (प्रतिसिद्ध वस्तुओं का आयात अथवा निर्यात) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम आदि का उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान है कि ऐसे अपराधों के दोषी व्यक्तियों को दोषसिद्धि की तारीख से छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या उन्हें छह माह; एक वर्ष अथवा दो वर्षों की सजा दी जायेगी। गम्भीर अपराधों का उल्लेख किया गया है। जिस समय दोषसिद्धि हो जाती है अयोग्यता स्वतः ही लागू हो जाती है।

फिर चार अन्य श्रेणियों के अपराधों का उल्लेख किया गया है जिसमे जमाखोरी अथवा मुनाफा खोरी की रोकथाम, खाद्य अथवा औषधियों में मिलावट दहेज प्रतिषेद अधिनियम और सती अधिनियम का उल्लेख किया गया है। वहां यह जोड़ा गया है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा जिसे छह माह की अवधि से अधिक जेल की सजा दी गई है।'

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : मैं चाहता था कि आप हमें स्पष्ट करें। "फेरा" अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अयोग्य

घोषित होने से पहले एक व्यक्ति को कितनी सजा दी जायेगी। यदि उस पर जुर्माना किया जाता है तो क्या उसे अयोग्य घोषित किया जायेगा ?

श्री जगन्नाथ कौशल : हां, हां।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : यह बहुत व्यापक मामला है।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह एक अन्य मामला है कि क्या हम इस उपबन्ध से सहमत हैं अथवा नहीं। परन्तु यह उपबन्ध बिलकुल स्पष्ट है। उपबन्ध यह है कि जिस समय (ए) में उल्लिखित अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्धि हो जाती है उसी समय अयोग्यता लागू हो जाती है।

अब मेरे मित्र श्री गुप्त यह कहते हैं कि इस बारे में भेदभाव क्यों होना चाहिए ? कुछ मामलों में आप कहते हैं कि उसे छह माह से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। अन्य मामलों में आप यह कहते हैं कि उसे दो वर्ष से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। फिर सरकार द्वारा इस मामले के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है। मेरी अपनी भावना यह है कि एक अपराधी के साथ हमारी को सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित होने पर उसे कम से कम छह साल के लिए वर्जित किया जाना चाहिए। एक अपराधी के लिए हमारे मन में कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। मैं श्री गुप्त की बात से सहमत हूं। यह भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इस भेदभाव का क्या औचित्य है सिवाय इसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मूल योजना यह थी कि यदि किसी व्यक्ति को गम्भीर सजा नहीं दी गई है तो उसे सदैव वर्जित नहीं किया जाना चाहिए। अब इसकी जांच की जा सकती है। परन्तु आज जो उपबन्ध प्रस्तुत किया गया है वह स्वागत योग्य है क्योंकि मूल उपबन्ध यह है कि फेरा तथा स्वापक औषधि और दूसरे पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि होने पर वह अयोग्य हो जायेगा। मैं यह बात कहना चाह रहा हूं। ये सतही संशोधन नहीं हैं। यह कहना कि ये नाम मात्र का चुनाव सम्बन्धी सुधार है, बड़ा भ्रामक है, मुझे इसे हानिकर प्रचार नहीं बताना चाहिए। यह नाममात्र का चुनाव सम्बन्धी सुधार नहीं है। चुनाव संबंधी सुधार का संबंध उन महत्वपूर्ण मामलों से हैं जो प्रस्तुत किये गये हैं।

कार्यकारी समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने दो मामले निपटाये है परन्तु इसे नहीं निपटाया गया है। इन मामलों में से एक मामला गैर-जिम्मेदार उम्मीदवार के सम्बन्ध में है। विधि मंत्री ने अपने भाषण में दो-तीन कारण बताये हैं। परन्तु हम एक बात नहीं भूल सकते वास्तविक रूप से ये गैर-जिम्मेदार उम्मीदवार समस्या कर रहे हैं। मैं उसी बात को कहता हूं जो मेरे साथी ने कही है कि वे उपद्रवी हैं। चंडीगढ़ जैसे छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 39 गैर-जिम्मेदार उम्मीदवार थे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 78 गैर-जिम्मेदार उम्मीदवार थे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 308 गैर-जिम्मेदार उम्मीदवार थे विधि मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच भी करें क्योंकि आपने कहा है कि यह आपका अन्तिम कदम नहीं है तथा सब बातों को एक साथ नहीं निपटाया जा सकता। इसलिए इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।।

दूसरा मामला यह है कि खर्च किस प्रकार कम किया जाए इसका विपक्ष के सभी वक्ताओं ने उल्लेख किया है। यह बिल्कुल अलग मामला है कि क्या दल खर्च करता है अथवा मेरे मित्र खर्च करते हैं अथवा मैं खर्च करता हूं। परन्तु खर्च

करते हैं अथवा मैं खर्च करता हूं। परन्तु खर्च प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्या हम उन कार्यों के बारे में नहीं सोच सकते जो मेरे ख्याल से पूर्णतः अनुपयोगी हैं वे सिर्फ खर्च बढ़ाने के लिए हैं। क्या हम पोस्टर तथा झंडों की स्पर्धा समाप्त कर सकते हैं ? जब विपक्ष के पोस्टर तथा झंडे दिखायी देते तो मेरे कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं तथा कहते है कि आपको भी पोस्टर लगाने चाहिए। लोग मेरे पास आते हैं और मुझे भी यह अपनाना पड़ता है। एक दल रैली का आयोजन कर रहा है। दूसरे दल के उस रैली में 200 ट्रैक्टर होने चाहिए। क्या हम शक्ति दिखावे के लिए इन अनुपयोगी बातों को समाप्त करने के बारे में सोच सकते हैं ? मतदान से शक्ति का परीक्षण किया जायेगा। अन्य तरीके से हम कितनी शक्ति क्यों दिखाने की कोशिश रहे हैं ?

मेरे ख्याल से ये मामले ऐसे हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है परन्तु कुल मिलाकर मैं सरकार तथा दल को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस अपेक्षित विधेयक को प्रस्तुत किया तथा मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री पी. कुलनदईवेलू (गोबिचेटिटापालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम संविधान के अनुच्छेद 326 के इस संशोधन का स्वागत करते हैं जो मतदान की आयु 26 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के संबंध में है। यह स्वागत योग्य उपाय है परन्तु यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था हम फिर भी इसका स्वागत करते हैं।

इस संशोधन से एक बड़ा युवावर्ग चुनाव प्रक्रिया में शामिल होगा। इसके द्वारा लगभग 47 मिलियन युवकों को मतदान का अधिकार मिलेगा।

हमने तमिलनाडु में स्थानीय निकायों तथा पंचायत चुनावों के लिए ऐसा पहले ही किया है तथा 1982 में हमने मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी। हमारे स्वार्गीय मुख्य मंत्री श्री एम. जी. रामचन्द्रन ने ऐसा किया उस समय मेरे अधीन स्थानीय प्रशासन विभाग था मैं तथा पंचायत राज का प्रमुख था इसलिये 1982 में मैंने ऐसा किया। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि यह एक अच्छा उपाय है कि भारत सरकार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर रही है।

परन्तु मैं विधि मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमने लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के 21 वर्ष निर्धारित की है। क्या हम लड़कों के विवाह की आयु भी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेंगे ? क्या विधि मंत्रालय का इसके लिए कोई नया विधेयक लाने का विचार है।

प्रो. मधु दंडवते : ये दो अलग-अलग कार्य हैं।

श्री पी. कुलनदईवेलू : तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री श्याम लाल शकधर ने कुछ चुनाव संबंधी विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने सिफारिश की कि राज्यों को आंशिक धन का आबंटन किया जाना चाहिए तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के चन्दे का हिसाब रखा जाना चाहिए। आज भी स्थिति यह है कि सरकार मतदान के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। मतदान तथा मतगणना की व्यवस्था करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यदि राज्यों को आंशिक धन दिया जायेगा तो हम उम्मीदवारों से उस धन का हिसाब मांग सकते हैं जो वे चुनावों पर खर्च कर रहे

है। यह एक नया विचार होगा तथा मुझे आशा है कि विधि मंत्री चुनाव संबंधी सुधार के लिए उचित संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

इलैक्ट्रोनिक मशीन का उपयोग करने वाले प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं। हमारे स्वर्गीय नेता श्री एम. जी. रामचन्द्रन ने भी पंचायत चुनावों में इसका उपयोग करना चाहा। तमिलनाडु के एक निर्वाचन क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया परन्तु असफलता के कारण हम दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में इसका उपयोग न कर सके।

दूसरी बात मतदाताओं को पहचान पत्र देने के संबंध में है। मेरा सुझाव है कि पहचान पत्र प्रणाली बहुउद्देश्यीय होनी चाहिए ताकि इसका सभी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण तथा न्यायाधीश तारकुन्डे ने भी सुझाव दिया कि ये चुनाव संबंधी सुधार 1970 से पहले किये जाएं और चुनावों के लिए राज्य निधियां प्रदान करें तथा मेरा कहना है कि यह मामला मंहगा नहीं पड़ेगा। मतदान के लिए अधिकांश व्यवस्था केवल सरकार कर रही है ? हमें मतदान केन्द्र बनाने, कर्मचारियों को तैनात करने, मत गणना करने तथा चुनाव आयोग चलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है इन कार्यों के लिए हम सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करते हैं। इसलिए राज्य द्वारा तो अपने आप निधियां प्रदान की जाती हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकें।

हमने पंचवर्षीय योजना शुरू की है। हमारे पास लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये का बजट है जिसे हम इस पर खर्च कर सकते हैं। यदि हम चुनावों पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च करें तो यह बहुत अल्प है। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य निधि द्वारा निधियां प्रदान करने की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए तथा सरकार को यह प्रणाली शुरू करनी चाहिए।

हम भली-भांति जानते हैं कि अकेले धन से चुनाव नहीं जीते जा सकते। मेरे विचार से सभी दल सोचते हैं कि धन से मत खरीदे जा सकते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं यह भली-भांति जानता हूं कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो अनेक उद्योगपति उन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव जीत जाते जहां से वे लड़ते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि दूसरे लोग उन्हें हरा देते हैं। इसलिए धन चुनाव जीतने का मापदंड नहीं है।

तमिलनाडु की जनता धांधली और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना नहीं जानती थी। परन्तु मुझे भय है कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार के सीमावर्ती इलाकों की तरह प्रणाली शुरू की जायेगी जहां धांधली तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा होता है। महोदय मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु राज्य में धांधली और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने वाली प्रणाली न शुरू की जाए।

चुनावों के समय हमारे देश में बहुत सा विदेशी धन आता है। विभिन्न दलों को बहुत धन भेजा जा रहा है। उसे रोका जाना चाहिए। सरकार को विदेशी धन के आने पर रोक लगायी जिसका चुनाव प्रक्रिया में उपयोग किया जा रहा है।

चुनाव संबंधी सुधार के बारे में विधि मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ने हमसे परामर्श किया। हमने सुधार के लिए अनेक सुझाव दिये परन्तु हमें प्रतीत होता है कि आपने विधेयक में एक या दो संशोधन किये हैं। आपको व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए उसमें वे सभी सुझाव होने चाहिए जो हमने मंत्री महोदय को दिये हैं। ये सुझाव व्यवहारिक तथा स्वीकार्य हैं। यह सुधार संबंधी विधेयक हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है।

स्त्रियों के लिए कुछ आरक्षण होना चाहिए। चुनाव संबंधी सुधार विधेयक तथा दूसरे विधेयकों में हम महिलाओं को समान अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण होना चाहिए। विधि मंत्री को मैं यही सुझाव देना चाहता हूं।

जहां प्रचार माध्यमों का संबंध है, दूर-दर्शन तथा आल इण्डिया रेडियो का दुरूपयोग किया जा रहा है सभी दलों को समान अवसर नहीं दिये जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सभी दलों को उनके स्तर अनुसार बराबर अवसर दिये जाने चाहिए। महोदय, मैंने संसदीय मामलों के मंत्री से भी इसके बारे में बताया है। वे सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। हमारे दल ने विशाल रैलियां की हैं और अनेक सार्वजनिक समस्याएं की जा रही हैं। इन सभाओं में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी को संचार माध्यमों में कोई अवसर नहीं दिया जाता है। जहां तक संचार माध्यमों का संबंध है मैं माननीय प्रधान मंत्री और संबंधित मंत्री से सभी पार्टियों को बराबर का अवसर देने का अनुरोध करूंगा। दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो पर भी सभी राजनीतिक पार्टियों को बराबर का अवसर दिया जाये।

मेरे विचार से निर्वाचन आयोग को बहु-सदस्यीय आयोग बनाया जाना चाहिए। अब यह केवल एक सदस्यीय आयोग है। इसे संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार बहु-सदस्यीय आयोग बनाया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की सदस्यता के बारे में संसद को एक कानून बनाना चाहिए। यह स्वतन्त्र सचिवालय होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के लिए एक स्वतन्त्र सचिवालय बनाया जाना चाहिए।

राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण के बारे में, मैंने पहले ही संशोधन दिया है। भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री जगन्नाथ कौशल, ने कहा है कि चुनावों में साम्प्रदायिक पार्टियों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक पार्टी से उनका क्या अभिप्राय है। भारत में, साम्प्रदायिक पार्टी है, अपने नाम से ही यह साम्प्रदायिक पार्टी है। मैं इण्डियन यूनियन मुसलिम लीग का हवाला दे रहा हूं। अब वह साम्प्रदायिक पार्टी का उल्लेख करते हैं तो क्या इसका मतलब मुसलिम लीग से होता है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इण्डियन यूनियन मुसलिम लीग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है।

अब मैं सदस्यों की अयोग्यता के पहलू पर कहना चाहता हूं उन बहुत से अपराधों को शामिल करने के लिए, जो भारतीय दण्ड संहिता में है इस खंड के क्षेत्र को विस्तृत किया जाना चाहिए। लेकिन धन के दुरुपयोग के बारे में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और धारा 406, 407, 408 409 और 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराधों का उल्लेख नहीं किया गया है मेरे विचार से भारतीय दण्ड संहिता की इन सब धाराओं के तहत अपराधों की सूची को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि साम्प्रदायिक संगठनों की परिभाषा के अनुसार भारतीय यूनियन मुसलिम लीग एक साम्प्रदायिक संगठन नहीं है ।

श्री पी. कुलनदईवेलू : अभी हाल ही में, केवल दो दिन पहले ही, निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में विधान सभा चुनावों की तारीख की घोषणा की है । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु की लोकसभा सीटों के चुनावों के बारे में चुप्पी साधे क्यों बैठी है, जो एक वर्ष से अधिक समय से खाली है । वास्तव में, इन लोकसभा सीटों के चुनावों को छः महीने के भीतर कराया जाना चाहिए था । खाली सीटों में एक सीट श्री ए. जी. सुब्बारमण की है जो मदुरई के रहने वाले है । उनकी अब मृत्यु हो गई है और इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछले एक वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं । जब आपने विधान सभा चुनावों के लिए तारीख की घोषणा की ही थी तो मुझे हैरानी हुई कि लोक सभा सीटों के लिए चुनाव क्यों नहीं किये गये, जो काफी लम्बे समय से खाली पड़ी है । क्या वे मतदान कराने से डरते हैं ? उन्हें आगे आना चाहिए । और विधान सभा सीटों के साथ-साथ लोक सभा सीटों के लिए भी चुनाव कराने चाहिए । वे लोक सभा चुनावों से डरते क्यों है ? इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता और मैं सरकार से कारण जानना चाहता हूं ।

महोदय, वन्नियार आन्दोलन जारी है । पिछले दो दिनों में 12 से अधिक बसें जलाई गई हैं और 1000 से अधिक लोग पकड़े गए हैं । लोग सुरक्षित नहीं है । अब तमिलनाडु में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को नियुक्त किया गया है । तमिलनाडु के चार जिलों—दक्षिण आरकोट, उत्तर आरकोट, धर्मपुरी सेलम और मद्रास में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के 1000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं । वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान क्यों नियुक्त किए गए हैं ? हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री के शासन काल के दौरान भी तमिनाडु में वन्नियार आन्दोलन हुआ था । उस समय हम पुलिस की मदद से समस्या का समाधान करने में सफल रहे थे । अब उन्होंने तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान क्यों तैनात किए हैं ? समाचार-पत्रों में भी यह प्रकाशित हुआ है कि जब तक मतदान समाप्त नहीं होते, ये जवान वहां तैनात रहेंगे । इसका क्या अर्थ है ? वे सेना की सहायता से चुनाव कराना चाहते हैं । फिर हम स्वतन्त्र और निस्पक्ष चुनावों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं । क्या यह निष्पक्ष चुनाव हैं ? मेरा माननीय प्रधान मत्री जी और विधि मंत्रालय से अनुरोध है कि वहां से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को तुरन्त हटाया जाए । केवल कुछ ही लोग यह सब कर रहे हैं । वन्नियार आन्दोलन तमिलनाडु के लिए नया नहीं है । हम अच्छी तरह जानते हैं कि सब और वन्नियारों को कौन समर्थन दे रहा है वे किस तरह आन्दोलन कर रहे हैं । आप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के उन जवानों को वहां से तुरन्त हटाइए, जिन्हें स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से वहां तैनात किया गया है । मुझे आशा है कि तमिलनाडु में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रधान मंत्री कुछ करेंगे । प्रधान मंत्री पिछले तीन-चार महीनों के दौरान 6 बार तमिलनाडु गए । हम इसका स्वागत करते हैं । साथ ही मैं कहूंगा कि सरकार के धन का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । जनता के धन का किसी भी तरह दुरुपयोग नही किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह विषय से संबद्ध है । आप चुनाव सुधार के बारे में बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : क्या यह विषय से सम्बद्ध है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्य से अनुरोध है कि वह विषय से सम्बद्ध बात ही कहें।

श्री पी. कुलनदई वेलू : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको निःसंकोच रूप से कुछ बताना चाहूंगा। मैं तमिलनाडु के सम्बन्ध में अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है, वे न केवल इस शताब्दी में अपितु अगली शताब्दी में भी सत्ता में नहीं आ सकते। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में गंभीरता से भाग लिया और अनेक विचार तथा सुझाव पेश किए।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो यह विधान पेश किया है वह एक महत्वपूर्ण विधान है और इसका उद्देश्य हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना है। भारत का लोकतंत्र कई अर्थों में अद्वितीय है। यह एक अद्वितीय प्रयोग है जो सार्वभौमिक हित में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विविध धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति, प्रदेशों और धर्म वाले समाज का एक ही लोकतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। अभिप्राय यह है कि यह विश्व का लघु रूप ही है, हमने विश्व को दिखाया है कि विविधता वाले समाज में भी लोकतंत्र सम्भव है, जैसी कि हमारे देश में है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए, इस पृथ्वी पर लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए एक आदर्श सिद्ध हो सकता है।

इन 40 वर्षों के दौरान भारतीय लोकतंत्र का प्रयोग बहुत सफल, सम्भवतः किसी भी विकासशील देश में सर्वाधिक सफल रहा है। मैं भारत की जनता को इस प्रयोग की सफलता पर बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।

इन 40 वर्षों के दौरान हमने कई बातें सीखी हैं और हमारी प्रणाली की कुछ त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान गया है और इन्हें दूर करना जरूरी है। 40 वर्षों के दौरान पहली बार इस विधेयक में चुनाव सुधार सम्बन्धी प्रमुख मामलों पर विचार किया गया है। हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। सबसे पहले दल-बदल विरोधी विधेयक लाकर इस सरकार ने चुनाव सम्बन्धी प्रक्रियाओं में सुधार लाने की शुरुआत कर दी है। उसके बाद कम्पनी अधिनियम में संशोधन करके कम्पनियों से लिए जाने वाले चन्दे पर रोक लगाई। इसके बाद हमने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने सम्बन्धी एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में इस विधेयक को लाकर हमने इस लोक सभा में इस प्रकार का चौथा कदम उठाया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लोकपाल विधेयक का क्या हुआ ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उनकी बात को सुनिए। आप क्यों उनके भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं ? पहले उनकी बात को सुनिए उसके बाद आप जो चाहें कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : इस विधेयक में अनेक पहलुओं पर विचार किया गया है। मैं सम्पूर्ण

ब्यौरे में नहीं जाऊंगा । उन ब्यौरों पर विधि मंत्री तथा तथा अन्य सदस्य बोल चुके हैं । परन्तु कुछ मुद्दों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा । इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश में धर्म-निरपेक्षता को बनाए रखा जाए ।

धर्म-निरपेक्षता क्यों महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करना वास्तव में महत्वपूर्ण है तथा हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि धर्म-निरपेक्षता के हमारे लिए मायने क्या हैं क्योंकि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म-निरपेक्षता के नाम पर धर्म का नाश करना चाहते हैं । हमारी धर्म-निरपेक्षता धर्म-विरोधी नहीं है और न ही धर्म का नाश करने के लिए है । हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए और मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो समझता है कि धर्म-निरपेक्षता का अर्थ है धर्म का नाश या धर्म-विरोधी तो वह धर्म-निरपेक्षता शब्द के प्रति और राष्ट्र के प्रति अन्याय कर रहा है । ऐसा सोचने वालों को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए क्योंकि यह हमारे देश के लिए एक खतरनाक बात है ।

धर्म-निरपेक्षता अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हमारे जैसे बहुलवादी समाज में राजनीति तथा सरकार को धर्म से अलग करने के लिए यह बहुत जरूरी है । यदि हम ऐसा नहीं करते तो देश के टूटने का भारी खतरा हम मोल ले रहे हैं । सम्भवत: इसका प्रभाव बहुत देश पर पड़ने वाले प्रभाव से बहुत ज्यादा होगा । हमें राष्ट्र से हाथ धोना पड़ेगा; परन्तु मानवता का निर्माण करने में विश्व हार जाएगा । अत: इसके प्रभाव हमारे राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभावों से कहीं ज्यादा होंगे । गांधी जी, पंडित जी, इन्दिरा जी ने हमें जो रास्ता दिखाया उसका लक्ष्य हमारी सोच से कहीं बहुत आगे था । हमें अपनी सोच को अपनी सीमाओं मे नहीं बांधना चाहिए । हमारी सोच और अधिक व्यापक होनी चाहिए । अत: धर्म-निरपेक्षता मुख्य शब्द है और हमें इसे हमारी गतिविधि में लाना चाहिए । चुनाव और चुनावी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।

हमने पहला कदम धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने सम्बन्धी विधेयक लाकर उठाया । इस विधेयक में हम राजनीतिक दलों को संविधान के प्रति निष्ठा रखने के लिए कह-कह कर हम उन्हें धर्म-निरपेक्षता की ओर आगे बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यहां मेरे लिए यह कहना महत्वपूर्ण है कि जब हम लोगों को धर्म-निरपेक्ष की ओर बढ़ाते हैं—मैं कह रहा हूँ "लोगों को बढ़ाना" "न कि लोगों को जबरदस्ती बढ़ाना"—क्योंकि जब हम दबाव डालना शुरू कर देते हैं तो सारा मामला ही बिगड़ जाता है; लोग कठोर निर्णय लेते हैं—हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए तथा उन्हें मुख्यालय में लाना चाहिए और हम लोग ही करने की कोशिश कर रहे हैं । हम कठोर रुख अपना सकते थे । सदस्यगण यहां उपस्थित थे, कुछ सदस्यों के भाषण को सुन रहे थे । मैंने सभा की कार्यवाही को देखा है । कुछ सदस्य सोचते हैं कि बहुत अधिक कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए थी । इस पर मंत्रिमंडल ने भी विचार किया था।

1.00 म.प.

हमने इस पर गहराई से विचार किया और महसूस किया कि उनके साथ नम्रता का व्यवहार करना ज्यादा अच्छा था क्योंकि यदि हम दबाव डालने की कोशिश करते तो हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाते जहां हमारी आबादी का एक बड़ा भाग अलग-अलग हो जाता तथा जान-बूझकर विखण्डनकारी प्रवृत्तियां पैदा हो जाती । हमने लोगों को मुख्यधारा में मिलाने का मार्ग अपनाया है और उन्हें इस बात के लिए सहमत कर लिया है यही सही तरीका है । हमारा यह

विश्वास है कि राजनीतिक दलों को भारत के संविधान के अनुसार ढालने से हम चुनाव प्रक्रिया को, अपने लोकतंत्र को और अपने राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं तथा जो दल भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं, वह राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

श्री तम्पन थामस : महोदय, ऐसा पहले से ही नहीं है ?

श्री राजीव गांधी : इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से हम इसे अब लाए हैं और यहां मैं दो सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा चूंकि हमने इस क्षेत्र को शामिल कर लिया है। परन्तु, संभवत: इसे उतने कठोर एवं सकारात्मक रूप ढंग शामिल नहीं किया गया जितना कि इसे किया जाना चाहिए था।

विपक्ष की ओर से प्रो. दण्डवते ने और हमारी तरफ से श्री हरूभाई मेहता ने धार्मिक संस्थान विधेयक के सम्पूर्ण उपबन्धों को इस विधेयक में सम्मिलित करने हेतु एक संशोधन लाने की सिफारिश की है। हमने सोचा था कि यह पहले से कर लिया गया है परन्तु पहले जो प्रावधान किया गया था वह इतना कड़ा नहीं था। यह शामिल तो कर लिया गया है परन्तु पूर्णतया नहीं। मैंने विधि मंत्री को एक सरकारी संशोधन लाने को कहा है क्योंकि इन दो प्रस्तावों की शब्दावली में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। इस को शामिल करने के लिए हम सरकारी संशोधन लाएंगे और मैं दोनों सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : यह समान है।

श्री राजीव गांधी : थोड़ा-सा फर्क है। इसकी जांच करने के लिए हमारे यहां विधायी विभाग है। उनका कहना है कि वे थोड़ा-सा अन्तर चाहते हैं। अत: हमने कहा कि हम इसे लाएंगे। लेकिन इसकी याद दिलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इस विधेयक का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमने मतदान के लिए आने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान किया है। जैसा कि मैंने कहा हमारी चुनाव प्रणाली, हमारा लोकतंत्र अच्छी तरह काम कर रहा है। परन्तु कतिपय कमियां हैं; और एक कमी यह है सामंतवादी तत्व कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने से रोकते हैं, अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों, अल्प संख्यकों, महिलाओं को किसी भी तरीके से मतदान केन्द्र तक जाने से रोका जाता है। कभी-कभी वे लोग इन्हें घर से भी नहीं निकलने देते, कभी-कभी सामन्तवादी तत्वों द्वारा इन्हें वास्तव में मतदान केन्द्रों तक नहीं जाने दिया जाता। यह भी निश्चय ही एक कारण है। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की बात को हमने दंडनीय अपराध माना है और उसे एक भ्रष्ट तरीका माना है। इससे कमजोर वर्ग के हाथ मजबूत होंगे। हमने ऐसे अनेक अपराध भी इसमें सम्मिलित किए हैं, जिनके किए जाने पर लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हमने उन अपराधों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है जो समाज विरोधी हैं और जो जनता के किसी विशेष वर्ग की गरिमा को कम करते हैं। यह कमजोर वर्ग ही है जिसके विरुद्ध ये अपराध किए जाते हैं तथा हम इन प्रावधानों को लाकर कमजोर वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रहे है।

एक अन्य मुख्य कदम जो हम उठा रहे हैं, वह है मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करना। मैंने पाया है कि सदन का एक वर्ग इससे खुश नजर नहीं आता। (व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : हमने इस बात के लिए जोर दिया हैं। यह हमारा सुझाव है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैंने सोचा था कि माननीय सदस्यगणों ने यदि इस उपाय की सराहना की होती तो उन्होंने मेजों को थपथपाया होता; लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः मैं मानता हूं कि वे इस उपाय से सहमत नहीं हैं। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने विवेक से इस उपाय का समर्थन करेंगे।

प्रो. मधु दण्डवते : कल आप सदन में उपस्थित नहीं थे। हम विपक्षी सदस्यों ने मतदान की आयु 18 वर्ष किए जाने का मेजें थपथपा कर पूर्ण समर्थन किया था।

श्री राजीव गांधी : प्रकटतः मतदान की आयु कम किए जाने की इन्होंने जो पूरा समर्थन किया था वह कल ही मेजें थपथपाने के साथ ही खतम हो गया है।

हमें भारत के नौजवानों पर पूरा विश्वास है। भारत के नौजवानों ने स्थानीय चुनावों पंचायत चुनावों में अपनी समझदारी तथा परिपक्वता दर्शायी है तथा हम महसूस करते हैं कि अब वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। इस संशोधन से करीब 50 मिलीयन लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

एक अन्य क्षेत्र और है जिस पर हम में तथा कुछ अन्य दलों में मतभेद हैं तथा हम जो कुछ लाए हैं उस पर मतभेद है और वह मतभेद बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग के प्रश्न पर हैं। चुनाव आयुक्त पर हमारा पूरा विश्वास है तथा हम महसूस करते हैं कि जो भी व्यक्ति बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की मांग करता है ऐसा प्रतीत होता है कि उसे चुनाव आयुक्त के बारे में संदेह है। हमें उसकी निष्ठा के प्रति कोई संदेह नहीं है। हमें चुनाव आयुक्त की निष्ठता और निष्पक्षता के बारे में कोई संदेह नहीं है और बहुत-सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने से यह पता चलेगा कि हम किसी न किसी तरीके से चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर संदेह करते है। हमें उनकी निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान में इसकी व्यवस्था है।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या आप संविधान के निर्माताओं के विवेक पर भी संदेह कर रहे हैं?

श्री राजीव गांधी : नहीं, मुझे आपके उद्देश्यों पर संदेह है।

यह सब कहने के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक बार चुनाव आयुक्त के निर्णय विवादास्पद रहे हैं। अनेक निर्णय से विपक्षी सहमत नहीं हुए हैं। उन्होंने उसे विवाद के विषय बना लिए हैं। हमें कुछ निर्णय अच्छे नहीं लगे। उन्हें हमने विवाद के विषय बना लिए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सामान्य तौर पर निर्णय निष्पक्ष रहे हैं तथा पाया है कि चुनाव आयुक्त को कम शक्तियां प्रदान की गई है। हम शिकायत करते रहे हैं। लेकिन कम शक्तियां प्रदान किए जाने के कारण वह सब नहीं कर पाते थे जो कुछ वे करना चाहते थे। अतः हमने सोचा कि बहु-सदस्यीय आयोग बनाने की बजाए जैसा कि, कुछ दलों ने सुझाव दिया था, हम चुनाव आयुक्त के हाथ मजबूत करें क्योंकि हमें उन पर पूरा विश्वास है। इस विधेयक के द्वारा अनेक प्रकार से चुनाव आयुक्त के हाथ मजबूत किए गए हैं तथा शायद पहली बार चुनाव आयुक्त को वे शक्तियां दी गई हैं जिनसे वे सौंपे गए कामों को पूरा कर सकेगा।

एक और प्रश्न पहचान पत्र के बारे में किया गया है। जब हमने मंत्रिमंडल में चर्चा की तो "हमने स्पष्ट रूप से का था", "पहचान-पत्र दिए जाने चाहिए।" तथा हमने पहचान पत्रों के लिए स्वीकृति दे दी थी। हम बहुउद्देश्यीय पहचान-पत्र जारी करेंगे। कुछ समस्याएं हैं कि इसे प्रशासनिक तौर पर कैसे शुरू किया जाएगा तथा इसकी लागत क्या आएगी तथा हम इसे कैसे वहन करेंगे, हम इन दोनों मुद्दों से कैसे निपटेंगे। लेकिन हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करेंगे। विशाल देश होने के कारण एक लोकतन्त्र होने के कारण तथा अन्य जटिलताओं के कारण हम यह नही कह सकते कि हम अगले चुनावों तक अथवा एक निर्धारित समय तक सारी क्रिया पूरी कर लेंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए इच्छुक हूं कि यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। शुरुआत में हमें यह सीखना होगा कि इस प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाए लेकिन हम यह चाहेंगे कि यह जल्द पूरी की जाए हम कठिनाइयों को दूर कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे तथा जितनी जल्द हो सकेगा पहचान-पत्र जारी करेंगे।

अनेक प्रश्न जो वादविवाद के दौरान उठाए गए हैं मैं उनमें केवल दो का उल्लेख करूंगा पहला राज्य है द्वारा चुनाव के लिए धन जुटाना। समस्या यह नहीं है कि राज्य धन उपलब्ध कराए या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं प्रश्न उस धन का है जो चुनावों के लिए प्रयोग में लाया जाना है, प्रश्न चुनावों में धन शक्ति के प्रयोग का है। सबसे पहले मैं स्वयं के अनुभव से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। हमारी जनता इतनी समझदार तथा चतुर है कि उसे धन शक्ति से गुमराह नहीं किया जा सकता। हमारे देश में धन शक्ति निर्णायक तत्व कभी भी नहीं रही है। यह मेरा अनुभव है। यदि कुछ लोग यह समझते हैं कि हमारे मतदाताओं को धन शक्ति से गुमराह किया जा सकता है तो मेरा विचार है वे बिल्कुल गलत समझते हैं केवल राजनीतिज्ञ कभी-कभी यह समझते हैं कि अधिक धन खर्च करने से वे कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे मतदाता काफी समझदार हैं। तथा सरकार द्वारा खर्च वहन किए जाने से चुनावों में खर्च होने वाले धन में किसी भी तरह से कमी नहीं आयेगी। वास्तव में इससे चुनावों पर किए जाने वाले खर्च में वृद्धि होगी। इससे चुनावों पर खर्च करने के लिए जुटाई जाने वाली राशि में किसी भी तरह से कमी नहीं आएगी। अतः मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा चुनावों का खर्चा वहन करने से चुनाव के खर्च की समस्या किसी तरह हल होगी। यदि इससे हल होती तो हमने प्रावधान कर दिया चूंकि इससे हल नहीं होगी। इसलिए मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन हां, मैं यह अवश्य समझता हूं कि चुनावों के खर्चों को कम किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में यदि माननीय सदस्य कोई उचित सुझाव देंगे तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा। लेकिन अभी तक इस विषय पर हमारे पास कोई भी ठोस सुझाव नहीं आया है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि हम भारत के लोगों को खरीद नहीं सकते, हम भारत के मतदाता को खरीद नहीं सकते हैं। भारत का मतदाता उस मामले में काफी स्वतन्त्र तथा समझदार है।

महोदय, दूसरा जो प्रश्न उठाया गया है मैं समझता हूं इस का उल्लेख करने की आवश्यकता है—कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया है कि इस विधेयक में मुख्य विषय पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि उनमें से कुछ सदस्य निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। वे लोग अधिक समय तक बाह्य सतह पर रहे हैं। वे लोग बाह्य सतह पर रहे इतने अधिक समय तक रहे हैं कि उन्हें सिर्फ वहीं नजर आता है तथा एक बार वे जब मुख्य विषय पर आते हैं तो वे मुख्य विषय को ही चारों ओर से तथा अन्दर से कुतरना शुरू कर देते हैं। यह हमारे लोगों की बुद्धिमानी है कि वे

इन लोगों को बाह्य सतह पर जहां वे हैं, तुरन्त वहीं पहुँचा देते है। महोदय मुझे यह यह कहना है··· (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : ऐसा आपके साथ भी लोक सभा में हुआ है··· (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप इस बारे में स्वयं को दोषी न समझें। यह व्यक्तिगत रूप से नहीं है··· (व्यवधान) दंडवते जी मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा था आपको बुरा नहीं मानना चाहिए··· (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैं व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ नहीं हूं, अपितु हम दलगत एक दूसरे के खिलाफ हैं।

श्री राजीव गांधी : मुझे स्पष्ट रूप से यह कहना है कि यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है यह एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह विधेयक एक ऐतिहासिक व क्रांतिकारी विधेयक है जिसे हम विशेष रूप से पंडित जी के शताब्दी वर्ष में लाए हैं। इससे हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी तथा इससे कांग्रेस की भारत के युवकों व भारत के लोगों के विवेक के प्रति पुनः निष्ठा व्यक्त होती है।

श्री दिनेश गोस्वामी : प्रधान मंत्री महोदय, विपक्षी सदस्यों का सुझाव है कि राज्य सभा सचिवालयों की तरह चुनाव आयोग के लिए भी एक स्वतन्त्र सचिवालय बनाया जाए तथा लोक सभा तथा उसे पूरी स्वतन्त्रता दी जाए। इस सुझाव के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री राजीव गांधी : मेरी जानकारी के अनुसार यह पूरी तरह से स्वतन्त्र है (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : कृपया इसकी जांच करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री करनजीत सिंह वालिया।

प्रो. मधु दंडवते : इससे पहले कि आप उसे पुकारें अभी-अभी जब कौशल जी बोल रहे थे उनके और मेरे बीच एक बहुत रोचक वार्तालाप हुआ है। कि क्या स्वतन्त्र पार्टी समाजवादी थी अथवा गैर-समाजवादी ··(व्यवधान) स्पष्टीकरण के तौर पर मैं एक पैरा पढ़ रहा था। यह प्रो. रंगा का प्रारम्भिक भाषण है··· (व्यवधान)

स्पष्टीकरण के तौर पर··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे यहां नहीं है तो आप उनका उल्लेख क्यों ले रहे है ?

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : व्यक्तिगत रूप से इसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है उन्होंने कहा था कि "मैं" कांग्रेसी ब्रांड···के खिलाफ हूं ''···· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखकर दे सकते है हम इसे देखेंगे।

प्रो. मधु दंडवते : ठीक है, जब वे आयेंगे तो मुझे उनका भाषण पढ़ने की अनुमति दी जाए जिसमें वे कहते हैं कि समाजवाद का "कांग्रेस ब्रांड" स्वीकार्य नहीं है… (व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : यह मुद्दा नहीं है…

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : यह बहुत गलत तथा असंगत है (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव सुधारों के नाम से हम 62वें संविधान संशोधन की चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें हमारे प्रधान मंत्री ने अभी- अभी ऐतिहासिक तथा क्रांति बताया है। मेरा विचार ऐसा नहीं है। स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद वे चुनाव संबंधी सुधार लाये हैं (व्यवधान) कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे ऐसे ही लोकतन्त्र के बारे में बात कर रहे हैं… (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बोलने वाले सदस्य के बीच में व्यवधान मत डालिये। जो नहीं सुनना चाहते हैं वे जा सकते हैं। परन्तु बोलने वाले सदस्य के बीच में व्यवधान मत डालिये।

श्री चरनजीत सिंह वालिया : चुनाव संबंधी सुधारों का सार बड़ा महत्वपूर्ण है। हम विगत अनेक वर्षों से चुनाव संबंधी सुधारों के संबंध में विचार-विमर्श करते रहे हैं। मेरे विचार से यह बाह्य अलंकरण जैसा नहीं हो सकता जैसा कि मेरे साथी श्री जगन्नाथ कौशल बता रहे थे। यह दूसरों की शाबासी करने के लिए किया गया कार्य अधिक है। यह कह रहा था कि क्रांतिकारी अथवा ऐतिहासिक कार्य के बजाए एक ऐसा कार्य है जो दूसरों की शाबासी लेने के लिए किया जा रहा है। यह तर्क देकर सभा की प्रवृत्ति बढ़ायी गयी है कि वे अनेक चुनाव सम्बन्धी सुधार प्रस्तुत कर रहे हैं तथा संसद में एक विधेयक पेश कर रहे हैं मेरे विचार से इस विधेयक में एक बात अर्थात मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के अलावा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। कि यह स्वागत योग्य कदम है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है हम इसका स्वागत करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री उचित ही कह रहे थे कि उनका भारत के युवा वर्ग में विश्वास है। परन्तु काफी समय बाद यह विश्वास किस प्रकार पैदा हुआ है? यह विपक्ष के दबाव से पैदा हुआ है। देश के प्रत्येक कोने से मांग थी कि युवकों को राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए, वे समझदार हैं, हमें युवकों पर विश्वास करना चाहिए तथा उन्हें देश की मुख्यधारा तथा राजनैतिक प्रणाली में सम्मिलित किया जाना चाहिए। देश के सभी कोनों से तथा सभी राजनैतिक दलों द्वारा सरकार पर यह दबाव डाला गया था कि सभा में यह कानून बनाया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिस पर बहुत अधिक चर्चा हुई थी यह है कि भारत की राजनीति में धन शक्ति को अपनी गलत भूमिका नहीं निभाने दी जाए। यह ऐसी बुनियादी बुराई है जो हमारे लोकतन्त्र को खोखला कर रही है। हमारी जनता लोकतन्त्र में विश्वास करती है। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वे सब कुछ जानते हैं। प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि जनता को धन से नहीं खरीदा जा सकता। परन्तु चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जनता को धन से भले ही नहीं खरीदा जा सकता हो, मतदान के संबंध में उनके निर्णय को प्रभावित नहीं किया जा सकता हो, परन्तु यह महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभा रहा है। उद्योगपति तथा बड़े औद्योगिक घराने मतदाताओं और प्रत्याशियों को

प्रभावित करते हैं। इसलिए चुनाव का खर्चा राज्य को वहन करना चाहिए। खर्च की सीमा यथा-सम्भव न्यूनतम की जानी चाहिए तथा प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों के खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस मामले में सरकार असफल रही है। उसे इस विधेयक में कुछ उपबन्ध सम्मिलित करने चाहिए ताकि धन की भूमिका को यथासम्भव कम किया जा सके तथा राज्य को प्रत्याशियों और दलों का खर्च वहन करना चाहिये चाहे वे मान्यता प्राप्त दल हैं अथवा नहीं।

तीसरी बात मैं आपके जरिये सभा को बताना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर सत्तारूढ़ दल को दूरदर्शन तथा आल इण्डिया रेडियो का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक राजनैतिक दल को यथा सम्भव अधिक समय दिया जाना चाहिए। दूरदर्शन तथा आल इण्डिया रेडियो के उपयोग के संबंध में उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

महोदय, चौथा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को स्वतन्त्र बनाया जाए। इसके लिए बहु सदस्यीय चुनाव आयोग की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। इसके लिए इस विधेयक में एक उपबन्ध लाया जाना चाहिए ताकि बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सके। हमें चुनाव आयोग की ईमानदारी में संदेह नहीं है। अभी इसका प्रभारी एक व्यक्ति है। परन्तु कभी-कभी वह पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य कर सकता है। इसलिये, इन सब बातों को समाप्त करने के लिए बहु-सदस्यीय आयोग के हेतु एक उपबन्ध लाया जाना चाहिए।

इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने में बहुत अधिक समय लग सकता है। परन्तु क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं ? 1971 की जनगणना के बाद लगभग 20 वर्ष बीत गये हैं परन्तु निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित नहीं गयी है। इन 20 वर्षों के दौरान अनेक परिवर्तन हुए हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यथा सम्भव शीघ्रता से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की जाए तथा इस सभा में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिसमें सत्तारूढ़ तथा विपक्ष के सदस्यों के सुझावों तथा मांगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस सभा में एक व्यापक विधेयक लाये।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस विचार का पूरा समर्थन करता हूं कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए। यह अवसर निश्चित रूप से देश के युवकों के लिए अच्छा होगा। बड़े दुख के साथ मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जो भी सदस्य यहां बोले हैं, उन्होंने आयु घटाने का उल्लेख किया है। परन्तु मुझे खेद है कि अनेक सदस्यों ने इस प्रकार की बात कही है मानों धर्म निरक्षेपता तथा समाजवाद पर उन लोगों का ही एकाधिकार है। इस सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सदस्य का समाजवाद तथा धर्म निरपेक्षता में विश्वास किसी से कम नहीं है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक से देश की जनता को संतुष्ट करने में असफल रही है। धनशक्ति चुनाव परिणामों को कितना प्रभावित कर सकती है ? प्रत्येक चुनाव के बाद से व्यक्तिगत प्रत्याशी तथा दलों का चुनाव सम्बन्धी खर्चा बढ़ता जा रहा है। गरीबी तथा देश के कम संसाधनों को देखते हुए इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए। मैं यह भी नहीं समझ पाया हूं कि दलों का पंजीकरण

क्यों होना चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता है ? कतिपय धर्मों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के लिए 'साम्प्रदायिक दलों' को जनता के कुछ वर्गों की इच्छाओं को पूरा करते हैं वे साम्प्रदायिक दल नहीं समझा जाना चाहिए।

महोदय कुछ दिनों पहले श्री बरनाला के बारे में उल्लेख किया गया था कि वे ग्रंथियों के सामने क्यों पेश हुए। मेरा अनुरोध है कि कुछ धार्मिक संस्थाओं का उल्लेख न किया जाए, इससे उनके मन में और भी कटुता पैदा होगी अथवा गलत फहमी पैदा होगी। श्री बरनाला ने जत्थेदारों को अपना त्याग पत्र दिया था। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अकाल तख्त से यही कहा था कि 'यदि मैंने धार्मिक दृष्टि कोई गलत कार्य किया है तो मैं यहां उपस्थित हूं' महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि...

श्री वीर सेन (खुर्जा) : क्या उन्हें धार्मिक दृष्टि से गलत कार्य के लिए दण्ड दिया गया था ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जी हां।

श्री वीर सेन : वह गलत आचरण क्या था ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अपने धार्मिक दृष्टि से किये गये गलत कार्य के कारण ही उन्होंने जत्थेदारों को त्याग पत्र दिया था। अब पंजाब में पंचायती चुनाव हो रहे हैं। महोदय सरकार यहां है। आपके माध्यम से मैं देश की जनता को साफ बता देना चाहता हूं कि आज की स्थिति में पंजाब में पंचायती चुनाव कराने से केवल इस विशेष प्रणाली को ही नहीं बल्कि लोकतान्त्रिक प्रणाली को भी हानि होगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पंजाब के राज्यपाल को निर्देश दे कि पंचायती चुनाव न कराये जायें। आतकवादियों ने संदेश पहले ही भेज दिया है। पंचायत एक छोटी इकाई है पंचायतों के सदस्यों अथवा सरपंच के लिए आतंकवादियों और उग्रवादियों की धमकी का सामना करना बड़ा कठिन कार्य है। यह उचित समय नहीं है। अपनी बंदूक की ताकत का दुरुपयोग करके आतंकवादी अनेक गांव में अनेक लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं; मैं समझता कि यदि वे 3000 से अधिक, गांवों में ऐसा कर सकें तो कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तथा वही व्यक्ति नामांकन पत्र भरेगा जिसे ये आतंकवादी अनुमति देंगे। मुझे चुनावों में हारने की आशंका नहीं है। परन्तु देश के हित के लिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विधान सभा के चुनाव होने तक पंचायती चुनाव स्थगित रखे जाय। सबसे पहले आपको विधान सभा या संसद के चुनाव कराने चाहिए। संसद के चुनाव आगामी नवम्बर या दिसम्बर में होने हैं। हमें ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए ताकि स्थानीय स्वशासन स्तर पर कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ सकें जो बंदूक या किसी दूसरे कारण से चुनाव जीते हैं।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में कुछ अल्पसंख्यक वर्ग हैं।

1.32 म. प.

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

महोदय, सिखों के लिए कुछ किया जाना चाहिए जो पंजाब में 80 लाख की संख्या में तथा पंजाब के बाहर 70 लाख की संख्या में रह रहे है। पंजाब के बाहर रहने वाले 70 लाख सिखों को लोक सभा के लिए कभी भी नहीं चुना गया। कुछ आरक्षण किया जाना चाहिए ताकि 3-4 सिखों को लोक सभा के लिए चुने जा सकें और इस समुदाय की मांग पूरी पूर्णतः सुनिश्चित की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे इन महत्वपूर्ण विधेयकों की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है।

सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार मांग करने के बाद सरकार राजी हो गयी है तथा मतदान की, आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए आज संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है। महोदया, मेरे मन में संविधान में किये जा रहे संशोधन के बारे में केवल एक ही डर है यदि मैं सदन को इन विचारों से अवगत न कराऊं तो मैं अपने कर्तव्य पालन में चूक जाऊंगा। आप सब जानते हैं कि कम से कम तकनीकी दृष्टि से निर्वाचन आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है। परन्तु हम यह भी जानते है कि किस प्रकार वह काम कर रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों से इस पर प्रभाव डाला जाता है। अतः मैं माननीय विधि मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूं।

(व्यवधान)

विधि मंत्री महोदय, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कृपया मेरी बात सुनें।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : परन्तु उन्हें पकड़ियेगा नहीं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मुझे खुशी होगी, कि माननीय विधि मंत्री अपनी ओर से यह आश्वासन देंगे कि मतदान की आयु कम किये जाने के कारण इस आयुवर्ग के मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची में शामिल करने के कारण आगे होने वाले उप चुनाव या 1989 में होने वाले आम चुनाव को टाला नहीं जायेगा। यह डर सदन के बाहर अनेक व्यक्तियों का है। अतः मैंने यह बात अपने भाषण के दौरान बतानी जरूरी समझा।

महोदय अगले विधेयक अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम पर आते हुये मैं कहूंगा कि लम्बे समय से न केवल राजनीतिक दलों की बल्कि अन्य लोगों को भी यह मांग रही है कि चुनाव प्रणाली में सुधार किये जायें। लोक सहयोग व जनमत लोकतांत्रिक व्यवस्था की जान है। प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि यह विधेयक लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये है।

परन्तु दुर्भाग्यवश, विधेयक को देखने के बाद मुझे लगा कि यह केवल ऊपरी सजावट मात्र है तथा अपर्याप्त है और हममे से बहुत से लोगों को जो चुनाव प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं, को निराश करता है। प्रधान मंत्री ने कहा था क्योंकि हममें से बहुत से लोग सतही हैं अतः हम सोचते हैं कि केवल सतही बाते ही विधेतक में शामिल की गई है। परन्तु इसके विपरीत प्रधान मंत्री जो कि विषय से सर्वाधिक संबंधित हैं, यह भूल गये कि विषय-वस्तु क्या है। अनेक मूल बातों का विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया गया है। माननीय विधि मंत्री ने केवल विभिन्न राजनीतिक दलों

के सदस्यों से बल्कि ख्याति प्राप्त विधि वेत्ताओं तथा प्रतिष्ठित नागरिकों से बातचीत की होगी परन्तु यह खेद की बात है कि इस सबके परिणामस्वरूप यह विधेयक लाया गया। प्रधान मंत्री ने बोलते हुये कहा था कि यह लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने का ही एक और प्रयास है और ऐसा पहला विधेयक दल-बदल विरोधी विधेयक था। इससे मेरे कानों में घंटी बजी थी। दल बदल विरोधी विधेयक बड़े जोर-शोर से तालियों की बड़ी फड़फड़ाहट के साथ सदन में लाया गया था जिससे प्रधान मंत्री आज वंचित रहे हैं। उस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस दल को नहीं छोड़ सकता है। जिसके चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव जीता है। महोदया, मजाक की बात यह है कि आज जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे किसी दल से सम्बन्धित नहीं समझा जा रहा है। इसीलिये मुझे इतनी देर के बाद चर्चा के बिल्कुल अन्त में बोलने का मौका मिला है। मैं किसी दल से सम्बन्धित नहीं हूं किस कारण ? क्योंकि मुझे उस दल में रहना था जिसके चुनाव चिन्ह पर मैं चुना गया था। दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया तथा सभापति महोदया, यदि आप विधेयक के उद्देश्य व कारणों के वक्तव्य को देखेंगी तो पायेंगी कि इसका उलटा आज हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जोकि बहुत ही उचित व निष्पक्ष व्यक्ति हैं को मुझे एक निर्दलीय सदस्य समझना पड़ा है, क्योंकि मैंने दल बदल नहीं किया है। यह दल बदल विरोधी विधेयक के पारित करने के बाद हुआ है। विभाजन के नाम पर बड़े पैमाने पर दल बदल को स्वीकृति दी गयी है। प्रधान मंत्री**ने दल बदल को बढ़ावा दिया है। क्यों ? यह इसलिये है क्योंकि उनके पास किसी राज्य विशेष ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे कि मुख्य मंत्री बनाया जा सकता। यह कांग्रेस (ई) दल के दिवालियेपन को दिखाता है। इस विधेयक को सदन में रखने के बाद प्रधान मंत्री**ने दल बदल को बढ़ावा दिया है।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मैं सदन से बहिर्गमन कर जाऊंगा यदि आप मुझे बोलने नहीं देंगी।

सभापति महोदय : क्यों ?

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय : आपके लिये केवल पांच मिनट हैं। अन्य अनेक सदस्यों को भी बोलना है तथा चर्चा को पूरा करना है।

श्री एच. के एल. भगत : आपको ऐसे बोलने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : यह वास्तव में हुआ है, सच कड़वा होता है।

श्री एच. के. एल. भगत : आप जिसको सच समझते हैं, वह आप साबित नहीं कर सकते हैं। आपके पास सबूत क्या है ? कुछ नहीं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। (व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : किस नैतिक साहस प्रधान मंत्री ने यह कहा था। मैंने कभी दल बदल नहीं किया था।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। कृपया मेरी बात सुनें। आपके दल में से चार या पांच सदस्य हैं जिन्हें हिस्सा लेना है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : यदि आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो मैं बहिर्गमन करूंगा।

सभापति महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा था, आप जा सकते हैं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मुझे यहां दल के सदस्य के रूप में नहीं बुलाया गया है। कृपया अपनी सूची देखें। मैं दल का पदाधिकारी हूं।

प्रो. मधु दंडवते : मैं 15 मिनट और बोलना चाहता था, मेरा समय उन्हें दे दिया जाये।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : प्रधान मंत्री ने दल बदल विरोधी विधेयक को लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने वाला है बताया है। श्री प्रियरंजनदास मुन्शी जोकि मंत्री हैं तथा प्रधान मंत्री दोनों ही द्वारा यह बताया गया था कि दल बदल विरोधी विधेयक लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने वाला पहला विधेयक है। मुझे इस सदन को यह बताने का अधिकार है कि लोकतंत्र किस प्रकार दृढ़ किया गया है। यह विधेयक जो इस समय हमारे समक्ष है, इसके परिणामों के बारे में हमें डर है। कृपया मेरी बात सुनें। (**व्यवधान**) उसका बचाव न करें जो बचाव के योग्य नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें तथा उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(**व्यवधान**)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : विघ्न डालने के बाद मैं बोल नहीं सकता हूं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें तथा उन्हें अपनी बात पूरी करने दें, यदि आप व्यवधान डालेंगे तो वह और अधिक समय लेंगे।

श्री शंकर लाल (पाली) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। हम संविधान (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। आप दल बदल विरोधी विधेयक पर क्यों बोल रहे हैं, जोकि चर्चा का विषय नहीं है। यह केवल सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदय : सदस्यों को और बातें भी करने का अधिकार है, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप जारी रखें।

प्रो. मधु दंडवते : कृपया उन्हें बता दें कि आज प्रधान मंत्री ने अपना भाषण दल बदल विरोधी अधिनियम से शुरू किया था।

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दिया है आप उसका हवाला दे सकते हैं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : एक के बाद एक सभी सदस्यों ने यह कहा है कि देश के लोगों को खरीदा नहीं जा सकता है। इसमें मैं उनके साथ हूं। यदि इस तरह लोगों को खरीदने सिलसिला चलता रहा तो हममें से बहुत से सदस्य यहां बैठने तथा चर्चा में हिस्सा लेने से वंचित

रह जायेंगे। मैं देश की जनता की ईमानदारी पर शंका नहीं है। केवल राजनीतिक दल ही नहीं है। वही लोग हैं जो लोकतन्त्र के काबिल है। परन्तु चुनाव एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। केवल रिश्वत देने तथा वोटों को खरीदने का ही सवाल नहीं है। हमने विधि मंत्री से मिलकर मांग की थी उन वस्तुओं, साधनों आदि पर सीमा लगा दी जाये जोकि चुनावों में प्रयोग किये जाते हैं। हमने मांग की थी कि कट आऊट, स्वागत द्वार तथा बैनरों पर रोक लगा दी जाये। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं। प्रधान मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि आप देश को खरीद नहीं सकते हैं। पर किसी ने ठोस सुझाव नहीं दिये हैं। यह मेरे सुझाव हैं।

मेरा सुझाव है कि आप कट आऊट व बैनर के प्रयोग पर रोक लगा दें। तथा किसी राजनीतिक दल को बोलने के लिये अपना मंच बनाने की अनुमति न दें। सरकार को यह उपलब्ध कराना चाहिये तथा सभी राजनीतिक दलों को वहीं से बोलना चाहिये। क्या आप यह सुझाव मानेंगे ?

सभापति महोदय : जी नहीं। आप अपना भाषण पूरा करें।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मैं बहिर्गमन करूंगा। यह बहुत ही मूल प्रश्न है।

सभापति महोदय : मैं यह नहीं चाहती कि आप बहिर्गमन करें, परन्तु आप सदन का सारा समय नहीं ले सकते हैं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मैं बहिर्गमन कर रहा हूं।

1.45 म. प.

इस समय श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव सभा भवन से बाहर चले गये।

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, आप मेरी बात सुनें। विपक्ष के चार या पांच सदस्य बोलने के लिये बाकी है। मैं शासक दल के किसी सदस्य को नहीं बुला रही हूं। मैं केवल विपक्षी सदस्यों को बुला रही हूं। हमें चर्चा को 2.00 बजे या 2.10 बजे तक पूरा करना होगा। उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे। परन्तु मैंने उन्हें 10 मिनट दिये थे। यह आप जान लें।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह महत्वपूर्ण विधेयक है। आप इस तरह समय को कैसे बांट सकती हैं।

सभापति महोदय : समय सीमा लगाई गई है। हम क्या करें ? मैं एक-एक करके केवल सदस्यों को बुला रही हूं। वह भी बोलना चाहते हैं। मुझे इतने सारे सदस्यों को मौका देना है। परन्तु श्री देव को इस तरह बहिर्गमन नहीं करना चाहिये था, क्योंकि मैं उन्हें बोलने के लिये कुछ और अधिक समय दे रही थी। श्री डी. बी. पाटिल।

[अनुवाद]

श्री डी. बी. पाटिल (कोलाबा) : सभापति महोदया, हमारे सामने दो विधेयक ऐसे हैं

जिन पर चर्चा हो रही है और इनमें से एक मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए है। मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूँ। प्रधान मंत्री ने अभी अभी कहा है कि उन्हें इस देश की युवा पीढ़ी पर पूरा विश्वास है। मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूं। मैं यह कहता हूं कि इस देश के युवा अगले चुनावों के लिए नए मतदाताओं के रूप में छोड़ दिए जाए थे। जो इससे सरकार की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारी सरकार के सामने बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। अतः हमारे नए युवा, जिनको मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है, सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करेंगे और उस दृष्टिकोण से मैं उसका स्वागत करता हूं।

दूसरा विधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने से संबधित है। मैं कहता हूं कि यह लोगों की आशा के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि इस देश की जनता यह आशा करती थी कि इस देश में संसदीय लोकतन्त्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कुछ आधारभूत उपाय किए जायेंगे। इस देश में संसदीय लोकतन्त्र स्वच्छ तथा स्वतन्त्र चुनावों पर निर्भर करता है। जब तक स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, संसदीय लोकतन्त्र न तो सफल होगा और न ही चलेगा : हम मानते हैं कि इस देश की जनता को खरीदा नहीं जा सकता है। किन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि चुनावों में धन और गुण्डागर्दी को बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। साथ ही, समाज विरोधी तत्वों का भी बहुत अधिक संख्या में उपयोग किया जाता है। निश्चय ही चुनाव लड़ने वाले समाज विरोधी तत्वों के सम्बन्ध में भी विभिन्न उपबन्ध हैं। किन्तु चुनाव लड़ते समय इनका लाभ उठाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जाता है। मैं महाराष्ट्र राज्य का एक उदाहरण देता हूं। विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारियों की एक सूची तैयार की गई थी। यह सरकारी राजपत्र में भी प्रकाशित हुआ था। किन्तु, इसके पश्चात यह सूची वापस लेनी पड़ी क्योंकि उस सूची में कुछ विख्यात समाज-विरोधी तत्वों के नाम सम्मिलित थे। अतः वह सूची रद्द कर दी गई। मैं यह उदाहरण यह बात स्पष्ट करने के लिए दे रहा हूं कि चुनाव के समय धन-शक्ति, गुण्डागर्दी और समाज-विरोधी तत्वों की पूरी-पूरी सहायता ली जाती है और जहां तक धन शक्ति का संबंध है, यहां कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आप मुझसे सहमत होंगे।

दूसरी बात यह है कि जो राशि किसी व्यक्ति को खर्च करने के लिए दी जाती हैं, उस से कहीं अधिक राशि खर्च होती है। श्री गाडगिल ने राज्यों को चुनाव के लिये राशि देने का विरोध करते हुए कहा था कि संसदीय चुनाव क्षेत्र के लिए औसत खर्च 6 लाख रुपए हैं। किन्तु उनके पास खर्च कम करने और उसको नियन्त्रण में रखने के लिए कहने को कुछ भी नहीं है। इस खर्च को रोकने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। हम विज्ञापन, बैनर तथा अन्य चीजों पर खर्च की जाने वाली राशि को कम कर सकते हैं। इन सारी बातों का हिसाब लगाना है। किन्तु यदि आप तैयार नहीं है, और यदि आपको खर्चे में परिवर्तन करने की कोई इच्छा नहीं है, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है (व्यवधान)। महोदया, मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं। जब हम संसदीय लोकतन्त्र की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान कांग्रेस दल लोकतन्त्र तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में कुछ कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चूंकि उस दल में चुनाव नहीं किए जाते हैं तो इसका उसे क्या नैतिक अधिकार है कि यह इस देश की जनता से कहे कि संसदीय लोकतन्त्र पर विश्वास करें ? एक लोकोक्ति है : "पहले घर की चौखट में दिया जलाओ, पीछे मस्जिद में दिया जलाओ"

इसी प्रकार लोकतान्त्रिक सिद्धांतों पर विश्वास तो पहले अपने दल से ही आरम्भ होना चाहिये, जो कि सत्तारूढ़ दल की प्रथा नहीं है।

लोग आशा करते थे कि इस विधेयक में राज्य द्वारा चुनाव लड़ने के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। राज्य द्वारा चुनाव हेतु धन उपलब्ध कराने के प्रावधान का विरोध करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा है कि इससे अब होने वाले खर्चे में अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। हम इस सारी लागत को तभी कम कर सकते हैं जब ऐसा करने की इच्छा हो और हम इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हों। यह कहना कि वे इस बात को नियन्त्रित करने की स्थिति में नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वे खर्चे को कम नहीं करना चाहते हैं।

परसों कुछ समाचार पत्रों में एक दल विशेष के प्रतिनिधि विशेष द्वारा किसी राज्य विशेष के जिले विशेष में दौरा करने का समाचार आया था जिसमें उम्मीद से पूछा गया है : "आप अपने चुनाव के लिए कितना धन खर्च कर सकते हैं। उम्मीदवार ने तत्पश्चात एक थैला खोला जो वह अपने साथ लाया था और इसमें लाखों रुपये थे। किन्तु इसका खण्डन नहीं किया गया है। जहां-तक हमारे चुनाव खर्चों का सम्बन्ध है, यदि इस देश का यही रवैया है तो इससे देश की लोकतांत्रिक प्रतिभा में कोई सुधार नहीं होगा। हम चुनाव सुधार ला रहे हैं। किन्तु जैसा मैंने पहले कहा, यह एक प्रकार से उससे विपरीत बात है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैडम चेयरमैन इस एवान में जो बिल पेश किया गया है, उसमें बहुत कुछ इस्लाहात होनी चाहिए थीं लेकिन जिस हालत में भी इसे पेश किया गया है, मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर चन्द और चीजों को भी शामिल किया जाए। जहां हिन्दुस्तान के हर शहरी को वोट देने का हक हासिल है वहीं आप जानते होंगे कि हिन्दुस्तान के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अवाम झोपड़ियों में रहते हैं परन्तु उनकी झोपड़ियों की नम्बरिंग नहीं की जाती, जिसका नतीजा यह होता है कि वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं लिखा जाता। मैं हैदराबाद और खसूसन अपनी कांसटीटूएन्सी की मिसाल दे सकता हूं। गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश का कहना है कि इन लोगों ने झोपड़ियां नाजायज तौर पर बनाई हैं इसलिए हम इनकी नम्बरिंग नहीं कर सकते। जब आप नम्बर नहीं डालते तो उनमें रहने वाले अवाम के नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं आते। अब आप बताइये कि हिन्दुस्तान के उन शहरियों को वोट देने के हक से क्यों महरूम किया जा रहा है। क्या इसलिए कि उनके पास अपना मकान नहीं है। अगर नहीं है तो आप बनाकर दीजिए। आखिर क्यों उन्हें वोट देने का हक हासिल नहीं है। हिन्दुस्तान में अक्सरियत गरीबों की है और उन्हें वोट देने के बुनियादी हक इसे महरूम करना इन्तहाई जुल्म और ज्यादती की बात है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सरकार इन लोगों के ऊपर तवज्जह दे ताकि वे करोड़ों लोग भी वोट दे सकें। यह बुनियादी मसला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इस पर फौरी तवज्जह देकर वोटर्स लिस्ट में उनके नाम शरीक करायें। दूसरी तरफ जब वोटर्स लिस्ट बनती है तो आपके आदमी घर-घर जाकर लोगों के नाम दर्ज करते हैं और रसीद देते हैं कि आपका नाम वोटर्स लिस्ट में शामिल कर लिया गया लेकिन जब वह आदमी इलैक्शन में वोट देने जाता है तो रसीद दिखाने के बावजूद कह दिया जाता हूं कि तुम्हारा नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है, गायब है।

तो ये जो वोटर लिस्टें बनाई जाती हैं, ये अजीबगरीब किस्म की बनाई जाती हैं। इन

वोटर लिस्टों को ठीक ढंग से बनाया जाए और हजारों लाखों नाम जो वोटर लिस्टों से गायब कर दिए जाते हैं और खुसूसन यह देखा जाता है कि यहां पर हमको वोट मिलने वाला नहीं है, लिहाजा उनके नामों को काट दिया जाता है, उनके नाम उन वोटर लिस्टों में नहीं होते हैं। वह कहता है कि रसीद मेरे पास है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।

दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं रजिस्ट्रेशन करने के बाबत। आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाया जाए पोलिटिकल पार्टीज का। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर किसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। अगर रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, तो फिर आप ऐसी सख्तियां बरतते हैं और इतनी उसके अन्दर बारीकियां निकालते हैं, इतने आब्जैक्शन्स होते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप इन तमाम चीजों को खत्म करें और आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दें, तो इस बात को माना जा सकता है।

आपने यह भी कहा सैकुलरिज्म आना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आया कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म क्या है? यह अजीबोगरीब बात, पूरे हिंदुस्तान में देखिए हो रही है, मैं आंध्रप्रदेश में कहूंगा कि अगर रेड्डी आते हैं तो पूरे रेड्डियों को नौकरी में तरक्की दी जाती है। आंध्र कम्मा ओं का जोर हुआ, आप देखिए, 6 जूनियर हैं, लेकिन 6 जूनियर होने के बाद भी एक आदमी को तरक्की दे दी गई, डी.जी.पी. बन गया। तो सेकुलरिज्म, और कम्युनलिज्म अब तो ये बात करना ही बेकार है। आज टी.वी. पर देखिए। क्या आप टी. वी. देखने के बाद सेकुलरिज्म की बात कर सकते हैं। कोई इफ्तिताह हो रहा है, नारीयल फोड़ा जा रहा है, पूजा हो रही है, उसको देखने के बाद आप सेकुलरिज्म की बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फैशन की गुफ्तगू करना छोड़ दें, हकीकत की दुनियां में आएं। अगर हम इन्साफ करना चाहते हैं, तो हम इन्साफ की बात करें, वरना सैकुलरिज्म की बातें करने से कोई हमारी बातों को कुबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा।

मैं फिर कहूंगा कि डीलिमिटेशन दुबारा हो और इस तरीके से बनाया जाए जिनमें खर्च कम हो। आप अन्दाजा कीजिए कांस्टीट्यूएन्सी बनाई जाती है। मैं खुद हैदराबाद की मिसाल देता हूं। आप कहते हैं कि इलेक्शन में पैसा कम खर्च हो। हैदराबाद के अन्दर ही एक हैदराबाद कांस्टीट्यूएन्सी नाम रख दिया जाता है, लेकिन उस कांस्टीट्यूसी को ले जाया जाता है टांडूम, 70 माइल तक, क्योंकि दूसरा आने न पाए, खुद तो आ नहीं पायेंगे। दूसरी हैदराबाद की कांस्टीट्यूएंसी नाम रखा जाता है मलकपेट हैदराबाद, लेकिन कांस्टीट्यूएन्सी जाती है नलगुण्डा, 70 माइल तक दो टुकड़े क्यों किए जाते हैं। इसलिए कि वे देखते हैं कि हम यहां पर नहीं आ सकते है तो उस कांस्टीट्यूएन्सी को इस तरह से तोड़ दिया जाता है। तो डिलिमिटेशन जो होगा, उसमें भी तमाम चीजें रखी जाएं और इस चीज को देखा जाए कि कांस्टीट्यूएन्सी ऐसी बनाई जाए ताकि पैसा कम सरफ हो। लेकिन यहां यह आलम है कि हर चीज अपने अफ्राद के लिए की जाती है और उसके बाद सैकुलरिज्म का नाम लिया जाता है। तो एक अजीबोगरीब सवालिया निशान बनकर आता है।

फिर इसके साथ मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जहां आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए भी आप रिजर्वेशन रखिए। जब आप हरिजनों के लिए रखते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं, या तो आप मुतनासिब पूरी नुमाइन्दगी दीजिए, यदि नहीं, तो फिर आप रिजर्वेशन रखिए, वरना इससे सेकुलरिज्म मुतासिर होगा।

चेयरमैन साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया।

شری سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد)

میڈم چیئرمین - اس ایوان میں جو بل پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بہت کچھ اصلاحات ہونی چاہئیں تھیں۔ لیکن جس حالت میں بھی اسے پیش کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر چند اور چیزوں کو بھی شامل کیا جائے۔ جہاں ہندوستان کے ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہاں آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عوام جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ لیکن ان کی جھونپڑیوں کی نمبرنگ نہیں کی جاتی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا میں حیدرآباد اور خصوصاً اپنی کانسٹی چیونسی کی مثال دے سکتا ہوں۔ گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے جھونپڑیاں ناجائز طور پر بنائی ہیں، اس لئے ہم ان کی نمبرنگ نہیں کر سکتے۔ جب آپ نمبر نہیں ڈالتے تو ان میں رہنے والے عوام کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں آتے۔ اب آپ بتائیے کہ ہندوستان کے ان شہریوں کو ووٹ دینے کے حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے۔ کیا اس لئے کہ ان کے پاس اپنا مکان نہیں ہے۔ ہندوستان میں اکثریت غریبوں کی ہے۔ اور انہیں ووٹ دینے کے بنیادی حق سے محروم کرنا انتہائی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے سرکار ان لوگوں کے اوپر توجہ دے تاکہ وہ کروڑوں لوگ بھی ووٹ دے سکیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لئے میں چاہوں گا کہ منسٹر صاحب اس پر فوری توجہ دے کر ووٹر لسٹ میں ان کے نام شریک کرائیں۔ دوسری طرف جب ووٹر لسٹ بنتی ہے

تو آپ کے آدمی گھر گھر جا کر لوگوں نام درج کرتے ہیں۔ اور رسید دیتے ہیں۔ کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی الیکشن میں ووٹ دینے جاتا ہے تو رسید دکھانے کے باوجود کہہ دیا جاتا ہے۔ تمہارا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے۔ غائب ہے۔

تو یہ جو ووٹر لسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ عجیب وغریب قسم کی بنائی جاتی ہیں۔ ان ووٹر لسٹوں کو ٹھیک ڈھنگ سے بنایا جائے اور ہزاروں لاکھوں نام جو ووٹر لسٹوں سے غائب کر دئیے جاتے ہیں اور خصوصاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم کو ووٹ ملنے والا نہیں ہے لہٰذا ان کے ناموں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ان کے نام ان ووٹر لسٹوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ رسید میرے پاس ہے۔ لیکن ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے۔

دوسری طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رجسٹریشن کرنے کے بابت آپ نے کہا کہ رجسٹریشن کروایا جائے۔ پالیٹکل پارٹیز کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس کے لئے رجسٹریشن کروایا جائے۔ اگر رجسٹریشن کروایا جائے۔ تو پھر آپ ایسی سختیاں برتتے ہیں اور اتنی اس کے اندر باریکیاں نکالتے ہیں اتنے آبجیکشن ہوتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی پارٹی کو رجسٹریشن کروانا۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو ختم کریں اور آسانی کے ساتھ رجسٹریشن کرانے کی آسانی مہیا کریں تو اس بات کو مانا جا سکتا ہے۔

آپ نے یہ بھی کہا سیکولرازم اور کمیونلزم نہیں آنا چاہیئے ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سیکولرازم اور کمیونلزم کیا ہے ۔ یہ عجیب وغریب بات پورے ہندوستان میں دیکھئے ہو رہی ہے ۔ میں آندھرا پردیش میں کہوں گا کہ اگر ریڈی آتے ہیں تو پورے ریڈیوں کو نوکری میں ترقی دی جاتی ہے ۔ آندھرا میں کماون کا زور ہوا ۔ آپ دیکھئے چھ جونیئر ہیں لیکن چھ جونیئرس ہونے کے بعد بھی ایک آدمی کو ترقی دے دی گئی ۔ ڈی جی وی بن گیا ۔ تو سیکولرازم اور کمیونلزم ۔ اب تو یہ بات کرنا بیکار ہے ۔ آج ٹی وی پر

دیکھئے کیا آپ ٹی وی دیکھنے کے بعد سیکولرازم کی بات کر سکتے ہیں ۔ کیا کوئی افتتاح ہو رہا ہے ۔ ناریل پھوڑا جا رہا ہے ۔ پوجا ہو رہی ہے ۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ سیکولرازم کی بات کر سکتے ہیں ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشن کی گفتگو کرنا چھوڑ دیں ۔ حقیقت کی دنیا میں آئیں اگر ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں ۔ تو ہم انصاف کی بات کریں ۔ ورنہ سیکوازم کی باتیں کرنے سے کوئی ہماری باتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو گا ۔

میں پھر یہی کہوں گا ۔ کہ ڈی لیمٹیشن دوبارہ ہو اور اس طریقے سے بنایا جائے ۔ جس میں خرچ کم ہو ۔ آپ اندازہ کیجئے ۔ کانسٹی چوینسی بنائی جاتی ہے ۔ میں خود حیدرآباد کی مثال دیتا ہوں ۔ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں پیسہ کم صرف ہو ۔ حیدرآباد کے اندر ہی ایک حیدرآباد کی کانسٹی چوینسی نام رکھ دیا جاتا ہے ۔ لیکن اس کانسٹی چوینسی کو پھیلایا جاتا ہے ۔ تانڈور سے ستر میل تک کیونکہ دوسرا آنے نہ پائے ۔ خود تو آ نہیں پائیں گے ۔ دوسری

حیدرآباد کی کانسٹی چوینسی کا نام رکھا جاتا ہے۔ ملک پیٹ حیدرآباد لیکن کانسٹی چوینسی جاتی ہے نال گونڈہ ستر میل تک دو ٹکڑے کئے جاتے ہیں۔ کیوں کیے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں آسکتے ہیں۔ تو اس کانسٹی چوینسی کو اس طرح توڑ دیا جاتا ہے۔ تو ڈی لمیٹیشن جو ہوگا اس میں بھی تمام چیزیں رکھی جائیں۔ اور اس چیز کو دیکھا جائے کہ کانسٹی چوینسی ایسی بنائی جائے تاکہ پیسہ کم صرف ہو لیکن یہاں یہ عالم ہے کہ ہر چیز اپنے مفاد کے لئے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سیکوازم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ایک عجیب و غریب سوالیہ نشان بن کر سامنے آتا ہے۔

پھر اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں،

آج جہاں آپ ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لئے بھی آپ ریزرویشن رکھئے۔ جب آپ ہریجنوں کے لئے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لئے کیوں نہیں۔ یا تو آپ متواتر پوری نمائندگی دیجئے۔ یہی نہیں تو پھر آپ ریزرویشن رکھئے۔ ورنہ اس سے سیکولرازم متاثر ہوگیا۔

چیئرمین صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا۔

200. म. प.

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, इस सदन में माननीय विधि मंत्री द्वारा जो दो संशोधन विधेयक लाए गए हैं जिनमें चुनाव में मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, सबसे पहले मैं उसका समर्थन करता हूं।

कल इस पर चर्चा के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिए, उनको सुनकर मैं आजीबोगरीब ख्याल में था, क्योंकि इस सदन के रूप में बैठता हूं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के विचारों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि स्वतन्त्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। स्वतंत्र उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के लिए यह व्यवस्था की जाए कि उनकी सिक्योरिटी 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार हों।

मैं अभी भी विरोधी पक्ष में बैठा हूं। मुझे कुछ उम्मीदें जरूर थी। आज श्री इन्द्रजीत गुप्त जब बोल रहे थे तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने हमारी बात और आवाज सुनी है। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि चाहे सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हो या विपक्ष का, जो भी चुनाव में लड़ते हैं और जिनकी जमानतें जब्त होती हैं, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। मैं स्वयं 1980 के चुनाव में टीचर्स ट्रेनिंग छोड़कर इन्डीपेंडेंट के रूप लड़ा था और 45 हजार वोटों से जीता था। जितने भी दूसरे कैंडीडेट्स थे, सत्ता पक्ष के या दूसरे सभी की जमानतें जप्त हुई।

जहां आपने अपराधों की बात कही हैं, आपको स्मरण होगा कि पूर्व में श्रीमती इन्दिरा गांधी पर भी शाह कमीशन और अनेकों कमीशन बिठाए गए और उनको भी जेल की सलाखों में बन्द किया गया। बाद में मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो इन पर एलीगेशन लगाए हैं, वे सत्य से परे हैं। इसी सदन में जार्ज फर्नान्डीज भी जनता पार्टी से आए थे जिनको उस समय के सत्ता पक्ष ने कहा कि उनके साथ बेइन्साफी हुई थी। जार्ज भी जेल की सलाखों से जीत कर आए थे और यहां कहा गया कि जनता की अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित किया है इसलिए जो केस उनके खिलाफ थे उनको वापिस कर दिया जाए।

मैं भी जेल की सलाखों में ही जीता हूं। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है और उस समय के अखबारों ने एक स्तर से लिखा कि काली पाण्डेय को निर्दोष फंसाया गया है। उस समय मिश्रा जी की गवर्नमेंट थी, मैंने पिपरा में हुई करोड़ों रुपए के घपले का पर्दाफाश किया था। मुझ पर उस समय दबाव डाला गया कि मि. पांडेय यह स्टेटमेंट विदड्रा कर लो। मैंने विद ड्रा नहीं किया, नतीजा यह हुआ कि मुझ पर आई. पी. सी. की धारा 302 के अन्दर, हालांकि मैं उस समय पटना में था, लेकिन मुझ पर मुकदमा चलाया गया, मैंने हर कोशिश की, लेकिन जेल की सलाखों से मुझे निकलने नहीं दिया गया। मैंने जेल के अन्दर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और आज मैं इस सदन की अपोजिशन बेंच पर बैठा हूं, मैं सबसे अधिक वोटों से जीता था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी उम्मीदवारों की मैंने जमानतें जप्त कराई। आज इन्साफ क्या है ? अगर इन्साफ में कोई सत्य की भीख मांगे तो उसके लिए जेल है। अगर कोई सत्य से परे जाए तो उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है।

आपने इस बिल में जो अपराध की धारा का उल्लेख किया है। मैं विधि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कैसे प्रमाणित करेंगे कि किसी ने आई. पी. सी. की धारा 376, जिसको आपने

इस विधेयक में मूल रूप से रखा है, खिलाफ काम किया है, और वह चुनाव में लड़ने की कोशिश करता है। और उस चुनाव लड़ने से पहले अगर उस पर कोई केस कर देता है तो क्या आप उसे चुनाव लड़ने से वंचित कर देंगे ?

मैं सभी के भाषण सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी ने भी स्वतन्त्र उम्मीदवारों के बारे में विचार किया है लेकिन उन्होंने तो कम से कम स्वन्तन्त्र उम्मीदवारों को बख्शा है। स्वतन्त्र उम्मीदवारों की परिभाषा में कुल बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्वतन्त्र उम्मीदवार चुनाव में पैसों के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा लेकिन बहुत से ऐसे अपोजिशन दल के भी मेम्बर हैं, मैंने अपने चुनाव में देखा है कि जाँत-पात की प्रथा कोई भी पार्टी चुनाव में टिकट देने के समय में खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकती है आप जात पात की खाई को कम नहीं कर सकते हैं। मैं आरा में रहता हूं लेकिन मुझे चुनाव लड़ने के लिए गोपालगंज में भेजा गया। अगर एक नया एस. पी. जेल में आ जाता है तो उससे जिलेदारी नहीं बनती है लेकिन अगर आप जाति के नाम पर किसी को भेजते हैं तो मैंने देखा है कि अगर चुनाव पार्टी किसी को रुपया देती है तो कोई भी दल इससे वंचित नहीं है। अगर चुनाव पार्टी रुपया देती है तो हरेक वह चाहता है कि चुनाव में हारने के बाद कम से कम वह रुपया तो हमको मिल जाए। जब तक इन्सान में इन्सानियत की भावना पैदा नहीं होगी तब तक आप चाहे कितने ही बिल क्यों न ले आयें या कितना ही प्रचार क्यों कर लें, इस बिल का असर आम नागरिकों और देहातों पर नहीं पड़ेगा।

अगर आप राज्यों में चुनाव निष्पक्ष तरीके से करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार दीजिए। जिस राज्य में जिस पार्टी की सत्ता होगी वहां चुनाव मे धांधली निश्चित रुप से होगी।

कल बहुत से सदस्यों ने आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों पर आरोप लगाए, देखने में यह आया है कि अगर ये अधिकारी बात नही मानते हैं तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि स्वतंत्र उम्मीदवारों की जो भूमिका है उस पर पाबन्दी नहीं लगाई जाए। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : माननीय सभापति महोदया, हम इस बिल का काफी अर्से से इन्तजार कर रहे थे। हमारी सरकार की बड़ी मेहरबानी है जो कि ऐसा बिल पार्लियामेंट में लेकर आई। आजादी के बाद हमने गरीब आदमियों को वोट देने का अधिकार दिया लेकिन वह इसके द्वारा अपनी मर्जी से किसी को वोट नहीं दे पाते थे। अब इस बिल के द्वारा गरीब हरिजन अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे सकेंगे।

मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। पिछले दिनों फरीदाबाद में लोक सभा के चुनाव हुए। वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी ड्यूटी लगाई गई और यह ड्यूटी पलवल में लगाई गई। मैं कांग्रेस दफ्तर में बैठ गया और वहां अपने वर्कर्स को इकट्ठा किया। थोड़े दिनों के बाद 100 गज के फासले पर लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सौ डेढ़ सौ गुंडे इकट्टे हो गए। मेरे वर्कर्स ने मुझे बताया कि जब इतने गुंडे वहां इकट्ठे हैं तो इलेक्शन कैसे कामयाब होगा और गरीब

आदमी कैसे वोट दे सकेगा। मैं वहां गया और पुलिस से व ए. पी. आदि से बात की व सारी बात की उनको जानकारी दी। एस. पी. ने मुझे कहा कि वहां किसी किस्म का गड़बड़ नहीं हो सकती है और अगर गड़बड़ होगी तो उसका मैं जिम्मेवार होऊंगा। इस पर मैं भी शान्त होकर अपने दफ्तर में बैठ गया। दो मिनट के बाद ही हमारे दफ्तर के आगे जो कारें व जीपें खड़ी थी उन सबकी गुंडों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने फायरिंग करनी भी शुरू की। मैं अपने दफ्तर से बाहर निकला। उन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा और मेरे ऊपर गोली मारी। आप तो जानते ही हैं कि मैं 17 जून को अस्पताल में था और प्रधान मंत्री मुझे देखने भी नहीं आए थे। गोली लगने से मेरी दोनों टांगें टूट गई। कहने को तो डेमोक्रेसी है लेकिन फिर भी यह सब देखने को मिलता है। एक संसद-सदस्य की टांग पर से खून बह रहा था लेकिन कोई आदमी भी उसको उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे साथी श्री भजन लाल और सुल्तान सिंह ने मुझे उठाया और अस्पताल ले गए। जहां इस किस्म की चीजें हों वहां इलेक्शन कैसे ठीक-ठाक हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर फरीदाबाद के अन्दर बूथ कैप्चरिंग नहीं होती तो फरीदाबाद की सीट पर हम बड़ी आसानी से जीत सकते थे लेकिन वहां पर ऐसी चीजें हुई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पोलिंग के टाइम पर किसी आदमी के पास कहीं भी कोई हथियार न हो, उनके पास लाठी भी न हो, क्योंकि लाठी के जरिये से वह लोगों को डराते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इलैक्शन सुधारों का यह बिल पास होने से गरीब आदमियों पर बड़ी मेहरबानी होगी।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं। इस जुल्म का सबसे ज्यादा शिकार हरिजन होते हैं। अगर वह वोट डाल भी देते है तो वोट डालने के बाद वहां के लैण्ड लार्डस् और बड़े जमींदार उनको खेतों में जाने से रोकते हैं कि तुम हमारे खेतों में नहीं जा सकते, तुमने वोट हमारी मर्जी के खिलाफ दिया है। हमारे खेतों में तुम घास नहीं खोद सकते, कुछ नहीं कर सकते हमारे खेतों में तुम पानी नहीं दे सकते तो बताइए फिर आपकी यही डेमोक्रेसी रह गई है? यह तो प्रधान मंत्री जी की मेहरबानी है कि वह ऐसा बिल यहां पार्लियामेंट के अन्दर लाए।

इसके साथ ही एक दूसरी बात और अर्ज करना चाहता हूं कि इलैक्शन जो होंगे, अगर वह गैरजानिबदाराना हो गए तो मैं समझता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो गरीबों की पार्टी है, जिससे सारे गरीब आदमी जिन्दा हैं, अगर आज कांग्रेस हार गई तो गरीबों को खत्म कर देंगे। खास तौर से हम हरियाणा गवर्नमेंट के मुताल्लिक रोज सुनते हैं, कितनी लड़कियों पर रेप करते हैं, हमारे आदमियों को मारते हैं, लड़कियों को मारते हैं, झूठे केस बनाते हैं, उनको खत्म करते है, गोली चलाते हैं, अगर ऐसी बात हमारी हरियाणा गवर्नमेंट के अन्दर चल गई तो हमें कौन बख्शेगा? कोई नहीं बख्श सकता। जहां एक पार्लियामेंट के मेम्बर को मार सकते हैं वहां गरीब आदमी को कौन बचा सकता है, आप मुझे बताइए? मैं बहुत धन्यवादी हूं अपने प्रधान मंत्री जी का और साथ-साथ भगत जी का, जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट के अन्दर लाकर गरीब आदमी पर बहुत बड़ा अहसान किया है और गरीब आदमी की आजादी को बहाल रखा है।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : महोदया, मैं इन दो विधेयकों का स्वागत करता हूं। प्रधान मंत्री ने यह विधेयक लाकर राष्ट्र के प्रति अपने आश्वासनों को पूरा किया है। उन्होंने राष्ट्र को आश्वासन दिया था कि वह व्यापक चुनाव सुधार लाएंगे और यह विधेयक बहुत मेहनत, एवं अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श और चर्चा करने के पश्चात् ही लाए गए हैं। जैसा कि मेरे

मित्रों ने पहले ही कहा है कि ये उपाय सही दिशा में किए गए हैं और यह उपाय क्रांतिकारी तथा ऐतिहासिक हैं।

उदाहरण के तौर पर, मतदान के लिए आयु घटाने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार को लोकतन्त्र, युवा शक्ति और जनता पर काफी विश्वास है। युवाओं को चुनाव प्रक्रिया में लाने से हम युवाओं को शिक्षा, खेलकूद और रोजगार आदि जैसी राष्ट्र की नीतियों में भाग लेने का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं तथा हमारे विचार और योजना में इन सब चीजों को प्राथमिकता प्राप्त होगी।

अगले बारह वर्षों के दौरान नई पीढ़ी पूरी तरह अग्रणी स्थान ले लेगी। हमने एक युवा को इस राष्ट्र के नेतृत्व के लिए चुना हैं। पाकिस्तान और भारत ने रास्ता दिखाया है। अतः यह निर्णय विश्व की धारणा के अनुकूल है और मैं आशा करता हूँ कि जिन सिद्धान्तों ने हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों का मार्गदर्शन किया था वही सिद्धान्त हमारे युवाओं को संविधान में बताए गए उन लक्ष्यों को पूरा करने तथा उनके अनुसार देश की नीतियों का निर्धारण करने के लिए प्रेरित करेंगे।

150 चुनींदा संवेदनशील क्षेत्रों में यंत्र (मशीन) द्वारा मतदान करना एक ठीक कदम है और इससे मतदान केन्द्र पर कब्जा तथा नकली मतदान रोका जा सकेगा। यह एक प्रयोग के रूप में किया जा रहा है। इससे पूर्व बिहार के एक चुनाव क्षेत्र में भी ऐसा प्रयास किया गया था और यह ठीक तरह से चला था।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक में मतदान केन्द्र पर अवैध कब्जा करने को अपराध माना गया है। चुनाव केन्द्र पर अवैध कब्जा करने को पहली बार एक दण्डनीय अपराध और कदाचार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को भी इसके अन्तर्गत लाया गया है क्योंकि अनेक बार हम देखते हैं कि अधिकारी भी न केवल अनदेखी करते हैं अपितु वस्तुतः जाली मतदान में दलों से सांठ-गांठ भी करते हैं। अतः यह एक अत्यन्त स्तुत्य व्यवस्था है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने कहा था कि बहुउद्देश्यीय परिचय-पत्र आरंभ करने को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया है और ब्यौरा तैयार किया जाना है। उपसभापति महोदया, मैं यह सुझाव देता हूँ कि आरंभ में हमें बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र कम से कम शहरी क्षेत्रों में अवश्य आरम्भ करने चाहिएं जहां हमारे चुनाव एजेंट सभी मतदाताओं को नहीं जानते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में जाली मतदान और प्रतिरूपण भी रोकने के लिए अच्छा उपाय होगा और हमें यह काम आरम्भ करना चाहिए। हमारे लिए ऐसा करना कठिन नहीं होना चाहिए। चुनाव से पूर्व पाकिस्तान सरकार ने पहचान-पत्र जारी करने का निश्चय किया था और उन्होंने ऐसा कर लिया था। अतः हमारे लिए इस प्रणाली को अपनाना और शहरी क्षेत्रों में तो इसे लागू करना ज्यादा कठिन नहीं होगा। श्री गाडगिल ने हमें कल बताया था कि इस पर 450 करोड़ रुपए की लागत आती है। यह बहुत अधिक रकम है। अतः हमें यह चयनात्मक आधार पर आरंभ करना चाहिए और आरंभ में शहरी क्षेत्रों में आरंभ करना चाहिए।

मैं यह सुझाव भी देता हूँ कि चुनाव अधिकारियों को सशस्त्र अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएं। यदि आपको उन्हें अपराधियों के भय से मुक्त रखना है, तब यह आवश्यक है कि आप उन्हें सशस्त्र अंगरक्षक उपलब्ध करें।

महोदया, हमने पहली बार धारा 8 के अन्तर्गत अपराधों के कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया है जिसके अन्तर्गत अपराधी ठहराए जाने पर अयोग्य माना जाएगा और इसमें सामाजिक अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है।

अब हमें गैर-जिम्मेदवार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। श्री पाटिल ने एक सुझाव दिया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमानत राशि की सीमा को बढ़ाकर क्रमश: 20 हजार और 10 हजार कर दिया जाना चाहिए और मैं उनके सुझाव का समर्थन करता हूँ। जहां तक व्यय को सीमित करने का सम्बन्ध है धन शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह समझा जाता है कि व्यय की सीमा निर्धारित करने से व्यय सीमित हो जाएगा। हमारा अनुभव यह है कि हम कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत खर्च नहीं करते और हममें से अधिकतर लोग—मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता—जाली विवरण प्रस्तुत करते हैं। महोदया, मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें इस खंड को बिलकुल हटा देना चाहिए। हमें विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब हम जाली विवरण प्रस्तुत करने के बाद सदन में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में यह अपराध—भावना होती है कि हम झूठी घोषणा करके अपने कैरियर को आरम्भ कर रहे हैं। इस सदन में वर्ष 1950 में लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम पर बोलते हुए बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने जोरदार शब्दों में यह आग्रह किया था कि व्यय की उच्चतम सीमा को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण झूठे विवरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं और आरम्भ से ही झूठ बोलना पड़ता है।

किसी भी व्यक्ति ने चुनाव याचिकाओं के प्रश्न का उल्लेख नहीं किया है। महोदया, चुनाव याचिका इतना अधिक समय लेती है कि जिस समय उनका निर्णय किया जाता है उस समय तक परिणाम निष्फल हो जाता है। एक ऐसे मामले में भी जिसमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या नामांकन-पत्रों को उचित रूप से स्वीकार किया गया है अथवा अनुचित रूप से स्वीकार किया गया है न्यायालय तर्क-वितर्क सुनने में चार वर्ष अथवा उससे अधिक समय लेता है। इसमें इतना अधिक विलम्ब क्यों होता है? क्या सरकार को इस बारे में किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? चुनाव याचिका का निपटारा समय-सीमा के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए ताकि वह निर्वाचित सदस्यों के लिए खतरा न बने और जिन लोगों को परिणाम से लाभ प्राप्त होना है वे भी निर्णय और फिर उसके लाभ से वंचित न हों। हाल ही में बिहार के एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया है। परन्तु इस बारे में एक याचिका प्रस्तुत की गई है। अब उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी और उन्हें उनके पक्ष में इस निर्णय के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनके मामले अब भी लम्बित पड़े हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : हां, ऐसे उदाहरण भी हैं। सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और चुनाव याचिकाओं को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।

ये मेरे सुझाव हैं और इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और सरकार को बधाई देता हूँ क्योंकि स्वतन्त्र और उचित चुनाव सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपराधी तत्वों से मुक्त करने के लिए वे ठोस कार्यवाही सहित सामने आए हैं।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : सभापति महोदय, जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, वह युवा पीढ़ी को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मुल्क की युवा पीढ़ी को चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार चाहिए था, जो कि सरकार दे रही है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आज यह बिल पास होने जा रहा है तो आज के बाद मुल्क में जो भी चुनाव हों, उसमें युवकों को शामिल किया जाए। इस बारे में राज्य सरकारों को हिदायतें दी जाएं कि इस बिल के पास होने के बाद ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि हर इलैक्शन्स में युवा पीढ़ी भाग ले सकें। आजकल पंजाब में गवर्नर शासन चल रहा है और वहां अभी पंचायत इलैक्शन होने जा रहे हैं। उन पंचायत इलैक्शन को बेशक दो-चार महीने पीछे कर दिया जाए, मगर युवा पीढ़ी को इस इलैक्शन में वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और फिर ये इलैक्शन होने चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पालियामेंट में और एसेम्बली में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं यही प्रणाली गांवों में भी लागू होनी चाहिए। गावों में सरपंच के इलैक्शन सीधे करवा दिए जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यों को ये हिदायत दी जानी चाहिए इलैक्शन कमीशन की तरफ से, कि चुनाव का पैट्रन एक होना चाहिए और गांवो में सरपंच का इलैक्शन सीधे न होकर बल्कि मेम्बरों के द्वारा होना चाहिए।

आपने जो दूसरा बिल प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर थोड़ी-सी शंका हो रही है। पार्टियों का रजिस्ट्रेशन महज एक बहाना है। सरकार को जैसा ठीक लगेगा, वैसा करेगी। पीछे सरकार द्वारा एन्टी डिफैक्शन बिल लाया गया था। रूलिंग पार्टी को ठीक लगा वैसा किया गया मैं आपको पालियामेंट की मिसाल देता हूं, यदि कोई रूलिंग पार्टी में आए तो ठीक है, आ सकते हैं और यदि अपोजीशन में जाए तो बाहर कर दिया जाता है, अनअटैच कर दिया जाता है। मैं आपको अपनी ही मिसाल देना चाहता हूं। हम लोगों ने चार महीने पहले एक सैप्रेट पार्टी बना ली और सात में से पांच उसमें चले गए तथा पालियामेंट के द्वारा हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया। सात महीने बाद किसी और प्रैजीडेंट के नाम पर एक लेटर ला दिया गया और हमें अनअटैच कर दिया गया। अगर कांग्रेस-एस हो जो अनअटैच है और यदि कोई कांग्रेस में आना चाहे तो आ सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो बिल लाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के बारे में वह माइनोरिटी कम्यूनिटीज को, चाहे सिक्ख हो और चाहे मुसलमान हो, दबाने के लिए लाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कानून सबके लिए एक हो। कहीं उसके डिस्क्रशन पर न छोड़ें कि अगर वह ऐसा चाहेंगे या ऐसा लिखेंगे, तब यह होगा। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

2.25 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं आखरी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। ये जो वोटर्स लिस्ट्स बनती है और अभी जो वोटर्स लिस्ट्स बनेंगी मुल्क में, उनके घरों के नम्बर वगैरह का चक्कर नहीं होना चाहिए। जो हिन्दुस्तान का शहरी है भले ही वह झोंपड़ी में रहता हो या झुग्गी में रहता हो, म्यूनिसपल कमेटी का नम्बर हो या न हो, उसका नाम वोटर्स-लिस्ट में होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वोटर्स-लिस्ट्स दो महीने पहले गांव में सरपंच के पास, नम्बरदार के पास पहुंच जानी

चाहिए ताकि जिसका नाम उसमें न हो, वह उसमें आ सके। डिप्टी स्पीकर साहब, होता यह है कि जो रूलिंग पार्टी में होता है, वह वहां पर पैसा देकर नई लिस्ट लेता है और पोलिंग के पर, सेम् के वह लिस्ट लेकर वोट डलवा देता है और जो पहली लिस्ट होती है, वह गांव में पड़ी रहती है। इसकी बहुत-सी मिसालें हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ओरीजिनल लिस्ट में नाम कटे हुए होते हैं।

इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय; मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। मैं केवल दो अथवा तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने स्वतन्त्र और उचित रूप से चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में सम्मिलित कुछ उपायों जैसे मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने को रोकने और उसके लिए निवारक सजा और साथ ही कुछ चुनाव क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन आरम्भ करने की प्रशंसा की है। उन दोनों उपायों से जाली मतदान नहीं रुकेगा। मैं अपने वरिष्ठ विद्वान् सहयोगी श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह की बात से सहमत हूं जिन्होंने अभी-अभी भाषण दिया है। यह एक वास्तविकता है कि बड़े शहरों अथवा कस्बों में हम जाली वोट डालने वालों को रोकने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मतदान सहायक अधिकारी भी उन सैकड़ों व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सकते जो मतदान करने आते हैं और यदि कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो उसे मतदान करने का अधिकार होता है। अतः मेरा निवेदन यह है—आपकी ए.आई.सी.सी. (आई) ने भी यह सिफारिश की है कि आप बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र जारी कीजिए। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस बारे में शुरुआत की जाएगी। यह एक अच्छी बात है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आखिरकार वही बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र संसदीय चुनावों, विधान सभा चुनावों और स्थानीय संस्थाओं के चुनावों के लिए लाभकारी होंगे। अतः यह भार पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा ही वहन नहीं किया जाना चाहिए। आप आधे खर्चे को वहन कीजिए और आधे खर्चे को राज्य सरकार पर डाल दीजिए। ऐसा इसलिए कीजिए क्योंकि एक बार पहचान-पत्र जारी करने पर वे अन्य तीन अथवा चार चुनावों के लिए काम में आयेंगे। उनसे बहुत सहायता मिलेगी। कुछ देशों में जहां ये बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र दिए जाते हैं वहां वे बहुत उपयोगी होते हैं। ये पहचान-पत्र पांच साल में एक बार होने वाले चुनावों में ही उपयोगी नहीं होंगे अपितु वे किसानों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी उपयोगी होंगे। उन्हें कुछ प्रमाण-पत्र लेने के लिए गांव के सरनाम अथवा पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पहचान-पत्र उन्हें ऋण प्राप्त करने में सहायता देंगे। आप कृपया इस बारे में कार्यवाही कीजिए। आपने दिल्ली में एशियाड आयोजित करने में बहुत धन खर्च किया है और अब आप श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना पर बहुत-सा धन खर्च कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप उन पर कितना धन खर्च कर रहे हैं। मुझे यह बताया गया है कि उस सेना पर प्रति दिन एक करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में पहचान-पत्रों के लाभों पर विचार करते हुए पहचान-पत्रों पर खर्च किया जाने वाला धन अधिक नहीं होगा।

जाली वोट डाले जाने को कम करने के लिए आपने वर्तमान विधेयक में दाण्डिक उपबन्ध सम्मिलित नहीं किए हैं। हमने एक सप्ताह को जेल अथवा 500 रुपये जुर्माने की सजा का सुझाव दिया है। अन्यथा आप इन अपराधों को कम नहीं कर सकते।

एक अन्य मुद्दा जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं चुनाव के समय सरकार द्वारा स्वनिर्णय से अनुदानों के वितरण के बारे मे है। इसे भी कदाचार की परिभाषा में सम्मिलित कर लेना चाहिए। पहले चुनाव आयोग ने भी ऐसे एक उपबन्ध की सिफारिश की है।

ऐसा हुआ कि नागालैंड विधान सभा के चुनावों की घोषणा से कुछ समय पहले प्रधान मंत्री महोदय ने चुनावों से पहले यह घोषणा की कि राज्य के योजना व्यय को 210 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है और 90 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। चुनावों से कुछ समय पहले हो इस प्रकार मतदाताओं को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। अतः इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि आपने खंड 5 में यह कहा है कि राज्य तंत्र को चुनाव आयोग के नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। यह बात ठीक है, परन्तु यदि आप इस बारे में ईमानदार हैं कि इस तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए तो आप इस बात के लिए सहमत क्यों नहीं है कि चुनावों के दौरान दूर-दर्शन और आकाशवाणी को भी चुनाव आयोग के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए ? वर्ष 1977 में जनता सरकार के सत्ता में आने से पहले केवल सत्तारूढ़ दल ही इन समस्याओं की सभी सुविधाओं का उपयोग कर रहा था। जनता सरकार के अस्तित्व में आने के बाद ही स्थिति में परिवर्तन हुआ है और अन्य दलों को भी आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन की सुविधायें प्राप्त हुई हैं। अब भी यही प्रणाली जारी है। परन्तु अब भी आप दूर-दर्शन जैसे प्रचार माध्यम शक्तिशाली के सबसे बड़े भाग का उपयोग कर रहे हैं। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन दोनो प्रचार-माध्यमों अर्थात् आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन को भी चुनाव के समय चुनाव आयोग के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : इस युग प्रवर्तक विधेयक, जिसे पुरःस्थापित किया गया है और जिसे पारित किया जा रहा है ये मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। मैं सरकार की ईमानदारी की सराहना करता हूं और मेरे विचार में यह विधेयक हमारे देश के पूरे प्रजातांत्रिक माहौल को क्रांतिमय बना देगा। युवा पीढ़ी को हमारे राजनैतिक जीवन में मुख्य भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्हें इस विधेयक के बारे में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे मैं यह महसूस करता हूं कि हम वास्तव में 21 वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं।

भारतीय प्रजातन्त्र काल की कसौटी पर खरा आता है। मेरे विचार में भारतीय प्रजातन्त्र के कारण ही पाकिस्तान में प्रजातन्त्र का पुनर्जन्म सम्भव हुआ है, तथा यह इसलिए ही सम्भव हो हो सका क्योंकि भारतीय प्रजातन्त्र का प्रभाव हमारे निकट पड़ोसी देश पर पड़ा, अर्थात पाकिस्तान पर जहां के लोगों ने पिछले 11 वर्षों तक दुःख झेले। मुझे याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के दिवंगत प्रधानमंत्री ने भी अपनी पुस्तक 'एफ. आई. एम. एसेसीनेटिड' में भारतीय प्रजातन्त्र की महानता का उल्लेख किया है। जब वह जेल में थे उस समय उन्होंने पाकिस्तान में तानाशाही पर भारतीय प्रजातन्त्र को तरजीह दी थी।

इस देश में बहुत से तनाव है। दुर्भाग्यवश बहुत क्षेत्रा में लोगों ने प्रजातन्त्र की भावना खोदी है। इस संबंध मे मैं कश्मीर का उल्लेख करता हूं। 1953 से लेकर 22 वर्षों तक दुर्भाग्यवश वहां बहुत घटनायें हुई जिनसे चुनाव में निष्पक्षता नही बरती गयः और इस अवधि में बहुत सी सरकारें सत्ता में आई। उनमें लोगों की भागीदारी नहीं थी। 1975 के बाद जब शेख साहेब इन्दिरा गांधी समझौता हुआ तो कश्मीर में लोगों ने एक नई भूमिका अदा की। उन्होंने महसूस किया कि वे इस महान देश का एक अंग हैं।

यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस सीमावर्ती क्षेत्रों में केवल प्रजातन्त्र ही समाधान है। कभी हम बहुत समस्याओं के समाधान की बात कहते हैं परन्तु जनता की भागीदारी के सिवाय उन समस्याओं का कोई समाधान नही मिलता। इसलिए जब हम राजनैतिक समाधान की बात सोचते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि चुनाव द्वारा लोगों को भागीदारी द्वारा ही हम समधान खोज सकते हैं। कभी-कभी राज्य में अलग तथा केन्द्र में अलग सत्तारूढ़ दल हो सकते हैं। सत्तारूढ़ दल हमेशा यह सोचता है कि राज्य में शासन करना भी उसका अधिकार है और येन-केन प्रकारेन उसे राज्य में सत्ता मे आना चाहिए। यह बात राष्ट्रीय हित में है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में निष्पक्ष मतदान हो। विशेष तौर पर मैं जम्मू और कश्मीर का जिक्र करता हूं. जहां हमें बहुत सावधानी पूर्वक यह देखना चाहिए कि भविष्य में जनता के समर्थन से कोई भी व्यक्ति सत्ता में आये हम उसे प्रोत्साहित करें। जब हमने लोगों को 1953 से 1975 तक केन्द्र से बाहर कर दिया था तो हमने देखा है कि इससे कई समस्याएं पैदा हो गई थी। लोगों के मन में एकता की कोई भावना नहीं थी। राष्ट्र जानता है कि इस राज्य में हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए : चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों परन्तु वे देश की अखण्डता मे विश्वास रखते हैं।

चुनाव के समय राजनैतिक दल के जो वायदे करते है उनके सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी. चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दल लोगों को उनके विकास के लिए उनका भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए, उन्हें रोजगार देने इत्यादि के लिए बड़े अच्छे वायदे करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश जब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होती है तो उन वायदों को कार्यरूप नहीं दिया जाता। इसलिए सभा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और कानून में इस प्रकार सशोधन किया जाना चाहिए कि जब उन वायदों को उस राजनैतिक दल विशेष के आगे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। अत: इन राजनैतिक दलों जो चुनाव के समय लोगों से किए गए वायदों को कार्यरूप नहीं देते हैं, को भविष्य में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : दिन के अन्त में मैं नहीं जानता कि मुझे इस बारे में क्या कहना चाहिए। परन्तु मेरे बहुत विपक्षी मित्रों ने एक बात की ओर बहुत इंगित किया है, वह हमारी चुनाव प्रक्रिया में धनशक्ति की भूमिका से सम्बन्धित हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें उड़ीसा में शामिल है।

श्री बृजमोहन महन्ती : उड़ीसा इससे बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं कि उड़ीसा सांप्रदायिक तनाव जाति संबंधी धारणाओं मतदान केन्द्रों पर कब्जे से मुक्त है, इन सभी समस्याओं से

मुक्त है। चुनाव प्रणाली की सफलता के लिए हमें सभी राजनैतिक दलों का पुनर्गठन करना होगा। यदि राजनैतिक दलों का पुनर्गठन नहीं किया जाता है और वे इसका समर्थन नहीं करते हैं तो मेरा विचार है यह है कि यदि सभी वैधानिक उपायों को कार्यरूप देने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। राजनैतिक दलों के पुनर्गठन की प्रणाली में सुधार करने हेतु प्रयास करने के लिए मैं कानून मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं।

जहां तक खातों के रख रखाव का सम्बन्ध है यह इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसका कारण सभी को मालूम है। राजनैतिक दल विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ना ही तो उनके पास दल का कार्यालय होता है और नाहीं कोई खाते लिखने वाला होता है। इसलिए चन्दे के रूप में जमा की गई सारी नकदी किसी के जेब में चली जाती है, यह वास्तविकता है। चाहे यह कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय कम्युनिस्ट हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो अथवा चाहे कोई भी राजनैतिक दल हो, उनके अपने खाते होते हैं। मैं कल से वाद-विवाद सुन रहा हूं। आयकर अधिनियम की धारा 13 (क) पर कोई तीखी प्रति- क्रिया हुई है जिसमे राजनैतिक दलों को अपने आय के खाते में चन्दा शामिल करने की अनुमति दी गई है। फिर कम्पनी अधिनियम की धारा 293 (क) के प्रति भी कोई तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है, सभी सीमायें जानते हैं। हमें इस प्रणाली को सफल बनाना है देश के अन्दर सक्रिय विखण्डनकारी ताकतों के बारे में मेरे दोस्त पहले ही बहुत कह चुके हैं। हमें इस उद्देश्य हेतु संगठित बल संस्कृति तैयार करनी होगी यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रयोग चलरहा है ऐसा नहीं है कि यह सौ फीसदी परिपूर्ण विधेयक है मैं यह नहीं कहता यह एक परिपूर्ण विधेयक है और ना ही यह प्रक्रिया बन्द हुई है यहां यह एक लम्बी प्रक्रिया है अब मैं सभा का ध्यान शताब्दी समारोह में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने मार्ग निर्देश दिए हैं। हमें उन्हें बधाई देनी होगी क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पृष्ठ 35 पर यह कहा गया है:

> "देश के गरीबों की सेवा करने वाली राजनीति की आवश्यकता है। देश को ऐसी राजनीति की आवश्यता है जो विचारधारा और कार्यक्रमों पर आधारित हो। ऐसा करने के लिए हमें राजनैतिक दलों और निहित स्वार्थों के बीच सम्बन्धों को तोड़ना होगा। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हम चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। चन्दे के रूप में प्राप्त धनराशियों के लिए राजनैतिक दलों को जिम्मेदार ठहरायेंगे। हम उनके विरुद्ध एक सैद्धान्तिक युद्ध लड़ेंगे जो जाति और धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण करते हैं।"

दूसरी बात। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसकी ओर इशारा किया है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमें इसके बारे में कृत संकल्प होना चाहिए। उनका कहना है कि यह एक बहुसंख्यक समाज है; स्वाभाविक है कि इस देश में एक राजनैतिक दल स्वतन्त्र उद्यम स्थापित करने के लिए बाध्य है। क्या हमें इसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने देना चाहिए अथवा नहीं? मैं यह निवेदन करता हूं कि हमें इसे चुनाव मे भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो दल स्वतन्त्र उद्यम स्थापित करने की कोशिश करता हो उसे हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए और वास्तव में कोई बिड़ला का उल्लेख कर रहा था—मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं—परन्तु बिड़ला तथा टाटा ने पहले ही राज्य सभा में स्थान पा लिया है। संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से वे पहले ही कर चुके हैं यही कारण है कि मैं कहता हूं कि जहां तक संविधान का सम्बन्ध है इसके

प्रति हमारी निष्ठा के बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और कोई व्यक्ति यदि ऐसा नहीं मानता तो निश्चित रूप से वह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। हम यह नहीं कहते कि उनका इस देश में अस्तित्व ही होगा।

और दूसरी बात, मैं पहले भी कह चुका हूं, यह है कि कुछ नागरिक हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय भाग ले रहे हैं। कोई कनाडा में है, कोई इंगलैंड में है और कोई और कहीं है। क्या उनके नागरिकता के अधिकार जारी रहने चाहियें। इसलिए, ये सभी मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) : यह विधेयक लोक सभा के सत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद लाया गया। सत्तावधि बढ़ाने के बाद इस विधेयक को देर से परिचालित किया गया और इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने इस पर देर से प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

प्रो. मधुदण्डवते : इसे दूर की समझ कहते हैं।

श्री अमलदत्ता : इस विधेयक की उत्पत्ति जून में हुए उप चुनाव में सरकार की हुई हार विशेषतौर पर इलाहाबाद में हुई हार के कारण हुई है। विपक्ष से वाहवाही प्राप्त करने की अपेक्षा विधेयक में निहित न की गई बातों तथा विधेयक में निहित उपबन्धों, दोनों बातों के लिए सरकार की तीखी आलोचना हुई है। इस विधेयक ने विपक्ष की व्यापक चुनाव सुधारों की आशाओं को चकनाचूर कर दिया है, यह आशाएं जो 1985 में राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार किये गये वायदों बम्बई में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण तथा उनके बार बार व्यापक चुनाव सुधारों के बारे में कहते रहने से जगी थी।

जो विधेयक आज हमारे सामने है अथवा जिस पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं, मैं केवल ऊपरी समस्याओं को लिया गया है और उनको भी पर्याप्त रुप से नहीं लिया गया है।

विपक्ष की मुख्य आशायें एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाने पर लगी हुई है। क्योंकि जैसा कि आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और जैसा कि एक से अधिक वक्ताओं ने दिखा दिया है कि संरचना में लोक इच्छा की छवि नहीं मिलती है।

कांग्रेस दल का अस्तित्व सत्ताधारी दल के रूप में इसी घटक पर निर्भर करता है। अतः मैं नहीं समझता कि कांग्रेस दल जब तक सत्ताधारी दल के रूप में है और अल्पसंख्यकों के मत पर निर्भर है तब तक कोई ऐसा उपाय करेगा जिससे उनका अपना नुकसान हो। वह ऐसा नहीं करेगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई इसकी आलोचना की तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एक दम रद्द कर देते हैं। विपक्ष इसकी मांग करेगा यह इस समय साधारण बहुमत प्रणाली जो हमारे सामने है वह असन्तुलित है, न सिर्फ इसलिये कि यह कांग्रेस दल को हटाएगी न सिर्फ इसलिये कि यह विपक्ष को सत्ता में लाएगी, अपितु इसलिये क्योंकि यही एक प्रणाली है जो कि सीमांत मतदाताओं पर निर्भर नहीं है। साधारण बहुमत प्रणाली में मत एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं जोकि 3 या 4 प्रतिशत होते हैं, और फिर इससे मतदान में दल हार जाता है या फिर जीत जाता है। अतः सीमांत मतदाताओं को पसन्द के अनुसार ही सरकार की नीति निर्धारित की जाती है न कि राष्ट्र के हित में। यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है और इसी कारण हमें

साधारण बहुमत प्रणाली के स्थान पर समानुपात्रिक प्रतिनिधित्व रखनी चाहिये। तथा इस पर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिये। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप इसे अभी करिये या फिर अगले वर्ष करिये। आप इसे राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाईये। यहां तक कि संविधान बनाते समय भी राष्ट्रीय चर्चा नहीं की गयी थी कि प्रतिनिधित्व की कौन सी प्रणाली अपनाई जानी चाहिये। हम सभी चाहते हैं कि राजनैतिक दलों का चुनाव खर्च वहन किया जाना चाहिए तथा सत्तापक्ष के श्री गाडगिल का कहना है कि यदि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के तीन उम्मीदवारों को पांच-पांच लाख रुपये भी दिये जाएं तो 98 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अधिकांश बड़े राज्यों में चुनाव पर खर्च की जाने वाली राशि की सीमा मात्र 1.5 लाख रुपये है। इस तरह से खर्च बहुत ही कम है। इस सरकार के कार्य करने का क्या तरीका है? बहुत सा पैसा इधर-उधर बरबाद किया जा रहा है। यदि यह पैसा इस काम के लिये खर्च किया जाये तो यह राशि कुछ भी नहीं है। यहां तक कि प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये 500 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होती है तथा राज्यों में चुनाव संबंधी दौरों पर एक चुनाव के लिये 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होते हैं। यदि यह पैसा खर्च किया जा सकता है तो 98 करोड़ रुपये कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है जोकि दलों का खर्च वहन करने के लिये मतदाताओं को नहीं दी जा सकती। कांग्रेस यह क्यों नहीं कर सकती और नहीं करेगी इसका वास्तविक कारण यह है कि इससे विपक्ष की स्थिति और अच्छी हो जायेगी तथा पैसों को कमी विपक्ष के लिए रुकावट नहीं बनेगी। और फिर इसका अर्थ हुआ कांग्रेस का विनाश इसलिये वे राज्य द्वारा खर्च वहन किये जाने का विरोध कर रहे हैं।

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने संशोधन विधेयक में भाग लिया तथा निसंकोच भाव से उन्होने अपने विचार व्यक्त किये तथा आज देश में जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुये संशोधन विधेयक की महत्ता को महसूस करने में मदद की। मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इससे संबद्ध अथवा अन्यथा सुझाव दिये।

संशोधन विधेयक के दायरे से बाहर जो मुद्दे सभा में उठाये गये मैं उन पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है तथा सभा ने इन विधेयकों को आज ही पारित करने का फैसला किया है।

महोदय, मैंने अपना राजनैतिक जीवन 1956 में चुनाव लड़ कर प्रारम्भ किया। मैं इसलिये यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से परिस्थितियां बदल गई हैं सत्ता को हड़पने तथा जीतने के लिये किस तरह से बाहरी ताकतें काम कर रही है। 1956 में नगर पालिका चुनाव पर मैंने सिर्फ 82 रुपये खर्च किये थे ··(व्यवधान) महोदय, यह बहुत ही खेद की बात है कि श्री अमल दत्ता ने मेरे द्वारा कही गयी बात की महत्ता नहीं समझी। आप सीधे आये हैं और मैं जानता हूं कि आप कैसे आये हैं। आप क्यों किसी जीवन पर टिप्पणी करते हैं?

1967 में जब मैं पहली बार संसद में आया तो मैंने मात्र 7500 रुपये खर्च किये थे। मैं यह इसलिये बता रहा हूं क्योंकि प्रो. दंडवते जी ने कल एक बहुत ही वैध प्रश्न उठाया था। हम लोग स्वतन्त्रता से पहले भी एक संस्था में साथ-साथ थे ·(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : हम अब साथ-साथ हो सकते हैं यदि आप इस तरफ आ जायें।

श्री बी. शंकरानन्द : यदि आप इस तरफ हमारे साथ आ जाएं तो वही बात हो सकती है, अन्यथा नहीं।

महोदय, यह सभी कार्य सभा स्वतन्त्रता के समय से कर रही है जब यह खंड व्यस्क मताधिकार के लिये रखा गया था। तब संविधान निर्माता प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक अधिकार बिना उसकी आर्थिक परिस्थिति देखे देते थे। एक व्यक्ति, एक मत। चाहे वह करोड़पति हो या झोपड़ी में रहने वाला निर्धन व्यक्ति उसे एक ही मत देने का अधिकार है। स्वतंत्रता पूर्व स्थिति एकदम भिन्न थी। केवल सम्पत्ति के मालिक ही मत दे सकते थे। और जिन लोगों के नाम पर कोई सम्पत्ति नहीं थी वे मत नहीं दे सकते थे। देश का राजनैतिक भविष्य बनाने में उनका कोई अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता के बाद ही हम देश को राजनैतिक, आर्थिक स्वरूप दे पाये हैं। हम हिंसक क्रांतियों से समाज को नहीं बदल सकते। गांधी जी ही थे जिन्होंने देश को अहिंसा की क्रांति से स्वतन्त्रता दिलाई। अब चुनाव प्रक्रिया एक है ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं, समतावादी समाज बना सकते हैं और इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष का हो, वह देश का राजनैतिक भविष्य बनाने में भाग लेने का अधिकारी था देश में प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में फैसला करेगा।

मेरा एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव है, जब राजनैतिक नेताओं से इस विषय पर मैंने चर्चा की थी। प्रधान मंत्री जी के निदेश तथा संसद को किये गये उनके वायदे के अनुसार मैंने राजनैतिक दल के नेताओं के साथ विभिन्न उपायों पर चर्चा की। बहुत ही दिलचस्प चर्चा भी कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा गरीबों को मत देने के अधिकार की बात को छोड़िये, दूरदर्शन पर समय लेने का अधिकार मिलना चाहिये। हम पैसा देने को तैयार हैं। जैसे कि विधायक दूरदर्शन पर समय को खरीद रहे हैं, एक राजनैतिक नेता ने कहा वे समय को खरीदने के इच्छुक थे। इससे पता चलता है कि राजनैतिक दलों के पास कितना पैसा है। मैं सरकार चुनते समय देश पर पैसे के दुष्प्रभाव की बात नहीं कर रहा हूं। और भी बात हैं जो मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव लड़ते समय से अनुभव की थी। 1984 के चुनाव में, भ्रष्ट तरीकों को दूर करने की बात तो एक तरफ रखिये, विपक्षी दल जिसने मेरे विरुद्ध उम्मीदवार को खड़ा किया था, मुझे ही चुनाव से हटाने का फैसला कर लिया था। चुनाव प्रचार के दौरान मुझ पर हमला किया गया उन्होंने सोचा कि "यह व्यक्ति तो निर्धनों की मदद से चुनाव जीत जायेगा, इसे कैसे हराया जाये, इसे खतम ही कर दिया जाये।"

श्री तम्पन थामस : विधेयक में क्या प्रावधान है ?

श्री बी. शंकरानन्द : मैं इसी बात पर आ रहा हूं। इन उपायों को अपनाने से पूर्व आप देश में सामाजिक पद्धति को समझिये। पैसा या शारीरिक शक्ति ही हमारे देश में सबसे ऊपर नहीं है अपितु जातिवाद भी है जो सबसे ऊपर है। ऊंची कही जाने वाली जाति हमेशा ही कमजोर वर्गों पर शासन करती है। वे उन्हें अपनी पसन्द से मत डालने की अनुमति नहीं होती है। अतः केवल पैसा या शारीरिक शक्ति ही नहीं है अपितु सामाजिक प्रणाली भी है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है···

श्री तम्पन थामस : परन्तु प्रधान मंत्री जी ने कुछ और ही कहा है।

श्री वी. शंकरानन्द : मैं आपके राज्य की बात करूंगा। कृपया इन्तजार करिये। साम्प्रदायिक दलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : आपका उनके साथ गठजोड़ है।

श्री वी. शंकरानन्द : जब तक दुर्बल लोग कमजोर मतदाता, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति बनाये गये और दमन किये गये लोगों के पास आवश्यक शक्ति नहीं होगी तब तक स्वतन्त्र रूप से मतदान करना मुश्किल है। यह मात्र भ्रष्ट तरीके ही नहीं हैं अपितु सामाजिक प्रणाली ही निर्वाचन प्रणाली को भ्रष्ट कर रही है। ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए जो इन सब बातों से ऊपर है, हमें देखना है कि वे लोग जिनको दबाया गया है, जिनका दमन किया गया है उन्हें अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। क्या यह हो गया है ? और उस प्रयोजन के लिए, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में, हम इस बात का पता लगा सके हैं कि किस तरह गरीब आदमी, कमजोर आदमी अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए अपने बहुमूल्य अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। के कौन सी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि ये कमजोर वर्ग आगे आए और वोट दे ? ये शक्तियां बड़ी जाति के लोगों की हैं। हो सकता है कि ये लोग गांवों में बहुत ही कम हो, लेकिन यह जाति है जो महत्वपूर्ण है। वे शक्तियां जमीदारों की हैं जिनका कमजोर वर्गों पर आर्थिक प्रभुत्व है। ये शक्तियां राजनीतिक गुण्डे हैं जो किसी भी कीमत पर शक्ति हथियाना चाहते हैं और इस देश पर शासन करना चाहते हैं। यही वे शक्तियां हैं जो देश के सबसे निर्धन वर्गों के लोगों को मतदान केन्द्रों पर आने और वोट देने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। उनके साथ अन्य शक्तियां भी हैं जो बहुत ही समझदारी बहुत ही बुद्धिमानी से चुनाव प्रक्रिया में हेराफेरी करती हैं। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के अलावा मतदान की मुख्य प्रक्रिया में भी हेराफेरी की जाती है। अब ये सभी बातें होती हैं। इन सभी बातों को कैसे रोका जा सकता है यह एक समस्या है। विभिन्न चुनावों में हाल के अनुभव न हमें यह दिखाया है कि ये घृणित शक्तियां अपने सिर उठा रही हैं। वे सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वे इस देश के कल्याण के लिए नहीं बल्कि केवल अपनी खातिर यहां तक कि राष्ट्र के हितों की बलि देकर वे सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं सत्ता में आने के लिए वे ऐसी गतिविधियों अपनाने जिन्हें मैं कहूंगा कि बहुत ही कुण्ठाजन्य और निन्दनीय हैं, अपने राष्ट्र के हितों को बेचने तक को तैयार हैं। यही आज हो रहा है। मैं प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी का धन्यवाद करता हूं कि सभा के समक्ष आज इस प्रकार के उपबन्ध लाकर उन्होंने अपने साहस और विश्वास का परिचय दिया है कि जहां तक संभव हो सके कमजोर व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति जिनमें से अधिकतर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन्हें संरक्षण दिया जा सके। उन्हें शक्ति और साहस मिलना चाहिए क्योंकि लोकतन्त्र में धनवान व्यक्ति और जमींदारों का नहीं बल्कि उन लोगों का विश्वास है। उनका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है। इस देश में निर्धन व्यक्ति के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है क्योंकि उनकी संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। धनी लोगों के लिए लोकतन्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो गरीबी लोगों का शोषण करना चाहते हैं उनकी लोकतन्त्र की परिभाषा पूरी तरह से भिन्न है। उनका लोकतन्त्र उन लोगों के लिए है जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। लोगों के लिए उनकी धारणा पूरी तरह भिन्न है। वास्तविक लोकतन्त्र वह है जो इस देश की राजनीतिक विपत्ति को बनाने में निर्धन लोगों को शक्ति और ताकत दे। इन लोगों के लिए लोकतन्त्र आवश्यक है और लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए शायद ये उपाय आवश्यक हैं।

मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि दोनों पक्षों के नेताओं ने मेरे काम को बहुत आसान बना दिया है, विशेषकर प्रधान मंत्री ने जिन्होंने उस राजनीतिक दर्शनिकता के बारे में बताया है, जिसके लिए हम ये संशोधी विधेयक लाए गए हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि हमें इन संशोधी विधेयकों को इतनी सहजता से नहीं लेना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग सभी ने, जिन्होंने इसके बारे बोला है, इन संशोधी विधेयकों के बारे में कुछ नहीं कहा है आपने इस विषय में हट कर कुछ कहा है जिनका इन विधेयकों से संबंध नहीं है। एक अथवा दो दलों का जिनका वर्तमान चुनावों की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वास्तव में कुछ और ही कहा है और यह सभा जानती है कि वे लोग कौन हैं और उनकी लोकतन्त्र के बारे में क्या कारण है, क्योंकि चुनावों की वर्तमान व्यवस्था में नहीं है। वे लिस्ट सिस्टम (सूची प्रणाली) की बात करते हैं। वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। लेकिन उन लोगों की धारणा राजनीतिक प्रणाली के अपने स्वयं के विचारों तक ही सीमित है···(व्यवधान)

3.00 म. प.

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : क्या मैं जान सकती हूं कि आपकी लोकतन्त्र के बारे में कारण क्या है ? (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, लोकतंत्र के बारे में मेरी परिभाषा आपके पूरी तरह भिन्न है (व्यवधान) इस देश के लोगों की बेइज्जती करने का प्रयास न कीजिए जो यह कहकर हमें इस स्थान पर लाए हैं। वे लोग जो लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं, जिनमें हमारा विश्वास है, वे हमें इस स्थान पर लाए हैं। आप उसे भूल रही हैं। आप उसे भूलिए नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप अल्प मतों से जीतकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अल्पमत और बहुमत वोट के बारे में कहा है। मैं एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं। शायद यह बहुत ही साधारण बात है लेकिन फिर भी जो कुछ मार्क्सवादी सदस्य ने अल्पमत और बहुमत के बारे में कहा है उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाएगा एक बार दौड़ प्रतियोगिता हुई। आपके कितने राजनीतिक दल हैं ? हमारे 7 राष्ट्रीय और 25 राज्य स्तर के दल हैं। 400 मीटर की दौड़ में एक व्यक्ति जो प्रथम आया था उसे प्रथम घोषित किया गया और उसे पदक प्रदान किया गया। तब जो शेष लोग निर्धारित लक्ष्य तक समय पर नहीं पहुंच पाए जो उन्होंने कहा यह क्या है ? हम भी दौड़े हैं और हमने जितना फासला दौड़कर पूरा किया है यदि आप उसे जोड़े तो वह पूरी उस प्रथम आने वाले व्यक्ति की दूरी से कहीं अधिक बैठेगा और वह पदक हमें दिया जाना चाहिए।" यही बात आप कह रहे हैं। क्योंकि हमें 40 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत वोट मिले हैं आप सभी को मिला कर 50 प्रतिशत अथवा 55 प्रतिशत वोट मिले हैं, आप सोचते हैं कि आपको यहां सत्ता में आना चाहिए। आप 1977-79 में आप वह चुके हो और देश ने देखा है कि आपने क्या किया है। आपको सत्ता से हटा दिया गया। कृपया उनके बारे में बात न कीजिए। अब आप पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं ? मेरे मित्र श्री दासमुन्शी और माननीय महिला सदस्य ने आपके लोकतन्त्र के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने प्रो. दंडवते को चुनौती दी है कि वह आये और पश्चिम बंगाल का दौरा करें और स्वयं स्थिति को देखें, ताकि वह जान सकें कि वहां लोकतन्त्र किस प्रकार चल रहा है।

श्री वसुदेव आचार्य : आप स्वयं भी वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने एक बात के बारे में कहा है और वह बात यह है कि उनके अनुसार इस विधेयक में बहुत-सी बातें रह गई है। उन्होंने परिसीमन के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव से पहले परिसीमन आयोग की स्थापना क्यों नहीं की गई है। मैंने इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय अपने भाषण में इसे स्पष्ट कर दिया है। मैंने कहा है यदि आप अब भी परिसीमन आयोग की स्थापना करे तो भी यह व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। आगामी चुनाव से पहले यह आयोग अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा।

इसके अलावा सीटों के बारी-बारी परिवर्तन का सुझाव दिया गया था। प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार मैंने राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया था। बहुत से सदस्यों ने कहा है कि जो सीटें अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों में काफी असंतोष व्याप्त है। उन्होंने वह विचार व्यक्त किया है : लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, "हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं" ? उन्होंने कहा कि इसका उत्तर केवल परिसीमन है; अन्यथा संविधान में संशोधन लाए बिना हम इन सीटों में बारी-बारी से परिवर्तन कर सकते। वह एक भारी समस्या है। शायद सभी इस बात को मानते हैं।

अब मुद्दा बहु-सदस्यता के बारे में है। प्रधान मंत्री ने इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि यह समझा क्या है और उसका हल क्या है। हमने कहा था, यह समस्या आपकी है और हमारी कोई समस्या नहीं है। हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त में पूर्ण विश्वास है। हमारी कोई समस्या नहीं है। ये समस्याएं और सन्देह आप लोगों ने व्यक्त किए हैं। अब मैं इस सभा को सूचित करता हूं कि जब मैंने राजनीतिक नेताओं से विचार-विमर्श किया था, तो सभा ने यह कहा था कि निर्वाचित आयोग को मजबूत किया जाना चाहिए। वास्तव में उन्होंने कहा था कि एक बहु-सदस्यीय आयोग होना चाहिए। लेकिन किसी ने भी वर्तमान निर्वाचन आयोग के कार्यकरण के तरीके में सुधार के बारे में कुछ नहीं कहा। अब, आपने अवश्य ही कुछ सुझाव दिए हैं। लेकिन क्या आप यह नहीं सोचते कि इस संशोधी विधेयक में उसको अधिकार देने के लिए काफी व्यवस्था है। जिससे वह उन लोगों पर अधिकार रख सके जिन्हें चुनाव अवधि के दौरान और मतदाता-सूची तैयार करने के दौरान चुनावों के कार्य के लिए तैनात किया जाता है ? क्या आपने उसे नहीं देखा है ? आपने उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है।

महोदय, साम्प्रदायिक दलो पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में मामला उठाया गया था। प्रधान मंत्री ने इस मुद्दे को भी बहुत स्पष्ट कर दिया था। कोई भी यह नहीं कहेगा "मैं अपने राजनीतिक जीवन में या तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता हूं।" वह कहेगा, "मैं किसी साम्प्रदायिक दल से सम्बन्ध नहीं रखता हूं।" लेकिन अब सभा यह देखेगी कि जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है हम प्रो. दण्डवते और श्री हरुभाई मेहता का धन्यवाद करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने यह संशोधन रखा है और हमने उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया है। हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, मैं इसे अपेक्षित रूप में सरकारी संशोधन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि यह सभा इस बात को मानेगी कि हम यह करने के लिए कितने उत्सुक और इच्छुक है कि ऐसे लोग जिनकी इस सभा में वास्तव में आवश्यकता नहीं है उन्हें चुनाव

लड़ने से वंचित किया जाए और इसी वजह से हमने ये विभिन्न अनर्हताएं रखी हैं। मुझे इन विभिन्न अनर्हताओं के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो उम्मीदवार चुनावों के बारे में गम्भीर नहीं है। उनके बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं। जो उम्मीदवार चुनावों के बारे में गम्भीर नहीं हैं उनको चुनाव लड़ने से रोकने की निश्चित ही एक समस्या है, क्योंकि मेरे मुल निवास बेलगांव मे एक विधान सभा चुनाव के लिए 3000 से भी अधिक उम्मीदवार थे और निर्वाचन आयुक्त के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह देना बहुत ही कठिन हो गया था, सभी प्रकार के जैसे छड़ियां और जूते आदि चुनाव-चिन्ह दिए गए थे, क्योंकि उन्हें और कोई चुनाव-चिन्ह नहीं मिल रहे थे (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ हमें उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कुछ हल ढूंढना होगा जो निर्विघ्न चुनाव प्रक्रिया में सहायता करने की बजाए जटिलताएं पैदा करते है। लेकिन हम ऐसा कैसे करें? इसके लिए यह सुझाव आए हैं कि क्यों न हम जमानत की धनराशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए अथवा 5000 रुपए कर दें।

एक माननीय सदस्य : आप ऐसा कीजिए।

श्री बी. शंकरानन्द : निश्चित रूप से आप कहेंगे 'ऐसा कीजिए'। लेकिन कोई भी ऐसा कहने के लिए खुलकर सामने नहीं आता है। मान लो एक उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ने के बारे में गम्भीर है और वह चुनाव लड़ना चाहता है तथा वह वास्तव में आर्थिक दृष्टि से निर्धन है और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में लोकप्रिय हैं। तो क्या आप इस शर्त के कारण उसे चुनाव लड़ने से रोकना चाहते है ?

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, यह बात स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति जो वोट नहीं प्राप्त कर सकता उसे अवश्य ही जेल में भेज देना चाहिए, उसे कठोर सजा दी जानी चाहिए और उससे एक लाख रुपए जुर्माने के रूप में लिया जाना चाहिए। वह इस देश और लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखने का यही तरीका है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बात पहले कैसे कह सकते हैं ? 70 प्रतिशत वोट प्राप्त करने का प्रश्न तो केवल बाद में ही आएगा। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : वास्तव में मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम इस सभा में जो कुछ भी करें उसे बहुत ही ईमानदारी से करें जिसमें हम निर्धन व्यक्ति को न केवल वोट दें बल्कि लोगों की ओर से उसे स्वयं प्रतिनिधित्व करने का और इस सभा में अपने साथ बैठने का अवसर भी प्रदान करें। हम सभी यह चाहते हैं और इसीलिए यह संशोधन विधेयक रखा गया है।

महोदय, पार्टियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में एक या दो राजनैतिक दलों ने विरोध किया है। मैं नहीं जानता, किन्तु सभा को शायद यह समझ सके कि यह दो राजनैतिक दल पंजीकरण का विरोध क्यो कर रहे हैं। वास्तव में प्रत्येक राजनैतिक दल चिन्ह (आरक्षण और आबंटन) नियम, 1968 के तहत पंजीकरण अनिवार्य होता है। हर एक दल को ऐसा करना होता है अब। वर्तमान संशोधनकारी विधेयक में हम इस प्रयोजन के लिए एक राजनैतिक दल की व्याख्या कर रहे हैं। हमारे देश में हर किस्म के राजनैतिक

दल हैं, ऐसे दल जो कमजोर वर्गों का शोषण करने से अनुचित लाभ उठाने में विश्वास रखते हैं, ऐसे दल जो थोड़ी-सी संगठित शक्ति के साथ इस देश की उत्पादक और विकास गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न कर सकते है। ऐसे भी राजनैतिक दल हैं जो नाम से साम्प्रदायिक नही हैं किन्तु वास्तव में साम्प्रदायिक है। वह सदस्य जो उस ओर से अपने राज्य के बारे में बोलें। नाम अत्यन्त राष्ट्रीय हैं। अनेक लेबल बड़े गरिमापूर्ण है किन्तु वास्तव में साम्प्रदायिक है। ऐसे दल है, जो वास्तव में साम्प्रदायिक है। आशय यह है कि क्या हम ऐसे दलों को उनके साम्प्रदायिक हितों के लिए इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लाभ उठाने दें और देश में विघटन की स्थिति पैदा करने दें ? नहीं, हम ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। किन्तु यह भी सच है कि हम उन्हें पीछे धकेल कर राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में दाखिल होने से नहीं रोक सकते। इस विधेयक का उद्देश्य, उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा की ओर आकर्षित करने तथा चुनाव की तमाम प्रक्रिया में साम्प्रदायिक, धार्मिक और कट्टरवादी रवैया भुलाने के लिए प्रेरित करना है।

मुझे इन सब बातों में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बहुत से सहयोगी, विपक्ष द्वारा उठाई गई बातों का जवाब दे चुके हैं। सबसे बढ़कर प्रधान मंत्री ने एक राजनैतिक दर्शन दिया है, जिसके आधार पर हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

एक बात इस देश के युवाओं के बारे में। हम सबकी ओर से प्रधान मंत्री ने इस देश के युवाओं की प्रशंसा की है। इस देश का भविष्य उन पर निर्भर है। यही वह लोग है जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएंगे। हम अपने युवा प्रधान मंत्री का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आधुनिक युवा शक्ति की योग्यता, गुणों और ईमानदारी और निष्ठा को पहचाना है, जो इस देश को निश्चित रूप से विघटन से बचाएगी चूंकि कतिपय राजनैतिक दल इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समस्याएं खड़ी करने में रुचि रखते हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि जहां तक संशोधनकारी विधेयक के मुख्य मुद्दों का सम्बन्ध है हमें आपस में बंटना नहीं चाहिए।

क्योंकि वास्तव में इनसे देश में लोकतन्त्र की ताकतें मजबूत होंगी। हमें इस मुद्दे पर बटना नहीं चाहिए। मैं यह आशा करता हूं कि सदन वह विधेयक एकमत से पारित करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि चुंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है इसलिए इस पर मत विभाजन होगा।

लाबी खाली कर दी जाए—

लाबी खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 8] [3.20 म. प.

पक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जयप्रकाश
अतीतन, श्री आर. धनुषकोडी
अम्यालानरसिंहम, श्री पी.
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के. जे.
अय्यर, श्री वी. एस. कृष्ण
अरुणाचलम् श्री एम.
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी. ए.
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयर, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कल्पना देवी, डा. टी.
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन, प्रो. मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, पृथ्वी चन्द
कुचन, श्री गंगाधर एस.

कुजूर, श्री मौरिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुरैशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी.
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस.
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगाराम, श्री
गढ़वी, श्री बी. के.
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी. एन.
गामित, श्री सी. डी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावित, श्री माणिकराव होडल्य
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनक राज
गुरड्डी, श्री एस. एम.

गुहा, डा. फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्री दिनेश
गोहिल, श्री जी. बी.
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे
घोष, श्री विमल कांति
घोष गोस्वामी, श्रीमती बिभा
घोषाल, श्री देवी
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमति एम.
चन्द्रशेखरप्पा श्री टी. वी.
चन्द्रकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव
चार्ल्स, श्री ए.
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई. के.
चिदम्बरम् श्री पी.
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री समर ब्रहम
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ, प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी. पी.
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायनल अबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जीवरत्नम, श्री आर.
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.
झिकराम, श्री एम. एल.
टन्डेल, श्री गोपाल के.
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजीभाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन.
डोण गांकर, श्री साहिबराव पाटिल
ढिल्लों, डा. जी. एस.
तपेश्वर सिंह, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री वी.
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा. चन्द्रशेखर

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा

थामस, प्रो. के. वी.

थामस, श्री तम्पन

थुंगन, श्री पी. के.

थोरट, श्री भाऊसाहिब

दंडवते, प्रो. मधु

दत्ता, श्री अमल

दलवाई, श्री हुसैन

दलबीर, सिंह श्री

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री बिपिनपाल

दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन

दास, श्री रेणुपद

दास, श्री सुदर्शन

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

दिनेश सिंह, श्री

दीक्षित, श्रीमती शीला

दुबे, श्री भीष्म देव

देव, श्री वी. किशोरचन्द्र एस.

देवरा, श्री मुरली

देवी, प्रो. चन्द्र भानु

धारीवाल, श्री शांति

नटवर सिंह, श्री के.

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

नायक, श्री शांताराम

नायकर, श्री डी. के.

नीखरा, श्री रामेश्वर

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह

पंत श्री कृष्ण चन्द्र

पंवार, श्री सत्यनारायण

पटनायक, श्री जगन्नाथ

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पटेल, श्री अहमद एम.

पटेल, श्री यू. एच.

पटेल, डा. ए. के.

पटेल, श्री जी. आई.

पटेल, श्री मोहन भाई

पटेल, श्री राम पूजन

पटेल, श्री शांति लाल पुरुषोत्तम भाई

पटेल, श्री सी. डी.

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो. नारायण चन्द

पांजा, श्री ए. के.

पांडेय, श्री काली प्रसाद

पांडे, श्री दामोदर

पांडे, श्री मदन

पांडे, श्री मनोज

पांडे, श्री राज मंगल

पायलट' श्री राजेश

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री एस. बी.

पाटिल, श्री डी. बी,

पाटिल श्री प्रकाश वी.

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री विजय एन,

पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाठक, श्री आनन्द
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूरनचन्द्र, श्री
पेंचालैया, श्री पी.
पेरुमन, डा. पी. वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाशचन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के. एन.
प्रधानी, श्री के.
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी. एम.
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एल.
बशीर श्री टी.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बसु, श्री अनिल
बागुन सुम्बरूई, श्री
वाजपेयी, डा. राजेन्द्रकुमारी
बालगौड़, श्री टी.

बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराजू, श्री जी. एस.
बिश्वास, श्री अजय
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बुवानिया, श्री नरेन्द्र
बूटासिंह, सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त, श्री
भगत, श्री एच. के. एल.
भरतसिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी.
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा. कृपासिंधु
भोये, श्री आर. एम.
भोये श्री एस. एस.
भोसले, श्री प्रतापराव बी.
मकवाना, श्री नरसिंह
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मलिक, श्री लक्ष्मण
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन

महाजन, श्री वाई. एस.
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माधुरीसिंह, श्रीमती
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री गौरीशंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री विजय कुमार
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीना, श्री रामकुमार
मीराकुमार, श्रीमती
मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्ध लाल
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
मोरे, प्रो. रामकृष्ण
यशपाल सिंह, श्री

याजदानी, डा. गुलाम
यादव, श्री आर. एन.
यादव, श्री डी. पी.
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के. एच.
रंगा, प्रो. एन. जी.
रत्नम, श्री एन. वेंकट
रणबीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
रमैया, श्री बी. बी.
रमैया, श्री वोड्डे
राउत, श्री भोला
राज करणसिंह, श्री
राजहंस, डा. गौरी शंकर
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा. वी.
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामधन, श्री

राम समुझावन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्रकाश, चौधरी
राममूर्ति, श्री के.
रामसिंह, श्री
राय, श्री आई. रामा
राय, श्री राज कुमार
राय, श्री रामदेव
राय, डा. सुधीर
राव, श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर
राव, डा. जी. विजयारामा
राव, श्री जे. चोक्का
राव, श्री जे. वेंगल
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राव, श्री वी. शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री वी. कृष्ण
राव, श्री श्रीहरि
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश
रियान, श्री बाजुबन
रेड्डी, श्री के. रामचन्द्र
रेड्डी, श्री डी. एन.
रेड्डी श्री मानिक
रेड्डी, श्री सी. माधव
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
लक्खी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री द्वीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीर सेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस.
व्यास, श्री गिरधारी लाल
शंकर लाल, श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, श्री सैयद
शिंगडा, श्री डी. बी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेखानी, श्री सलीम भाई
शैलेश, डा. बी. एल.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
संखवार, श्री आशाकरण
संगमा, श्री विलियमसन

संतोष कुमार सिंह, श्री	सुन्दरसिंह, चौधरी
सईद, श्री पी. एम.	सुखबन्स कौर, श्रीमती
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	सुन्दरराज, श्री एन.
सान्याल, श्री मानिक	सुमन, श्री रामप्यारे
सम्बु, श्री सी.	सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सलाउद्दीन, श्री	सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
साठे, श्री वसंत	सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
साहा, श्री अजित कुमार	सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान
साहा, श्री गदाधर	सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
साही, श्रीमती कृष्णा	सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सिंगरावडीवेल, श्री एस.	सेन, श्री भोला नाथ
सिंह, श्री एन. टोम्बी	सोज, प्रो. सैफुद्दीन
सिंह श्रीमती किशोरी	सोढी, श्री मानकूराम
सिंह श्री कमला प्रसाद	सोमू, श्री एन. वी. एन.
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप	सोरन, श्री हरिहर
सिंह, श्री के. एन.	सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप	स्वैल, श्री जी. जी.
सिंह, श्री एस. डी.	षण्मुखम, श्री पी.
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण	हंसदा, श्री मतिलाल
सिंह देव, श्री के. पी.	हन्नान मोल्लाह, श्री
सिंहनल, श्री एस. बी.	हरपाल सिंह, श्री
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद	हाल्दर, प्रो. एम. आर
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के तारा देवी	

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 382

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । अब हम खण्ड 2 पर विचार करेंगे । खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है ।

खण्ड 2 को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है । अतः इस मत पर विभाजन होगा ।

दीर्घाएं खाली की जा चुकी हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या 9] [3.22 म. प.

पक्ष में

अन्सारी, श्री जियारेहमान

अन्सारी, अब्दुल हन्नान

अक्तर हसन, श्री

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अतीतन, श्री आर. धनुषकोडी

अप्पालनरसिंहम, श्री पी.

अब्दुल गफूर, श्री

अब्दुल हमीद, श्री

अब्बासी, श्री के. जे.

अय्यर, श्री वी. एस. कृष्ण

अरुणाचलम, श्री एम.

अलखाराम, श्री

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपने मत रिकार्ड कराए :

श्रीमती आबिदा अहमद, सर्वश्री गुरुदास कामत, आर. एस. स्पैरो, अजित सिंह शर्मा, मनोरंजन भक्त, स्वामी प्रसाद सिंह, के. मोहनदास, सीताराम जे. गावली, चौधरी रघुराज सिंह, श्री काली चरण सकरगयेन, डा. वी. वेंकटेश तथा श्री अब्दुल हमीद ।

अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी. ए.
एंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कल्पना देवी, डा. टी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो. मिजिनलुंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुजूर, श्री मौरिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलू, श्री पी.
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस.
कृष्ण सिंह श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री खुर्शीद आलम
खाँ, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गगा राम, श्री
गढ़वी, श्री बी. के.
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी. एन.
गामित, श्री सी. डी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावित, श्री माणिकराव होडल्य
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनक राज
गुरड्डी, श्री एस. एम.
गुहा, डा. फूलरेणु
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्री दिनेश
गोहिल, श्री जी. बी.
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे
घोष, श्री बिमल कान्ति
घोष गोस्वामी, श्रीमती बिभा

घोषाल, श्री देवी

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम.

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चार्ल्स, श्री ए.

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई. के.

चिदम्बरम, श्री पी.

चौधरी, श्रीमती ऊषा

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, जगन्नाथ

चौधरी, श्री नन्दलाल

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री शंकर ब्रह्म

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जगन्नाथ प्रसाद, श्री

जदेजा, श्री डी. पी.

जनार्दनन, श्री कादम्बुर

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाटव, श्री कम्मोदीलाल

जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जायनल अबेदिन, श्री

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

जितेन्द्र सिंह, श्री

जीवरत्नम, श्री आर.

जुझार सिंह, श्री

जैना, श्री चिन्तामणि

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जैनुल बशर, श्री

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.

झिकराम, श्री एम. एल.

टंडेल, श्री गोपाल के.

टाईटलर, श्री जगदीश

ठक्कर, श्रीमती ऊषा

डामर, श्री सोमजीभाई

डिगाल, श्री राधाकान्त

डेनिस, श्री एन.

डोणगांवकर, श्री साहेबराव पाटिल

ढिल्लो, डा. जी. एस.

तपेश्वर सिंह, श्री

तिग्गा, श्री साइमन

तिरकी, श्री पीयूष

तिलकधारी सिंह, श्री

तुलसीराम, श्री वी.

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी

त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह

त्रिपाठी, डा. चन्द्र शेखर

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा

थामस, प्रो. के. वी.

थामस, श्री तम्पन

थुंगन, श्री पी. के.

थोरट, श्री भाऊसाहिब

दण्डवते, प्रो. मधु
दत्ता, श्री अमल
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल,
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री रेणुपद
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्म देव
देब, श्री बी. किशोरचन्द्र एस.
देवरा, श्री मुरली
देवी, प्रो. चन्द्र भानु
धारीवाल, श्री शान्ति
नटवर सिंह, श्री के.
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी. के.
नोखरा, श्री रामेश्वर
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पंवार, श्री सत्यनारायण
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री यू. एच.
पटेल, डा. ए. के.
पटेल, श्री जी. आई.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शांति लाल पुरुषोत्तम भाई
पटेल, श्री सी. डी,
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पांजा, श्री ए. के.
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पायलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल, श्री डी. बी.
पाटिल, श्री प्रकाश बी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री विजय एन.
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाठक, श्री आनन्द
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव

पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तम, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूरन चन्द्र, श्री
पेंचालैया, श्री पी.
पेरूमन, डा. पी. वल्लल
पोतदुखे, श्री शान्ताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के. एन.
प्रधानी, श्री के.
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी. एम.
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एल.
बशीर, श्री टी.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बसु, श्री अनिल
बागुन सुम्बरुई, श्री
बाजपेयी. डा. राजेन्द्र कुमारी
बालगौड़, श्री टी.
बाली, श्रीमती वैजन्तीमाला
बिश्वास, श्री अजय
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
बीरेन्द्र सिंह. श्री
बुदानिया, श्री नरेन्द्र
बूटासिंह, सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा. श्री डूंगर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच. के. एल.
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी.
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया. श्री दिलीप सिंह
भोई, डा- कृपा सिंधु
भोये, श्री आर. एम.
भोये, श्री एस. एस.
भौंसले, श्री प्रतापराव बी.
मकवाना. श्री नरसिंह
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मलिक, श्री लक्ष्मण
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई. एस.
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल

मावणि. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई

मिश्र, श्री उमाकान्त

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री विजय कुमार

मिश्र, श्री श्रीपति

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मीना, श्री रामकुमार

मीराकुमार, श्रीमती

मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुरमू, श्री सिद्धलाल

मुशारान, श्री अजय

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम

मेहता, श्री हरुभाई

मोतीलाल सिंह, श्री

मोदी, श्री विष्णु

मोरे, प्रो. रामकृष्ण

मोहनदास, श्री के.

यशपाल सिंह, श्री

याजदानी, डा. गुलाम

यादव, श्री आर. एन.

यादव, श्री डी. पी.

यादव, श्री बलराम सिंह

यादव, श्री महावीर प्रसाद

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री श्याम लाल

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

रंगनाथ श्री के. एच.

रंगा, प्रो. एन. जी.

रघुराजसिंह, चौधरी

रत्नम, श्री एम. वेंकट

रणबीर सिंह, श्री

रथ, श्री सोमनाथ

रमैया, श्री बी. वी.

रमैया, श्री सोडे

राउत, श्री भोला

राव करनसिंह, श्री

राजहंस, डा. गौरी शंकर

राजू, श्री विजय कुमार

राजेश्वरन, डा. वी.

राठवा, श्री अमर सिंह

राठौड़, श्री उत्तम

राम, श्री राम रतन

राम, श्री रामस्वरूप

राम अवध प्रसाद, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामधन, श्री

रामपाल सिंह, श्री

राम प्रकाश चौधरी

राममूर्ति, श्री के.

राम समुझावन, श्री

राम सिंह श्री
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
राय, श्री आई. रामा
राय, श्री राज कुमार
राय, श्री रामदेव
राव, श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर
राव, डा. जी. विजयरामा
राव, श्री जे. चोक्का
राव, श्री जे. वेंगल
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राव, श्री वी. शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री वी. कृष्ण
राव, श्री श्रीहरि
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री के. रामचन्द्रन
रेड्डी, श्री डी. एन.
रेड्डी श्री मानिक
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डी श्री सी. माधव
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वासनिक. श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीर सेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस.
व्यास श्री गिरधारी लाल
शंकर लाल, श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शमिन्दर सिंह, श्री
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, श्री सैयद
शिंगडा, श्री डी. बी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई.
शैलेश, डा. बी. एल.
श्रीनिवास प्रसाद. श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
संखवार, श्री आसकरण
संगमा, श्री विलियमसन
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी. एम.
सकरगयेन, श्री कालीचरण

सत्येन्द्र चन्द्र, श्री

सम्बु, श्री सी.

सलाउद्दीन श्री

साठे, श्री वसंत

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगरावडीवेल, श्री एस

सिंह, श्री एन. टोम्बी

सिंह, श्रीमती किशोरी

सिंह, श्री कमला प्रसाद

सिंह, श्री कृष्ण प्रताप

सिंह, श्री के. एन.

सिंह, श्री लाल बिजय प्रताप

सिंह, श्री एस. डी.

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण

सिंहदेव, श्री के. पी.

सिवनाल श्री, एस. बी.

सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद

सिद्धार्थ श्रीमती डी. के. तारा देवी

सुन्दर सिंह, चौधरी

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुब्बराव, श्री एन.

सुमन, श्री रामप्यारे

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री

सुल्तानपुरी, श्री के. डी.

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेठी, श्री अनन्त प्रसाद

सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र

सेन, श्री भोला नाथ

सोज, प्रो. सैफुद्दीन

सोढी, श्री मानकूराम

सोमू, श्री एन. वी. एन.

सोरन, श्री हरिहर

सोलंकी, श्री कल्याण सिंह

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री

स्पैरो, श्री आर. एस.

स्वैल, श्री जी. जी.

[illegible], श्री पी.

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह श्री

हरपाल सिंह, श्री

हाल्दर, प्रो. एम. आर.

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में	393
विपक्ष में	शून्य

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत पक्ष में रिकार्ड कराये।

श्री दीपनारायण वन, श्री जी. एस. बसवराजू, श्री काली प्रसाद पांडेय, श्री सीताराम जे. गावली श्री मानिक सान्याल तथा डा. सुधीर राय।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया :

खण्ड 1—संक्षिप्त नाम

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 1 पर विचार करेंगे।

श्री शंकरानन्द

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 3—

"(बासठवां संशोधन) के स्थान पर "(इकसठवां संशोधन) प्रतिस्थापित किया जाए (1)
(श्री बी. शंकरानन्द)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 1, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक, संशोधित रुप में पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं। इसलिए मैं यह प्रस्ताव सभा के मत विभाजन के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है।

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 10] [3.25 म. प.

पक्ष में

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
अन्सारी श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अतीतन, श्री आर. धनुषकोड़ी
अंप्पालानरसिंहम, श्री पी.
अब्दुल गफूर श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अब्बासी, श्री के, जे.
अय्यर, श्री वी. एस. कृष्ण
अरुणाचलम, श्री एम,
अलंगाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद. श्रीमती आबिदा
आचार्य, श्री वसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आनन्द सिंह, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी. ए.
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेययर, श्री चनैया
कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कल्पना देवी, डा. टी.
काबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
कामसन. प्रो. मिजिनलंग
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुचन. श्री गंगाधर एस,
कुजूर, श्री मौरिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुरैशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलू, श्री पी.
केयर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कोशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस.
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगाराम, श्री
गढ़वी, श्री बी. के.
गहलोत, श्री अशोक

गांधी, श्री राजीव

गाडगिल, श्री वी. एन.

गामित, श्री सी. डी.

गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव

गावित, श्री माणिकराव होडल्य

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गुप्त, श्री जनक राज

गुरड्डी, श्री एस. एम.

गुहा, डा. फूलरेणु

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोस्वामी, श्री दिनेश

गोहिल, श्री जी. बी.

गौडा, श्री एच. एन. नन्जे

घोष, श्री बिमल कान्ति

घोष गोस्वामी, श्रीमती बिभा

चटर्जी श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम.

चन्द्रशेखरप्पा श्री टी. वी.

चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चार्ल्स, श्री ए.

चावडा, श्री ईश्वर भाई के.

चिदम्बरम, श्री पी.

चौधरी, श्रीमती ऊषा

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री जगन्नाथ

चौधरी, श्री नन्दलाल

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी श्री समर ब्रह्म

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जगन्नाथ प्रसाद, श्री

जदेजा, श्री डी. पी.

जनार्दनन, श्री कादम्बुर

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाटव, श्री कम्मोदीलाल

जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जायनल अबेदिन, श्री

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

जितेन्द्र सिंह, श्री

जीवरत्नम श्री आर.

जुझार सिंह श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री बुद्धि चन्द्र

जैनुल बशर, श्री

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.

झिकराम, श्री एम. एल.

टाईटलर, श्री जगदीश

ठक्कर, श्रीमती ऊषा

डामर, श्री सोमजी भाई

डिगाल, श्री राधाकांत

डेनिस, श्री एन.

डोण, यांवकर श्री बाळासाहेबराव पाटिल

ढिल्लों डा. जी. एस.

तपेश्वर, सिंह श्री
सिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री वी.
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा. चन्द्रशेखर
त्रिपाठी श्रीमती चन्द्रा
थामस, प्रो. के. वी.
थामस, श्री तम्पन
थुन्गन, श्री पी. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दण्डवते, प्रो. मधु
दत्ता, श्री अमल
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रियरंजन
दास, श्री रेणुपद
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री वी. किशोरचन्द एस.
देवरा, श्री मुरली
देवी प्रो. चन्द्र भानु
धारीवाल, श्री शांति
नटवर सिंह, श्री के.
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी. के.
नोखरा, श्री रामेश्वर
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पंवार, श्री सत्यनारायण
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री यू. एच.
पटेल, डा. ए. के.
पटेल, श्री जी. आई.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम भाई
पटेल, श्री सी. डी.
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पांजा, श्री ए. के.
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राजमंगल

पायलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल, श्री डी. बी.
पाटिल श्री प्रकाश वी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री विजय एन.
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वो.
पाठक, श्री आनन्द
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्रीराम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तम, श्री कक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूरन चन्द, श्री
पेंचालैया, श्री पी.
पेरुमन, डा. पी. वल्लभ
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधान, श्री के. एन.
प्रधानी श्री के.
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी. एम.
बलरामन, श्री एल.
बशीर, श्री टी.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बसु, श्री अनिल
बागुन. सुम्बरूई, श्री
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालगौड़, श्री टी.
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराजू, श्री जी. एस.
बिस्वास, श्री अजय
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह राव
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बुवानिया, श्री नरेन्द्र
बूटा सिंह सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
ब्रह्मदत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच. के. एल.
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी.
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, श्री कृपा सिंधु
भोये, श्री आर. एम.

भोये, श्री एस. एस.

भोसले, श्री प्रतापराव बी.

मनोरमा सिंह श्रीमती

मकवाना, श्री नरसिंह

मलिक, श्री पूर्णचन्द

मलिक, श्री लक्ष्मण

मसूदल हुसैन, श्री सैयद

महन्ती, श्री बृजमोहन

महाजन, श्री वाई. एस.

महावीर प्रसाद श्री

महेन्द्र सिंह, श्री

माधुरी सिंह, श्रीमती

माने, श्री मुरलीधर

मालवीय, श्री बापूलाल

मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई

मिश्र, श्री उमाकांत

मिश्र, श्री गार्गीशंकर

मिश्र, नित्यानन्द

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, विजय कुमार

मिश्र, श्री श्रीपति

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मीणा, श्री रामकुमार

मीरा कुमार, श्रीमती

मुण्डाकल, श्री जार्ज जोसफ

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुरमू, श्री सिद्धलाल

मुसरान श्री अवध

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम

मेहता, श्री हरुभाई

मोतीलाल सिंह, श्री

मोदी, श्री विष्णु

मोरे, प्रो. रामकृष्ण

मोहनदास, श्री के.

यशपाल सिंह श्री

याजदानी, डा. गुलाम

यादव, श्री आर. एन.

यादव, श्री डी. पी.

यादव, श्री महावीर प्रसाद

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री श्याम लाल

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

रंगानाथ, श्री के. एच.

रंगा, प्रो. एन. जी.

रघुराज सिंह, चौधरी

रत्नम, श्री एन. वेंकट

रणबीर सिंह, श्री

रथ, श्री सोमनाथ

रमैया, श्री बी. बी.

राउत, श्री भोला

राजकरन सिंह, श्री

राजहंस, डा. गौरी शंकर

राजू, श्री विजय कुमार

राजेश्वरन, डा. वी.
राठवा श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरुप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामधन, श्री
राम प्रकाश चौधरी
राममूर्ति, श्री के.
राम समुझावन, श्री
राम सिंह, श्री
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
राय, श्री आई. रामा
राय, श्री राज कुमार
राय, श्री रामदेव
राव, श्री ए. जे, वी. वी. महेश्वर
राव, डा. जी. विजयरामा
राव, श्री जे. चोक्का
राव, श्री जे वेंगल
राव, श्री पी, वी. नरसिंह
राव, श्री वी. शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री वी. कृष्ण
राव, श्री श्रीहरि
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश

रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री के. रामचन्द्र
रेड्डी, श्री डी. एन.
रेड्डी, श्री मानिक
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डी, श्री सी. माधव
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस,
व्यास, श्री गिरधारी लाल
शंकरलाल, श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शमिन्दर सिंह, श्री
शर्मा, श्री चिरंजीवीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शाह, श्री अनूपचन्द

शाहबुद्दीन, श्री सैयद
शिगडा, श्री डी. बी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई.
शैलेश, डा. बी. एल.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
संखवार, श्री आशकरण
सगमा श्री विलियमसन
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी. एम.
सकरगयेन, श्री काली चरण
सत्येन्द्र चन्द्र श्री
सम्बू, श्री सी.
सलाउद्दीन, श्री
साठे, श्री बसन्त
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिमरावडीवेल, श्री एस.
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री के. एम.
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस. डी.
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव. श्री के. पी.
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारा देवी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन.
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोज, प्रो. सैफुद्दीन
सोढी, श्री मानकूराम
सोमू, श्री एन. बी. एन.
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्वैल, श्री जी. जी.
षण्मुखम, श्री पी.
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, प्रो. एम. आर.

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में　:　387

विपक्ष में　:　शून्य

"प्रस्ताव सभा भी समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

"विधेयक संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार करने के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2—1950 के अधिनियम 48 का संशोधन

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10—

"और" के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये—

"निर्वाचन आयोग के लिए सरकारी तन्त्र से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र एक कार्यकारी तन्त्र की व्यवस्था करके आयोग की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के पश्चात"　.9

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"परन्तु यदि निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग किन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में अर्द्ध—सैनिक बलों के अभिनियोजन की अपेक्षा करता है, तो केवल संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से ऐसा अभिनियोजन किया जाएगा।"　(20)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत पक्ष में रिकार्ड कराये :

सर्वश्री रामपाल सिंह, बलराम सिंह यादव, देबी घोषाल, गोपाल के. टन्डोल, किन्दर लाल, काली प्रसाद पांडेय, सीताराम जे. गावली, मानिक सान्याल, डा. सुधीर राय, सोडे रमैया और मदन पांडे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"परन्तु इस धारा का उपबन्ध संसद के द्वारा विधि द्वारा निर्वाचन आयोग का स्वतन्त्र सचिवालय स्थापित किये जाने के और आयोग को आयोग द्वारा नियोजित निर्वाचन कर्मचारियों पर संघ सरकार के नियंत्रण से स्वतन्त्र पूर्ण प्राधिकार दिये जाने के पश्चात् लागू होगा।" (40)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 और 11,—

"और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।" का लोप किया जाए। (46)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,—

"है" के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"संबंधित राज्य सरकार की सहमति के अध्यधीन" (57)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,—

कर्मचारिवृन्द" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"केवल निर्वाचन के संबंध में उन्हें सौंपे गए कार्य के बारे में तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।" (58)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,—

"आयोग के" के पश्चात "एकमात्र" अन्तःस्थापित किया जाए। (68)

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 और 10,—

"निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे" "के स्थान पर" "निर्वाचन आयोग के सामान्य अधीक्षण के अधीन समझे जायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाए। (81)

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए निर्वाचन आयोग के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संसद में विपक्ष के नेता, यदि कोई हो, के परामर्श से एक

स्वतन्त्र कार्यकारी तंत्र के साथ एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त बहु-सदस्यीय आयोग अभिप्रेत है।" (83)

श्री तम्पन थामस (मुवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए—**

" परन्तु पुलिस या अन्य बल जिन्हें निर्वाचन के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए बुलाया जाता है, निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन रहेंगे और आयोग निर्वाचन को प्रभावित करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी।" (91)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए—**

"परन्तु निर्वाचन प्रक्रिया के अनुक्रम के दौरान अनुशासनहीनता के कार्यों के मामले में, किन्हीं ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को शासित करने वाले अनुशासनिक/ दंड देने वाले और अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के होते हुये भी, निर्वाचन आयोग विधि के अधीन उपबंधित शासित लगाने वाली शक्तियों सहित, एकमात्र अनुशासनिक प्राधिकरण होगा, और संबंध अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों को निपटाने से संबंधित विधि सीमित प्रयोजन के लिये उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी और उक्त विधि के अधीन, सामान्य अनुक्रम में अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को अपील और/या पुनरीक्षण के संबंध में उपलब्ध कोई उपबन्ध उस सीमा तक निलम्बित समझा जायेगा।" (97)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,—

"समझे जाएंगे" **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए—**

"बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार सहमत हो," (119)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,—

"निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे"

के स्थान पर

"केवल निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासनके अधीन होंगे परन्तु यह कि निर्वाचन आयोग संयुक्त राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करेगा।" (128)

प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन आयोग से अभिप्रेत है तीन सदस्यीय आयोग जिसकी नियुक्ति चयन समिति की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री तथा विरोधी दलों के नेता से मिलकर बनेगा, जिसका चयन संसद में राष्ट्रीय विरोधी दलों तथा ग्रुपों द्वारा किया जाएगा।" (136)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 से 10,—

"निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे" "के स्थान पर" राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे" प्रतिस्थापित किया जाए (146)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं। क्या आप बोलना चाहते है ?

प्रो. मधु दंडवते : मैं केवल एक मिनट बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) मेरे नाम के बारे में आप क्या कहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल पहले 10 सदस्य।

प्रो. मधु दंडवते : मैं कहना चाहता हूँ···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से शांत रहने का निवेदन करता हूँ ?

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : वे क्यों शोर मचा रहे हैं ? मेरे विचार से हमें एक मिनट रुकना चाहिए।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आपके शहंशाह राजा साहब जो 18 साल की बात करते थे, उन्होंने वोट नहीं डाला, वे कहां हैं ?

प्रो. मधु दंडवते : आपके महाराजा ने तो दिया है।

[अनुवाद]

कृपया अपने महाराज से संतुष्ट रहिए। (व्यवधान) आपको समर्थन नहीं चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय सिद्धांतिक रूप से हम ने पहले ही इस तथ्य को स्वीकार किया है कि हम चुनाव आयोग की मशीनरी को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। किन्तु हम एक कदम आगे जाना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को सभी मामलों में दी जाने वाली सभी शक्तियों पर एक शर्त लगाना चाहते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य बोल रहा है तो व्यवधान मत डालिए।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी पंक्तियां इस बात को आश्वस्त करने के पश्चात् ही दी जानी चाहिए कि चुनाव आयोग भी कार्यकारी मशीनरी पूर्ण रुप से स्वतन्त्र है और सरकारी मशीनरी से अलग हो। इसके लिए बहुत से काम किए जाने हैं और स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हैं। हमने हाल में कहा था कि यदि हमारी लोक सभा और राज्य सभा कार्य-प्रणाली सफल हुई है तो ऐसा इस लिए हुआ है कि लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारी और मशीनरी तथा लोक सभा सचिवालय न तो केन्द्र थी कि सरकार के अधीन है और न ही राज्य सरकार के प्रति नियुक्ति के आधार पर सरकार से लिए गए व्यक्ति नहीं हैं। यहां एक स्वतन्त्र कार्य-प्रणाली है। अतः देश भर में लोक सभा सचिवालय की स्वतन्त्र प्रणाली की प्रशंसा हो रही है। श्री विठलभाई पटेल और डा. मावलंकर से लेकर वर्तमान अध्यक्ष की प्रेरणा से हुआ है उसका कारण यह है कि लोक सभा की स्वतन्त्र कार्य-प्रणाली है। हम यही सिद्धात अपनाना चाहते हैं। यहां मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि न केवल हमारे देश में किन्तु अन्य देशों में भी और इंगलैंड में भी जो लोकतन्त्र की जननी है। अनुचित तरीके अपनाए जाते है। केवल रिकार्ड के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे देश में चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि वोटों को खरीदा न जाए, और किसी प्रकार का अनाचार न हो और धन के छोर से कोई दबाव न डाला जाए। लोकतन्त्र के संस्थापक देश में भी इस प्रकार की स्थिति रही है। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 18वीं शताब्दी में इग्लैंड में चुनाव क्षेत्रों की भी खरीद फरोख्त होती थी। एक ऐसे संसद सदस्य को जो चुनाव क्षेत्र को खरीदकर निर्वाचित हुआ था को एक मतदाता ने इस आशय का एक पत्र लिखा कि उसे बजट और उत्पाद-शुल्क के विरुद्ध मतदान करना चाहिए। उस निर्वाचक और मतदाता को उस संसद सदस्य ने लिखा:

'भद्रजन मुझे उत्पाद शुल्क के बारे में आपका पत्र मिला और मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने पत्र लिखने की गुस्ताखी कैसे की आप और मैं यह जानते हैं कि मैंने इस चुनाव क्षेत्र को खरीदा था। आप और मैं इस बात को भी जानते हैं कि अब मैं इस चुनाव क्षेत्र को बेचने के लिए कटिबद्ध हूं। और आप ऐसा सोचते हैं कि आप यह जानते हैं कि मैं इस बात को नहीं जानता कि अब आप किसी अन्य खरीददार की तलाश कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आपको निश्चित रूप से इस बात की जानकारी नहीं है कि मुझे खरीदने के लिए अन्य चुनाव क्षेत्र मिल गया है।''

हाऊस आफ कामन में एक संसद सदस्य ने ऐसा कहा।

निश्चित रुप से हम यह नहीं चाहते कि ऐसी बातें यहां घटित हों। अतः यदि चुनाव आयोग को कड़ी कार्यवाही करनी है तो उसे सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। लोक सभा सचिवालय की भांति इसके कर्मचारी और तंत्र स्वतन्त्र होने चाहिए चाहे वे राज्य में हो अथवा केन्द्र में हों।

अतः मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं। निःसन्देह माननीय मंत्री मेरे अन्य संशोधन की भांति इस संशोधन को भी स्वीकार कर लेंगे और हमें मतदान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : उपाध्यक्ष महोदय माननीय प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करके यह कहा है कि वे वास्तव में चुनाव आयोग को स्वतन्त्र बनाना चाहते हैं। आप चुनाव आयोग में सभी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाने का प्रयास कर रहें हैं। मेरा संशोधन यह है कि यह उपबन्ध केवल तभी कार्यान्वित होगा जब संसद कानून द्वारा चुनाव आयोग का एक स्वतन्त्र सचिवालय स्थापित कर देगा और आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन कर्मचारियों पर आयोग को पूर्ण प्राधिकार दिया जाएगा वे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से मुक्त होने चाहिए।

क्या मैं यह उल्लेख कर कर सकता हूं कि संविधान सभा की चर्चा के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। डा० अम्बेडकर ने उस समय यह कहा था कि कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को रोकना आवश्यक नहीं है, परन्तु जब आप प्रत्येक अधिकारी को प्रति नियुक्ति पर लाते हैं तो उस तर्क में कोई बल नहीं रहता है। यदि आप राज्य सरकार के प्रत्येक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर चुनाव आयोग में रखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय की भांति चुनाव आयोग के कर्मचारियों को भी पूर्णतः स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए।

अतः मैं इस संशोधन पर बल देता हूं कि एक स्वतन्त्र सचिवालय की स्थापना की जाए और चुनाव आयोग को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाये। इस प्रकार इस सचिवालय की स्थापना के बाद ही इस खंड को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

श्री अमल दत्ता : मेरे इस संशोधन को प्रस्तुत करने का कारण वही है जिसे प्रो. दंडवते और श्री दिनेश गोस्वामी पहले प्रस्तुत कर चुके है। अब हमारे यह विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि चुनाव आयोग पूर्णत स्वतन्त्र अथवा स्वायत्तापूर्ण है। जब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों पर इस खंड में प्रस्तावित शक्तियां चुनाव आयोग को नहीं दी जा सकती है। हम चाहते है कि ऐसी शक्तियां दी जायें परन्तु ऐसा केवल बहुत सारे सदस्यों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उचित संशोधन द्वारा चुनाव आयोग को स्वतन्त्रता देना सुनिश्चित करने के बाद तथा बहु-सदस्य चुनाव आयोग की स्थापना और सरकार की कार्यकारी शाखा के नियन्त्रण से पूर्णत स्वतन्त्र और स्वायत्तशासी सचिवालय की स्थापना के बाद ही यह कार्य किया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग के सदस्यों को भावी पदोन्नति अथवा उनके कैरियर की भावी सम्भावनाओं जैसे एक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति आदि के लालच से भी अलग किया जाना चाहिए जैसा कि कम से कम एक मामले में किया गया है यदि ऐसा किया जाता है तो यह शक्ति चुनाव आयोग को दी जा सकती है परन्तु जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक चुनाव आयोग को यह शक्ति नहीं दी जा सकती।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप एक ही व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विभिन्न संशोधनों को अलग-अलग ले रहे हैं अथवा एक खंड के सभी संशोधनों को एक साथ ले रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सारे संशोधन दिये गये हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति को एक खंड के लिए अपने सभी संशोधनों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए बुला रहा हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, कृपया आधा मिनट के लिए रुकिये। मैं उसी खंड के लिए दूसरा संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत कर चुका हूं।

मेरा संशोधन है :

"परन्तु यदि निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग किन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में अर्द्ध-सैनिक बलों के अभिनियोजन की अपेक्षा करता है, तो केवल संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से ऐसा अभिनियोजन किया जाएगा।"

गढ़वाल में हमारा यह अनुभव है कि यदि सम्बन्धित राज्य की सहमति के बिना सशस्त्र सेनाओं को वहां नियुक्त कर दिया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेक्षक ने भी यही कहा है सशस्त्र सेनाओं ने वहां मतदाताओं को आतंकित करने की कोशिश की और इसिलिए उन्हें सम्पूर्ण चुनाव को टालना पड़ा। अतः मैं अपने दूसरे संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि बहु-सदस्य चुनाव आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव से चुनाव आयोग में विश्वास की कमी का पता चलता है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इस 13 ग खंड 2 के प्रस्ताव को क्यों लाया गया है। यह आरोप कहां लगाया गया है कि चुनाव आयोग को राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से चुनाव कार्य का निष्पादन करना कठिन लग रहा है ? दूसरी ओर मैंने कल ही यह पढ़कर सुनाया था कि प्रत्यक्ष रुप से चुनौती दिये जाने पर उच्चतम न्यायालय ने मामले की बारीकी से जांच की थी और उन अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में विचार करने के बाद यह निर्णय दिया था कि चुनाव आयोग के नियन्त्रण और देख-रेख के अन्तर्गत काम कर रहे अधिकारियों ने उचित ढंग से अपने कर्तव्यों को निबाहा है। अब एक ऐसे उपबन्ध को सम्मिलित किया जाना है जिसके अन्तर्गत उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा। मैं यह नहीं जानता कि विधि ने इस बारे में विचार किया है अथवा नहीं। प्रति नियुक्ति किन कार्यों के लिए की जायेगी। क्या वे सभी कार्यों के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। जब कतिपय अधिकारियों को चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है तो मुख्य चुनाव अधिकारी को न केवल मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यों को करना पड़ता है अपितु उसे अपने अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। ऐसा सभी राज्यों में घटित हो रहा है। इस समय दिल्ली में एक अलग स्वतन्त्र चुनाव आयोग स्थापित नहीं है। आप राज्यों में अलग चुनाव आयोग कर्मचारी बनाना चाहते हैं। यह एक विचित्र रवैया है। इसलिए हम यह कहते हैं कि यदि राज्य सरकार चुनाव कार्य के लिए अपने कुछ अधिकारियों को पूर्णतः मुक्त रखना चाहती है तो फिर आप राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कीजिए और अपना सहमति से यदि वे ऐसे कर्मचारियों को प्रति-नियुक्ति कर देते हैं अथवा उन्हें कार्य मुक्त कर सकते हैं, तभी आप उनका उपयोग कर सकते हैं और वह प्रतिनियुक्ति केवल चुनाव कार्य के लिए ही होगी किसी अन्य कार्य के लिए नहीं।

अतः मेरा संशोधन यह है कि उन्हें वे कर्मचारी सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से ही दिये जाने चाहिए और यदि कोई प्रतिनियुक्ति की जाती है तो वह केवल चुनाव सम्बन्धी कार्य के लिए ही होनी चाहिए किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बनाये गये खंड से अन्तर्गत उन्हें राज्य सरकार के कार्यों और दायित्वों से पूर्णतः अलग किया गया है और उन्हें सभी कार्यों के लिए चुनाव आयोग के अन्तर्गत लाया जाता है जो बिलकुल अनावश्यक है। इससे राज्य सरकारों के लिए भी कठिनाईयां उत्पन्न होंगी क्योंकि उन्हें अन्य कार्य सौंपे जाते हैं। अतः मैं इस बात पर जोर दे रहा

हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्रियों को विचार करके यह पता लगाना चाहिए कि चुनाव के समय पूर्ण रूप से प्रतिनियुक्ति कैसे की जा सकती है जबकि उन्हें अन्य कार्य भी करने होते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को निष्पक्षता और स्वतंत्रता की गारन्टी अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि सुचारू चुनावों की यह पहली शर्त है। वास्तव में, बावजूद इसके कि हमने इस विधेयक में जो कुछ कहा चुनाव केन्द्रों पर जबरन कब्जा और चुनावों में धांधली आदि को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि हम इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर्मचारियों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर लेते।

मेरे विचार से 13 सी. सी. सही दिशा में उठाया गया कदम है, किन्तु महोदय वह केवल आंशिक रूप से चुनाव कार्य करते है, या तो मतदाता सूचियां तैयार किए जाने के समय या जब चुनाव कराए जाते हैं। अब एक कर्मचारी पर दोहरा नियन्त्रण होता है। उसका अपना विभाग एक विभाग होता है और दोहरे नियंत्रण को निभाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिए कि वह इस प्रयोजन के लिए दोहरे नियंत्रण में न रहे। वह दोहरे नियंत्रण में न रह कर केवल निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में ही रहे ताकि चुनाव कार्य के दौरान उसके द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके तथा मेरे विचार से और विधि मंत्री महोदय इसमें शुद्धि कर सकते हैं यदि उसे वास्तव में दोषी पाया जाता है तो उसे निलम्बित, और यहां तक कि बर्खास्त भी किया जा सके। निर्वाचन आयोग को जब तक चुनाव से संबंधित कार्य के लिए यह शक्ति नहीं दी जाती कि वह उसी के नियंत्रण में रहे तथा जिस भी राज्य सरकार से वह आया हो, उसका इस मामले में कोई दखल न हो, और अकेला निर्वाचन आयोग ही यह फैसला करे कि वह सही है या गलत, हम तभी चुनावों की पवित्रता बनाए रख सकते है। इसीलिए मैंने एक अत्यन्त सरल संशोधन का सुझाव दिया है ताकि आप इसे किसी भी शक से परे रख सकें और उस कार्य के लिए वह केवल निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहेगा।

श्री सी. माधव रेड्डी : महोदय, खण्ड 2 में नई धारा 13 सी. सी. अन्त-स्थापित करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करने की अपेक्षा की गई है।

इस पर विचार करने से पूर्व हम यह देखते हैं कि क्या इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है तथा चुनाव तंत्र, राज्य सरकार के सदस्यों के संबन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है, और क्या इसी व्यवस्था को जारी रखना संभव है। अनुच्छेद 324 (6) कहता है :

"जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है"

पहले से ही संविधानिक उपबन्ध है और निर्वाचन आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराना उसका कर्तव्य है। अब आप चुनाव आयोग का राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुशासित करने का कार्य भी सौंपना चाहते है। यही मुद्दा है। हालांकि यह गलत है किन्तु इस मामले में संविधान को संशोधित किया जायेगा। अनुच्छेद 324 (6) को संशोधित किया जाएगा। जब तक संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था नहीं की जाती कर्मचारी वृन्द

को उस अवधि के दौरान चुनाव आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा, तो मुझे आशंका है कि वतमान संशोधन अनुच्छेद 324 का उल्लंघन करता है।

महोदय, इस संशोधन की क्या आवश्यकता है ; सबसे पहले तो इस सशोधन के क्या परिणाम होंगे ? पहला परिणाम तो यह होगा कि दोहरा प्रशासन हो जाएगा क्योंकि मेरे सहयोगियों ने ठीक ही कहा है कि यह सभी अधिकारी राज्य सरकार में विभिन्न कार्यों के प्रभारी है। वे केवल निर्वाचन आयोग के लिए ही काम नहीं कर रहे होते। एक कलेक्टर को जिले में कई कार्य करने होते हैं। इसके अलावा वह एक ससदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिर्टनिंग अधिकारी भी हो सकता है। अब मान लो आयोग द्वारा कलैक्टर की किसी कथित गलती के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो इसका क्या प्रभाव होगा ? राज्य सरकार की स्थिति क्या होगी ? राज्य सरकार को यदि यह नहीं बताया जाता कि आयोग और दोषी अधिकारी के बीच क्या चल रहा है, तो वह बिलकुल अन्धेरे में रहेगी। इसलिए, यह अनुशासनात्मक कृत्य राज्य सरकार के पास ही होने चाहिए, जैसा कि इस समय हो रहा है। इस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा ही अनुशासित किया जाएगा और राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग द्वारा किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए लिखा जायेगा।

इसका दूसरा परिणाम यह होगा कि लाखों अधिकारी जैसा कि मैंने कल कहा। लगभग एक महीने के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। प्रत्येक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाना होगा। यदि आप मोटे तौर पर हिसाब लगाएं, तो मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए सूचियों में सुधार करने चुनाव कराने तथा उपचुनाव कराने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 25-30 करोड रुपए की आवश्यकता होगी। भारत सरकार को 25-30 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना होगा। वित्तीय ज्ञापन में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

तीसरा परिणाम यह होगा कि यह राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनाव आयोग के पास राज्यों में कोई पृथक कर्मचारीवृन्द नहीं है। उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि निर्वाचन आयोग उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेता है। इससे कई अड़चने उत्पन्न होंगी।

माननीय, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव आयोग को मजबूत बनाए जाने का विचार है। मुझे इसमें निर्वाचन आयोग को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव नजर नहीं आया वह प्रस्ताव क्या है ? यदि आपका बहु-सदस्यीय आयोग न हो, यदि आप आयोग को सुदृढ़ बनाना चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि आप उनकी नियुक्ति की शर्तें स्पष्ट करें। यह भी बताएं कि जो वेतन वह आज प्राप्त कर रहे हैं उससे भिन्न वेतन लेंगे। उसका मोजूदा वेतन भारत की समेकित निधि पर भारित नहीं है। यह हमारे द्वारा स्वीकृत होती है। उसका संवैधानिक दर्जा क्या है ? यद्यपि संविधान में कहा है परन्तु फिर भी उसका वह दर्जा नहीं है जो भारत के महालेखा परीक्षक का है। मेरे विचार से इस संशोधन की जरूरत नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री तम्पन थामस : प्रारम्भ में मैं यह कहूंगा कि दुर्भाग्य से सरकार का विचार केवल कुछ उपबन्ध में ही संशोधन करने का है और इसलिए हम अन्य उपबन्धों का जिक्र नहीं कर सकते। वास्तव में कुल मिलाकर सम्पूर्ण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पर नजर डालने की जरूरत है।

मुख्य अधिनियम में कुछ और उपबन्ध है। जिन्हें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे तृतीय पठन के दौरान उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर देंगे। इस समय मैं केवल अपने संशोधन पर बोल रहा हूं। जैसा कि मेरे से पहले वक्ता ने कहा हम सबको इस बात का अनुभव है कि अर्द्धसैनिक बल तथा पुलिस बल विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के समय प्रभाव डालते हैं। इससे चुनावों की स्वतन्त्रता और चुनाव तंत्र गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो यह है कि क्या निर्वाचन आयोग वास्तव में स्वायत्त शासी निकाय है और दूसरा यह है कि लोगों को उस संस्था में विश्वास होना चाहिए।

दुर्भाग्य से हालांकि निर्वाचन आयोग ने कल तीन विधान सभाओं के चुनावों की अधिसूचना जारी की है, किन्तु लोक सभा तथा विधान सभाओं में उप चुनाव सत्तधारी दल की सुविधा को देखते हुए अधिसूचित नहीं किए गए हैं। इससे इस देश के मतदाताओं के मन में शक उत्पन्न होता है। इसलिए यदि इस देश में मतदाताओं का चुनाव आयोग में विश्वास पैदा करना है तो न केवल निर्वाचन आयोग को सरकार के प्रभाव से मुक्त रखना होगा बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए वह सरकार के प्रभाव से मुक्त है। इस सन्दर्भ में चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय होना चाहिए, और चुनावों के समय निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने वाली संसदीय ताकतें भी सरकारी प्रभाव से स्वतन्त्र होनी चाहिए ताकि मतदाताओं का उनमें विश्वास जम सके। इसको देखते हुए मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूँ।

श्री शांताराम नायक : 13 ग ग के अन्तर्गत जिस अधिकारी को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त किया जायेगा, तो स्वाभाविक ही है कि निर्वाचन आयोग उन पर अपना नियंत्रण निगरानी तथा अनुशासन रखेगा। प्रश्न यह है कि क्या इस संशोधन से वह अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियन्त्रण निगरानी तथा अनुशासन रख सकेगा। प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में नियंत्रण एवं अनुशासन बनाये रखने के नियम हैं। उदाहरण के लिए अवर सचिव के लिए नियम हैं, अपील नियम वर्गीकरण आदि हैं। उनमें अधिकार बताये गए हैं। हम संशोधन के अन्तर्गत हम वर्ग के लिए अनुशासनात्मक अधिकार वहीं बने रहेंगे। यदि कोई अवर सचिव कोई गलती करता है या अनुशासन विरोधी बात करता है तो निर्वाचन आयोग को उस पर जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए वह मुख्य सचिव को लिखेगा। अतः निर्वाचन आयोग को अनुशासन बनाये रखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया जायेगा। वास्तविक अधिकार तो केवल इन्हीं नियमों में निहित है। मेरे संशोधन में कहा गया है कि उस अनुशासनात्मक अधिकार में जो विशेष अधिकार निहित है,चुनाव प्रक्रिया अवधि के दौरान वह लागू नहीं होगा। तथा उस अवधि के दौरान उन सभी अधिकारोंको चुनाव आयोग प्रयोग में लायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय मेरा संशोधन श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन की ही तरह है मैं उन्हें फिर से दोहराना नहीं चाहती। इसके अलावा मैं कुछ अतिरिक्त कारण बताऊंगी कि क्यों हम राज्य सरकार की मंजूरी चाहते हैं और क्यों अधिकारियों को किसी और उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

महोदय, यदि निर्वाचन आयोग का पुनर्गठन किया गया होता तो हम इस पर विचार कर सकते थे, परन्तु बिना किसी पुनर्गठन के यह संशोधन काफी महत्वपूर्ण है।

दूसरे, महोदय यह राज्य सरकार के अधिकारों को कम करना है। उच्च स्तर पर की गई

इन सभी घोषणाओं के बावजूद कि अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण होगा मैं जानना चाहती हूँ आपने अचानक ही क्यों यह केन्द्रीयकरण किया। महोदय वैसे तो मैं निर्वाचन आयोग पर कोई संदेह नहीं कर रही हूँ। परन्तु महोदय, यह भी सच है कि निर्वाचन आयुक्त के निर्णयों को अदालत में चुनौती दी गई है। और अदालतों ने अनेक बार उन्हें उलट दिया है। अतः यह भी प्रश्न से परे नहीं है। महोदय इसीलिए मैं समझती हूँ कि यह दो प्रावधान किए जाने चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मेरा संशोधन है।

"इस धारा के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन आयोग से अभिप्रेत है तीन सदस्यीय आयोग जिनकी नियुक्ति चयन समिति की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री तथा विरोधी दलों के नेता से मिलकर बनेगा, जिसका चयन संसद में राष्ट्रीय विरोधी दलों तथा ग्रुपों द्वारा किया जायेगा।"

महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में बहु-सदस्यीय आयोग का प्रावधान है। हम संशोधन को लाने में कुछ भी गलत नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने भाषण देते हुए जो कहा और मन्त्री जी ने जो कहा मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि उन्हें निर्वाचन आयुक्त से कोई कठिनाई नहीं है। केवल विपक्ष को ही निर्वाचन आयुक्त से कठिनाई है। विपक्ष को इससे क्यों दिक्कत है? महोदय ऐसा कह कर आपने निर्वाचन आयुक्त पर आरोप लगाया है। आप निर्वाचन आयुक्त से खुश क्यों हैं? आपको प्रसन्न क्यों होना चाहिये? यदि निर्वाचन आयुक्त संसद के सभी मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय लेती है—यह अधिकार तो निर्वाचन आयुक्त को है—तो यह फैसला करने से उन्हें कौन रोक सकता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कहते हैं कि आप प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताइए आप क्यों खुश हैं? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय नहीं लिया हैं?

मेरे पास "**प्रोब**" नामक पत्रिका है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि निर्वाचन आयुक्त ने काफी ऐसे निर्णय लिए हैं जिसे आपने पसन्द नहीं किया है और ऐसे निर्णय भी लिए हैं जिन्हें हमने पसन्द नहीं किया। उन्होंने ऐसा कहा है। आप हमें उस संदर्भ में लीजिए। जब उन्होंने कहा कि हम निर्वाचन आयोग को सुदृढ़ करना चाहते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें लोक सभा चुनाव न कराये जाने के बारे में कुछ नहीं करना है। हम हमेशा ही मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, किसी उच्च अधिकारी को खुश करने की कोशिश करने का यह बहुत ही गलत तरीका है। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है।

इस '**प्रोब**' फरवरी, 1988 की पत्रिका में भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त, श्री एस. एल. शकधर का एक साक्षात्कार छपा है, जिन्हें संविधान का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। जब उनसे पूछा गया।

"निर्वाचन आयुक्त पर किस तरह का दबाव डाला जा सकता है?"

उन्होंने जवाब दिया :

"यह सीधे ही अथवा प्रधान मंत्री के दूत द्वारा डाला जा सकता है।"
यह उत्तर दिया गया था। एक और प्रश्न है :

"यदि निर्वाचन आयुक्त पर दबाव निरन्तर पड़ता रहे तो अन्ततः क्या होगा ?"
जवाब था :

"संविधान की भावना समाप्त हो जायेगी।"*

फिर उनसे पूछा गया :

संवैधानिक तरीकों को उपयोग में लाने के अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त पर कोई किस तरह से दबाव डाल सकता है ?"

उत्तर :

"एक तरीका आयुक्त से किसी तरह का वायदा करना हो सकता है और कहना कि उसका भविष्य उनके हाथों सुरक्षित है। मैंने इसे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव नहीं किया है।"

जब बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग के गठन से इन्कार किया जाता है और जब वे वर्तमान आयुक्त के प्रति अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं, तो हमें शंका होती है। निश्चय ही, मैं आयुक्त की साहायता पर शक नहीं करता। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दक्ष नहीं हो सकता। परन्तु संस्थानिक सुरक्षा होनी चाहिये तथा लोगों को यह समझना चाहिये कि अपने संघटनात्मक रूप में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है। यह बहुत ही लोकतांत्रिक मुद्दा है और यदि लोकतन्त्र में आपका विश्वास है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा संशोधन है कि वर्तमान प्रणाली को रहना चाहिये। मैं नहीं जानता सरकार की मंशा क्या है; जब वे कहते हैं कि कर्मचारी, स्टाफ आदि जो कि चुनाव कार्य में बुलाने पड़ेंगे उन्हें निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। क्या इससे निर्वाचन आयोग मजबूत होगा ? मैं जानना चाहता हूं क्या यह समस्याएं पैदा करेगा। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि ये अधिकारीगण रोज के कार्य के अलावा चुनाव संबंधी कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिये जिला मजिस्ट्रेट या सब-डीविजन अधिकारी आदि को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उन्हें अपने संबंधित विभागों में काम करना होता है। यदि उन्हें निर्वाचन आयोग में प्रतियुक्ति' पर माना जाता है तो उनके काम का क्या होगा ? क्या उन्हें प्रतिनियुक्ति की इस अवधि में केवल चुनाव कार्य ही करना होगा ? यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त यह संशोधन राज्य सरकार के अधिकारों को भी कम करेगा। जब वर्तमान प्रणाली ठीक से काम कर रही है और अधिकारीगण अपने काम के साथ-साथ चुनाव कार्यों को भी कर रहे हैं तो इस संशोधन को लाने के पीछे सरकार का क्या इरादा है ?

दूसरे, जब तक निर्वाचन आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय बनाकर सुदृढ़ नहीं किया जाता, जब तक इसे स्वतन्त्र शासी तथा स्वतन्त्र नहीं बनाया जाता तो इस समय विद्यमान कमी को दूर नहीं किया जा सकता। कल श्री एच. के. एल. भगत ने कहा था। कि ये कदम निर्वाचन आयोग को

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कमजोर कर देंगे। ये कदम निर्वाचन आयोग को कमजोर नहीं करते। बल्कि ये तो इसे और मज-बूत करेंगे। अतः मैं समझता हूं कि इस समय प्रचलित पद्धति को बनाये रखना चाहिये।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मुझे आश्चर्य कि विपक्ष इस मामले में सहमत नहीं है।

प्रो. मधु दण्डवते : ये अनुपूरक संशोधन हैं। आपको यह पता चलेगा यदि आप उन्हें पढ़ेंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : निर्वाचन आयोग की स्वतन्त्रता के बारे में चिंतित होकर कुछ मान-नीय सदायों ने कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया ताकि निर्वाचन आयोग सचमुच में स्वतन्त्र हो सके तथा अपने अधिकारों को लागू करने के लिए हो सके।

कुछ सदस्यगण, विशेषतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा तेलगू देशम पार्टी के सदस्यगण, चुनाव आयोग के हाथ मजबूत नहीं करना चाहते।

4.00 म. प.

कुछ माननीय सदस्य : जी. नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह किसने कहा ?

श्री बी. शंकरानन्द : यह आपने कहा था। मैं नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप हाथ मजबूत करने की कोशिश क्यो कर रहे हैं ? हम सारे चुनाव आयोग को मजबूत करना चाहते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं वास्तव में आपकी सूझबूझ की दाद देता हूं। आपकी जो सूझबूझ है...

प्रो. मधु दण्डवते : जब आप जवाब देते हैं तो मेहरबानी करके यह ध्यान में रखिये कि हमारे प्रत्येक संशोधन को अन्य सभी का समर्थन मिले। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : मैंने कभी भी नहीं सोचा कि विपक्ष ऐसे संशोधन रखते समय एक एक साथ ही दोनों तरह की बातें करेंगे। मैंने यह कभी नहीं सोचा था।

कुछ सदस्यों का कहना है कि उन्हें कर्मचारी दिये जाने चाहियें ताकि वे वास्तव में बेहतर ढंग से काम कर सकें। मुझे इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कुछ सदस्यों ने खुलम-खुल्ला कहा है कि हमें इस संशोधन पर आपत्ति है। अब, मुझे बताइये कि उनका क्या होगा जो इस संशोधन को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दे रहे हैं ? आपका क्या होगा जब वे इसका विरोध करेंगे ?

प्रो. मधुदण्डवते : आप अपनी प्रतिक्रिया बताइये।

श्री बी. शंकरानन्द : तो मेरी प्रतिक्रिया यह है कि मैं उन माननीय सदस्यों की इच्छा से सहमत हूं जो चुनाव आयोग को स्वतन्त्र बनाना चाहते हैं। परन्तु क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान चुनाव आयोग स्वतन्त्र नहीं है ? कृपया हमें अपने विचारों से अवगत कराइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा करके आप हमारे मन में सन्देह पैदा कर रहे हैं···

श्री बी. शंकरानन्द : मुझे अपने विचारों से अवगत कराइये।

प्रो. मधु दण्डवते : हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम चुनाव आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए हम उसमें निहित सुरक्षा उपाय चाहते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय यह मौका चुनाव आयोग पर इस तरह चर्चा करने के लिए नहीं है। मेरे विचार में विपक्ष की यह नीयत नहीं है। चुनाव आयोग पर इस तरह चर्चा नहीं की जा सकती। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे ऐसी कोई बात न कहें जिससे चुनाव आयोग जो स्वतन्त्र है, जो संवैधानिक सत्ता है; और अधिक कमजोर न बने।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री और कानून मंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद 324 में बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग पर विचार किया गया है। क्या यह एक जुर्म है ?

श्री बसुदेव आचार्य : श्री एच. के. एल. भगत ने कहा था कि इससे चुनाव आयोग कमजोर होगा (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह स्वयं चुनाव आयोग का सुझाव है ?

श्री बी. शंकरानन्द : जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते तब तक मैं आपको नहीं समझा सकता। आप मेहरबानी करके पहले दूसरों की बात को सुनना सीखिये श्री चटर्जी आप कानूनी तथा संवैधानिक मामलों की जानकारी रखने का दावा मत करिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : इससे आपकी मान-प्रतिष्ठा कम होगी। मैं आपको सलाह दे रहा हूं। आप कानून और संविधान के बारे में दुनियां का सारा ज्ञान आपको होने का दावा नहीं कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह दावा कौन कर रहा है ? (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : कानून और संविधान केवल आप ही समझ सकते हैं यह झूठा दावा मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संविधान का रचयिता नहीं हूं।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं जानता हूं कि वे अपने राज्य में क्या कर रहे हैं और यही कारण है कि वे चुनाव आयोग के हाथ मजबूत करने के खिलाफ हैं। वे चुनाव आयोग को मजबूत बनाना नहीं चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि चुनाव आयोग स्वतन्त्र बने। यही कारण है कि इसके खिलाफ हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप यहां क्या कर रहे हैं ? आप नहीं चाहते कि वे चुनाव आयोग स्वतन्त्र रहे। अधिक सदस्य चुनाव आयोग को कमजोर बना देंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिनके बारे में कहा गया है, कर्मचारी वास्तव में चुनाव आयोग के नियंत्रणाधीन है और चुनाव आयोग ···(**व्यवधान**) कानून और संविधान की सम्पूर्ण जानकारी का दावा कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी ने भी यह दावा नहीं किया है। मैंने केवल यह कहा है कि अनुच्छेद 324 में बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग का उल्लेख है। इसमें झूठा दावा कहा है ? (**व्यवधान**)

श्री बी. शंकरानन्द : मैं जानता हूं। कि आप भी कानून के बारे में सभी कुछ जानते हैं। (**व्यवधान**) मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में कानून का क्या अर्थ है। मैं वह भी जानता हूँ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप सभी कुछ जानते हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) **:** आप केवल छुपाना जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाये रखिये। आप इस मामले को यहां क्यों ला रहे हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ जो कुछ कहा है, मैं उसकी निन्दा करता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय का ध्यान विषय से क्यों हटा रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री बी. शंकरानन्द : कृपया संसदीय प्रतिष्ठा और अन्य बातों के बारे में कुछ सीखिये। आप कुछ सीखिये। आप पहली बार संसद में आये हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। (**व्यवधान**) यह सबसे ऊँचा मंच है। आपको मालूम होना चाहिए कि संसद में कैसे व्यवहार किया जाता है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी क्यों चिल्ला रहे हैं ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आपने इसे नष्ट कर दिया है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : ये नहीं सुधार सकते।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय शोर गुल वाले भाग का मैं जवाब नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए···

(**व्यवधान**)

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय सभा के मनोरंजन के लिए क्या मैं एक कहानी सुना सकता हूं-केवल एक कहानी, ताकि तनाव कम हो जाये। एक न्यायालय में एक वकील कुछ कह रहा था। वह चिल्लाया, उसने मेज को थपथपाया, हवा में लात उछाली और हवा में घूंसा मारा। जब दूसरे वकील ने न्यायधीश के समक्ष जवाब देना शुरु किया, तो क्या आप जानते हैं उसने कैसे जवाब देना शुरु किया ? बिना एक भी शब्द बोले उसने पहले वाले वकील की भाव भंगिमा दिखाना ही शुरू कर दिया। (**व्यवधान**) न्यायधीश ने उससे पूछा : आप क्या कर रहे हैं ? उस वकील ने जवाब

दिया; 'मैं उस वकील की टिप्पणियों का जवाब दे रहा हूं ।' क्या मैं ऐसा कर सकता हू ? (व्यवधान) मेरे पास चिल्लाने और जवाब देने की ताकत नहीं है मैं ऐसा नहीं करता । मैं केवल उचित बातों और उचित तर्कों का ही जवाब दे सकता हूं । (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह अभी बहुत विनम्र दिखाई दे रहे है ।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं कह सकता हूं कि उन सदस्यों की इच्छा से सहमत हूं जो वास्तव मे चुनाव आयोग को ···(व्यवधान) परन्तु क्या आप यह कहना चाहते है कि चुनाव आयोग स्वतन्त्र नहीं है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह किसने कहा ?

श्री बी. शंकरानन्द : क्या यह आपका मामला है ? (व्यवधान) दूसरी ओर यह उपबन्ध चुनाव आयोग को उन सभी कर्मचारियों के उपर अधिकार देता है जो चुनाव के दौरान तथा नाम-निर्देशन और मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप देने के लिए तैनात किये जाते हैं । हम सभी कर्मचारियों को थोड़े समय के लिए चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में लाना चाहते हैं । मैं इसे पढ़ता हूं । इसमें कहा गया है;

> "इस भाग में निर्दिष्ट अधिकारी और सभी निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने, उनका पुनरीक्षण और संशोधन करने के सम्बन्ध में तथा निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में नियोजित कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के लिए जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे ·······"

यहां अवधि का भी उल्लेख किया गया है । ये प्रतिनियुक्तियां हमेशा के लिए नहीं हैं । मैं आगे पढ़ता हूं :

> "····और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे ।"

हम इन लोगों को चुनाव आयोग के अनुशासन के अधीन ला रहे हैं । । ऐसी शिकायतें मिली थीं कि राज्य तन्त्र भी गड़बड़ी में लिप्त है मतदान केन्द्र पर कब्जे करने में सहायता कर रहा है, यह सोच कर कि वे सीधे राज्य के अधिकारियों के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन है (व्यवधान) हम कहते हैं: नहीं; उस अवधि के दौरान वे चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में होने चाहियें यानि इन लोगों पर अनुशासनात्मक अधिकार चुनाव आयोग का होना चाहिए । इस दृष्टिकोण से मैं उन माननीय सदस्यों से जो वास्तव में इस उपबन्ध का विरोध कर रहे हैं, निवेदन करता हूँ कि उन्हें अपनी पोल नहीं खोलनी चाहिए, यानि कि वे स्वतन्त्र चुनाव आयोग के पक्षधर नहीं हैं ।

इसलिए मैं उनके किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री शान्ताराम नायक : मैं अपने संशोधन संख्या 97 को वापस लेने हेतु सभा की अनुमति चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 97 वापस लिया गया ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं शेष संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रख सकता हूं ।

प्रो. मधु दण्डवते : हमने आपको लिखकर दिया है कि इन संशोधनों को किस प्रकार रखा जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 81, 19 और 136 को सभा में अलग-अलग मतदान के लिए रखना होगा । अन्य संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखा जा सकता है ।

श्री वी. शंकरानन्द : विपक्ष को इन चुनावों के लिए राज्य को अधिकार दिये जाने का पक्षधर घोषित मत कीजिये क्योंकि इसमें उन्हें राज्य के पक्ष में गड़बड़ी करने में सहायता मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं संशोधन संख्या 17 सभा को मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 —

"और" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"निर्वाचन आयोग के लिए सरकारी तन्त्र से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र एक कार्यकारी तन्त्र की व्यवस्था करके आयोग की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के पश्चात्" (19)

सभा में मत-विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या 11] [4.17 म. प.

पक्ष में

अप्पालानरसिंहम, श्री पी.	चौधरी, श्री सैफुद्दीन
अय्यर, श्री वी. एस. कृष्ण	जनार्दनन, श्री कादम्बुर
आचार्य, श्री बसुदेव	जायनल अबेदिन, श्री
कल्पना देवी, डा. टी.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.
खां श्री मोहम्मद अयूब (झुंझुनपुर)	तिरकी, श्री पीयूष
गुरड्डी, श्री एस. एम.	तुलसीराम, श्री वी.
गोस्वामी, श्री दिनेश	थामस, श्री तम्पन
घोष गोस्वामी, श्रीमती बिभा	दंडवते, प्रो. मधु
चटर्जी, श्री सोमनाथ	दत्ता, श्री अमल
चौधरी, श्री समर ब्रह्म	दास, श्री रेणुपद

पटेल, डा. ए. के.
पाटिल, श्री डी. बी,
पाठक, श्री आनन्द
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
बिश्वास, श्री अजय
बैठा, श्री डूमर लाल
भूपति, श्री जी.
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम
यादव, श्री विजय कुमार
रत्नम, श्री एन. वेंकट
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
राय, डा. सुधीर
राव, श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर
राव, डा. जी. विजयारामा
राव, श्री बी. शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजुबन
रेड्डी, श्री के. रामचन्द्रन
रेड्डी श्री मानिक
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डी, श्री सी. माधव
शाहबुद्दीन, श्री सैयद
सान्याल, श्री मानिक
सम्बु, श्री सी.
साहा, श्री अजित कुमार
साहा श्री गदाधार
*सिंह श्री सत्येन्द्र नारायण
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नाम मोल्लाह श्री
हेतराम, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

विपक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अख्तर हसन, श्री
अतीतन, श्री आर. धनुषकोडी
अब्बासी, श्री के. जे.
अरुणाचलम् श्री एम.
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद श्रीमती आबिदा
अहमद श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
उरांव, श्रीमती सुमति
एण्टनी, श्री पी. ए.
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयर, श्री चनैया

कमला कुमारी, कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन, प्रो. मिजिनलंग
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, पृथ्वी चन्द
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुजूर, श्री मौरिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुरेशी, श्री अजीज
केन श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
गढ़वी, श्री बी. के.
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री सी. डी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावित श्री माणिकराव होडल्य
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा. फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी. बी.
गोंडर, श्री ए. एस.
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे

घोलप, श्री एस. जी.
घोषाल, श्री देबी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखरप्पा श्री टी. वी.
चार्ल्स, श्री ए.
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई. के.
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झिकराम, श्री एम. एल.
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजीभाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन.
तपेश्वर सिंह, श्री
तारीक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा. चन्द्रशेखर

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा
थुंगन, श्री पी. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर, सिंह श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिन पाल
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्म देव
देवरा, श्री मुरली
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नायक, श्री शांताराम
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पंवार, श्री सत्यनारायण
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री जी. आई.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री सी. डी.
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल श्री प्रकाश बी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुष्पा देवी, कुमारी
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के. एन.
प्रधानी, श्री के.
प्रभु श्री आर.
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बलरामन, श्री एल.
बशीर, श्री टी.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा. राजेन्द्रकुमारी
बीरबल, श्री
बाल गौड श्री
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बैरागी श्री बालकवि

भगत, श्री एच. के. एल.
भरतसिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा. कृपासिंधु
भोये श्री एस.एस.
भोसले, श्री प्रताप राव बी.
मकवाणा श्री नरसिंह
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माधुरीसिंह, श्रीमती
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री गर्गीशंकर
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्री डा. प्रभात कुमार
मीराकुमार, श्रीमती
मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुरमू, श्री सिद्ध लाल
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई

मोतीलाल सिंह, श्री
मोरे, प्रो. रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के.
याजदानी, डा. गुलाम
यादव, श्री आर. एन.
यादव, श्री डी. पी.
यादव, श्री राम सिंह
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के. एच.
रणबीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राज करनसिंह, श्री
राजहंस, डा. गौरी शंकर
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्रकाश, चौधरी
राम समुझावन, श्री
रामसिंह, श्री
राय, श्री आई. रामा
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री जे. चोक्का
राव, श्री जे. वेंगल
रावणी, श्री नवीन

रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीर सेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस.
व्यास, श्री गिरधारी लाल
शंकर लाल, श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही. श्री ललितेश्वर
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
सईद, श्री पी. एम.
सकरगयेन श्री कालीचरण
सलाउद्दीन, श्री
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगरावडीवेल, श्री एस.
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह श्रीमती किशोरी
सिंह श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस. डी.
सिंह देव, श्री के. पी.
सिंहनाल, श्री एस. बी.
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के तारा देवी
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सुन्दरसिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन.
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेन, श्री भोला नाथ
सोढी, श्री मानकूराम
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्वैल, श्री जी.जी.
षण्मुखम, श्री पी.
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, प्रो. एम. आर

उपाध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 55

विपक्ष में : 239

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री माधव रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 81 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 और 10—

"निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त पर समझे जायेंगे" "के स्थान पर" निर्वाचन आयोग के सामान्य अधीक्षण के अधीन समझे जायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाए (81)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

विपक्ष में

मत विभाजन संख्या 12] [4.20 म. प.

पक्ष में

अप्पालनरसिंहम, श्री पी.
अय्यर, श्री वी. एस. कृष्ण
आचार्य, श्री बसुदेव
कल्पना देवी, डा. टी
‡कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
गुरड्डी, श्री एस. एम.
गोस्वामी, श्री दिनेश
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री समर ब्रह्म
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जायनल अबेदिन, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.
तिरकी, श्री पीयूष
तुलसीराम, श्री वी.
थामस, श्री तम्पन
दण्डवते, प्रो. मधु

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपने मत रिकार्ड कराए :

पक्ष में : सर्व श्री बी. बी. रमैया, डी. एन. रेड्डी की पेंचालीया ।

विपक्ष में : श्री अब्दुल हमान अन्सारी, डा. बी. एल. शैलेश, डा. जी. एम. डिल्लों, श्रीमती प्रभावती गुप्त, सर्व श्री चन्द्र किशोर पाठक, सत्येन्द्र नारायण सिंह, मोहम्मद अयूब खां, काली प्रसाद पाण्डेय, रामदेव राय और राज मंगल पाण्डेय ।

‡पक्ष में गलती से मतदान किया गया ।

दत्ता, श्री अमल
दास, श्री रेणुपद
पटेल, डा. ए. के.
पाटिल. श्री डी, बी
पाठक, श्री आनन्द
पेंचालैया, श्री पी.
बनातवाला, श्री जी. एम.
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
बिश्वास, श्री अजय
भूपति, श्री जी.
भूरिया. श्री दिलीप सिंह
मलिक. श्री पूर्णचन्द्र
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमत गीता
मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम
यादव, श्री विजय कुमार
रत्नम, श्री एन. वेंकट
रमैया, श्री बी. वी.
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
राय, डा. सुधीर
राव, श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर
राव, डा. जी विजयरामा
राव, श्री बी. शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री के. रामचन्द्रन
रेड्डी श्री मानिक
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डी श्री सी. माधव
शाहबुद्दीन, श्री सैयद
सान्याल, श्री मनिक
सम्बु, श्री सी.
साहा ,श्री अजित कुमार
साहू, श्री गदाधर
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह श्री
हेतराम, श्री

विपक्ष में

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
अन्सारी, अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अतीतन, श्री आर. धनुषकोडी
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के. जे.
अरुणाचलम, श्री एम.
अलगेसन, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी. ए.

एंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी
कामसन प्रो. मिजिनबंग
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुजूर, श्री मौरिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
गढ़वी, श्री बी. के.
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री सी. डी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावित, श्री माणिकराव होडल्या
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा. फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी. बी.
गौडर, श्री ए. एस.
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे
घोलप, श्री एस. जी.
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चाल्र्स, श्री ए.
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई. के.
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जीवरत्नम, श्री आर.
जुझार सिंह, श्री
जेना श्री चिन्तामणि
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजीभाई
डिगाल, श्री राधाकान्त
डेनिस, श्री एन.
ढिल्लो, डा. जी. एस.
तपेश्वर सिंह, श्री
तारीक़ अनवर श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह

त्रिपाठी, डा. चन्द्र शेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा
थुंगन, श्री पी. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल,
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्म देव
देवरा, श्री मुरली
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नायक, श्री शांताराम
नोखरा, श्री रामेश्वर
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पंवार, श्री सत्यनारायण
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री यू. एच.
पटेल, श्री जी. आई.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री सी. डी,
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल, श्री प्रकाश बी.
पाटिल, श्री बालाहिब विखे
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुष्पा देवी, कुमारी
पोतदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधान, श्री के. एन.
प्रधानी, श्री के.
प्रभु, श्री आर.
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बलरामन, श्री एल.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालगौड़, श्री टी.
बीरबल, श्री

वीरेन्द्र सिंह, श्री
बैठा, श्री डूंगर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच. के. एल.
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भोई, डा. कृपा सिंधु
भोये, श्री एस. एस.
भौंसले, श्री प्रतापराव बी.
मकवाना, श्री नरसिंह
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र डा. प्रभात कुमार
मीराकुमार, श्रीमती

मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोरे, प्रो. रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के.
याजदानी, डा. गुलाम
यादव, श्री आर. एन.
यादव, श्री डी. पी.
यादव, श्री राम सिंह
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ श्री के. एच.
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राज करनसिंह, श्री
राजहंस, डा. गौरी शंकर
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री

राम प्रकाश चौधरी
राम समुझावन, श्री
राम सिंह श्री
राय, श्री आई. रामा
राय, श्री राज कुमार
राय, श्री रामदेव
राव, श्री जे. चोक्का
राव, श्री जे. वेंगल
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीर सेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस.
व्यास श्री गिरधारी लाल
शंकरानन्द, श्री बी.
शंकरलाल श्री
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही श्री ललितेश्वर
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई.
शैलेश, डा. बी. एल.
श्रीनिवास प्रसाद. श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
सईद, श्री पी. एम.
सकरलयेन, श्री कालीचरण
सलाउद्दीन श्री
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगरावडीवेल. श्री एस.
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह. श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस. डी.
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के. पी.
सिधनाल श्री, एस. बी.
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिद्धार्थ श्रीमती डी. के. तारा देवी
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन.
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह	स्पैरो, श्री आर. एस.
सेन, श्री भोला नाथ	स्वैल, श्री जी. जी.
सोडी, श्री मानकूराम	षण्मुख, श्री पी.
सोरन, श्री हरिहर	हरपाल सिंह, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हाल्दर, प्रो. एम. आर.

उपाध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 58

विपक्ष में : 246

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 136 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

'पृष्ठ 2'—

पंक्ति 11 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन आयोग से अभिप्रेत है तीन सदस्यीय आयोग जिसकी नियुक्ति चयन समिति की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री तथा विरोधी दलों के नेता से मिलकर बनेगा, जिसका चयन संसद में राष्ट्रीय विरोधी दलों तथा ग्रुपों द्वारा किया जाएगा।" (36)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या 13 [4.25 म. प.

पक्ष में

अंप्पालानरसिंहम, श्री पी.	गुरुडी, श्री एस. एम.
अय्यर, श्री वी. एस. कृष्ण	गोस्वामी, श्री दिनेश
कल्पना देवी, डा. टी.	घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत पक्ष में रिकार्ड कराये ।

पक्ष में : श्री डी. एन. रेड्डी ।

विपक्ष में : श्री अरविन्द तुलसी राम कांबले, श्री टी. बशीर, श्री एम. एल. झिकराम, श्री नन्दलाल चौधरी, काली प्रसाद पाण्डेय, श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ।

चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री समर ब्रह्म
चौधरी श्री सैफुद्दीन
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जायनल अबेदिन, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.
तिरक्की, श्री पीयूष
तुलसीराम, श्री वी.
थामस, श्री तम्पन
दण्डवते, प्रो. मधु
दत्ता, श्री अमल
दास, श्री रेणुपद
पटेल, डा. ए. के.
पाटिल, श्री डी. बी.
पेंचालैया, श्री पी.
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
विश्वास, श्री अजय
भूपति, श्री जी.
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम
यादव, श्री विजय कुमार
रत्नम, श्री एन. वेंकट
रमैया, श्री बी. वी.
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
राय, डा. सुधीर
राव, श्री ए. जे. वी बी. महेश्वर
राव, डा. जी. विजयरामा
राव, श्री वी. शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री के. रामचन्द्र
रेड्डी, श्री डी. एन.
रेड्डी, श्री मानिक
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डी, श्री सी. माधव
शाहबुद्दीन, श्री सैयद
सान्याल, श्री मानिक
सम्भू, श्री सी.
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हेतराम, श्री

विपक्ष में

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
अन्सारी श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अतीतन, श्री आर. अनुयकोडी
अब्दुल गफूर श्री
अब्बासी, श्री के, जे.
अरुणाचलम, श्री एम,
अलंकाराम, श्री

अवरथी, श्री जगदीश
अहमद. श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी. ए.
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेययर, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन. प्रो. मिजिनलंग
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुचन. श्री गंगाधर एस,
कुजूर, श्री मौरिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
खां, श्री असलम शेर
खां श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
गढ़वी, श्री बी. के.
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री सी. डी.
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावित, श्री माणिकराव होडल्य
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा. फूलरेणु
गोपेश्वर श्री,
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी. बी.
गौडर, श्री ए. एस.
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे
घोलप, श्री एम. जी.
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखरप्पा श्री टी. वी.
चार्ल्स, श्री ए.
चाहिला श्री पराग
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई के.
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जीवरत्नम श्री आर.
जुझार सिंह श्री
जेना, श्री चिन्तामणि

जैन, श्री बुद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झिकराम, श्री एम. एल.
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन.
ढिल्लों डा. जी. एस.
तपेश्वर, सिंह श्री
तारिक अनवर, श्री
सिग्गा, श्री साइमन
तिलकधारी सिंह, श्री
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा. चन्द्रशेखर
त्रिपाठी श्रीमती चन्द्रा
थुन्गन, श्री पी. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास मुन्शी, श्री प्रियरंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्म देव

देवरा, श्री मुरली
नायक, श्री शांताराम
नोखरा, श्री रामेश्वर
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पंवार, श्री सत्यनारायण
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री यू. एच.
पटेल, श्री जी. आई.
पटेल, श्री मोहन भाई
पटेल, श्री सी. डी.
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पाडेय, श्री काली प्रसाद
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल श्री प्रकाश वी.
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्रीराम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तम, श्री वक्कम
पुष्पा देवी, कुमारी
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के. एन.
प्रधानी श्री के.
प्रभु, श्री आर.
बघेला, श्रीप्रताप सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बलरामन, श्री एल.
बशीर, श्री टी.
बालगौड़, श्री टी.
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, श्री कृपा सिंधु
भोये, श्री एस. एस.
भोसले, श्री प्रतापराव बी.
मकवाना, श्री नरसिंह
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन

महाबीर प्रसाद श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री गार्गीशंकर
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा. प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुण्डाकल, श्री जार्ज जोसफ
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुशरान श्री अजय
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मौर्य, प्रो. रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के.
याअदानी, डा. गुलाम
यादव, श्री आर. एन.
यादव, श्री डी. पी,
यादव, श्री राम सिंह
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगानाथ, श्री के. एच.
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राजकरन सिंह, श्री

राजहंस डा. गौरी शंकर
राठवा श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम सिंह, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश चौधरी
राय, श्री आई. रामा
राय, श्री राज कुमार
राय, श्री रामदेव
राव, श्री जे. चोक्का
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरसेन, श्री
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस,
व्यास, श्री गिरधारी लाल
शंकरलाल, श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई.
शैलेश, डा. बी. एल.
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
सईद, श्री पी. एम.
सकरगयेन, श्री काली चरण
सलाउद्दीन, श्री
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगरावडीवेल, श्री एस.
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री एस. डी.
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव. श्री के. पी.
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारा देवी

सुन्दर सिंह, चौधरी	सोढी, श्री मानकूराम
सुखराम श्री	सोरन, श्री हरिहर
सुन्दरराज, श्री एन.	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
सुमन, श्री रामप्यारे	स्पैरो, श्री आर. एस.
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री	स्वैल, श्री जी. जो.
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.	षण्मुख, श्री पी.
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह	हरपाल सिंह, श्री
सेन, श्री भोला नाथ	हाल्दर, प्रो. एम. आर.

उपाध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा।

पक्ष	54
विपक्ष	247

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 के लिए शेष संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या : 20, 40. 46, 57, 58. 68, 83, 91, 119, 128 **और** 146 सभा **के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3-धारा 2 में संशोधन

श्री अमल दत्ता (डायमन्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **और** 19…

"जो धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रुप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है।" का लोप किया जाए। (47)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत दिये।

पक्ष में : श्री बसुदेव आचार्य।

विपक्ष में : डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी. श्री भानुप्रताप सिंह, श्रीमती सुन्दरवती, नवल प्रभाकर और श्रीमती बसवराजेश्वरी।

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 17 से 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(च) राजनीतिक दल'' से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है जिसे चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन चिन्हों के आवंटन क प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। (84)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 3 के लिए संशोधन संख्या 47 और 84 को सभा के मत-दान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 47 और 84 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4—धारा 3 में संशोधन

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3-

पंक्ति 27 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(ङ) वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या पर्यावरण के परिरक्षण, संरक्षण या सुधार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों" (1)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

पृष्ठ 2,

(i) पंक्ति 27—

'भाषा, आदि' का लोप किया जाए।

(ii) तंक्ति 28 तथा 29—

"और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कार्य करने का अपराध" का लोप किया जाए। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36—

'वर्गों के स्थान पर 'समुदायों' प्रति स्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 3 का लोप किया जाए। (9)

पृष्ठ 3—

पंक्ति 8 से 11 का लोप किया जाए। (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12 से 14—

'धारा 125 (निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या, का लोप किया जाए। (11)

पृष्ठ 3—

पंक्ति 18 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

'(झ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(ञ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (12)

पृष्ठ 3, 'पंक्ति 29 और 30'—

"और छः मास से अन्यून के कारावास से दंडविष्ट किया गया है" का लोप किया जाए। (13)

पृष्ठ 3—

पंक्ति 32 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"(2क) शिशु कन्या वध, जिसमें कन्या भ्रूण को नष्ट करना (गर्भ के चिकित्सीय समापन को छोड़कर) भी सम्मिलित है, का दोषी कोई व्यक्ति छः वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह होगा।" (14)

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3—

पंक्ति 18 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए—

"(झ) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1988 की धारा 7" (21)

पृष्ठ 3—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"(क) अभ्यर्थी छः वर्ष की अवधि के लिए भी निरर्हित होगा यदि उसके द्वारा की गई अपनी आस्तियों की घोषणा किसी न्यायालय द्वारा गलत पाई जाती है।" (22)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3—

पंक्ति 18 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(क) यदि यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी विधायी निकाय के अधीन किसी लाभ के पद पर है या किसी सोसाइटी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी और/या किसी निगम का चेयरमैन तथा/या निदेशक है, तो उसे छः वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित भी किया जाएगा" (36)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3—

पंक्ति 37 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए।

"(4) चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अभियान के दौरान निर्वाचन में अपनी तथा दल की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करता है जैसे पूजा स्थलों का दौरा करना, लोगों को धार्मिक शपथ दिलाना या धार्मिक अपील करना, तो उसे अपराध करना माना जाएगा और वह व्यक्ति छः वर्ष तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए निरर्हित हो जाएगा।" (59)

श्री शांताराम नायक : मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ठ 3, पंक्ति 29—

"छः मास' के स्थान पर 'एक मास' प्रतिस्थापित किया जाए। (98)

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए।

"(क) कोई व्यक्ति जो—

(क) नशीली दवाओं का सेवन करता है और शराब या किसी अन्य मादक द्रव्य का आदि है, या

(ख) कर-अपवंचन का दोषी है, या

(ग) अधिकतम सीमा से अधिक जगम और स्थावर सम्पत्ति रखता है; या

(घ) एक से अधिक पत्नी या उपपत्नी रखता है; या

(ङ) एक से अधिक मकान या पचास ग्राम से अधिक सोना रखता है,

(छः) वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित भी होगा।" (115)

पृष्ठ 3—

पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(2-क) कोई व्यक्ति जो अदालतों को परेशान करने का दोषी है, छः वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित भी होगा।" (116)

श्री मोहन महन्ती (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ठ 3, पंक्ति 30 से 32,—

"और उसे छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निरहित बना रहेगा।" का लोप किया जाए। (122)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,—

"वर्गों" के स्थान पर

"जातियों और समुदायों" प्रतिस्थापित किया जाए। (129)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12,—

"वर्गों" के स्थान पर

"जातियों और समुदायों" प्रतिस्थापित किया जाए। (130)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ठ 3, पंक्ति 18,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"सिवाय तब के जब दोष सिद्धि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत हुई हो, जिसके लिए निरर्हता ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से बारह वर्ष के लिए होगी।" (138)

श्री तम्पन थामस : मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ट 3—

पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी सोसाइटी का पदधारी होने के नाते या उस हैसियत में उस संगम मे उसका केवल संबंध होने के नाते खाद्य या औषध अपमिश्रण से सम्बन्धित विधि का उल्लंघन न करने का दोषी है परन्तु खाद्य या औषध अपमिश्रण की वास्तविक प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त नहीं है निरहित नहीं होगा।" (156)

श्री बी. शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ठ 3—

पंक्ति 10 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित करें।

"(ज) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 की धारा 7 (धारा 3 से 6 तक के उपबन्धों के उल्लंघन का अपराध), अथवा" (163)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11—

"(ज) के स्थान पर" (झ)" प्रतिस्थापित किया जाए।" (164)

श्री शांताराम नायक : खाद्य अपमिश्रण अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा सती निवारण अधिनियम जैसे अनेक अधिनियमों का उल्लेख किया गया है। आप इन अधिनियमों के अन्तर्गत किये गए अपराधों में छः महीने के कारावास की व्यवस्था कर रहे हैं। परन्तु एक महत्वपूर्ण अधिनियम अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का लोप कर दिया गया है जिसके लिए हम सब चिंतित हैं। इसलिए मेरे संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई खण्ड 4 में उल्लेखित विभिन्न अधिनियमों के अधीन कोई अपराध करता है तो पर्यावरण के परिणाम तथा सुधार के लिए भी कोई उपबन्ध बनाया जाना चाहिए। यदि हम पर्यावरण के परिरक्षण के लिए चिंतित है तो यह उपबन्ध सम्मिलित किया जाए।

दूसरे इस विधेयक में जो छः महीने के कारावास की व्यवस्था है उसे घटाकर एक महीना कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी न्यायालय छः महीने तक की सजा नहीं देता है। यह केवल एक महीने की सजा देगा। इसलिए यह अवधि घटाकर एक महीना की जानी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : खण्ड 4 (1) में जिन अपराधों का उल्लेख किया गया है वे भारतीय दन्ड संहिता की धारा 153 के अन्तर्गत दण्डनीय है। उसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान रिहाइश तथा भाषा के नाम पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करने संबंधीत एक धारा है। चूंकि यह अयोग्य ठहराने का प्रश्न है इसलिए मैं चाहती हूं कि भाषा तथा सौहार्द बनाये रखने के प्रतिकूल कार्य करने के शब्दों को भी निकाल दिया जाए। मैं यह इसलिए चाहतो हूं कि आज यदि मणिपुर भाषा को आठवी अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए आंदोलन हो रहा है यदि दूसरे लोग इसे दूसरी भाषा के साथ शत्रुता समझते हैं तो यह अयोग्य ठहराने वाला उपबन्ध हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस उद्देश्य के लिए 'भाषा' शब्द रहे। तत्पश्चात महोदय, सौहार्द शब्द भी बड़ा व्यापक है। किसी भी बात को कहा जा सकता है कि यह सौहार्द भंग कर रही है। इसलिए मेरे विचार से अयोग्य ठहराने वाले उपबन्ध में से 'सौहार्द' शब्द को भी निकाल दिया जाना चाहिए।

महोदय, पृष्ठ 3 पर उपखण्ड (घ) की पंक्ति 1 से 5 में बताया गया है कि किन अपराधों में किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसमें कहा गया है 'धारा' 10 से 12 तक (विधि विरुद्ध घोषित किये गये किसी संघ संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी विधि विरुद्ध संगम की निधियों से सम्बधित कार्य करने से सम्बद्ध अपराध, किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध ......" मैं नहीं चाहती कि यह खण्ड इस प्रकार बना रहे। इसकी व्याख्या कौन करेगा कि कौन सा क्रिया कलाप विधि विरुद्ध है; हमारा बड़ा कटु अनुभव रहा है। पश्चिमी बंगाल में हमारे दल को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और उसी संगठन से कनसरी हलधर ने भूमिगत रहते हुए चुनाव लड़ा और बहुमत से जीता। ऐसा किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि यदि कनसरी हलधर आज चुनाव लड़ता तो इस विधि विरुद्ध क्रियाकलाप द्वारा उस पर रोक लगा दी जाती। मैं जानती हूं कि इसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो धार्मिक स्थलों के बारे में हैं तथा जिनके बारे में श्री शंकरानन्द जी समूचे सदन द्वारा इसे पारित करने की बात कहेंगे। लेकिन उसके लिए एक अलग कानून है। उस कानून

के बारे में पहले से ही प्रस्ताव रखा जा चुका है तथा आप उसे शामिल करने के लिए सहमति दे चुके हैं। अतएव उसके लिए समस्त गैर कानूनी बातों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कौन जानता है "अजि सम्राट कालि शे बन्दी कुटीरे राजार प्रतिद्वन्द्वी" अर्थात हो सकता है कि आज आप राजा है। पर कल आप बन्दी भी हो सकते हैं। अतएव ऐसे गैर कानूनी खण्ड बनाने से पूर्व इस पर अच्छी तरह से विचार करें।

महोदय, इसके बाद मेरा अगला संशोधन आतंकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलापों के बारे में है। अब जो लोग इस कानून के अधीन दोषी पाए गए हैं उन्हें भी चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा। हम आंतकवादियों के खिलाफ है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम आंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपना खून बहा रहे हैं। लेकिन जब यह कानून बनाया गया था तो हमने इसका प्रबल विरोध किया था क्योंकि इसमें वह पूरा क्षेत्र आता था जहां विशेष अदालतों में निर्दोष लोगों को भी दोषी ठहराया जा सकता था तथा वे इससे बाहर कर दिए जायेंगे। तब वे फिर इस खण्ड के जरिए उन्हें अपने खिलाफ नहीं खड़े होने देंगे। अतः इसे इस प्रयोजन से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः मैं चाहती हूँ कि इस उपखण्ड (छ) को पूरी तरह से निकाल दिया जाए यानि कि आतंकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलाप (विरोधक) अधिनियम के अन्तर्गत दोषी साबित किए गए व्यक्ति को अयोग्य करार देने वाले खण्ड को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

और भी ऐसे कानून हैं जिनके अन्तर्गत दोषी पाए गए लोगों को आयोग्य करार दिया जा सकता है, मैं चाहती हूं उनमें से दो कानूनों को इसमें शामिल किया जाए। एक है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 जिसे सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हरुभाई जी ने इसके लिए धन्यवाद दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद लेने का दावा नहीं कर सकती लेकिन इसके शामिल कर लिए जाने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैंने इसमें एक और अधिनियम शामिल किया है—शासकीय गुप्त बात अधिनिय, 1923, क्या कोई ऐसा व्यक्ति, जो विदेशी ऐजेंट साबित हो चुका है, चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है ? मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए। अतराव शासकीय गुप्त बात अधि-नियम को भी अयोग्य करार देने वाले खण्ड में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, यहां एक और खण्ड दिया गया है। वह उस खण्ड (2) के बारे में है जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा (निवारक) अधिनियम आदि का उल्लेख किया गया है। यदि इन अधिनियमयो के तहत किसी को दोषी ठहराया जाता है तो उसे यदि कम से कम छः माह से अन्यून के कारावास दिये जाने पर अयोग्य करार दिया जायेगा आदि आदि। मेरे विचार में छः महीने की सजा को माप दण्ड नहीं बनाया जाना चाहिए। सती प्रथा का समर्थन करने के लिए यदि कोई दोषी ठहराया जाता है, चाहे वह छः महीने से कम सजा क्यों न पाए, उसे सती प्रथा का समर्थन करने के लिए चुनाव में खड़ा होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अतएव मैं चाहती हूं "छः माह से अन्यून के कारावास" इस वाक्य को इसमें से निकाल दिया जाए। इसके शुरुआत में ही यह कहा गया है कि "भारत की अदालत के उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए" आदि।

इतना ही पर्याप्त है। अतः यहां छः मास की अवधि का रखा जाना जरूरी नहीं है।

महोदय, मैंने एक मुद्दा और जोड़ा है कि किसी कानून का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस पर कोई न कोई कानून अवश्य ही बनाया जायेगा कि बालिका शिशु

वध सहित बालिका भ्रूण की हत्या के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को, सिवाय इसके कि चिकित्सा पद्धति में ऐसा करना आवश्यक हो, छः वर्ष के लिए अयोग्य करार देना चाहिए। आपने उस कानून के बारे में नहीं कहा है। इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि इस प्रकार के अपराधों के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को भी अनर्ह घोषित किया जाएगा।

महोदय, एक और संशोधन के बारे में मैं भूल गई थी। मेरे दृष्टिकोण में यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक बात है। किसी को भी दण्ड संहिता के अधीन अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। लेकिन मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में दण्ड संहिता से सहमत नहीं हूँ अर्थात् मैं दो वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा या गलत इरादों को बढ़ाने के सम्बन्ध में वक्तव्य देने सम्बन्धी अपराध के प्रश्न से सहमत नहीं हूँ महोदय, हमारी भाषा में वर्गों की अर्थात् आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा शोषित वर्ग की परिभाषा दी गई है। अतः मैं चाहती हूं कि 'वर्गों' के स्थान पर 'समुदाय' शब्द रखा जाए क्योंकि दुःख उन्हीं को सहना पड़ता है।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, मेरे दो संशोधन हैं। मेरा पहला संशोधन यह है कि धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 की धारा 7 के उल्लंघन को अयोग्यता का एक आधार बनाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय, पहले ही एक संशोधन अलग से रख चुके हैं और इसलिए मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगा। यह संशोधन उसी के जैसा है। बेशक, इसे पारित किया जा सकता था। वह मेरे संशोधन को पारित करने की अनुमति दे सकते थे। लेकिन वह नहीं चाहते कि विपक्षी सदस्य का संशोधन पारित किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह अच्छी बात है कि आप उपखण्ड (i) में किए गए मेरे संशोधन को (ज) के अन्तर्गत रख रहे हैं। आप मेरे संशोधन को अधिक महत्व दे रहे हैं। अतः मैं बुरा नहीं मानता।

इसके अतिरिक्त, मेरा संशोधन 22 किसी को अयोग्य ठहराने का एक अन्य आधार है अर्थात् यदि न्यायालय किसी उम्मीदवार द्वारा की गई उसकी परिसम्पत्ति की घोषणा को गलत पाता है तो उस उम्मीदवार को छः वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि उम्मीदवार को अपनी परिसम्पत्ति और वित्तीय जिम्मेदारी का विवरण निर्वाचन अधिकारी को देना चाहिए और इसे प्रस्तुत करने के बाद यदि न्यायालय कभी भी यह पाता है कि उसकी घोषणा सही नहीं है तो उस मामले में भी इसे उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का आधार मानना चाहिए। यहां भी जैसे आपने पहले संशोधन को स्वीकार किया था इसी प्रकार वैसे ही आप दूसरा संशोधन भी स्वीकार करेंगे।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मेरे दो संशोधन हैं अर्थात् संशोधन संख्या 36 और संशोधन संख्या 1561 महोदय, संशोधन 36 में बताया गया है कि लाभ के पद कौन-कौन से हैं। कई लोगों ने, जिनके पास सरकारी पद है कहा है कि इसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं है। इसलिए अपने संशोधन में मैंने सुझाव दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार अथवा किसी विधायी निकाय में लाभ के किसी पद पर है अथवा किसी सोसायटी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या निगम का अध्यक्ष या निदेशक है, उसको भी छः वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। महोदय, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी व अन्य सरकारी निकायों में नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रभाव की सब को जानकारी है। अतएव उन्हें अलग रखने के लिए मैंने यह संशोधन रखा है। मेरा दूसरा संशोधन संख्या 156 है, जो मैं अपने अनुभव से पेश कर रहा हूं। सदन का ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि अयोग्य

ठहराए जाने के मुख्य आधार को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि छोटे लोगों को तो पकड़ लिया गया है लेकिन बड़े लोग बचे हुए हैं।

महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्तियों को अयोग्य नहीं ठहराया गया है और वे लोग, जो इस देश की गोपनीय जानकारी को दूसरे देशों को बेचते हैं और ऐसी गति विधियों में लिप्त हैं, उन्हें भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत अपनी निर्दोषिता का साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व दोषी व्यक्ति पर है और कोई व्यक्ति किसी कॉपरेटिव सोसायटी का अध्यक्ष अथवा पदाधिकारी होने के नाते मात्र अपनी सार्वजनिक गतिविधियों के कारण निर्वाचित होता है। लेकिन अपने को निर्दोष साबित करने का दायित्व उसी पर है तथा वह वस्तु जिसमें किसी और ने मिलावट की है उसके पास है। क्योंकि जो वस्तु उसके पास पाई गई है वह बेचने के प्रयोजन से ही खरीदी गई है और उस वस्तु का उसके पास पाया जाना ही एक अपराध है और यदि उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो यह जरूरी है कि अदालत उसे दोषी ठहराए यदि वह वस्तु उस कापरेटि सोसायटी के पास मिलती है। मान लीजिए, सुपर बाजार के एक अध्यक्ष हैं। सुपर बाजार में 20 या 25 ऐजेंसियाँ हैं। जब सबूत एक व्यक्ति के खिलाफ है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हाल ही में मेरे पास दो मामले आए हैं जिनके बारे में मुझे व्यक्तिग रूप से जानकारी है। वहां भी यही बात हुई थी। इन दोनों बातों के कारण मैं चाहूँगा कि मेरे सुझावों पर ध्यान दिया जाए तथा मेरे संशोधनो को स्वीकार कर लिया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन संख्या 59 इस प्रकार है :—

"(4) चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अभियान के दौरान निर्वाचन में अपनी तथा दल की 'सम्भावनाओं' को बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करता है जैसे पूजा स्थलों का दौरा करना, लोगों को धार्मिक शपथ दिलाना या धार्मिक अपील करना, तो उसे अपराध करना माना जाएगा और वह व्यक्ति छः वर्ष तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए निरर्हित हो जाएगा।"

महोदय, हमारे यहाँ धर्म, जाति तथा अन्य बातों के द्वारा फूट डालने के आधार पर अयोग्य करार देने का प्रावधान है। लेकिन हमें इसकी गहराई तक जाना होगा। धर्म स्वयं अपने आप में बुरा नहीं है। लेकिन हमारे देश में राजनीतिज्ञ खराब हो सकते हैं तथा जब राजनीतिज्ञ धर्म से अनुचित लाभ उठाते हैं तो वह साम्प्रदायिकता का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रधान मंत्री जी से धर्म निरपेक्षता पर भाषण सुना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो धर्म को राजनीति से मुक्त रखने तथा वस्तुतः पृथक करने के हमारे इरादे सफल हो सकते हैं। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि एक धार्मिक व्यक्ति को, पूरे वर्ष में धार्मिक स्थान पर पूजा के लिए जाता है, उसे जन प्रतिनिधि बनने से कैसे अयोग्य ठहरा सकते हैं। हम चुनावों के दौरान उस धार्मिक स्थल पर आने से कैसे रोक सकते हैं? हम इस पर चर्चा कर सकते हैं तथा इन व्यक्तियों के लिए छूट का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन वे लोग, उदाहरण के लिए, यदि हम सदन के नेता को लें, जो साल के बाकी दिनों में कभी भी किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाता है, लेकिन चुनाव के दिनों में वह सोचता है कि उसे धार्मिक पूजा स्थल पर जाना चाहिए तो इस आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। (व्यवधान) यदि आप इसके प्रति गम्भीर हैं तो आप इसे स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : उपाध्य महोदय, हमने एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवाद गणतन्त्र देश बनाने की प्रतिज्ञा की है। अभी हम जो कानून लाए हैं उसके दल के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिंसिपल आफ सोशलिज्म, सैकुलरिज्म एण्ड डैमोक्रेसी लगा दिया है। यह एक अच्छी बात है।

जो कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करे वह इस बात का ध्यान रखे कि उसका उम्मीदवार समाजवाद में विश्वास रखता हो और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हो। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि वह एक अच्छा व भला आदमी हो और समाज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला न हो। इसी वजह से मैं यह संशोधन लेकर आया हूं।

[अनुवाद]

"नशीले पदार्थों का आदी तथा वह व्यक्ति जो शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ का व्यसनी है;"

[हिन्दी]

हमारे इण्डियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में यही लिखा गया है, आप पेज 6 पर देखिये, जहां पर एक्टिव मैम्बरशिप की बात आती है, वहां पर यह लिखा गया है—

[अनुवाद]

कि अल्कोहल युक्त पेयो तथा नशीले औषधों से परहेज करता है।

[हिन्दी]

लेकिन जो में लिखा गया है।

[अनुवाद]

जिसके पास अधिकतम सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

हमने जमीन के लिए तो सीलिंग ला बनाया है लेकिन आज भी बहुत से लोगों के पास उससे ज्यादा जमीन है, आज भी उन्होंने कुत्ते, बिल्ली के नाम पर जमीन रखी है। आज भी प्रापर्टी की सीलिंग नहीं हुई है, गोल्ड, पैसा, बिल्डिंग भी प्रापर्टी हैं इसलिए प्रापर्टी की डेफिनीशन के लिए यह विधेयक लाना चाहिए। अगर नहीं लाते हैं तो कांग्रेस के संशोधन मे इसको रखने से कोई अर्थ नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत से आदमी हैं, हर एक पार्टी में, जिन्होंने सीलिंग से ज्यादा जमीन रखी है और जो इलैक्शन में खड़े होते हैं, उनके लिए यह करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ तथ्य आधारित यह संशोधन रखा है कि जिसके पास ज्यादा प्रापर्टी हो, जो टैक्स इवेजन करता हो, जो दूसरी औरत रखता हो या ज्यादा गोल्ड, पैसा रखता हो, जो दारू पीता हो या गरीब लोगों का हरैसमैण्ट करता हो, उनको डिबार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको आप मान लें। आपने यह बहुत अच्छा बिल रखा है, इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन मेरे प्रस्ताव को आप मान लें, यह मेरा अनुरोध है।

श्री विजय कुमार यादव : मेरे संशोधन 129 और 130 बहुत छोटे से हैं। संविधान में इस

बात का जिक्र है हमने समाजवादी व्यवस्था अपनाई है, ऐसी हालत में पूंजीवाद के खिलफबोलना, पूंजीवाद के खिलाफ प्रचार करना या उस के खिलाफ इल विल जाहिर करना जो डिस्क्वालिफिकेशन में दिया है, मैं समझता हूं कि यह संविधान का उल्लंघन करता है इसलिए क्लास के ऊपर कास्ट और कम्युनिटी जोड़ा जाय और क्लास को हटाया जाय क्योंकि, कास्ट और अमीरी-गरीबी के खिलाफ लड़ाई चल रही है और चलेगी। इसको रोका नहीं जा सकता।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत उप-धारा (च) में सूचिबद्ध अपराधों के लिए अनर्हता की अवधि को बढ़ाये जाने के बारे में है अन्य सभी सातों किस्म के अपराधों के लिए अनर्हता अवधि 6 वर्ष किए जाने का विचार हैं। मैं अपने संशोधन में यह मांग कर रहा हूं कि स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन दोषी पाये गए लोगों को 12 वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया जाए। वास्तव में, अन्य प्रकार के अपराध समाज पर इतना बुरा प्रभाव नहीं डालते जितना कि स्वापक अधिनियम के अन्तर्गत यह चीजें समाज को प्रभावित करती हैं उदाहरण के लिए आज दिल्ली में 70.000 व्यक्ति नशीले पदार्थों के आदी हैं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए नशे का सामान पहुंचाने वाले लोग हैं और यह अत्यन्त लाभकारी गैर कानूनी और विनाशकारी धंधा कर रहे है। पाकिस्तान में भी वहां के प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या नशीले पदार्थों की तस्करी की है। अभी आधा घण्टा पहले संविधान में संशोधन करके हमने मतदान करने की आयु-सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष दिया है। दिल्ली में नशे के व्यसनी 70.000 लोगों में से अधिकांश लोग 18 से 20 वर्ष के बीच हैं। उन्हें बचाने के लिए तथा नशीले पदार्थों के आदी इन युवा लोगों के दिमाग में निवारक सजा का डर डालने के लिए मैं पुरजोर अपील करता हूं कि अनर्हता अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष अवश्य कर दिया जाय।

इसके अतिरिक्त इसी सदन में निकट भविष्य में या तो इस सत्र में अथवा आगामी सत्र में आप एक विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए यदि मैं गलत नहीं हूं तो मौत की सजा की सिफारिश की जाने वाली है। यदि आप नशीले पदार्थों के सेवन को इतना बुरा मानते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमें इन लोगों को सजा देनी होगी (व्यवधान) यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। मेरा यही अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन जो जनता तथा युवा लोगों की भलाई के लिए है को स्वीकार करके एक ऐतिहासिक परिपाटी कायम करें।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मेरा संशोधन इस अर्थ में सरल है कि मैं मंत्री महोदय का ध्यान खण्ड 1 की ओर आकर्षित करता हूं। खण्ड 1 में केवल इतना कहा गया है,, अपराध के अन्तर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा मिलेगी। किन्तु किसी निश्चित सजा का जिक्र नहीं किया गया है।

खण्ड 2 में कहा गया है,, कैद की सजा होगी जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी।

मुझे समझ नहीं आया कि इसमें अन्तर क्या है। क्या सरकार यह मानती है कि खण्ड 1 मे निर्दिष्ट अपराध खण्ड 2 में गिनाए गए अपराधों से कम हैं? आप जानते हैं कि जहां तक भारतीय दण्ड संहिता का संबन्ध है, उन दिनों आपराधिक विधि शास्त्र सामन्ती व्यवस्था के समर्थन में बना था इसलिए व्यक्ति के विरुद्ध अपराध को कम गंभीर माना गया था।

इस मामले में आप इन अपराधों के मामले में इतने निर्दयी क्यों हैं कि केवल 6 महीने की सजा ही होगी और उसे अयोग्य कर दिया जाएगा :

श्री बी. शंकरानन्द : पर्यावरण संरक्षण के संबंध में माननीय सदस्य का सुझाव प्रशंसनीय है। किन्तु मैं नहीं समझता कि हम इसे चुनाव लड़ने के लिए अनर्हता मान सकते हैं। सभा इस बात की तारीफ करेगी कि हमने इस पहलू पर मंत्रि मण्डल में विचार किया था।

श्री अजय मुशारन : आप इसी प्रकार के अपराधों के लिए धारा 2 ला रहे हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : एक अन्य माननीय सदस्य ने भाषा की बात कही थी। मेरे विचार से, इस खण्ड में कोई द्विअर्थता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसकी शब्दावली से विसम्मति और द्विअर्थता उत्पन्न होती है। मेरे विचार में इस खण्ड में द्विअर्थता नहीं है।

मेरे विचार से यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि इस बात में क्या बुराई है यदि वो व्यक्ति किसी गैर-कानूनी संस्था का केवल सदस्य है। (व्यवधान) कम से कम इस ओर के हम लोग आप भी इस बात से सहमत नहीं हैं तथा उस ओर भी बहुत से लोग हैं, जो आपसे सहमत नहीं है मैं आपका संशोधन नहीं मान सकता। उन लोगों के संबंध में भी संशोधन की मांग की गई है जो आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों में संलग्न हैं। मुझे हैरानी है कि माननीय सदस्य को ऐसा कहने का साहस कैसे हुआ कि ऐसे लोगों को भी इसे सदन का सदस्य बनने दिया जाये हम ऐसे लोगों को इस सदन का सदस्य कैसे बना सकते है जो विघटनकारी और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं और गैर-कानूनी काम कर रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों को इस सदन का सदस्य बनाना चाहते हैं ? मैं नहीं समझता कि सदन इसे स्वीकार करेगा (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह मामला आपके राज्य की विधान सभा में उठाया जाना चाहिए था (व्यवधान) जहां तक अन्य बातों का संबन्ध है, उन्होने निर्दोष लोगों की बात कही है। यह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गैर-कानूनी संस्था का सदस्य है, तो वह अयोग्य ठहराया जायेगा। केवल दोष सिद्धि पर ही उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अयोग्य ठहराया जाएगा कि वह किसी संस्था का सदस्य है। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : इस उपबन्ध के अनुसार, यदि गांधी जी आज जिन्दा होते, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वह दफ्तरों पर धरना देते थे स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेते रहे थे। और मजदूर संघ आन्दोलन में हिस्सा लेते रहे थे (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : क्या आप इस प्रयोजन के लिए गांधीजी का उदाहरण दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तम्पन थामस भी गांधीजी बनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : श्री तम्पन थामस काफी संघर्ष हीन हो चुके हैं क्योंकि वह गांधी जी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : मैंने केवल यही कहा है कि वह इसके लिए गांधी जी का उदाहरण दे

रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि वह पुराने हो चुके हैं। यह बात आपने कही है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी कोई गांधी जी के बारे हैं सोचता है।

प्रो. मधु दण्डवते : वह गांधीवादी हैं। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : जब आप गांधी जी के बारे में नहीं सोचते, वह सोचते है **(व्यवधान)**

श्री बी. शंकरानन्द : भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, राजकीय गोपनीयता अधिनियम भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम तथा अन्य बातों के बारे में धार्मिक आधार पर मतदाताओं से शपथ लेने के बारे में किसी ने सुझाव दिया है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए इसलिए अयोग्य ठहराया जाए क्योंकि वह मन्दिर जाता है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सारा साल कोई धार्मिक स्थान पर नहीं जाता केवल चुनाव के दिनों में ही जाता है··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उसका उसी दिन विश्वास हो सकता है। उसका इतना ही विश्वसा होगा।

(व्यवधान)

[**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया शान्त रहिए। आप कृपया मंत्री महोदय का उत्तर सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अजय मुशरान जी, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं ? यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : सौभाग्यवश, यह आपका रिवाज है। कृपया कुछ सीखने की कोशिश करें कृपया सुनना सीखें। मैं कुछ सीखना नहीं चाहता। कृपया आप सुनना सीखें **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुछ लोग धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री अजय मुशरान : जब आप धर्म में विश्वास नहीं रखते तो आप क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वक्त बर्बाद न करें

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

5.00 म. प.

श्री बी. शंकरानन्द : मैं कुछ लोगों को जानता हूं क्योंकि मैं अब से नहीं, स्वतन्त्रता पूर्व से राजनीतिक में हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुले तौर पर और सार्वजनिक मचों पर यह

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कहते हैं कि उनका धर्म में विश्वास नहीं है लेकिन वास्तव में वे धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं। यदि कोई व्यक्ति मन्दिर और अन्य स्थानों पर जाता है तो ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें इसके लिए सजा की व्यवस्था हो और इसे एक अपराध माना गया हो। ऐसा कोई कानून नहीं है। आप इस धारा को अवश्य पढ़िये जिस मे कहा गया है केवल यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, तभी उसको अनहं किया जाएगा। यदि आप इसे नहीं समझ सकते, तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

कृपया समझने का प्रयास कीजिए। इस देश में आपका भविष्य उज्जवल है ? (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से बहस नहीं कर सकता। मैं केवल इतना कहूंगा कि यह पूर्ण समापन नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सूची समाप्त है। सरकार का दावा ऐसा नहीं है कि जितने सभी अपराध हमने रखे हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए और उनके अन्तर्गत लोगों को अनहं किया जाना चाहिए। लेकिन आपने सुझाव रखे हैं। वास्तव में, हम उन्हें देखेंगे और वे विचार किये जाने योग्य हैं। लेकिन इस समय विपक्ष को इन उपबन्धों का विरोध नहीं करना चाहिए और उन्हें इन संशोधनों का समर्थन करना चाहिए। (व्यवधान)

मैं प्रोफेसर दंडवते के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं श्री हरुभाई मेहता के प्रति भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने अपने संशोधनों को रखा है और हमने उनसे अनुरोध किया था कि वे हमारे संशोधनों से सहमत हों। हम यह दावा नहीं करते कि यह हमारा संशोधन है। हमने कहा है कि ये उनके संशोधन हैं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : मैं केवल इतना पूछ रहा था कि क्या आपने उसे वापस ले लिया है।

श्री बी. शंकरानंद : मैं वापस कैसे ले सकता हूं ? मैं उसे पहले ही रख चुका हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि सूची समाप्त नहीं हुई है। यही कारण है ···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : राजकीय गोपनीयता अधिनियम में क्या कमी है ?

श्री बी. शंकरानंद : यह वहां पहले ही है। सबसे पहले मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार करे और इसके बाद अन्य संशोधनों को अस्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले सरकारी संशोधनों को स्वीकार किये जाने के लिए रख रहा हूं और फिर मैं अन्य संशोधनों को रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 3'—

पंक्ति 10 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

(ज) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 188 की धारा 7 (धारा 3 से धारा 6 तक के उपबन्धों के उल्लंघन का अपराध) अथवा" (163)

पृष्ट 3, पंक्ति 11, —

"(ञ)" के स्थान पर "(झ)" प्रतिस्थापित किया जाये।" (164)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय उन सदस्यों के बारे में क्या हुआ जो अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री शांताराम नायक : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 98 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 98, सभा की अनुमति से वापस लिये गये

श्री बृजमोहन महंती : मैं अपना संशोधन संख्या 122 को वापस लेने के लिए सभा को अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 122, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

श्री अजय मुशारन : मैं अपने संशोधन संख्या 138 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 138, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब शेष संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 21 22, 36, 59, 115, 116, 129, 130, और 156 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 संशोधित में, रूप विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5-नई धारा 28 क का अन्तः स्थापन

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4...

पंक्ति 2 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

',परन्तु इस धारा का उपबन्ध संसद के द्वारा विधि द्वारा निर्वाचन आयोग का स्वतन्त्र सचिवालय स्थापित किये जाने के और आयोग को आयोग द्वारा नियोजित निर्वाचन कर्मचारियों पर संघ सरकार के नियंत्रण से स्वतन्त्रपूर्ण प्राधिकार दिये जाने के पश्चात् लागू होगा।" (41)

श्री अमल दत्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति एक और 2—

"और तदनुसार ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधी-क्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।,, का लोप किया जाए। (48)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूँ;

पृष्ठ 3, पंक्ति 51—

"है" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए —

"सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति के अध्यधीन," (60)

पृष्ट 4, पंक्ति 1,—

"ऐसे अधिकारी" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"केवल निर्वाचन के सम्बन्ध में उन्हें सौंपे गए कार्य के बारे में तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।" (61)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूँ;

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय—

"परन्तु ऐसे निर्वाचन कराने सम्बन्धी अधिसूचना की तारीख को तथा से प्रारम्भ होने वाली तथा ऐसे निर्वाचन की घोषणा की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण करेगा।" (62)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 4, पंक्ति 1, —

"आयोग के" के पश्चात् "एक मात्र" अन्तःस्थापित किया जाए। (69)

श्री सी. माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 3, पंक्ति 51,—

"निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे" के स्थान पर "निर्वाचन आयोग के सामान्य अधीक्षण के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाए।—(85)

डा. ए. के पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 47—

"और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी और किसी राज्य सरकार द्वारा किसी निर्वाचन के संचालन के लिए तत्समत पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी "के स्थान पर" "यह भाग और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के महानिदेशक और दूर-दर्शन आकाशवाणी दोनों के समाचार अनुभागों के सम्पूर्ण कर्मचारीवृन्द समझे जाएंगे" प्रतिस्थापित किया जाए"। (92)

श्री शांताराम नायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु निर्वाचन प्रक्रिया के अनुक्रम के दौरान अनुशासनहीनता के कार्यों के मामले में, किन्हीं ऐसे अधिकारियों की सेवाओं को शासित करने वाले अनुशासनिक दण्ड देने वाले और अपीलीय पुनरीक्षण प्राधिकरण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के होते हुए भी, निर्वाचन आयोग विधि के अधीन उपबन्धित शास्ति लगाने वाली शक्तियों सहित, एकमात्र अनुशासनिक प्राधिकरण होगा, और सम्बन्ध अधिकारियों के अनुशासनिक मामलों को निपटाने से सम्बन्धित विधि सीमित प्रयोजन के लिए उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी और उक्त विधि के अधीन सामान्य अनुक्रम में अधिकारियों को अपील और या पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई उपबन्ध उस सीमा तक निलम्बित समझा जायेगा।" (99)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 51,—

"समझे जाएगे" के पश्चात् "बशर्ते कि सम्बन्धित राज्य सरकार सहमत हो" अन्तःस्थापित किया जाए। (123)

श्री अमर रायप्रधान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 51,—

"को समाप्त होती है" के पश्चात "संयुक्त राज्य सरकार की सम्मति से" अन्तःस्थापित किया जाए। (117)

श्री दिनेश गोस्वामी : यह स्वतन्त्र सचिवालय के बारे में मेरे संशोधन संख्या 40 की तरह है। श्री शंकरानन्द और प्रधान मन्त्री ने एक बहुत ही विचित्र तर्क दिया है कि यदि आप एक स्वतंत्र सचिवालय अथवा बहु-सदयीय आयोग चाहते हैं, तो आप आयोग पर आक्षेप लगा रहे हैं। वास्तव में, जिन लोगों का इस संस्था में विश्वास है, वे इसको मजबूत करना चाहते हैं और जो यह चाहते हैं कि इस संस्था को वे प्रभावित कर सकें, वे इसको मजबूत नहीं करना चाहते हैं।

जब श्री विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष को और अधिकार प्रदान करना चाहते थे, तो क्या उन्होंने उस पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया था ? जब श्री मावलकर अध्यक्ष के पद को मजबूत करना चाहते थे तो क्या उन्होंने स्वयं पर अथवा पण्डित जवाहरलाल नेहरू पर आक्षेप लगाया था ?

वा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने स्वयं चुनाव विभाग बनाने की
स॰ सिफारिश की है। यदि आप चाहते हैं, तो आप अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के श्री गाडगिल द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक को देखिए। उसमें निर्वाचन आयोग को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस संशोधन को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री अमल दत्ता : मैं इस विषय पर पहले ही बोल चुका हूं, सिवाय इसके कि मैं श्री शंकरानन्द द्वारा कही गई बातों, जो उन्होंने हमारे द्वारा पहले कही गई बातों के जवाब में कही है, पर कड़ी आपत्ति करता हूं।

हमें एक क्षण के लिए भी चुनाव आयोग की सत्यनिष्ठा पर सन्देह नहीं है। परन्तु हम देखना चाहते हैं कि इसकी स्वतन्त्रा कानून द्वारा सुनिश्चित की जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक हम चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां नहीं देंगे।

श्री सफुद्दीन चौधरी : मेरा संशोधन इस प्रकार है।

"परन्तु ऐसे निर्वाचन कराने सम्बन्धी अधिसूचना की तारीख को तथा से प्रारम्भ होने वाली तथा ऐसे निर्वाचन की घोषणा की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पूर्ण नियन्त्रण और अधीक्षण करेगा।"

मैंने देखा है कि आपका चुनाव आयोग में बहुत विश्वास है कि आप राज्य के कर्मचारियों को चुनाव अवधि के दौरान चुनाव आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर रख रहे हैं। अतः निष्पक्ष होने के लिए और इस माध्यम के बेहतर उपयोग के हित में आपको इस दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को चुनाव अवधि के दौरान चुनाव आयोग के अधीक्षण के अधीन देने वाले संशोधन को स्वीकर कर लेना चाहिए!

मेरे विचार में इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह इस विधेयक के खण्ड 2 से मिलता जुलता है। माननीय मन्त्री ने कुछ मुद्राओं सहित बहुत परिश्रम करके हमें एक स्पष्टीकरण दिया है। परन्तु वास्तव मे हमें वह प्रभावित नहीं कर सका। मैं यह निश्चित करना चाहता हूं कि यदि चुनाव आयोग यह फैसला करता है कि प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी यदि कोई गलत काम करता है और चुनाव आयोग उसे दण्ड देता है तो क्या वह निर्णय अन्तिम होगा या मूल विभाग अथवा मूल सरकार उस पर आगे जांच करा सकेगी स

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : जो कुछ मेरे नेता श्री माधव रेड्डी ने कहा है उसके अतिरिक्त मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग सभी दलों को इस बात से कायल करे कि वह बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहा है, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि त्रिपुरा में चुनाव होने से पहले त्रिपुरा नेशनल वालंटीयर्स की गतिविधियां सत्तारूढ़ दल की सहमति से बढ़ गई थीं और चुनावों से पहले आपने मतदाताओं पर मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए बड़ी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जवान तैनात कर दिये थे। अब आप वही बात तमिलनाडु में कर रहे हैं। आपने वहां हजारों की संख्या में अर्ध सैनिक बल भेजे हैं मानों वहां अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बटालियन ही नहीं हैं। (व्यवधान)

महोदय केवल यही नहीं कि हमें न्याय करना चाहिए परन्तु ऐसा लगना भी चाहिए कि हमने न्याय किया है। चुनाव का एक दूसरा समान महत्व वाला पहलू है। सत्तारूढ़ दल काफी हद तक आकाशवाणी और दूरदर्शन का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए चुनावों के दौरान आकाशवाणी और

दूरदर्शन को चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्यों न लाया जाये। मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि इंग्लैंड में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन में यह टिप्पणी करने का साहस है कि श्रीमती मारग्रेट थैचर के कुछ कार्य तानाशाही वाले हैं और उसकी आर्थिक नीतियां गलत रास्ते पर जा रही हैं। इसमें ऐसा कहने का साहस है वहां की सरकार इस स्वायत्त निगम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। (व्यवधान)

चुनावों के दौरान हमारे देश में भी आकाशवाणी और दूरदर्शन को चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। तब हम इस तरह के संशोधन के लिए सहमत हो सकते हैं। मैं सरकार से इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए निवेदन करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : सरकार की कई नीतियों की आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कई आलोचकों जिनमें यहां बैठे विपक्षी सदस्य भी शामिल हैं, द्वारा आलोचना की गई है। (व्यवधान)

डा. ए. के. पटेल (मेहसाना) : महोदय, इस चुनाव सुधार विधेयक को लाने का उद्देश्य स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना था परन्तु इस विधेयक से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सत्तारूढ़ दल आकाशवाणी और दूरदर्शन का दुरुपयोग करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दोनों एक स्वायत्त संगठन के अन्तर्गत होने चाहिए ताकि सत्तारूढ़ दल का प्रचार कार्य बन्द हो सके। दूसरे, चुनाव अधिकारियों को नकारात्मक शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें। उन्हें केवल सकारात्मक शक्तियां दी जानी चाहियें। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मेरा संशोधन मेरे पहले वाले संशोधन से मिलता जुलता है। यह अनुशासन हीनता से सम्बन्धित है। अनुशासन हीनता के लिए दण्ड देने की शक्तियां और किसी के पास है अर्थात सेवा नियमों में है। इस संशोधन से चुनाव आयोग किसी को दण्ड नहीं दे सकता जो चुनाव आयोग के अधीन कार्यरत होता है चाहे वह कुछ समय के लिए ही हो। अतः, यदि कोई अधिकारी अनुशासनहीनता करता है तो हम क्या करेंगे? यह मेरा संशोधन है।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, प्रत्येक सदस्य की टिप्पणियों का जवाब देने से पहले, पहले खण्ड 2 और अब खण्ड 5 पर चर्चा करते समय मुझे उनके तर्कों में कुछ अन्तर नजर आता है। जो लोग खण्ड 2 के कतई विरुद्ध हैं वे कहने वाले हैं कि 'नहीं' 'नहीं' आप चुनाव आयोग को कुछ दीजिये ताकि वे स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकें। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं। कुछ मतभेद हैं। इसलिए, मुझे वास्तव में आश्चर्य हो रहा है कि सदस्यगण क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है : नहीं, नहीं, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। सभी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के नियन्त्रणाधीन नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हें राज्य सरकार के अनुशासनात्मक अधिकार के अधीन रखना चाहिए। वे लोग जो ऐसा कह रहे थे उन्होंने 15 मिनट के अन्दर ही अपने विचार बदल लिए हैं और उनका कहना है कि 'नहीं' यह दिया जाना चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमारे प्रति निष्पक्ष रहिये।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं आप से बात नहीं कर रहा हूं (व्यवधान) क्या यह बात आपके योग्य है? (व्यवधान) यह बात आपके लायक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : खण्ड 2 पर मतदान हो चुका है। अब यह विधेयक का अंग है। इस लिए, हम कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री बी. शंकरानन्द : बिल्कुल ठीक है। (व्यवधान) मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। (व्यवधान) आप आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बारे में कह रहे हैं कि यह अधिकार भी चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। सदस्यगण यह कहते है। क्या मैं यह मान लूं कि माननीय सदस्यगण मेरे संशोधन से सहमत है। (व्यवधान)

इसके अतिरिक्त वे यह कहना चाहते हैं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए। ··· (व्यवधान) इसलिए मैं मान लेता हूं कि जहां तक खण्ड 5 का सम्बन्ध है, वे मेरे संशोधन को स्वीकार करते हैं। (व्यवधान)

क्या मैं कुछ कह सकता हूं दूरदर्शन और आकाशवाणी चर्चा का विषय नहीं हैं। सच यह है कि सत्ता पक्ष के लोग मन्त्री जी के प्रति शिकायत रखते हैं कि वह विपक्षी नेताओं का अधिक प्रतिनिधित्व कर रहे है। (व्यवधान) वास्तव में सत्ता पक्ष के बहुत से लोग हैं जो यह कहते हैं कि हम विपक्षी नेताओं को अधिक समय दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो, उन्हें इसे चुनाव आयोग को दे देना चाहिए (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्यों की एकमात्र शिकायत यह रखती है कि जहां तक प्रधान मन्त्री का सम्बन्ध है, दूरदर्शन को चुप रहना चाहिए। प्रश्न यह है कि किसी को पहले प्रधान मन्त्री बनना होगा ताकि उसका फोटो टेलीविजन में आये। आप इस बारे में चिन्तित क्यों हैं ? क्या आपको इसके विरुद्ध कुछ कहना है। (व्यवधान) यह तर्क है। (व्यवधान) मैंने हल्के रूप में कहा है। समस्या यह है कि क्या प्रधान मन्त्री को टेलीविजन तथा रेडियो से दूर रखना चाहिए। क्या आपका यह तर्क है ?

प्रो. मधु दण्डवते : कौन कहता है ? यह हमारे लिए लाभकर है, उन्हें टेलिविजन पर आना चाहिए।

श्री एच. के. एल. भगत : आप टेलीविजन पर मेरे से अधिक दिखाये जा रहे हैं क्योंकि आप अधिक बोलते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : प्रधानमन्त्री जी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। ताकि वह अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। क्या आप उनको बन्द करना चाहते हैं ? हम चाहते हैं कि जो गरीब लोगों के अधिकारों का समर्थन करता है, उसका दूरदर्शन पर प्रसारण होना चाहिए। हम अपने प्रधान मन्त्री पर काफी गर्व करते हैं जो देश भर में जाकर जनता को हमारे दल की विचार धारा बताते रहते हैं।

महोदय, अतः मैं कोई सुझाव स्वीकार नहीं करता। श्री शांताराम नायक द्वारा अनुशासनिक प्राधिकरण के लिए एक सुझाव दिया था। उन्होंने जो बात कही उसमें तथ्य है, किन्तु मैं आशा करता हूं कि चुनाव अवधि के दौरान और संशोधन विधेयक में उल्लिखित तिथियों के दौरान सदस्यों को इस संशोधन से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति संशोधन के संदर्भ में नहीं है किन्तु संशोधन का उद्देश्य यह है कि क्या चुनाव आयोग किसी व्यक्ति विशेष को दंड देने के लिए अनुशासन अधिकारी के रूप में काम

कर सकता है । अनुशासनिक प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा आरम्भ की जा सकती है और अन्ततः उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना तो अनुशास अधिकारियों का ही काम है ।

श्री शांताराम नायक : मैं अपना संशोधन संख्या, 99 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 99, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 5 के सम्बन्ध में शेष संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 41, 48, 60, 61, 62, 69, 85, 92, 117 और 123 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड—6 नये भाग चार (क) का अन्तःस्थापन ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 12 से 14 का लोप किया जाए । (15)

पृष्ठ 4, पंक्ति 41,—

"पन्थ निरपेक्षता" के पश्चात्, "विश्व-शांति" अन्तःस्थापित किया जाए । (16)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 1 तथा 2 का लोप किया जाए । (17)

प्रो. मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 11 से 17 का लोप किया जाये । (23)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 41 से 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगा ।" (24)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(8) आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जायेगी।" (25)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 14,—

"साठ दिन" के स्थान पर "नब्बे दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (29)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

"तीस दिन" के स्थान पर "नब्बे दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (30)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु निर्वाचन आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि कोई उपयुक्त कारण या औचित्य है, उपर्युक्त अवधि, जिसके भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन दिया जाना है में छूट दे सकेगा या उसे बढ़ा सकेगा यह वह उपर्युक्त अवधि के भीतर आवेदन देने में असफलता को माफ कर सकेगा।" (31)

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 43 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और इसकी सदस्यता सभी नागरिकों के लिए खुली है चाहे उसका धर्म, वंश, सम्प्रदाय, जाति, जन्म स्थान या लिंग कोई भी हो।" (32)

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 43 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाये—

"परन्तु यदि कोई संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ से अस्तित्व में है और उस संगम या निकाय के ज्ञापन या नियमों और विनियमों में उपर्युक्त कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, तो उपधारा (1) के अधीन दिये गये आवेदन में यह परिवचन होगा कि ज्ञापन या नियमों और विनियमों में ऐसा विशिष्ट उपबन्ध शामिल करने के लिए सम्यक रूप संशोधित किया जायेगा।" (33)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7,—

"या" के पश्चात् "लिखित में कारण बताकर" अन्तःस्थापित किया जाये। (34)

पृष्ठ 5, पंक्ति 14,—

पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(8) उप-धारा (7) के अधीन किसी निर्णय से व्यथित कोई संगम या निकाय जिसे राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करने से इन्कार किया गया है, ऐसे निर्णय को संसूचित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर उस उच्च न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे संगम या निकाय का प्रधान कार्यालय अवस्थित है अपील कर सकेगा।" (35)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु चुनाव चिन्ह (आरक्षण और नियतन) आदेश, 1968 के अधीन आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में पहले से रजिस्ट्रीकृत किसी संगम या निकाय को इस भाग के उपबन्ध के अधीन उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे संगम या निकाय के ज्ञापन या नियमों और विनियमों को प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा, यदि चुनाव आदेश के अधीन प्रस्तुत किये गये ज्ञापन या नियमों और विनियमों में इस उपधारा के अधीन अपेक्षित विशिष्ट उपबन्ध नहीं है।" (42)

श्री अमल दत्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 1 और 2 का लोप किया जाए। (49)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3 से 6,—

"अपने कब्जे में की यथापूर्वोक्त सभी विशिष्टियों तथा अन्य आवश्यक और सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् और संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात्" का लोप किया जाये। (50)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6,—

"या तो" का लोप किया जाये। (51)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 और 8,—

"या ऐसे रजिस्ट्रीकृत न करने का" का लोप किया जाये। (52)

पृष्ठ 5 पंक्ति 8,—

"अपना विनिश्चय" के स्थान पर "उसे" प्रतिस्थापित किया जाये। (53)

श्री डी. बी. पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5 पंक्ति 1,—

"विशिष्टियों" के पश्चात् "जो इस धारा की उपधारा (4) में उल्लिखित बातों से संबंधित हो और अन्यथा नहीं," अंतःस्थापित किया जाये। (55)

पृष्ठ 5, पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(8) आयोग के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय दलों के मामले में उच्चतम न्यायालय को तथा क्षेत्रीय दलों के मामले में उच्च न्यायालयों को अपील की जा सकेगी।" (56)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु कोई भी राजनीतिक दल रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक पात्र नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसने तीन वर्षों में कम से कम एक बार अपने पदाधिकारियों का स्वतंत्र निर्वाचन नहीं कराया हो और कराता हो।" (63)

पृष्ठ 4, पंक्ति 29,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"उनके निर्वाचन की तारीखें और अवधि जिसके लिए वे निर्वाचित किये गये हैं।" (64)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(8) आयोग इस बारे में अपने विनिश्चय के लिए कारण बताएगा।" (65)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 4, पंक्ति 14,—

"भीतर" के पश्चात् "परन्तु तत्काल" अन्तःस्थापित किया जाये। (70)

पृष्ठ 4, पंक्ति 28,—

"उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम" के स्थान पर "उसके पदाधिकारियों के नाम तथा पद नाम" प्रतिस्थापित किया जाए। (72)

पृष्ठ 4, पंक्ति 31, के स्थान पर

"उसके राज्य, जिला, ग्राम पंचायत एककों यदि कोई हो, का स्थान" प्रतिस्थापित किया जाए। (73)

पृष्ठ 4, पंक्ति 37,—

"विनियमों" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"जिसमें उसके शापन अथवा नियमों तथा विनियमों को ध्यान में रखते हुए उसके पदाधिकारियों तथा अंगों के निर्वाचन अथवा नामांकन करने की रीति तथा उसकी तरीके सम्मिलित हैं।" (74)

[अनुवाद]

डा. ए. के. पटेल (मेहसाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 41 और 43,—

"तथा समाजवाद पन्थ निरपेक्षता और लोकतन्त्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगा" का लोप किया जाये (93)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6,—

"या तो" का लोप किया जाये—(94)

श्री शांताराम नायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

29 ख. (1) राजनीतिक दल या तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या गैर मान्यता प्राप्त दल होंगे।

(2) किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में तभी तथा केवल तभी माना जायेगा जब उस दल द्वारा या तो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्त को पूरा किया जाता है और अन्यथा नहीं अर्थात्:—

(क) कि ऐसा दल—

(क) निरन्तर पांच वर्ष की अवधि तक राजनीतिक क्रियाकलाप करता रहा है; और

(ख) जिसका उस राज्य में यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए आम निर्वाचन में जो तत्समय अस्तित्व में है और कार्यरत है।

(i) लोक सभा के प्रत्येक पच्चीस सदस्यों पर उस सभा के लिये कम से कम एक सदस्य या उस राज्य से निर्वाचित उस संख्या का कोई भाग; या

(ii) उस राज्य की विधान सभा के प्रत्येक तीस सदस्यों पर उस विधान सभा के लिए कम से कम एक सदस्य या उस संख्या का कोई भाग जीत कर आया है;

(ख) कि उस राज्य में यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा जो तत्समय अस्तित्व में है और कार्यरत है के लिए आम निर्वाचन में ऐसे दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के लिए खड़े किये गये सभी अभ्यर्थियों द्वारा मतांकित वैध मतों की कुल संख्या (किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को छोड़कर जो निर्वाचित नहीं हुआ है और उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा मतांकित वैध मतों की कुल संख्या का कम से कम बारहवां भाग मतांकित नहीं कर पाया है, (वैध मतों को छोड़कर), उस राज्य में ऐसे आम निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा मतांकित वैधमतों की संख्या के चार प्रतिशत से कम नहीं है (निर्वाचन लड़ने वाले उन अभ्यर्थियों के वैध मतो सहित जिनकी जमानतें जब्त हो गई है।)

(3) शंकाओं के निराकरण के लिए एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यदि लोक सभा या राज्य की विधान सभा का कोई सदस्य, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए अपने निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उस राजनीतिक दल द्वारा उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) की शर्त को पूरा किया गया नहीं समझा जाएगा।

29 ग. (1) यदि किसी राजनीतिक दल धारा 29ख के अनुसार चार या उससे अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है, तो उसे सम्पूर्ण भारत में एक "राष्ट्रीय दल" के रूप में जाना जाएगा और उसकी प्रास्थिति राष्ट्रीय दल की होगी और वह उसका लाभ उठाएगा, और यदि उस धारा के अनुसार किसी राजनीतिक दल को चार से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है, तो उसे उस राज्य या राज्यों में, जिसमें वह मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल है, एक "राज्य दल" के रूप में जाना जाएगा और उसकी प्रास्थिति राज्य दल की होगी और वह उसका लाभ उठाएगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक राजनीतिक दल जो इस धारा के प्रारम्भ से ठीक पहले एक बहु-राज्यीय दल है, ऐसे प्रारम्भ पर एक राष्ट्रीय दल होगा और तब तक ऐसा बना रहेगा जब तक कि वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् हुए किसी आम निर्वाचन के परिणाम-स्वरूप राष्ट्रीय दल न रहा हो।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक राजनीतिक दल, जो इस धारा के प्रवर्तन के ठीक पहले किसी राज्य में उपर्युक्त बहु-राज्यीय दल से भिन्न एक मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल है, ऐसे प्रारम्भ पर, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् हुए किसी आम निर्वाचन के परिणामस्वरूप उस राज्य में एक राज्य दल होगा। (100)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

पृष्ठ 4. पंक्ति 43,—

के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"तथा वह संगम या निकाय सभी पद निकायों और पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए आवधिक लोकतांत्रिक निर्वाचन कराएगा तथा उनका कार्यकाल चार वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा।" (125)

श्री बृजमोहन महन्ती: मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 43,—

के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"जैसाकि संविधान की अनुसूची में समाविष्ट है तथा इस आश्वासन टिप्पण के साथ कि ऐसे अभ्यावेशित सदस्य व्यक्तिगत रूप में तथा इस सामूहिक रूप में ऐसे ज्ञापन या नियमों तथा विनियमों से सहमत हैं तथा इस परिवचन के साथ कि केवल ऐसे वचनबद्ध व्यक्तियों को ही सदस्यों के रूप में अभ्यावेशित किया जाएगा।" (126)

श्री डी. बी. पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु कोई राजनीतिक दल तभी रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जब उसके संविधान में पद धारियों और कार्यकारी निकायों के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन का उपबन्ध हो और वह तदनुसार कार्य करता हो;

"परन्तु यह और कि यदि किसी राजनीतिक दल के संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है तो उसे रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा;

"परन्तु यह और भी कि किसी राजनीतिक दल के संविधान में ऐसा उपबन्ध होने के बावजूद यदि वह दल तदनुसार कार्य नहीं करता है तो उस राजनीतिक दल को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।" (157)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु कोई राजनीतिक दल जो विनिर्दिष्ट रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है निर्वाचन अभियान के प्रयोजन के लिए रेडियो और दूरदर्शन पर समय पाने का पात्र नहीं होगा।" (158)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैंने खण्ड 6 के लिए तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

34 खण्ड 2 (क) में कहा गया है:

"यदि संगम या निकाय, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के समय विद्यमान है तो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् साठ दिन के भीतर किया जाएगा···और फिर अगले 34 खण्ड में कहा गया है कि उन्हें कतिपय ब्यौरे साठ

दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी है। जिन दलों को चिन्ह दिये जाने के सम्बन्ध में मान्यता पहले ही दे दी गई है। यही पर्याप्त होना चाहिए। उनके लिए मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं है।"

34 खण्ड (6) के लिए मेरा एक और अब खण्ड (6) संशोधन है, कहा गया है :—

"आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे।"

यह बहुत ही व्यापक शब्दावली है। अन्य विशिष्टियां क्या हैं? आयोग दल से कुछ भी अपेक्षा कर सकता है। हो सकता है वह दल उसे कर सकने की स्थिति में न हो। 'ऐसी अन्य विशिष्टियां' मान्यता प्राप्त दलों के लिए लागू नहीं होनी चाहियें। और फिर, यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वे अयोग्य होंगे। अतः मैं समझती हूँ कि इस खण्ड का लोप कर देना चाहिये।

इसके पश्चात् इसके पूर्ववर्ती उप-खण्ड, 34 खण्ड (5) में यह कहा गया है।

"...विधि द्वारा यथास्थापित संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतन्त्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगा।"

प्रातः कामरेड इन्द्रजीत गुप्त ने आम विचारों को प्रस्तुत किया था और कहा था कि इस समाजवाद को यहां शामिल नहीं करना चाहिये। यदि सरकार इससे सहमत होती है तो मैं तुरन्त ही अपने संशोधन को वापिस ले लूंगी। लेकिन यदि वे उससे सहमत नहीं होंगे और इस विधेयक में समाजवाद तथा लोकतन्त्र आदि के सिद्धांतों को रखेंगे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहां वैज्ञानिक समाजवाद है न कि उस तरह का समाजवाद जिसमें आप विश्वास करते हैं। महोदय, यदि आप इस बारे में आग्रह करते हैं तो मैं यह चाहूँगी कि इसमें विश्व शांति की बात को भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसके लिए हम परमाणु युग में प्रत्येक व्यक्ति सच्ची प्रार्थना करता है।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, यहां दो संशोधन हैं जिनमें से मैं एक संशोधन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यह एक साधारण बात है कि उपखण्ड 2 की पंक्ति 29 को छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि 30 दिन और 60 दिन के बाद यह सब व्यर्थ है।

दूसरा संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि मैं एक समाजवादी रहा हूँ परन्तु मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब दलों का निर्माण किया जाता है और चुनाव कराये जाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि समाजवाद को अवश्य ही स्वीकार किया जाए। अनेक स्थान पर रुढ़िवादी दल और अन्य दल रहे हैं। उदाहरणतया मुझे आशा है कि मेरी इस बात से प्रो. रंगा को गलत फहमी नहीं होगी यह कहकर मेरा अभिप्राय उनका अनादर करने से नहीं है, कि एक समय भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र दल अस्तित्व में था। वे राजनैतिक दल थे परन्तु वे समाजवाद के लिए कटिबद्ध नहीं थे। परन्तु इस ;कारणवश आप उन्हें एक राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण कराने अथवा चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते थे।

महोदय प्रो. रंगा के प्रति सम्मान सहित उनकी अनुमति से उदाहरण के तौर पर मैं यह उल्लेख

करना चाहूंगा कि वर्ष 1959 में जब उन्होंने स्वतन्त्र दल के सम्मेलन का उदघाटन किया था तो उन्होंने कहा था :

"दूसरे स्वतंत्र दल कांग्रेस ब्रांड के समाजवाद के विरुद्ध है, जिसके बारे में स्वतन्त्र दल यह समझता है कि यह साम्यवाद के समान ही हैं। इसके अनुसार समाजवाद के जिन ब्रांड का कांग्रेस दल कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है उससे भारत एक ऐसी साम्यवादी राज्य व्यवस्था के निकट आयेगा जिससे आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जायेगी। समाजवाद की यह प्रमुख अवधारणा ऐसी स्वतन्त्रता के विरुद्ध है जिसमें लोग अपने व्यक्तित्व और वैभव का भरपूर विकास कर सके।"

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उन दिनों का कांग्रेसी समाजवाद आजकल के समाजवाद से भिन्न था। **(व्यवधान)**

आजकल वे पेरेसट्रोइका और ग्लासनोस्ट आदि के पक्ष में हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं नहीं चाहता कि स्थिरता रहे। मैं गोर्बाचव से अधिक···**(व्यवधान)**

प्रो. एन. जी. रंगा : आपने विषय को गलत तरीके से लिया है। आप क्यों परिश्रम कर रहे हैं ?

प्रो. मधु दण्डवते : मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं पेरेसट्रोइका और ग्लासनोस्ट आदि प्रत्येक बात का समर्थन करता हूं परन्तु मैं यह उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूं। कि राजनैतिक जीवन में किसी भी स्तर पर दलों में मतभेद हो सकता है···

श्री एच. के. एल. भगत : प्रो. दण्डवते ने कहा है "मैं प्रत्येक बात का समर्थन करता हूं।"

प्रो. मधु दण्डवते : मैं प्रत्येक अच्छी बात का समर्थन करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री एच. के. एल. भगत : मैं केवल आपकी बात को उदगृत कर रहा हूँ। मेरे उदधृत करने पर आपको शिकायत क्यों है ? **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दण्डवते : अतः मैं आपको यह बता रहा था कि ···

श्री एच. के एल. भगत : वे प्रत्येक बात को जनता दल के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं और वे समाजवाद और समाजवाद विरोधी दोनों बातें करने का प्रत्यन कर रहे हैं.

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, हम साथ-साथ कैसे अपना भाषण दे सकते हैं ?

मैं केवल यह कह रहा हूँ कि आपने संविधान में यह उल्लेख किया है जैसी कि विधि द्वारा व्यवस्था की गई है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को एकता और अखंडता का समर्थय करना चाहिए। यह बात पर्याप्त है क्योंकि प्रस्तावना में भी समाजवाद को सम्मिलित किया गया है। जब आप सिद्धांतों की बात करते हैं तो फिर प्रो. रंगा ने 1959 में यह ठीक ही कहा था कि समाजवाद के दृष्टिकोणों और सिद्धान्तों मे अन्तर हो सकता है। अतः मैं यह सुझाव दे रहा था कि संविधान का वैसे ही अनुपालन कीजिए जैसी की विधि द्वारा व्यवस्था की गई है और प्रत्येक व्यक्ति एकता और अखंडता

का समर्थन करेगा। जब हमने यहां खड़े होकर शपथ ली थी और संसद में प्रवेश किया था तब भी हमने यही कहा था। अतः शपथ में जितना भाग सम्मिलित है उसे बनाये रखा जाना चाहिए।

मुझे यह आशा और विश्वास है कि आप प्रारूप को सरल बनायेंगे और तदानुसार मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे और अपने विधि निर्माण को और अधिक व्यवहार्य और तर्क संगत बनाएंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्वरूप में खंड 6 पूर्णतः अस्वीकार्य है। यदि विचार आनुपतिक प्रतिनिधित्व को आरम्भ करने का है जिसका हम सब लोग समर्थन करते हैं और जिसके लिए हम मांग करते हैं तो राजनैतिक दलों के पंजीकरण की बात को समझा जा सकता है। सम्भवत आजकल सरकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं है। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि स्थिति की गम्भीर वास्तविकतायें उसकी पुष्टि कर देगी और उन्हें किसी न किसी दिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को दोबारा अपनाना होगा।

यदि पंजीकरण का विचार किसी दल को केवल एक विशेष विचारधारा को अपनाने के लिए बाधित करना है तो इससे प्रजातन्त्र का महत्व नहीं रह जाता। और इससे हमारे सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है। महोदय इसलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान रूप में खंड 6 पूर्णत अस्वीकार्य है : इस खंड से वही कठिनाईयां और उलझने उत्पन्न होंगी जिनके बारे मे मैंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

महोदय, उदाहरण तथा खंड 6 में कहा गया है कि 60 दिनों के एक निश्चित समय के अन्तर्गत प्रत्येक दल को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यह एक कठोर खंड है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है जबकि इस बारे में तारीख को बढ़ाने की आवश्यकता पड़े और इस बारे में कुछ विलम्ब भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को चुनाव आयोग पर विश्वास होना चाहिए और किसी विशेष स्थिति में इस तारीख को बढ़ाने की शक्ति चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए। हमें भी स्वभाविक विलम्ब की अनदेखी करने की स्थिति में होना चाहिए। अतः मेरा संशोधन संख्या 31 यह है कि उचित कारण अथवा औचित्य के बारे में सन्तुष्ट होने पर चुनाव आयोग उपरोक्त अवधि में छूट दे सकता है अथवा उसे बढ़ा सकता है जिसके अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाना है अथवा यह उपरोक्त अवधि के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विफलता को अनदेखी कर सकता है।

महोदय, मैंने आगे यह उल्लेख किया है कि चाहे कोई नया दल हो अथवा ऐसा कोई दल जो इस अधिनियम को आरम्भ करते समय पहले से ही अस्तित्व में है, उनके लिए पंजीकरण का आवेदन देने की अवधि 90 दिन होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि एक विशेष दल के ज्ञापन के लिए नियमों और विनियमों में एक विशेष खंड अवश्य होना चाहिए। वर्तमान समय में वह खंड सम्भवतः उन्हीं शब्दों में न हो। ऐसी स्थिति में उन विशेष शब्दों को सम्मिलित करने के लिए उस राजनैतिक दल को अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। किसी राजनैतिक दल को नियम और विनियम एक विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं जो इसके संविधान और उसके नियमों और विनियमों के ज्ञापन के संशोधन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसी स्थिति में उस दल का मुख्य कार्यकारी आवेदन करते समय चुनाव आयोग को इस बारे में एक शपथ दे सकता है कि एक निर्धारित समय के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

महोदय यदि चुनाव आयोग किसी राजनैतिक दल का पंजीकरण करने से इन्कार कर देता है तो आयोग लिखित रूप में उस प्रकार इन्कार करने के कारणों को रिकार्ड करने के लिए बाधित होना चाहिए। उससे आगे जो भी दल चुनाव आयोग के निर्णय से असंतुष्ट हो उसके लिए उचित न्यायालय में अपील करने के लिए स्पष्ट उपबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे संशोधनों में प्रक्रिया सम्बन्धी इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। फिर भी जब तक इस खंड में समुचित रूप से संशोधन नहीं किया जाता है जब तक जिस वर्तमान शैली में सम्पूर्ण खंड को भाषा बद्ध किया गया है वह हमें स्वीकार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरूभाई मेहता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय कृपया मुझे आधे मिनट का समय दीजिए। मैं अपने एक संशोधन के बारे में उल्लेख करना भूल गई हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है—(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उन्हें बुला चुका हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। किसी भी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

श्री हरूभाई मेहता : महोदय, इससे पहले खंड 4 पर विचार विमर्श करते समय अपने संशोधन द्वारा मैंने एक बात कही थी जिसे सरकार ने खुशी से मान लिया था और उसके लिए मैं प्रधान मंत्री तथा विधि मंत्री का आभारी हूं।

अब इस खंड के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप धारा 29 (क) की उपधारा का विस्तार करके उसे इस विधेयक के खंड 6 में सम्मिलित कीजिए। मेरा यह अनुरोध है। आखिर-कार, राजनैतिक दलों के पंजीकरण का अर्थ यह नहीं है कि गैर-पंजीकृत राजनैतिक दलों को उनके गठन से ही चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाये पंजीकरण से उन्हें चिह्न तथा अन्य सुविधायें ही मिलती हैं। मेरा सुझाव है कि यदि हम धर्म निरपेक्षता को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने पर बल देते हैं तो हमें इस पर भी बल देना चाहिए कि उनके संविधान में यह कहा जाना चाहिए कि उनकी सदस्यता धर्म जातिसमुदाय, जन्म स्थान तथा लिंग के सभी नागरिकों के लिए खुली है।

यदि किसी दल की सदस्यता केवल किसी धर्म विशेष के सदस्यों, समुदाय, निवास स्थान तथा संकीर्ण दृष्टिकोण तक सीमित है तो उसे धर्म निरपेक्ष दल नहीं कहा जा सकता है। मैं उन्हें साम्प्रदायिक दल तो नहीं कहूंगा धर्मनिरपेक्षता के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के सदस्य बनने की बात अवश्य सम्मिलित होनी चाहिये। इसलिए, मैं यह बात उपयुक्त समय पर उचित विचार हेतु बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यदि इस समय इस पर बल दिया जायेगा तो यह बहु-आयामी होगा। परन्तु यह विचार स्वीकार अवश्य किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इसे मंत्री महोदय को उनकी स्वीकृति के लिए संस्तुत करता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : कल भी मैंने यह प्रश्न उठाया था जिसका मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया था। यदि कोई राजनैतिक दल कहता है कि संविधान में कोई समाजवाद की अवधारणा में विश्वास रखता है अथवा यह कहता है कि वह समाजवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत वह अपने संविधान में परिवर्तन कर लेता तो

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे विचार से हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। इसके अतिरिक्त एकमुददा मैंने राजनैतिक दल पर उसकी किसी विशिष्ट राजनैतिक तथा आर्थिक विचार-धारा के आधार पर रोक लगाने के सम्बन्ध में उठाया था। यह अनुच्छेद 19 के विपरीत है। अनुच्छेद 19 में एसोसिएशन 'अथवा' यूनियन' बनाने का अधिकार दिया गया है। खंड 6 के उप-खंड में पर्याप्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं, जिसमें कहा गया है: खंड 1 के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी संविधान निर्माताओं ने यूनियन बनाने के अधिकार पर ध्यान दिया था। उस पर इन्हीं आधारों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है, किसी दूसरे आधार पर नहीं। इसलिए मेरे विचार से यूनियन बनाने, तथा चुनाव लड़ने के अधिकार पर अन्य आधारों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून का निर्माण करना संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 के विरूद्ध होगा।

अब, यह भली-भांति जानते हुए कि श्री शंकरानन्द ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, मैंने संशोधन द्वारा यह सुझाव दिया है कि आपने जिन विवरणों के लिए कहा है वे सभी विवरण उस समय चुनाव आयोग को दे दिये जाते हैं जिस समय कोई दल चुनाव, चिह्न, आरक्षण तथा आबंटन आदेश के लिए आवेदन करता है। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि इन सब बातों पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने जिन राजनैतिक दलों को मान्यता दे दी है उन्हें पंजीकृत समझा जाए। परन्तु मैंने इसके आगे यह भी कहा है कि यदि किसी राजनैतिक दल ने खंड 5 का पालन नहीं किया है तब उस राजनैतिक दल से खंड5 का अनुपालन करने के लिए कहा जाए। चुनाव आयोग को इन सब विवरणों तथा अन्य बातों पर पुनः ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग इस खंड 'के अन्तर्गत आवश्यक जानकारी से पहले ही संतुष्ट है क्योंकि खंड 5 को छोड़कर यह खंड लगभग शब्दशः वैसा ही है जैसा कि चुनाव चिह्न आदेश में कहा गया है।

श्री अमल दत्ता : मैं इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं जिसमें चुनाव आयोग को राजनैतिक दलों से विवरण मांगने की शक्ति देने की बात कही गई है। तब तो यह राजनैतिक दलों से उन विवरणों के लिए भी कह सकता है जो राजनैतिक दल नहीं दे सकते अथवा देना नहीं चाहते। इससे चुनाव आयोग को किसी भी विवरण को मांगने का अधिकार मिल जायेगा। इसे नहीं किया जा सकता।

संशोधनों की दूसरी सूची, जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, चुनाव आयुक्त को यह फैसला करने के अधिकार से वंचित किया गया है कि क्या किसी राजनैतिक दल पंजीकरण किया जाय या नहीं चुनाव आयुक्त को यह अधिकार देने से पूर्व हमें यह पता चलना चाहिये कि पंजीकरण का प्रयोजन क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव आयुक्त के अधिकार काफी व्यापक तथा मनमाने हैं; दूसरे, इस खंड 6 में यह नहीं बताया जा रहा है कि यह अधिकार किस प्रयोजन के लिए दिया जा रहा है पंजीकरण को प्रभावी क्यों किया जा रहा है अतः यह खण्ड पूर्णतः अस्वीकार्य है। परन्तु मैंने इन दो खंडों में ही संशोधन करने के लिए कहा है जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री डी. बी. पाटिल : खण्ड 6 में राजनैतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। हम इस खंड का पूर्णतः विरोध करते हैं जबकि सरकार प्रस्तावित रूप में कानून बनाने पर दृढ़ है। हम हैं कि कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाएं।

खण्ड 6 के उप खण्ड (6) में कहा गया है।

'आयोग मंगम या निकास से ऐसी अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे।"
इसे व्यापक शक्तियां दी गयी हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयोग को केवल उप-धारा (4) की बातों से सम्बन्धित विवरण मांग ने का ही अधिकार होना चाहिए उप-धारा (4) में राजनैतिक दलों के विवरण से सम्बन्धित ब्योरा दिया गया है। वे प्रर्याप्त हैं।

इसके अतिरिक्त, उपधारा (8) में कहा गया है कि आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। यह उचित नहीं है। यदि आयोग का निर्णय अन्तिम होगा तो उन राजनैतिक दलों को परेशानी होगी जिन्हें आयोग ने मान्यता नहीं दी है। इसलिए, आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैंने अपने संशोधन संख्या 157 में प्रस्ताव किया है :

"परन्तु कोई राजनीतिक दल तभी रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा। जब उसके संविधान में पद-धारियों और कार्यकारी निकायों के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन का उपबन्ध हो और वह तदनुसार कार्य करता हो;"

'तदनुसार कार्य करता हो' शब्द महत्वपूर्ण हैं। मैं महाराष्ट्र का निवासी हूं। महाराष्ट्र में एक शिव सेना नामक संगठन है। शिव सेना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उस संगम का कोई संविधान नहीं है। चूंकि उनका कोई संविधान नहीं है, इसलिए उनके किसी पदाधिकारी तथा कार्यकारी निकायों के चयन का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके सबसे प्रमुख नेता श्री बाल ठाकरे हैं और जहां तक शिव सेना का सम्बन्ध है, उनकी ही बात मानी जाती है। (व्यवधान) वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। उन्होने खुलेआम कहा है कि हिन्दुत्व के मामले पर शिव सेना चुनाव लड़ेगी और यदि शिव सेना को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गयी तो वह चुनाव ही नहीं होने देगी।

सत्तारुढ़ दल के संविधान में कार्यकारी संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव की व्यवस्था है। परन्तु जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, 1972 से कांग्रेस दल में चुनाव नहीं हुए हैं यद्यपि उसमें कार्यकारी संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव की व्यवस्था है। मैंने आगे प्रस्ताव किया है कि यदि इसका पालन नहीं किया जाता तो दल को पंजीकरण का अधिकार नहीं है तथा आयोग को ऐसे दल का आवेदन पत्र अस्वीकार कर देना चाहिए, और मेरे संशोधन का सबसे पहला प्रभाव कांग्रेस आई दल पर पड़ेगा जो सत्तारुढ़ दल है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 63, 64 तथा 65 का जोरदार समर्थन करता हूं। हम अपने विपक्ष के मित्रों पर इसकी औचित्यता का प्रभाव डालने की प्रबल कोशिश कर रहे हैं।

प्रधानमन्त्री जी ने कहा है कि यह एक क्रांतिकारी विधेयक है तथा यह संशोधन ऐतिहासिक संशोधन हैं तथा यह कानून ऐतिहासिक कानून हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस दल द्वारा ऐसे कानून पारित किये गये है जिनसे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं; तथा भारतीय लोकतन्त्र विश्व को यह दिखा रहा है कि संसदीय लोकतन्त्र कैसे कार्य कर सकता है। लोकतंत्र में यह निहित है कि समय समय पर चुनाव करवा के लोगों को समय समय पर अपने विचार प्रकट करने तथा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर दिया जाए तथा प्रधान मन्त्री जी के भी यही विचार हैं जिसके बारे में श्री शंकरानन्द जी पहले स्मरण करवा चुके हैं कि चुनाव लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का मुख्य आधारतल है।

अब जो दल चुनावों में हिस्सा लेते हैं, यदि उनके अपने दल में लोकतंत्रीय परम्परा नहीं है यदि वे स्वयं अपने दल में लोकतन्त्रीय परम्परा का पालन नहीं करते हैं तो इन दलों का राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकरण कैसे किया जा सकता है तथा उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति कैसे दी जा सकती है जो कि प्रतिनिधियों को चुनने की आवर्तिता का मुख्य आधार है। अतएव मेरा कहना है कि किसी भी दल को चुनावों के लिए पंजीकरण का आवेदन देने के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि वे अपने दल में नियमित रूप से तीन वर्ष में कम से कम एक बार चुनाव अवश्य कराएं। अतएव मेरा कहना है किसी भी राजनीतिक दल का तब तक पंजीकरण नहीं होना चाहिए जब तक कि तीन वर्षों में से कम से कम एक बार उसके पदाधिकारियों का निष्पक्ष चुनाव न हुआ हो । यदि तीन वर्ष का समय बहुत कम है तो श्रीमती गीता मुखर्जी का संशोधन, जो चार वर्ष के लिए है, उसे स्वीकार किया जा सकता है। क्या सत्ताधारी दल यह कह सकता है कि उसका पंजीकरण किया जा सकता है। क्योंकि उनके दल में स्वयं लोकतन्त्रीय परम्परा का पालन नहीं किया जाता है, उस दल में चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे विश्वास है कि उनके दल में 1969 से चुनाव नहीं कराया गया। वहा तदर्थवाद चल रहा है। उनके दल में तदर्थ मंत्री हैं तदर्थ अध्यक्ष हैं, तदर्थ उपाध्यक्ष हैं। वहां सब लोग तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं मुख्य मंत्री भी वहां तदर्थ आधार पर हैं। वहा सब लोग अध्यक्ष की अनुकम्पा पर हैं तथा दल में किसी भी पद का चुनाव नहीं कराया जाता है। तथा वहां हर व्यक्ति अध्यक्ष की अनुकम्पा पर है जो स्वयं तदर्थ अध्यक्ष हैं। अतएव ऐसा न केवल कांग्रेस दल में है। अपितु अन्य दलों में भी ऐसा ही है कि वे स्वयं अपने दल में लोकतंत्रीय परम्परा का पालन नहीं करते हैं, जिसके बारे में श्री गाडगिल ने कहा है कि कांग्रेस दल अपने दल में लोकतंत्रीय परम्परा का निर्वाह करने का एक जीता जागता उदाहरण है। यदि सिर्फ चापलूसी का अभिप्राय ही दलगत लोकतंत्र है तो आपके दल में लोकतंत्र है। अतएव यदि स्वयं दल में लोकतन्त्र का आधार चुनाव हैं तो हर दल जो पंजीकरण कराए जाने का पात्र है उसे अपने दल में चुनाव कराने चाहिए। कोई भी जिम्मेदार राजनीतिज्ञ इसका विरोध नहीं करेगा तथा मुझे विश्वास है कि श्री शंकरानन्द जी स्वयं इस पर विचार करें तो वे भी इसे स्वीकार कर लेंगे।

राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के बारे में जो विवरण निर्वाचन आयुक्त को भेजा जाए उसमें इस बात का उल्लेख भी अवश्य होना चाहिए कि वे कितनी अवधि के लिए चुने गए हैं। अतएव जब भी चुनाव कराये जायें आपको इस सब का ब्यौरा उसमें देना चाहिए कि अध्यक्ष चुनाव कितने वर्षों के लिए किया गया है। सचिव का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया गया है।

तीसरा संशोधन यह है कि चुनाव आयुक्त को, जिसका फैसला अन्तिम फैसला होगा, उसके

लिए अपने द्वारा लिए गए निर्णय के कारणों का विवरण दिया जाना जरूरी है। मुझे विश्वास है भारत के विधि मंत्री यह नहीं चाहते हैं कि कहीं भी निरंकुशता हो।

प्रो. मधु दण्डवते : इसका अन्तिम निर्णय कैसे होगा ? उच्चतम न्यायालय इसका अन्तिम फैसला देगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका कारण, जैसा कि आप तथा माननीय मंत्री जी जानते है तथा हमें बताते हैं कि निरंकुशता को रोकने के लिए ऐसा रखा गया है। अतएव, मेरा सुझाव है कि आयोग इस मामले में अपने फैसले का कारण दे। चाहे वह इसे मंजूर करता है अथवा नामंजूर करता है लेकिन उसे कारण देने होंगे। निश्चय ही अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय को अधिकार है। यदि कारण दिए गए हैं और लोगों को पसन्द आते हैं तो हो सकता है वह इसे चुनौती न दें। अतएव स्वयं कानून कारण प्रस्तुत करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा वहां मनमानी की जायेगी : (व्यवधान) अतएव, यह तीन संशोधन स्वीकार किए जाने चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं इस आलोचना से सहमत हूं कि इस धारा में जो प्रक्रिया दी गई है वह बहुत कठिन है। नई संस्थाओं अथवा निकायों को पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने अथवा पंजीकृत कराने के लिए 30 दिन की जो समयावधि दी गई है वह बहुत कम है तथा यह कम से कम 90 दिन होनी चाहिए।

दूसरे अलग अलग दलों में उनके पदाधिकारियों के लिए अलग अलग नाम होते हैं। कुछ दलों में अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष नहीं होते हैं। अतएव, मेरा विचार है यदि पदों के साथ पदाधिकारियों के नामों का भी समावेश किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस खण्ड की उपधारा (च) में स्थानीय एकक की बात कही गई है। अब हम ऐसे देश में रह रहे है जिसका आकार बहुत विस्तृत है तथा राष्ट्रीय दल अनेक स्तरों पर कार्य करते हैं। वे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु राज्य स्तर, जिला स्तर खण्ड स्तर पर भी कार्य करते हैं उनमें से बहुत से पंचायत स्तर पर भी कार्य करते हैं। शायद "स्थानीय एकक" इस शब्द की परिभाषा दी जानी चाहिए तथा इसे और अधिक स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

अन्ततः मैं दलगत लोकतंत्रीय परम्परा की समस्या का उल्लेख करना चाहूँगा। यद्यपि चुनाव आयोग को सब तरह की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए लेकिन ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं की गई है कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दल को चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि उसके पदाधिकारियों अथवा उसकी विभिन्न निकायों के पदाधिकारियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। वह चुने भी जा सकते हैं तथा मनोनीत भी किये जा सकते हैं; जो भी बात हो, दल के पंजीकरण से पहले चुनाव आयोग को सब बातें बता देनी चाहिये कि उसने अपने लिए निर्धारित नियमों तथा अपने लिए बनाये गये संविधान के अनुसार कार्य किया है।

मैं एक मिनट और लूंगा। मैं जोरदार तरीके से यह कहता हूं कि दलों के पंजीकरण करने, अथवा न करने के सम्बन्ध में चुनाव आयोग का निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिए और उसके विरुद्ध अपील करने का प्रावधान होना चाहिए।

अन्त में मैं कहूँगा कि हम अपनी लोकतान्त्रिक व्यवस्था को एक ही वैचारिक ढांचे पर

आधारित नहीं रख सकते हैं। हमारे पास विभिन्न राजनीतिक विचार धाराएं हैं तथा देश की एकता अखण्डता, तथा समप्रभुता और एक विशेष विचार धारा को अपनाने में फर्क करना होगा।

डा. ए. के. पटेल : मैं खण्ड 6 में तीन संशोधन रखना चाहता हूं।

पृष्ठ 4, पंक्ति 4 से 10 पर मैं निम्नलिखित शब्दों को लोप करना चाहता हूं : "तथा समाजवाद, पन्थ निरपेक्षता और लोकतन्त्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगा।" क्योंकि धर्मनिरपेक्षता तथा अन्य बातों की शपथ लेनी पड़ती है तथा यह सही है कि यह आवश्यक होना चाहिए।

इसके बाद पृष्ठ 5, पंक्ति 6 पर "या" शब्द का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग को नहीं देनी चाहिए।

पृष्ठ 5, पर पंक्ति पर पंजीकरण के बारे में "या ऐसे राष्ट्रीयकृत न करने का विनिश्चय करेगा" शब्द का लोप किया जाना चाहिये क्योंकि निर्वाचन आयोग को फैसला करने के लिए ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम नायक।

श्री शान्ताराम नायक : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे संशोधन संख्या 100 के सम्बन्ध में है। प्रस्तावित खण्ड 29 (क) राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में है जोकि चुनाव चिन्ह आरक्षण आदेश के पैरा 6 से लिया गया है तथा जो वर्तमान कानून है। उसी आदेश में दो अन्य पैरा भी हैं जिसमें मान्यता प्राप्त तथा गैर-मान्यता प्राप्त राज्य तथा राष्ट्रीय दलों के बारे में यह बताया गया है कि कौन सा दल राष्ट्रीय है। कौन सा राज्यीय तथा कौन से दल मान्यता प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस विधेयक में यह दो पैरा शामिल नहीं किये गये हैं।

अतः पंजीकरण के सम्बन्ध में आधा कानून इस विधेयक में है तथा शेष आधा चुनाव चिन्ह आदेश में है। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए मैं अपना संशोधन रख रहा हूं। जो कि काफी लम्बा है।

श्री कृष्णमोहन महन्ती : उपाध्यक्ष महोदय यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे संशोधनों पर विधि मंत्रालय अधिक ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा संशोधन बहुत सीधा सा है उन्होंने खण्ड में सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाये रखने का प्रावधान किया है। मैं "जैसाकि संविधान की अनुसूची में दिया गया है।" शब्द जोड़ना चाहता हूं। महोदय, इससे यह अत्यन्त अस्पष्ट होगा तथा व्याख्या के समय यह पता लगाना मुश्किल होगा। कि उल्लंघन हुआ या नहीं।

दूसरी बात, दल में नये व्यक्ति को सदस्यता देने की है। नये व्यक्तियों को सदस्यता देने के लिए ज्ञापन या विनियम होने चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को सदस्यता दी जाये तो उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलानी चाहिए।

इसीलिए यह बात मैंने संशोधन में जोड़ दी है।

एक माननीय सदस्य : हम लोग कितने समय तक और बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जब तक विधेयक पारित नहीं होता है हम तब तक बैठेंगे।

श्री सी. माधव रेड्डी : हम केवल 7 बजे तक के लिए सहमत थे।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय हम इस पर विचार करेंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : पहले तो मैं उपखण्ड 6 पर आपत्ति करने वाले संशोधन को लेता हूं जिसमें कहा गया है : "आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे।"

महोदय, यह देखा गया है कि यह उपखण्ड अन्य उपखण्डों से नीचे है तथा जो दल पंजीकरण करवाना चाहते हैं, उन्हें विभिन्न उपखंडों के अन्तर्गत आवश्यक जानकारी देनी होती है। तब अन्त में हमने कहा है कि आयोग संस्थाओं से वांछित जानकारी मांग सकता है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि आयोग राजनीतिक दलों से कोई अवांछित जानकारी नहीं मांगेगा। वह वही जानकारी मांगेगा जो पंजीकरण के लिए आवश्यक होंगी। यह सामान्य अवशिष्ट खण्ड है। जैसाकि होता आया है, यह सामान्य खण्ड रखा गया है तथा मैं नहीं समझता कि सदस्यों को इससे कुछ शिकायत होगी क्योंकि इसमें कोई बात गलत नहीं है। पहले मैं "समाजवाद" शब्द को लेता हूं।

6.00 म. प.

प्रो. मधु दंडवते : आपको न्यायालय के सामने दिक्कत आयेगी। यही समस्या है।

श्री बी. शंकरानन्द : 'समाजवाद' शब्द पर इस सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य प्रो. रंगा व बीच व आपके बीच कुछ शब्दों, तर्कों व विचारों का आदान प्रदान हुआ था।

श्री तम्पन थामस : क्या आपने संविधान में समाजवाद की परिभाषा दी है? बिना उसे परिभाषित किए आप यह कैसे कह सकते हैं?

श्री बी. शंकरानन्द : जब संविधान स्वीकार किया गया था, तब 'समाजवाद' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नहीं थे। जब सविधान स्वीकार किया गया था। उस समय केवल "सम्पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य" शब्द ही थे। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद जो लोग समाजवाद में विश्वास करते थे, वह श्रीमती गांधी के साथ आ गये तथा जिन्हें समाजवाद में विश्वास नहीं था वह कांग्रेस छोड़कर चले गये।

प्रो. मधु दंडवते : श्री अशोक मेहता ने कांग्रेस छोड़ दी थी, यद्यपि वह समाजवाद में विश्वास रखते थे।

श्री बी. शंकरानन्द : मुझे नहीं पता उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था।

प्रो. मधु दण्डवते : जो लोग समाजवाद में विश्वास रखते थे, उन्होंने ही 1948 में कांग्रेस छोड़ी थी।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं 1969 की बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने 1948 में छोड़ी होगी, 1969 के बाद फिर उसमें आ गये होंगे। यह इतिहास है। फरीदाबाद कांग्रेस में तमाम अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस पर विचार किया। वह सभी लोग जो कांग्रेस में थे और समाजवाद के विरुद्ध थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तमाम देश जो इन्दिरा गांधी के साथ था समाजवाद में विश्वास रखता था। अब यह इतिहास की बात है। एक सबसे पुराने सदस्य जिसका आपने जिक्र किया है शायद कांग्रेस विघटन से पहले इसमें था। जब उसे यह पता चला कि यह असली कांग्रेस है, जो समाजवाद में विश्वास रखती है, तो शायद वह हमारे पास आए। आपको भी हमारे पास आना चाहिए था, क्योंकि आप समाजवाद में विश्वास रखते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : क्योंकि मैं एक समाजवादी हूं, इसलिए आपके पास नहीं आया।

श्री बी. शंकरानन्द : फिर भी, इस इतिहास की बात है। इस प्रकार की कांग्रेस थी जिसका प्रो. रंगा ने जिक्र किया था और जिसके समाजवाद में वह विश्वास नहीं करते थे। उन कांग्रेसियों ने हमें छोड़ दिया। इसीलिए वह हमारे पास आए।

प्रो. मधु दण्डवते : उनका विरोध, पंडित जवाहर लाल नेहरू से था न कि उन सबसे जो कांग्रेस छोड़ गए।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। स्वतंत्रत पार्टी की लड़ाई श्रीमती गांधी से थी—(**व्यवधान**)

श्री बी. शंकरानन्द : मैं यहां पर 1967 से हूं जब स्वतंत्र पार्टी विपक्ष में बैठती थी। मैं यह जानता हूं। श्री मीनू मसानी, जो कि स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, उस ओर बैठते थे और मैं इस ओर बैठता था। मैं यह बात जानता हूं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। किन्तु 1967 से 69 के दिन में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, वास्तविक समाजवादी लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ रहे तथा जो लोग समाजवाद में विश्वास नहीं रखते वह हमें छोड़ गए। (**व्यवधान**)

'समाजवाद' शब्द का अभिप्राय··· (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : कृपया क्षमा करें। मुद्दा यह है कि आप और मैं समाजवाद में विश्वास रखते हैं. किन्तु प्रश्न है कि एक अनेक वादी समाज में गैर समाजवादियों को एक लोकतांत्रिक पार्टी संगठित करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री बी. शंकरानन्द : मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि पूरी कांग्रेस ही समाजवादी बन चुकी थी, तो कुछ कॉंग्रेसियों के लिए समाजवादी पार्टी बनानी क्यों जरूरी थी ?

श्री बी. शंकरानन्द : मुझे विषय से न भटकाएं। एक बात उन्होंने संघ बनाने के बारे में पूछी है। चुनाव लड़ना कोई संविधानिक अधिकार नहीं है··· (**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह महज एक मजाक है। यह किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

श्री बी. शंकरानन्द : आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे खेद है। चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने के लिए राजनैतिक दलों का गठन करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है।··· (**व्यवधान**) अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत आपको संघ बनाने का अधिकार

है यदि इस पर अन्यथा कोई रोक नहीं है तो। किन्तु चुनाव लड़ने के प्रयोजन से कोई संघ बनाना, किसी राजनैतिक दल का गठन करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ना कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। मैं इस प्रकार से अनुच्छेद 19 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में अन्तर स्पष्ट कर रहा हूँ···(व्यवधान) अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकारों के अध्याय से सम्बद्ध है, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान नहीं करता (व्यवधान)। सवाल यह है कि हम यहां अनुच्छेद 19 में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैं श्री दिनेश गोस्वामी भी आपत्ति पर ध्यान देता। वह ठीक कह रहे हैं। किन्तु हम यह स्वीकार करते हैं कि आप अपनी संस्था का गठन करने के लिए स्वतंन्त्र है। हम अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत संस्था के गठन से नहीं रोक रहे जो कि एक मौलिक अधिकार है किन्तु किसी भी संघ द्वारा चुनाव लड़ने के लिए चिन्ह प्राप्त करना सांविधिक अधिकारों के अन्तर्गत आता है। यह मौलिक अधिकार नहीं है। चिन्ह को हम चिन्ह आदेश के अन्तर्गत प्राप्त करते है, जिसके अन्तर्गत आपको राजनैतिक दल का पंजीकरण कराना होता है (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : पंजीकरण का प्रयोजन क्या है ?

श्री बी. शंकरानन्द : मैं इस बात पर भी आता हूं। यदि आप में थोड़ा सब्र है तो मेरी बात भी सुने। 1960 में, हमारे यहां चिन्ह आदेश था जिसके अन्तर्गत चिन्ह प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दल को पंजीकृत करने के प्रयोजन से उसकी व्याख्या की गई थी। यह एक आदेश है, संसद द्वारा पारित कोई कानून या 'संविधान नहीं' है जिसे संशोधित किया गया है। ऐसा नहीं है। किसी दल के पंजीकरण के लिए हम जानबूझ कर यह खण्ड ला रहे हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि कौन से दल साम्प्रदायिक हैं या इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे है। और यदि किसी दल को यह कहते शर्म आता है कि वह समाजवादी नहीं है तो उन्हें कहने दो। इस देश के लोगों को पता लगने दो कि कौन सा दल समाजवादी है, कौन-सी पार्टी निर्धनों के लिए है, कौन सी पार्टी उनके लिए नहीं है। उन्हें कहने दें···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : सवाल यह है कि क्या वह उस दल द्वारा चुनाव लड़े जाने पर रोक लगाएंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : हम यह कहेंगे कि 1976 के बाद हमने संविधान में 42वां संशोधन किया। "समाजवाद" शब्द शामिल किया गया और आपके लिए यह कहना अनिवार्य हो गया कि आप इस देश की विचार धारा से प्रतिबद्ध हैं आप संविधान की भावना से जुड़े हुए हैं। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाजवाद एक विचारधारा है। मान लो मैं इसे नहीं मानता तो आप मुझे मजबूर कैसे कर सकते हैं ? क्या आपका यह मतलब है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता ?

श्री बी. शंकरानन्द : आप लड़ सकते हैं किन्तु एक राजनैतिक दल के रूप में नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : क्यों ?

श्री बी. शंकरानन्द : क्योंकि हम केवल राजनैतिक दल के लिए ही यह उपबन्धित कर रहे हैं। हम कहते है कि हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं। हम संविधान की प्रस्तावना में विश्वास

रखते हैं। हम संविधान की भावना में विश्वास रखते हैं। (व्यवधान) आप यह कहना चाहते हैं कि आप समाजवाद में विश्वास नहीं रखते? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप समाजवाद में विश्वास नहीं रखते। अपने दल की भांति आप भी समाजवाद में विश्वास नहीं रखते। आप एक समाजवादी कैसे हो सकते हैं?

श्री बी. शंकरानन्द : आप इसे नहीं समझ रहे हैं। किसी भी राजनैतिक दल पर यह कहने पर रोक नहीं कि वह "समाजवाद में विश्वास नहीं करता। हमारा दल गरीबों के लिए नहीं। उन्हें ऐसा कहने दो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप चुनाव चिन्ह प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह कहना होगा कि आप समाजवाद में विश्वास रखते हैं, चाहे आपका समाजवाद में विश्वास न हो।

श्री बी. शंकरानन्द : आप यह कहते हैं कि आप संविधान की भावना में विश्वास करते हैं जो संविधान की प्रस्तावना में विदित है। किन्तु आप यह नहीं कहना चाहते।

प्रो. मधु दण्डवते : मान लो हमारे देश में अपाड़ी पूर्व कांग्रेस हो जो यह कहती है कि हम केवल सरकारी कामन वेल्थ में विश्वास रखते हैं या सहकारी राज्य में विश्वास रखते हैं तो ऐसी कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा।

श्री बी. शंकरानन्द : ऐसी कांग्रेस आज नहीं है। (व्यवधान) कन्नड़ भाषा में एक मुहावरा है "यदि मेरी चाची की मुछें हों तो मैं उसे चाचा कहूंगा।" इसलिए वह कांग्रेस आज नहीं है। आज असली कांग्रेस समाजवाद में विश्वास रखती है।

श्री वासुदेव आचार्य : यदि हर कोई समाजवाद में विश्वास रखता है तो आप यह उपबन्ध क्यों रखना चाहते हैं?

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि वह इस खण्ड में विश्वास नहीं रखते प्रो. दण्डवते तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि वह इसके विरुद्ध है। यदि वह इसके विरुद्ध हैं और यदि वह राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखण्डता में विश्वास नहीं रखते संविधान में विदित विचारधारा में विश्वास नहीं रखते, तो हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री जी. एम. बनात वाला : हमने यह कहा कि जिस रूप में यह खण्ड यहां पेश किया गया, उस रूप में हम उसे स्वीकार नहीं करते। यही परेशानी है। जैसा कि मैं जानता हूं हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र के संदर्भ में है। हम प्रारम्भ से ही इसके प्रति समर्पित हैं। इसके अतिरिक्त जो बात मैंने कही वह यह है कि जब तक आप कुछ संशोधन स्वीकार नहीं कर लेते और इस खण्ड विशेष की जटिलताओं को दूर नहीं कर देते, तो इसके वर्तमान स्वरूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री बी. शंकरानन्द : क्या जटिलता है?

श्री जी. एम. बनातवाला : आप किस प्रकार के कानून मंत्री हैं? (व्यवधान)

इस प्रकार के लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वह इस सदन में एक ऐसे व्यक्ति की बात नहीं समझ पाए जिसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात की और यदि कोई उनकी बात नहीं समझता तो उन्हें अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : मैं किसी व्यक्ति की जटिलता समझ पाने में अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं। मैं सदस्य के जटिल व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता। महोदय, राजनैतिक प्रयोजनों के लिए हर प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। (व्यवधान) बनातवाला जी आप जानते हैं असली तकलीफ क्या है।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप देखिए आपको क्या तकलीफ है।

श्री बी. शंकरानन्द : तकलीफ आपको है। इसीलिए आप शोर मचा रहे हैं (व्यवधान) मैं यहां कानून मंत्री के रूप में हूँ। आपकी मेहरबानी से नहीं। जनता ने मुझे यहाँ बिठाया है।

(व्यवधान)

महोदय, यह स्वाभाविक ही है कि जो सदस्य अपने आपको कठिन स्थिति में पा रहे हैं वे कुछ न कुछ कहेंगे। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमने उन्हें नहीं बुलाया है मैं अनुमति नहीं दे सकता। कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हू।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, शंकरानन्द जी बोल रहे थे बनातवाला जी भी कुछ कहने लगे तो गर्मी आ गई। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं "न कुछ ये समझे न ये समझे, हमें तो बताओ हम क्या समझें।" (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री बी. शंकरानन्द : अब श्री बनातवाला··· (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (मंजेरी) : वह लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में देश तथा संविधान की अखंडता के बारे में तो हम सहमत हैं। परन्तु खण्ड 6 में दी गई अन्य बातें बहुत ही अस्पष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : खैर, पूरे सदन ने आपके विचारों को समझ लिया है। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? मैं सदन की कार्यवाही इस तरह नहीं चला सकता।

(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : आप सदन पर अपना

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया।

अधियत्म क्यों जमाने की कोशिश कर रहे हैं ? अनावश्यक हो उन्हें ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिये। (व्यवधान) जब उनकी बारी आये तो वे अपनी बात कहें।

प्रो. मधु दण्डवते : यदि मामला अदालत में जाता है तो भगवान के लिए सदन में इस तरह की अपील मत करिये। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, अब मुझे कहना चाहिए कि मैंने उन सदस्यों को काफी समझा दिया है जो हम खण्ड के पूरी तरह विरोध में हैं। सम्भवतः कुछ सदस्यों को उप-खण्ड (पांच) पर काफी आपत्ति है। मैं उनकी शिकायत समझ सकता हूँ। मैं उनकी अनिश्चित स्थिति तथा गम्भीर स्थिति को समझ सकता हूं। मैं इसे समझ सकता हूं, परन्तु राष्ट्र स्वस्थ राजनैतिक प्रणाली तथा गरीबों का हित चाहता है।

श्री नायक का संशोधन काफी लम्बा है, जिसमें वह अन्य बातें भी रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है क्योंकि चिन्ह् आदेश में इस संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लेने के बाद कभी भी संशोधन किया जा सकता है। अतः महोदय मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दल के भीतर लोकतंत्र के बारे में मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

श्री बसुदेव आचार्य : दल के भीतर लोकतंत्र—क्या आप उनके संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : सम्भवतः माननीय सदस्य नहीं जानते।

प्रो. मधु दण्डवते : 1971 के बाद से यह भी बदल गया है।

श्री बी. शंकरानन्द : जी नहीं हम प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन करते हैं अब वर्ष में दो बार होता है तथा हमारे विचार पूरी तरह स्पष्ट हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये।

(व्यवधान)

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उनका अभिप्राय है सी. पी. आई तथा सी. पी. आई (एम) से है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम अपने चुनाव नियमित रूप में कराते हैं। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : केरल के बारे में क्या कहना है। केरल में श्री राघवन ने अपने विचार व्यक्त किये और उन्हें सी. पी. आई. (एम) से निकाल दिया गया था। (व्यवधान) जिस व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किए उसे निकाल बाहर किया गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? सदस्यगण क्यों इस तरह शोर कर रहे हैं ? आप यहां ठीक से बैठते हैं या नहीं। यह क्या हो रहा है। आप बैठ जाइये। आप सभी शोर कर रहे हैं। मंत्री जी बोल रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं आप शोर कर रहे हैं।

श्री ए. चार्ल्स : क्या आप उससे सहमत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि हमारा राजनैतिक दल सबसे अधिक लोकतंत्रिक दल है। इसीलिए यह बना हुआ है, इसीलिए लोगों ने हमारे दल में विश्वास किया है। इसी कारण हम यहां ज्यादा बहुमत में हैं। आप भी ऐसा करके दिखाइये। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यदि आप दल के भीतरी लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं तो आप उनके संशोधन को स्वीकार करिये।

श्री बी. शंकरानन्द : आपके यहां लोकतंत्र नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री बी. शंकरानन्द : मार्क्सवादियों से हमें लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। क्या आप उनके लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं ? श्री दण्डवते को कहने दीजिए क्या वह उनके लोकतंत्र में विश्वास रखते है, हमें लोकतंत्र के मायने बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है। आप अपने आस-पास बैठे सहयोगियों से पूछिए। क्या वे आपके लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप इसमें विश्वास रखते हैं तो आप संशोधन को स्वीकार करिये।

श्री बी. शंकरानन्द : श्री माधव रेड्डी को कहें कि क्या वह आपके लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं ? (व्यवधान) क्या आप इस तरह के लोगों को नहीं देखते ? इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पंडित कमलापति त्रिपाठी कहना है, कि आपके दल में 'बोगस सदस्य' हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : श्री इन्द्रजीत, मेरे दल के लिए आप की चिन्ता को मैं समझता हूँ। और इसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपका लोकतंत्र क्या है। आप लोकतन्त्र के बारे में क्या बोल रहे हैं ? दल में भीतरी लोकतंत्र कौन-सा है जिसका आप अनुसरण कर रहें हैं ? आप हमें लोकतन्त्र के बारे में मत बताईये।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, हाल ही में उन्हें उप-महासचिव चुना गया है। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री शंकरानन्द आपने मेरे संशोधन के बारे में बात नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा संशोधन यह है कि निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने के लिए दिए दलों के ब्यौरे के बारे में निर्वाचन आयुक्त

संतुष्ट हैं उनका स्वत: ही पंजीकरण हो जाना चाहिए। आप सभी दलों को अपने कागजातों को प्रस्तुत करने के लिए क्यों कहते हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय इस मुद्दे पर विचार किया गया है। मुझे माननीय सदस्य से कहना चाहिए, वर्तमान राजनैतिक दलों द्वारा ब्यौरों को प्रस्तुत किए जाने में क्या गलत है। पंजी-करण के लिए आवेदन भेजने में आपको क्या दिक्कत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री हरुभाई मेहता को अपने संशोधन संख्या 32 को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 32 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री सीताराम नायक को अपने संशोधन संख्या 100 को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 100 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री ब्रजमोहन महन्ती को अपने संशोधन संख्या 126 को वापिस लेने की अनुमति देती है।

संशोधन संख्या 126 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

संशोधन संख्या 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 और 58 63, 64, 65, 70, 72, 73, 74, 93, 94, 125, 157,

सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

दीर्घाएं खाली कर दी जायें—

दीर्घायें खाली हो गई हैं। मैं खण्ड 6 स्वीकृत के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 114 6.29 म. प.

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अतीतन, श्री आर. धनुषकोडी
अब्बासी, श्री के. जे.
अरुणाचलम् श्री एम.
अवस्थी, श्री जगदीश
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी. ए.
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, पृथ्वी चन्द
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुरैशी, श्री अजीज
केन श्री लाला राम
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
गढ़वी, श्री बी. के.
गामित, श्री सी. डी.
गुप्ता, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोडा, श्री एच. एन. नन्जे
घोषाल, श्री देबी
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चार्ल्स, श्री ए.
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
जगन्नाथ प्रसाद श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डाल चन्द
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झिकराम, श्री एम. एल.
डेनिस, श्री एन.
तारीक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
त्रिपाठी, डा. चन्द्रशेखर
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिन पाल
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्री भीष्म देव
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी. के.
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री सी. डी.
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द

पांजा, श्री ए. के.
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल श्री विजय एन,
पाठके, श्री चन्द्र किशोर
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुष्पा देवी, कुमारी
पोतदुखे, श्री शांताराम
बलरामन, श्री एल.
बशीर श्री टी.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बासवराजु, श्री जी. एन.
बैठा, श्री डूंगर लाल
बैरागी श्री बालकवि
भगत, श्री एच. के एल.
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन
भोई, डा. कृपासिंधु
भोसले, श्री प्रताप राव बी.
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
माधुरीसिंह, श्रीमती
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र डा. प्रभात कुमार
मीराकुमार, श्रीमती
मुशरान, श्री अजय
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
याजदानी, डा. गुलाम
यादव, श्री राम सिंह
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के. एच.
रणबीर सिंह, श्री
राजहंस, डा. गौरी शंकर
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामधन, श्री
रामसिंह, श्री
राय, श्री आई. रामा
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री रामदेव
राव, श्री जे. वेंगल
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राव, श्री वी. कृष्ण
रावत, श्री कमला प्रसाद

लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
बनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
बासनिक श्री मुकुल
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस.
व्यास, श्री गिरधारी लाल
शंकर लाल, श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाही. श्री ललितेश्वर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
संतोष कुमार सिंह श्री
सकरगयेन श्री कालीचरण
साही, श्रीमती कृष्णा
सिगरावडीवेल, श्री एस.
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह श्रीमती किशोरी
सिंह श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंह देव, श्री के. पी.
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारादेवी
सुन्दरराज, श्री एन.
सुमन, श्री रामप्यारे
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
सेन, श्री भोला नाथ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर. एस.
षण्मुखम, श्री पी.
हाल्दर, प्रो. एम. आर

विपक्ष में

मत विभाजन संख्या 14] [6.29 म. प.

अय्यर, श्री वी. एस. कृष्ण
आचार्य, श्री बसुदेव
गुप्त श्री इन्द्रजीत
गोस्वामी, श्री दिनेश
घोष गोस्वामी, श्रीमती बिभा
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जायनल अबेदिन, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.
तुलसीराम, श्री वी.
थामस, श्री तम्पन
दंडवते, प्रो. मधु
दत्ता, श्री अमल
दास, श्री रेणुपद
पटेल, डा. ए. के.

पाटिल, श्री डी. बी,
पाठक, श्री आनन्द
पेंचालैया, श्री पी.
बनातवाला, श्री जी. एम.
बसु, श्री अनिल
विश्वास, श्री अजय
बीरबल श्री
भूपति, श्री जी.
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
यादव, श्री विजय कुमार
रमैया श्री बी. बी.
राजू श्री विजय कुमार
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
राय, डा. सुधीर
राव, श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर
राव, डा. जी. विजयारामा
राव, श्री वी. शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजुबन
रेड्डी, श्री के. रामचन्द्रन
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डी, श्री बी. माधव
शाहबुद्दीन, श्री सैयद
सम्बु, श्री सी.
साहा, श्री अजित कुमार
साहा श्री गदाधर:
सेठ श्री इब्राहीम सुलेमान
सोमू, श्री एम. बी. एन.
हंसदा, श्री मतिलाल

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 146

विपक्ष में : 48

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत रिकार्ड कराए :

पक्ष में : श्रीमती मनोरमा सिंह, श्री बीरबल, श्री सोमनाथ रथ, श्री चनैया प्राडेयर, श्री गंगा राम, श्री बाबूलाल मालवीय, श्री मानकूराम सोढी।

विपक्ष में : श्री हन्नान मोल्लाह.

खण्ड 7-धारा 33 में संशोधन :

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री सी. माधव रेड्डी : जी, हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 5,—

पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की दशा में प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक का अर्थ प्रस्तावकों के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 0.2 प्रतिशत या ऐसे एक सौ निर्वाचक, दोनों में से जो भी कम हो, लगाया जाएगा।', (87)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ? वे अनुपस्थित हैं । श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 5, पंक्ति 26, के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि संस्दीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की दशा में 'प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक" का अर्थ प्रस्तावकों के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के किसी एक मतदान केन्द्र के पच्चीस प्रतिशत या ऐसे एक सौ निर्वाचक, दोनों में से जो भी कम हो, लगाया जाएगा"। (153)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 7 में संशोधन संख्या 87 और 153 को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 87 और 153 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 8 और खंड 9 के लिए कोई संशोधन नहीं है। अत: मैं खंड 7 से 9 तक सभी खंडों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 से 9 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 10 :— नई धारा 58क का अन्तःस्थापन

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी···यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री तम्पन थामस ।

श्री तम्पन थामस : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(ग) निर्वाचन के समय किसी परिक्षेत्र में शान्ति बनाये रखने और शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कराने के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जान-बूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें मतदाता मतदान केन्द्र तक न आ सकें और निर्वाचन में भाग न ले सकें; या

(घ) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी स्वयं मतदाताओं की असमर्थता या अन्य कारणों से मतदान करते हैं और मतदाता की इच्छा और पसन्द के विरुद्ध मतदान करते हैं" (56)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां उपस्थित नहीं है।

श्री विजय कुमार यादव : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6—

(i) पंक्ति 4 तथा 5,—

"या निर्वाचन के लिए नियत स्थान पर जिसे इसमें इसके पश्चात् स्थान कहा गया है" का लोप किया जाये।

(ii) पंक्ति 6,—

"या स्थान" का लोप किया जाये। (113)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,—

"होने पर" के पश्चात्

"अथवा अभ्यर्थी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर" अन्तःस्थापित किया जाये (134)

श्री तम्पन थामस : महोदय चर्चा के दौरान इस विधेयक की कमी को व्यक्त किया जा चुका है। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना एक अपराध बना दिया गया है। परन्तु महोदय चुनाव के समय बहुत सी अन्य बातें भी घटित होती हैं। अतः मेरे संशोधन संख्या 96 में यह उल्लेख किया गया है कि वे चुनाव के दौरान कैसे वोट मांगते हैं। हमारे पिछले अनुभव से यह बात बिलकुल स्पष्ट है। अतः बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान न देकर उन्हें छोड़ दिया गया है। अतः मैं ये दो सुझाव दे रहा हूं। वास्तविकता यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को चुनाव कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है वे स्वयं चुनाव सम्बन्धी मामलों में सम्मिलित होकर

चुनाव को प्रभावित करते हैं। एक अन्य बात है। मतदान करते समय वे अधिकारियों का उपयोग अपने आदमियों को वोट दिलाने के लिए करते हैं। उन्हें कौन रोक सकता है अतः उसे रोकने के लिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 10 में मेरा अमेंडमेंट यह है कि केवल रिटर्निंग आफिसर को रिपोर्ट पर ही इलैक्शन कमीशन चुनाव के मौके पर हुई गड़बड़ी या बूथ-कैपचरिंग के सवाल पर विचार कर सके, यह पर्याप्त नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

1985 के चुनाव में हमारे पालियामेंटरी क्षेत्र के अन्तर्गत इस्लामपुर विधान-सभा क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया और सर्टिफिकेट आफ इलेक्शन दिया गया, लेकिन रिटर्निंग आफिसर ने दो दिन के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट आफ इलेक्शन दे दिया और हमारे कैंडिडेट को हरा दिया।

ऐसी हालत में वह जो प्राजीवन है कि केवल रिटर्निंग आफिसर की रिपोर्ट पर ही विचार किया जाएगा, इलैक्शन के पीरियड में जो गड़बड़ी होती है पोलिंग आदि के सिलसिले में, बूथ-कैपचरिंग हो या मैल-प्रैक्टिसेज हों यदि रिटर्निंग आफिसर खुद उसमें शामिल हो जाए तो उसकी शिकायत कौन करेगा?

इसलिए मैंने इसमें कहा है कि रिटर्निंग आफिसर तो रहे हो, लेकिन बाद में जो कैंडीडेट हो, अगर वह इसकी शिकायत करता हो तो उस पर भी इलैक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। यही मेरा संशोधन है।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन के उपबन्ध को समझने में असमर्थ रहे हैं। इस संशोधन में उल्लेख किया गया है—मैं सदस्यों के लिए इसे पढ़ता हूं··· चुनाव अधिकारी मामले की रिपोर्ट फौरन चुनाव आयोग को करेगा···। मुद्दा यह है कि वह स्वयं निर्णय नहीं लेता है। वह केवल चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है और चुनाव आयोग इस बारे में निर्णय लेता है। अतः यह आपत्ति उचित नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री तम्पन थामस और श्री विजय कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 96, 113, और 134. सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 11 नई धारा 61 क का अन्तःस्थापन

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 6— पंक्ति 33 और 34,—

"प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

"मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं तथा संघ सरकार और राज्य-सरकारों के परामर्श से" (44)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 6, पंक्ति 32 से 34,—

"ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में, जैसे निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए विनिर्दिष्ट करे, अंगीकार किया जा सकेगा।"

के स्थान पर

उसी निर्वाचन के दौरान सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में अंगीकार किया जाएगा।" (66)

प्रतिस्थापित किया जाए

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमर राय प्रधान···यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 6, पंक्ति 32 से 34,—

"ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों में, जैसे निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए विनिर्दिष्ट करे" के स्थान पर" सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में" प्रतिस्थापित किया जाए (154)

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा संशोधन अति सरल है। यह संशोधन इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन के बारे में है। खण्ड में कहा गया है "चुनाव आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उल्लेख कर सकता है·····" इसलिए ऐसा कोई मार्गनिर्देश नहीं है जिसके अन्तर्गत चुनाव आयोग यह निर्णय लेगा कि किन मतदान केन्द्रों पर इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन को प्रयोग में लाया जाये। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि यह मामला नाजुक है। अतः मेरा संशोधन यह है कि चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं तथा संघ सरकार और राज्य सरकारों के परामर्श से यह निर्णय लेगा कि कौन से मतदान केन्द्रों पर इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का उपयोग किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसा कि अभी श्री गोस्वामी ने कहा, हमारी आशंका वित्तीय ज्ञापन के कारण है। आप कृपया वित्तीय ज्ञापन पर ध्यान दें, इसमें कहा गया है :

"यह प्रस्ताव है कि प्रारम्भ में मशीनों का प्रयोग केवल उन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाए जिन्हें निर्वाचन आयोग संवेदनशील निश्चित करे।"

मैं यह नहीं जानता कि यह वित्तीय ज्ञापन किस आधार पर तैयार किया गया है। क्या आपने निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श किया है? श्री गोस्वामी ने ठीक ही कहा है कि कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। कोई भी नहीं जानता कि निर्वाचन आयोग किन परिस्थितियों में किस आधार पर इस बात का फैसला करेगा? कुछ दिशा निर्देश दिए जाने चाहिये थे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, वित्तीय ज्ञापन में संवेदनशील किसके लिए कहा गया है? संवेदनशील किस दृष्टिकोण से है? यदि सरकार मतदान मशीन का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए संवेदनशीलता का निर्णय निर्वाचन आयोग पर छोड़ेगी तो इससे और अधिक विलम्ब होगा। इसलिए यदि वे मतदान मशीन का उपयोग करते हैं तो इसे चुनाव के दौरान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए दिशा-निर्देश के बिना इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय नहीं किया जाना चाहिये :

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा संशोधन बड़ा सीधा है। यदि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जाता है तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यहां यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग कुछ संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है जो राज्य की कानून और व्यवस्था को देखती है। मेरा संशोधन है कि यदि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जाए तो उसे पूर्णतः दोषरहित होनी चाहिए तथा उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना चाहिए। वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि एक मशीन की कीमत 5.000 रुपए होगी तथा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इसके प्रयोग पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। यदि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जाता है तो देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्री बी शंकरानन्द : मेरे विचार से विपक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य को मतदान के लिए इलैक्ट्रानिक मशीन के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है। केवल आपत्ति यही प्रतीत होती है कि इसका सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होने केवल यही बात कही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संवेदनशीलता का क्या आधार है?

श्री बी. शंकरानन्द : सम्भवतः आप निर्वाचन आयोग की संवैधानिक ओहदे के बारे में जानते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु वित्तीय ज्ञापन में इसका उल्लेख किया गया है। आप इसके बारे में कैसे जानते हैं?

श्री बी. शंकरानन्द : जब हम देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए इलैक्ट्रानिक मशीन उपलब्ध नहीं करा सकते और हम केवल कतिपय निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उन क्षेत्रों का निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जायेगा। इस बारे में फैसला हम नहीं करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके बारे में आप कैसे जानते हैं?

श्री बी. शंकरानन्द : इन सब बातों की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। वे जानते हैं कि कहां कैसी स्थिति है और हमने यह फैसला निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वित्तीय ज्ञापन तैयार करने से पहले क्या आपने निर्वाचन आयोग से परामर्श किया था ?

श्री बी. शंकरानन्द : विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि ये शक्तियां सरकार पर छोड़ दी गई हैं। यह पूर्णतः निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया गया है जो एक स्वतन्त्र संवैधानिक प्राधिकरण है।

श्री बसुदेव आचार्य : केवल संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में ही क्यों ?

श्री दिनेश गोस्वामी : हम चाहते है कि यह बात स्पष्ट की जाए कि वित्तीय ज्ञापन में आपने कहा है कि संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग करने पर 75 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। इसका मतलब है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र 150 हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस मापदंड के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र माना है तथा आपने किस आधार पर ऐसे 150 निर्वाचन क्षेत्रों का निष्कर्ष निकाला है। निर्वाचन आयोग ने यह निश्चय नहीं किया है यह सरकार ने निश्चय किया है।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं अब भी कहता हू कि निर्वाचन आयोग, आप या मैं संवेदनशील पहलू के बारे में जो सोचते हैं. वह संशोधन विधेयक का अन्ग नहीं है···(**व्यवधान**)···इस सम्बन्ध में हम कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। सम्भवतः यह हो सकता है कि निर्वाचन आयोग जिस निर्वाचन क्षेत्र को आवश्यक समझेगा, वहां इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा। सरकार की यह मंशा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 11 के सम्बन्ध में प्रस्तुत सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 44, 66, और 154 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया खंड 12 धारा 77 का संशोधन

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 6—

खंड 12 के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

12, मूल अधिनियम की धारा 77 में, उप-धारा (1) में,—

(क) स्पष्टीकरण 1, के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—न्यायालय के किसी निर्माण, आदेश या विनिश्चय के होते हुए भी चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के अधीन मान्यता प्राप्त या अन्यथा किसी राजनीतिक दल

द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के सम्बद्ध में किया गया या प्राधिकृत किया गया कोई व्यय इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय समझा जायेगा :

परन्तु नियमो के अधीन अवधारित सीमा के भीतर भारत संघ द्वारा अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय वहन करने के लिए, जैसे निर्वाचकों को अपीलों के लिए निःशुल्क डाक व्यय, परिवहन और ईंधन सुविधाओ के लिए राज्य द्वारा उपगत कोई व्यय इस धारा के प्रयोजन के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध मे अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।"

(ख) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा।

(ग) स्पष्टीकरण 3 का लोप किया जाएगा। (160)

श्री सी. माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 6—

खण्ड 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"12, मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1—इस अधिनियम की किसी अन्य धारा में किसी बात के होते हुए भी अभ्यर्थी के राजनीतिक दल या किसी अन्य संगम या अभ्यर्थी के समर्थकों द्वारा उक्त निर्वाचन पर किया गया कुल व्यय संसद के मामले में दो लाख पचास हजार रुपये तथा विधान सभा के मामले में पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगा.' (162)

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरे संशोधन के दो भाग हैं। पहला भाग यह है कि विद्यमान कानून के अन्तर्गत व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा तो है परन्तु यह निर्धारित सीमा राजनैतिक दलों पर नहीं बल्कि प्रत्याशियों पर लागू होती है जिसके परिणामस्वरूप चुनाव में व्यय तो होता है परन्तु इसे निर्धारित सीमा में नहीं दिखाया जाता और इस प्रकार, निर्धारित अधिकतम सीमा पूर्णतः अवास्तविक हो गई है : इसलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि चुनाव चिन्ह आदेश के अन्तर्गत अथवा अन्यथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा किसी उम्मीदवार के चुनाव जीतने की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए किए गए खर्च को उस राजनैतिक दल में भी शामिल किया जाना चाहिये।

मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक मुख्य निर्वाचन आयुक्तों तथा अनेक महत्वपूर्ण समितियों ने सुझाव दिया है कि दल के व्यय को भी निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

दूसरा परन्तुक यह है कि यदि राज्य नकद अथवा किसी दूसरे रूप में जो धन देता है तो उसे चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

मैं अनुभव करता हूं कि यह बहुत उचित सुझाव है तथा सरकार को इसे मान लेना चाहिए।

श्री सी. माधव रेड्डी : मेरा संशोधन भी चुनाव व्यय के सम्बन्ध में है। 197- में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया था तथा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों के मित्रों अथवा प्रत्याशी का समर्थन करने वाले एसोसिएशनों के व्यय को अलग रखा गया था। मैं चाहता हूं कि 1974 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में अन्तःस्थापित धारा 77 के परंतुक का लोप कर दिया जाए।

श्री बी. शंकरानन्द : मेरे विचार से संशोधन इतने स्पष्ट हैं कि उम्मीदवार अथवा उसके एजेंट अथवा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र पर बलात कब्जे को भ्रष्ट आचरण में सम्मिलित कर लिया गया है तथा तदनुसार इसे जोड़ दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : यह चुनाव में होने वाले व्यय के बारे में है .

श्री बी. शंकरानन्द : चुनाव खर्च के बारे में चर्चा की गई थी : जब मैंने इस मामले पर विरोधी पक्ष के नेताओं से विचार विमर्श किया था, सम्भवतः श्री माधव रेड्डी उस समय वहां उपस्थित थे। यह मामला माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था। मेरे विचार से इस मामले को विधान का एक हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6

खण्ड 12 के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"12, मूल अधिनियम की धारा 77 में, उप-धारा (1) में—

(क) स्पष्टीकरण 1, के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण —न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या विनिश्चय के होते हुए भी चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के अधीन मान्यता प्राप्त या अन्यथा किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के सम्बद्ध में किया गया या प्राधिकृत किया गया कोई व्यय इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया समझा जायेगा।"

परन्तु नियमों के अधीन अवधारित सीमा के भीतर भारत संघ द्वारा अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय वहन करने के लिए, जैसे निर्वाचकों को अपीलों के लिए निःशुल्क डाक व्यय परिवहन और ईंधन सुविधाओं के लिए राज्य द्वारा उपगत कोई व्यय, इस धारा के प्रयोजन के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।"

(ख) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जायेगा।

(ग) स्पष्टीकरण 3 का लोप किया जायेगा। (160)

162 पृष्ठ 6

खण्ड 12 के स्थान पर निम्नलिलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

"12, मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण 1—इस अधिनियम की किसी अन्य धारा में किसी बात के होते हुए भी अभ्यर्थी के राजनीतिक दल या किसी अन्य संगम या अभ्यर्थी के समर्थकों द्वारा उक्त निर्वाचन पर किया गया कुल व्यय संसद के मामले में दो लाख पचास हजार रुपये तथा विधान सभा के मामले में पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।" (162)

(लोक सभा में मत विभाजन हुआ)

मत विभाजन संख्या 15] [6.50 म. प.

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव	भूपति, श्री जी.
गुप्त, श्री इन्द्रजीत	मलिक. श्री पूर्णचन्द्र
गोस्वामी, श्री दिनेश	मसुदल हुसैन, श्री सैयद
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा	मिश्र, श्री सत्यगोपाल
जायनल अबेदिन, श्री	मुखर्जी, श्रीमत गीता
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.	यादव, श्री विजय कुमार
तुलसीराम, श्री वी.	रमैया, श्री बी. बी.
थामस, श्री तम्पन	राजू श्री विजय कुमार
दण्डवते, प्रो. मधु	रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री
दत्ता, श्री अमल	राय, डा. सुधीर
दास, श्री रेणुपद	राव, श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर
पाटिल श्री डी, बी	राव, डा. जी. विजयरामा
पाठक, श्री आनन्द	राव, श्री वी. शोभनाद्रीश्वर
पेंचालैया, श्री पी.	राव, श्री श्रीहरि
बसू, श्री अनिल	रियान, श्री बाजूबन
बिश्वास, श्री अजय	रेड्डी, श्री के. रामचन्द्र

रेड्डी, श्री बी. एन.

रेड्डी श्री सी. माधव

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सोमू, श्री एन. बी. एन.

हंसदा, श्री मतिलाल

विपक्ष में

अतीतन, श्री आर. धनुषकोडी

अब्बासी, श्री के. जे.

अरुणाचलम, श्री एम.

अवस्थी, श्री जगदीश

उरांव, श्रीमती सुमति

एन्टनी, श्री पी. ए.

एंगती, श्री बीरेन सिंह

ओडेयार, श्री चनैया

किन्दर लाल, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस.

कुरियन, प्रो. पी. जे.

कुरेशी, श्री अजीज

केन, श्री लाला राम

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुंझुनू)

खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)

गंगाराम, श्री

गढ़वी, श्री बी. के.

गामित, श्री सी. डी.

गुप्त, श्री जनक राज

गुप्त श्रीमती प्रभावती

गोमांगो, श्री गिरिधर

घोषाल, श्री देवी

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चार्ल्स, श्री ए.

चौधरी, श्री नन्द लाल

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

जगन्नाथ प्रसाद, श्री

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाटव, श्री कम्मोदीलाल

जेना श्री चिन्तामणि

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

झिकराम, श्री एम. एल.

डिगाल, श्री राधाकान्त

डेनिस, श्री एन.

तिग्गा, श्री साइमन

त्रिपाठी, डा. चन्द्र शेखर

थोरट, श्री भाऊसाहिब

दलबीर सिंह, श्री

दाभी, श्री अजीत सिंह

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री सुदर्शन

दिग्विजय सिंह, श्री

दुबे, श्री भीष्म देव

नायक, श्री शांताराम
नायकर, डा. डी. के.
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल, श्री विजय एन.
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुष्पा देवी, कुमारी
पोतदुखे, श्री शान्ताराम
बनर्जी, कुमारी ममता
बलरामन, श्री एल.
बजीर, श्री टी.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बीरबल, श्री
बैठा, श्री डूंमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच. के. एल.
भारद्वाज, श्री परसराम
भूमिज, श्री हरेन

भोंसले, श्री प्रतापराव बी.
मनोरमा सिंह, श्रीमती
मलिक, श्री धर्मपाल
मलिक, श्री लक्ष्मण
माधुरी सिंह, श्रीमती
महेन्द्र सिंह, श्री
मालवीय, श्री बापूलाल
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र डा. प्रभात कुमार
मीराकुमार, श्रीमती
मुल्लाराम, श्री अजय
मोतीलाल सिंह, श्री
याजदानी, डा. गुलाम
यादव, श्री राम सिंह
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ श्री के. एच.
रणबीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राजहंस, डा. गौरी शंकर
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामसिंह, श्री
राय, श्री आई. रामा
राव, श्री राज कुमार

राय, श्री रामदेव
राव, श्री जे. वेंगल
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राव, श्री वी. कृष्ण
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री हरीश
लच्छी राम, चौधरी
लाहा, श्री आशुतोष
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस.
व्यास श्री गिरधारी लाल
शंकरलाल श्री
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाही श्री ललितेश्वर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी.
संकटा प्रसाद, डा.
सकरगयेन, श्री कालीचरण
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगरावडीवेल, श्री एस.
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के. पी.
सिवनाल श्री, एस. बी.
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिद्धार्थ श्रीमती डी. के. तारा देवी
सुन्दरराज, श्री एन.
सुमन, श्री रामप्यारे
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेन, श्री भोला नाथ
स्पैरो, श्री आर. एस.
वष्मुख, श्री पी.

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, *मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष	38
विपक्ष	138

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत रिकार्ड कराये।

विपक्ष में : सर्व श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, चिरंजी लाल शर्मा, रामभगत पासवान, टी. बाल गौड, बृजमोहन महन्ती, प्रो. एम. आर हाल्दर, श्री बिपिन पाल दास श्री मानकूराम सोढी।

खंड 15 धारा 123 का संशोधन

प्रो. मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 44 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(क) खण्ड (3) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित और परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे संगठन या राजनीतिक दल, जिसके सदस्य किसी धर्म-वंश, जाति समुदाय या भाषा के नागरिक बन सकते हैं, द्वारा खड़ा किया जाता है या समर्थन मांगता है या प्राप्त करता है, तो इसे अभ्यर्थी द्वारा ऐसे आधार पर अपील समझा जायेगा।" (26)

श्री सम्पन थामस : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 44 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(क) खण्ड (7) के पश्चात्, खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7क) अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए किसी भी वर्ग के सरकारी कर्मचारी से, कोई प्रबन्ध कराने या कोई सुविधा प्रदान कराने/या कोई अन्य कार्य की बात कराने के लिए, सहायता प्राप्त करना।" (30)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 47 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(9) शासकीय हैसियत के व्यक्तियों द्वारा किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की चुनाव में स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयोजन के लिए सरकारी कारों, विमानों हेलीकाप्टरों आदि का उपयोग।" (45)

प्रो. मधु दण्डवते : वास्तव में मंत्री महोदय ने धार्मिक संस्थानों के दुरुपयोग सम्बन्धी मेरे पूर्व संशोधन को स्वीकार कर लिया है। यह उसी का उप-सिद्धांत है। इसमें केवल भ्रष्ट तरीके के बारे में एक परन्तुक जोड़ा जा रहा है अर्थात :

"परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे संगठन या राजनीतिक दल, जिसके सदस्य किसी धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के नागरिक बन सकते हैं, द्वारा खड़ा किया जाता है या समर्थन मांगता है या प्राप्त करता है, तो इसे अभ्यर्थी द्वारा ऐसे आधार पर अपील समझा जाएगा।"

इसे भी भ्रष्ट तरीका मानकर दण्डनीय समझा जाना चाहिए।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैं भी चुनाव के तरीके के सम्बन्ध में इसमें एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं। आजकल सरकारी सेवा पर राजनीतिक दलों का बहुत अधिक प्रभाव है। राजनीतिक दल चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को घसीट रहे हैं। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ आदि के लिए उनसे चालाकी से काम लेते हैं। उससे बचने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड 7 के बाद निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाये :—

(7क) "अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए किसी भी वर्ग के सरकारी कर्मचारी से, कोई प्रबन्ध कराने या कोई सुविधा प्रदान कराने/या कोई अन्य कार्य या बात कराने के लिए, सहायता प्राप्त करना।"

सभी का ऐसा अनुभव है। न्यायालयों में मामले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पक्ष में निर्णय दिया। इसलिये मैं इस संशोधन पर दबाव डाल रहा हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : सभा को यह जानकर खुशी होगी कि यह मेरा अन्तिम संशोधन है।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या उसके बाद आपको कुछ होने की सम्भावना है।

श्री दिनेश गोस्वामी : जी नहीं महोदय, मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित मुद्दे को भी भ्रष्ट तरीके में शामिल किया जाए :

"शासकीय हैसियत के व्यक्तियों द्वारा किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की चुनाव में स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयोजन के लिए सरकारी कारों, विमानों, हैलिकाप्टरों आदि का उपयोग।"

श्री बी. शंकरानन्द : जिन संशोधनों का सुझाव किया गया है वह संशोधित विधेयक के क्षेत्र में नहीं आते। इसलिए मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 13 में किए गए सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 26, 38 और 45 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14—धारा 127 का संशोधन

श्री वी. सोभनाद्रीश्वर राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 7 तथा 8,—

"एक हजार रुपए" के स्थान पर "दो हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए।" (39)

महोदय, चुनाव बैठकों में गड़बड़ी पैदा करने वाले लोगों पर रोक लगाने वाले प्रावधान को यह संशोधन और मजबूत बनाता है। सरकार ने 1000 रुपये का प्रस्ताव रखा है। मैंने 2000 रुपये का प्रस्ताव रखा है। यह अधिक कठोर और प्रभावी होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : हमने पहले से ही सजा बढ़ा दी है। इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव द्वारा रखे गये संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 39 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 और 16 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 1—

पंक्ति 7 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।"

श्री विजय कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 से 11—

"और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह उस उपबन्ध के लागू होने के प्रति निर्देश है।" का लोप किया जाए। (127)

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस खण्ड के द्वारा सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रस्तुत विधेयक के विभिन्न उपबन्धों को जैसा वह उचित समझे विभिन्न तिथियों से लागू कर सकती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है अभी कुछ समय पहले हो जो वोटिंग मशीनों के बारे में चर्चा हुई है उसे ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बहुत खतरनाक है। बिहार के इस्लामपुर निर्वाचन क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित हुआ था। निर्वाचन अधिकारी ने उसे इसके लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया था। दो दिनों के बाद यह कहा गया कि वह निर्वाचित नहीं हुआ है कोई और निर्वाचित हुआ है क्योंकि वहां गणना में कुछ गलती हुई थी।

यदि विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में चुनाव करने की ऐसी शक्ति सरकार को दी जाती है, तो मुझे डर है कि निर्णय उसी प्रकार के होंगे जैसा इस्लामपुर में हुआ था।

अतस्व, मैं इस खण्ड का विरोध करती हूं। यदि विधेयक स्वीकार किया जाना है तो इसे एक साथ जारी किया जाना चाहिए तथा इसमें सत्ताधारी सरकार की मर्जी नहीं चलनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन भी कुछ इस तरह का है। मेरा कहना है कि एक तो बिल जो लाया गया है, वह पीसमील है और काम्प्रीहैंसिव नहीं है और जो यह बिल लाया गया है, उसको भी पीसमील करके लागू करने का प्रावधान इसमें किया गया है। मेरा यह सुझाव है कि पूरे का पूरा जो कानून पास होता है, उसकी जितनी भी क्लाजेज हैं, सभी को एक साथ लागू होना चाहिए। यही हमारे संशोधन में कहा गया है और यह संशोधन बिल्कुल सीधा-साधा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको मंत्री जी एक्सेप्ट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : कुछ माननीय सदस्य ऐसा सोच सकते हैं कि इस उपबन्ध के द्वारा सरकार को शक्ति प्रदान की गई है। इस संशोधन विधेयक में हमने अनेक खण्ड प्रस्तुत किए हैं। कुछ खण्डों के बारे में उन्हें लागू करने के लिए प्रारम्भिक कार्य करने होते हैं, तथा उस मामले में वे खंड विशेष तुरन्त लागू नहीं किए जा सकते। लेकिन इस धारा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि विधेयक के सभी उपबन्ध एक ही तिथि से लागू नहीं किए जा सकते। कभी-कभी कुछ मामलों में प्रारम्भिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रानिक मशीनों के बारे में, क्या हम कह सकते हैं कि इसे कल से लागू कर दिया जायेगा ? इन प्रयोजनों के कारण ही यह खण्ड रखा गया है। जिसमें सरकार को शक्ति प्रदान की गई है। अतएव, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 1 के लिए रखे गए संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 6 तथा (2) सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें।

श्री राम चन्द्र रेड्डी।

श्री के. राम चन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहल की है तथा इस सदन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। लेकिन मुझे संदेह है क्या इसे अगले चुनावों से पूर्व लागू किया जा सकेगा। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुका है लेकिन 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि भी की जानी चाहिए और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी है। तभी यह कानून बन सकेगा। इन आधारों पर, सरकार इसे लागू करने में विलम्ब कर सकती है।

इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा—19 में भी संशोधन करना होगा तभी मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष को प्रभावी बनाना सम्भव हो सकेगा। ऐसा भी नहीं किया गया है। इससे सरकार के इरादों की झलक मिलती है।

जहां तक पहचान पत्रों का सम्बन्ध है हमने आंध्र प्रदेश में कारपोरेशन, म्युनिसिपल तथा कोपरेटिव सोसायटियों के चुनावों के मामले में भी ऐसा किया है। इससे जाली मतों को रोकने में काफी सफलता मिली है। लेकिन यहाँ, सरकार ने खर्च के कारण इसे तुरन्त लागू न करने का फैसला किया है।

इन दोनों बातों पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री सी. एन रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों में निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाले वर्तमान विधेयक में इसका ध्यान नहीं रखा गया है। यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए तो इन संशोधनों का कोई फायदा नहीं होगा। यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए तो केवल मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके

* मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

18 वर्ष करने का कोई फायदा नहीं होगा। इस स्थिति में इन संशोधनों के उद्देश्य नाकाम हो जायेंगे। अतः मैं एक बार फिर चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाने का निवेदन करता हूं।

दूसरी, बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है मतदान की शक्ति। चुनावों तथा मतदाताओं के साथ तभी न्याय होगा जब इस बात पर ध्यान दिया जायेगा। चुनावों में डाले गये वोटों के साथ न्याय होना चाहिए। आज हम यह देख रहे हैं कि जिस दल को 40% वोट मिलते हैं वह सत्ता में रहता है तथा 60% वोटों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वोट एवं वोट डालने वालों के साथ तभी न्याय होगा जब वोटों के महत्व पर ध्यान दिया जायेगा। यदि 40% वोट प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है तो यह 60% मतदाताओं के साथ अन्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः मैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के महत्व का समर्थन करता हूं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के बिना लोकतन्त्र का कोई औचित्य नहीं है। यह बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री महोदय ने सभी वर्गों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सुझाव दिये जाने के बावजूद इसे अस्वीकार कर दिया। मैं शासक दल से जो मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने का दावा करती है पूछता हूं। कि उसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

चुनावों को प्रभावित करने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण बात है धन व बाहुबल का प्रयोग। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सभी सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि धन व बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। चिन्ता की बात यह है कि इन दोनों बातों का और अधिक संगठित रूप में प्रयोग होने लगा है। सभी सदस्य जानते हैं कि त्रिपुरा में क्या हुआ। यह संगठित बाहुबल के प्रयोग का स्पष्ट मामला है। इससे यह पता चलता है कि संगठित व वैधानिक रूप से बाहुबल का प्रयोग चुनावों में किया जाता है। इस बाहुबल का प्रयोग त्रिपुरा में किया गया वह अब तमिलनाडु में हो रहा है शासक दल ने धन व बाहुबल के प्रयोग सफलतापूर्वक संगठित तरीके से किया है। इस तरह शासक दल चुनावों को न्यायसंगत तरीके से कैसे करवायेगी? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने धन व बाहुबल के प्रयोग को रोकने से सम्बन्धित संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है। उनके इस दावे में कोई औचित्य नहीं है कि वर्तमान विधेयक ऐतिहासिक व क्रांतिकारी है। यह दावा खोखला है क्योंकि चुनावों को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए विपक्ष द्वारा रखे गये सर्वाधिक सार्थक संशोधनों को भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। मैं इसे न तो ऐतिहासिक मानता हूं और न ही क्रान्तिकारी, बल्कि, इसे शासक दल का एक राजनीतिक हथकण्डा मानता हूं, तथा ऐतिहास में इसे इसी रूप में याद किया जायेगा।

7-00म. प.

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह विदेशों में रह रहे लगभग 10 करोड़ भारतीयों के बारे में है। उनको मताधिकार प्राप्त नहीं है। वह विदेशों में कार्यरत हैं। सरकार को इस मामले में अनेक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। जो लोग विदेशों में कार्यरत हैं तथा देश में मतदान नहीं कर पाते हैं उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि जो 10 करोड़ लोग विदेशों में कार्यरत हैं उनको मताधिकार प्रदान किए जाने के बारे में सरकार ध्यान दे। वह विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

दूसरी बात पहले से चुने हुए उम्मीदवार के नाम वापस लेने से सिद्धांत के बारे में है। यह लोकतांत्रिक सिद्धान्त है जो अनेक देशों में माना जाता है। यदि लोग, उस व्यक्ति को, जिसे वह चुनते हैं योग्य नहीं समझते हैं तो उसे वापस बुलाने का उन्हें अधिकार है। यह लोगों का अधिकार है। सरकार इस मामले पर भी विचार करे। वोट डालने की अनिवार्यता की बात भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : थामस साहब, यह सही नहीं है, आपको लिखित में देना चाहिए था। आप को विधेयक के पक्ष या विपक्ष में ही बोलना चाहिए।

श्री तम्पन थामस : अब देश में वोट डालने की कोई अनिवार्यता नहीं है। आजकल बहुत कम लोग वोट डालते हैं। लोगों को वोट डालने के लिए बाध्य करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

अब समाजवाद की बात करते हैं, आपने इसको परिभाषित नहीं किया है। यह ऐसी टोपी है जिसे कोई भी पहन सकता है अर्थात् इसका जिक्र कोई भी कर सकता है। (व्यवधान) मैं समाजवादी हूं। यह मैं जानता हूं, परन्तु आपका कोई समाजवाद नहीं है। आप केवल उसका नाम लेते हैं, बस।

श्री बी. शंकरानन्द : यह सभा की परम्परा रही है कि तृतीय वाचन के समय विधेयक में कोई नया प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तथा उन बातों पर कोई चर्चा नहीं होती है। अतः मैं नहीं समझता कि इस मामले में मैं सदन का अधिक समय लूं।

दूसरी बात चुनाव चिन्ह की है। शायद माननीय सदस्य जानते हैं, यह 1950 के अधिनियम में है। दूसरी बात परिचय पत्र की है धारा 228 में परिचय पत्र जारी करने की व्यवस्था है। केवल कार्यवाही की जानी है। चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा।

बाहुबल के प्रयोग तथा धन के प्रयोग के बारे में श्री डी. एन. रेड्डी ने काफी कुछ कहा है। इस पर विस्तार से पहले चर्चा की गयी है। मैं नहीं समझता कि मुझे इसका दोबारा जिक्र करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

7-07 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1988, 25 अग्रहायण 1910 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006